

शातपीठ-लोकोदय-ग्रन्थमाला
हिन्दी ग्रन्थाङ्क—१७६

आत्मनेपद

‘अज्ञेय’ (मन्त्रिदानन्द वात्स्यायन) : जन्म कमिया, देवरिया, ७ मार्च १९११ (फाल्गुण शुक्ल सप्तमी गं० १९६७) । प्रारम्भिक शिक्षा घरमें, विद्वद्विद्यालयीन शिक्षा मद्रास और पंजाबमें, जहूँ १९२९ में बी० एग-बी० परीक्षा पास की । पुरानत्वज्ञ और पुरालेखोंके शोधक पिता डा० हीरानन्द शास्त्रीके साथ अनवरत देश-भ्रमण, जीवनका अधिकांश वन-बीहड़ अथवा विभिन्न प्रदेशोंके देहातोंमें बीता । पिताके माय संस्कृत साहित्य और भारतीय कलाओंका अध्ययन । एम० ए० (अंग्रेजी) के अन्तिम वर्षमें क्रान्तिकारी पड़्यन्तोंमें भाग लेनेके लिए गिरफ्तार; मन् १९३०-१९३४ जेलमें बीता और अनन्तर एक वर्ष घरकी नजरबन्दोंमें ।

सन् १९३५-३९में ‘सैनिक’ (आगरा), ‘विजली’ (पटना) तथा ‘विशाल भारत’ (बलरुता) का सम्पादन, मेटके किसान आन्दोलनमें भाग । सन् १९४०-४२में (और फिर १९५२-५५ में) आल इंडिया रेडियोमें, १९४३-१९४६ सेनामें भरती होकर अमम-बर्मा सीमान्तपर, और युद्ध समाप्त होनेपर पंजाब-पश्चिमोत्तर सीमान्तपर सेवा । सन् १९४६-५१ में ‘प्रतीक’ (इलाहाबाद तथा दिल्ली) का प्रतिष्ठापन और सम्पादन, अंग्रेजी ‘घाट’ (दिल्ली) में साहित्य अंगका सम्पादन । सन् १९५५ में युनेस्कोकी वृत्तिपर यूरोप गये; सन् १९५७ में जापान और पूर्वशियाका भ्रमण । दिल्लीसे अंग्रेजी शैक्षणिक ‘वाक्’ का आरम्भ, १९५८ ।

प्रतिमालिखन, चर्म-शिल्प, मृत्-शिल्प, फोटोग्राफी, बागवानी और पर्वतारोहणमें व्यावहारिक रुचि है ।

प्रकाशित रचनाएँ :

कविता : भग्नदूत (१९३३), चिन्ता (१९४२), इत्यलम् (१९४६), हरी घासपर क्षण भर (१९४९), बावरा अहेरी (१९५४), इन्द्रधनु रौंदि हुए ये (१९५७), अरी ओ करुणा प्रमामय (१९५९) ।

कहानी : विषयगा (१९३७), परम्परा (१९४४), कोठरीकी बात (१९४५), शरणार्थी (१९४८), जयदोल (१९५१); ‘अज्ञेय’की कहानियाँ—भाग १ (१९५५), भाग २ (१९५७), भाग ३ (छप रहा है)

उपन्यास : शेखर : एक जीवनी—भाग १ : उत्थान (१९४१), भाग २ : संघर्ष (१९४४), नदीके द्वीप (१९५२)

निबन्ध : त्रिशंकु (१९४३)

भ्रमण और विविध : अरे मायावर रहेगा याद (१९५३)

आत्मनेपद्

‘अज्ञेय’

भारतीय ज्ञानपीठ
काशी



ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमाला
सम्पादक और निपामक
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन

प्रथम संस्करण
१९६०
मूल्य चार रुपये

प्रकाशक

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ
दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

मुद्रक

बाबूलाल जैन फागुल्ल
सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी

कल्याणके लिए

नियमन

बाई को बचाने के लिये ही आमतौर पर प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। यह नियम यह है कि प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। और इस प्रकार इसे बचाने का एक ही नियम है—यदि यह नियम है तो बाई को बचाने का एक ही नियम है।

यह नियम यह है कि प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। और इस प्रकार इसे बचाने का एक ही नियम है—यदि यह नियम है तो बाई को बचाने का एक ही नियम है।

प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। प्रशासनिक कार्य को बचाने का एक ही नियम है। और इस प्रकार इसे बचाने का एक ही नियम है—यदि यह नियम है तो बाई को बचाने का एक ही नियम है।

यग्य भी दे सकूँगा ममूद, निर्मलकोय, उगीको भात्र आना
 गीत देता हूँ—किर भी जवनक उम कायंका दायिब ओदे हूण
 हूँ. तब तब उमे अकुञ्जि रगता वाता हूँ । अगए वर भीतगी
 है तो उमे वादके आक्रमणे गंगु नरी होने देना वात्ता :
 भीतग्ये ही जय वर गुन जायगा तब वर उगरी हार नरी,
 किरागि होगा....

और यह भी कुछ स्पष्ट होता आया है कि यह भी ऐसा
 क्षेत्र है जहाँ अविरोध ही जय हो सकती है । और जब यह
 स्पष्ट हो गया तो आत्म-वर्ता स्वभावके नितान्त प्रतिकूल रहने
 भी जो दांग गया है उमे मने मान लिया है । इस प्रकार यह
 निरस्त्र होकर मार गाने सामने आता एक प्रकारका मर्यापह
 ही है । हथियार डाल देना वह नहीं है । वह युद्धके नैतिक
 स्तरको बदल देनेका ही प्रयत्न है । जहाँ युद्ध होता है, आक्रमण
 और प्रतिरक्षाका भाव होता है, वहाँ इसका निर्णय सम्पूर्णतया
 आक्रान्ताके ही हाथमें होता है कि किन अस्त्रोका प्रयोग होगा—
 क्योंकि जैसा आक्रमण होगा उसीके अनुरूप तो उसकी काट
 होगी । जो इस प्रकार आक्रान्ताके वशीभूत नहीं होना चाहता,
 उमे प्रतिरक्षाका तर्क भी छोड़ना ही पड़ेगा ।

इसीलिए, यह जो कुछ है आपके सम्मुख है । इसे मैं
 स्वयं 'मै' भी नहीं कहना चाहता—इसे 'यह' ही मानना चाहता
 हूँ जिससे कि इसकी निरस्त्रता पूरी हो जाय—ममत्वका तनिक-
 सा भी कवच उसे न हो ।

यहाँतक अकेले नहीं पहुँचा हूँ । जीवनमें बहुत अकेला
 रहा हूँ, पर जब कही पहुँचा हूँ तो पाया है कि अकेला नहीं हूँ,
 दूसरे भी साथ आये हैं—पहुँचाने आये हैं । इस सौभाग्यके आगे

नैमी प्रहसनात्प्राप्त शक्ति—'एंगा नरी है । में जानता हूँ कि यह आशा दुःसाह मान होगी कि इन पुस्तकका प्रत्येक पाठक लेखकके विषयमें किसी भी पूर्वदृष्टये मुक्त होकर इसे पढ़ेगा और पढ़नेके बाद ही इसकी महत्त्व और उसकी आशा-सूय मान्यता-प्रमाण आना सम्भव सिद्ध करेगा (और, हाँ, उनके लेखकके बारेमें भी, यद्यपि वह पहले कम महत्त्वकी बात है), फिर भी यह मैं मानना चाहता हूँ कि पाठक यह देख सकेगा कि 'आने' बारेमें शंका भी यह पुस्तक आनेमें दूरी हुई नहीं है—कमसे कम इसके लेखकको 'दुर्भाग' में अधिक नहीं । इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसके आत्मभेद होनेके बाद इसमें भी गद्गल भाव शिरो दुःखी रचनाकी आशा कम नहीं है, और वह 'तन्' लेखकके अर्थमें अधिक सुखान् और महत्त्वपूर्ण कुछ है, एंगा कुछ, जो केवल-मान साहित्यकी दृष्टिये महत्त्व रणगा है, जिसके ही साहित्यमें बने रहने या न रहनेका प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि लेखक और उसका यह तो नरवर है ही और नरवरताके नियममें किसी तरह बच नहीं सकता । (इस लेखकका जो जीवन-दमन है, उसमें तो उस नरवरताको पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि अपने बने रहनेके लिए पुनर्जन्मका हीला भी नहीं छोड़ा गया है—'वह तो मानता है कि इसकी नरवरता ही इसे वह अद्वितीयता देती है जो इसका रस और इसका प्रमाण है ।)

यह मैं जानता हूँ कि हिन्दी प्रकाशन-क्षेत्रको—उम पूरे क्षेत्रको साहित्य-क्षेत्र कहते शिक्षक होती हैं यद्यपि साहित्य-क्षेत्र भी उसीको एक क्यारी तो है ही—समकालीन परिस्थितिमें ऐसी पुस्तक लेकर आना, मानो घमासान युद्धमें कवच उतारकर और

पराक्रम भी वे गहूँगा गहूँगा, निर्मलहोष, उगीको भान आला
 ही देता हूँ—किर भी बरतक उन कापंतः कापित्त अंते हुए
 ही सब गह उगे अंहुँदिन रगना बाताता हूँ । अतर वर भोगी
 है गो उगे बातरके आक्रमणगे तंगु मरीं रने देना बाताता :
 भीतरमे ही तब वर गूष बावना तब वर उगकी हाव नरी,
 निगति होगी ।

और वर भी कुछ स्पष्ट होगा आता है कि वर भी मेगा
 होव है तरी अविशेषों ही तब हो गयी है । और जब वर
 स्पष्ट हो गया तो आत्म-वचों परमावरे निगल्य प्रविचूत रने
 भी जो होगा गया है उगे मने मान जिता है । इन प्रकार वर
 निरम्य होकर मार माने मानने आता एक प्रकारका मन्दायह
 ही है । श्रियार दाल देना वर नहीं है । वर युद्धके नैतिक
 स्वरको बदन देनेका ही प्रयत्न है । जहाँ युद्ध होता है, आक्रमण
 और प्रतिरक्षाका भाव होता है, वही इसका निशंय सम्पूर्णतया
 आक्रान्ताके ही हाथमे होना है कि किन अम्बोंका प्रयोग होगा—
 क्योंकि जैसा आक्रमण होगा उगोके अनुष्ठान सो उगकी बाट
 होगी । जो इस प्रकार आक्रान्ताके वशीभूत नहीं होना चाहता,
 उसे प्रतिरक्षाका तर्क भी छोडना ही पडेगा ।

इसीलिए, यह जो कुछ है आपके सम्मुख है । इसे मैं
 स्वयं 'मै' भी नहीं कहना चाहता—इसे 'यह' ही मानना चाहता
 हूँ जिसे कि इसकी निरस्तता पूरी हो जाय—ममत्वका तनिक-
 सा भी कतव उसे न हो ।

यहाँतक अकेले नहीं पहुँचा हूँ । जीवनमें बहुत अकेला
 रहा हूँ, पर जब वहाँ पहुँचा हूँ तो पाया है कि अकेला नहीं हूँ,
 दूसरे भी साथ आये हैं—पहुँचाने आये हैं । इस सौभाग्यके आगे

क्रम-सूची

विषय

पृ.

१. सादर्य - भाष्य

मेरी पत्नी की रचना	१३
प्रकृत अर्थात् विवरण	१४
प्रयोग और प्रेक्षणीयता	१५
प्रतीकात्मक भाष्य	१६
प्रतीक और भाष्य-रचना	१७
विषय ही नहीं पत्नी	१८

२. सादर्य - व्याख्यान

देवता के साक्षात्कार	१९
'देवता' : एक व्याख्यान	२०
'कवि के द्वेष' कवि और (कवि के लिए)	२१
प्रतीक और व्याख्यान	२२
कविता की व्याख्या	२३
'कवि के द्वेष' का भाष्य	२४

३. सादर्य - व्याख्यान

कविता-रचना का अर्थ	२५
कविता-रचना	२६

नये लेखककी गमस्यार्थ
पत्र-माहित्य और पुस्तक-माहित्य
हिन्दी पाठकके नाम

१७५

११५

११५

४. सन्दर्भ : स्थिति

अर्थ और यथार्थ
लेखक और प्रकाशक
जीवनका रस
कवि-कर्म : परिधि, माध्यम, मर्यादा
कठघरेसे
अज्ञान-दान

१३३

१४१

१४२

१५३

१७३

२०९

५. सन्दर्भ : मन

मनसे परे
मैं क्यों लिखता हूँ ?
जो न लिख सका
शारदीय धूप
एकान्त साक्षात्कार

२३७

२३६

२४०

२४४

२४८

आत्मनेपद्

•

सन्दर्भ : काव्य

मेरी पहली कविता

एक खिलौना होता है जिसे 'फिरकी' या 'फिरकनी' या 'भँवरी' कहते हैं। यह लट्टूकी ही जानिजा होता है—अन्तर इतना कि लट्टू लत्तीसे घुमाया जाता है, और यह घुटकीसे। पञ्जाबकी तरफ इसे 'भमीरी' या 'भुमीरी' कहते हैं। 'भँवरी'की तरह ही ये शब्द भी 'भ्रम्' धातुसे निकले हुए हैं। अब तो विलायती गाने वाले लट्टूओं और प्लास्टिककी चकड़िने इसका स्थान ले लिया, लेकिन मेरे बचपनमें शहरोंमें भी फिरकनियोंका अपना स्थान था। लकड़ीके रगीन गेंद-बल्लेसे कुछ ही कम महत्त्व पीली या लाल रंगी हुई, सारादकी लकड़ीकी फिरकनीका होता था—और उस पर बने हुए फूलोंकी डिजाइन पसन्द करनेमें बच्चोंका बड़ा समय और मनोयोग खर्च होता था।

यहाँ तक पढ़ने-पढ़ते पाठक सोचने लगेगा कि इस पारिभाषिक ऊहा-पोह और सस्मरणका मेरी पहली कवितासे क्या सम्बन्ध है? बड़ा धनिय्य सम्बन्ध है, जैसा कि अभी प्रकट हो जायगा! लेकिन वह बतानेसे पहले मेरे अपने मनमें जो सन्देह होता है उसीका पहले निवेदन कर देना चाहिए: स्वयं कविताका ही कवितासे क्या सम्बन्ध है? क्योंकि बिना इसका निबटारा किये यह कैसे बताया जा सकता है कि मेरी आरम्भकी तुकबन्दियोंमेंसे—या बिना तुककी लययुक्त पंक्तियोंमेंसे—कैसे कविता माना जाय? और ऐसी भी तो बनेक रचानाएँ होंगी, जिन्हें कभी कविता माननेकी मूर्खता की धी और जिनका अब स्मरण करते भी श्रंष लगती है? इसीलिए बातको मैं यहाँसे आरम्भ करना चाहता हूँ कि कविताके सम्बन्धमें मेरी क्या धारणा कैसे बनी—शब्दका सार्यक, साभिप्राय, रसात्मक प्रयोग किया जा सकता है, यह सम्भावना कैसे मेरे मनमें उदित हुई—और इसी बातका भँवरीसे—या उसके पंजाबी नाम 'भुमीरी'से—गहरा सम्बन्ध है।

मैं तब शायद चार सालका था—कमसे कम पाँच सालसे अधिकका तो नहीं था जबकी बात है—क्योंकि लखनऊकी बात है जो मैंने पाँच वर्षकी आयुमें छोड़ दिया था। कोई सम्बन्धी बाहरसे आ कर हमारे यहाँ ठहरे थे हम बहिन-माइयोके लिए खिलौने लाये थे। मुझे एक फिरकनी मिली। उसका नाम मैं नहीं जानता था, उन्हीने बताया—‘भूमिरी’। मैं उसे बरामदेमें ले गया और चुटकीसे जैसे उन्होंने बनाया था उसे घुमाने लगा। दो-एक बार तो वह दो-चार चक्कर काट कर ही लुढ़क गयी। पर इतनेमें उसका गुर मैंने पहचान लिया, और फिर तो वह झूमती हुई देर तक घूमने लगी। कौन बच्चा ऐसी विजयपर प्रसन्न न होगा? मैं भी उसके चारों ओर नाचने लगा। लेकिन नाचना भी काफ़ी नहीं मालूम हुआ—तब मैंने ताली दे-दे कर चिल्लाना शुरू किया—“नाचत है भूमिरी!” छन्दकी गतिके कारण अनायास ही ‘भूमिरी’को ‘भूमिरी’ बन जाना पड़ा। लेकिन दो-तीन बार पुकार कर ही मैं महंगा रुक गया। चौककर मैंने जाना कि जो बात मैं कह रहा हूँ, उमसे वास्तवमें अधिक कुछ कह रहा हूँ—‘नाचत है भूमिरी’—मेरी भूमिरी नाचती है, तो तो ठीक; लेकिन अरी, भूमि भी तो नाचती है—‘नाचत है भूमि, री’! मन ही मन इग इगपर्यन्त वाक्यको मैंने फिर दुहराया।—सच तो! वह मेरी भूल नहीं है—वाक्य सचमुच दो अर्थ देना है—उत्तमं चमत्कार है! और फिर मैंने दूने जोरसे चिल्लाकर और नाचकर, साथी देकर, गाना शुरू किया—“नाचत है भूमिरी” “नाचत है भूमि, री!” इगमे आगे शब्द नहीं मिले, पर उम समय मैंने जाना कि मेरी भँवरि ही नहीं, भूमि भी नाचती है—गारा विश्व-ब्रह्माण्ड नाच रहा है—मैंने एक गाधारण वाक्यमें एक अगाधारण अर्थ निकाल लिया है—मैं आदिवाक्य हूँ, यष्टा हूँ! मैंने वाक्यकी गतिको पहचान लिया है, पहचान ही नहीं, स्वायत्त कर लिया है—और शब्द गति ही तो आधा है। ‘इन ह बिगिनिय बाब ह बर्द, एण्ड ह बर्द बाब गाँड’ (घासिमें शब्द या धीर शब्द ही ईश्वर था)...

पाठक हूँ न सकना है । आज मैं भी हूँ न सकता हूँ । लेकिन इस बोधमे उम दिन जो रोमाञ्च हो आया था, उसको छाप आज भी मुझपर है— और उस दिनसे मैं कभी नहीं भूला हूँ कि शब्द शक्ति का रूप है, कि शब्द का सार्थक प्रयोग सिद्धि है । इसलिए, मेरी पहली कविता कौन-सी थी, इस प्रश्नके उत्तरमें यह बाल्य-कालीन अनुभव प्रामाणिक तो है ही, नले ही वह वाक्य कविता न रहा हो । इसीलिए मैंने जिज्ञासा की थी कि कविताका ही कवितासे क्या सम्बन्ध है !

अनुप्रास और लय—इनकी पहचान अपेक्षया सहल भी होती है, मद्भ्र भी : अबोध शिशु लोरियाँ मुनकर ही इन तत्त्वोंकी पहचानने लगता है । और इनके बोधमें अभिभूत करनेवाला वह तत्व नहीं होता जो शब्दकी अर्थ-बोधन-क्षमताको पहचाननेसे होता है—वह एक दूसरी ही कोटिका बोद्धिक आनन्द है....

कुलपरम्परानुकूल मेरी पढाई रटन्तसे आरम्भ हुई गायत्री-मन्त्र और अष्टाध्यायीके साथ-साथ मुझे अपने वयोवृद्ध गुरुकी स्नेहमयी पण्डिताऊ गालियाँ भी अभीतक याद हैं । लेकिन प्रबुद्ध-चेता पिलाने 'स्वोन्नतमौद्घ-ष्टान्यान्वन्'... 'उमोत्ताम्डिओस्मुप्' को रटाईके साथ-साथ अंग्रेजीकी मौखिक शिक्षा भी आरम्भ करवा दी थी, और अदार-ज्ञानसे पहले ही मैं दो-ढाई सौ अंग्रेजी शब्द सीखकर वह भाषा वैसे बोलने लगा था जिसे 'फर-फर अंग्रेजी' कहते हैं । अंग्रेजीमें ही कुछ हलकी कविताएँ और तुकबन्दियाँ रट लीं थी—हमारा दुर्भाग्य था कि हिन्दीमें बाल-साहित्य तब लगभग नहीं था—अब भी कुछ बहुत या अच्छा हो, ऐसा नहीं है । तो अंग्रेजी तुकसे प्रेरणा पाकर अंग्रेजीके सहारे ही लोगोंकी चिड़ानेवाली कुछ तुकबन्दियाँ भी की थी—और एक-आध वार बड़ोंकी इस अवमानताके कारण दण्ड भी पाया था ! स्पष्ट है कि इन्हें कविता नहीं कहा जा सकता—लेकिन 'बागर्प-मम्पूवित'के ज्ञानके बाद अगला कदम तो छन्द-परिचय ही है !

यह छठे वर्षकी बात है । इसके बाद न जाने क्यों कई वर्षोंका अन्तराल

है, जिसमें ओर बहुत-कुछ जाना-सोखा, बहुत-सी दिशाओंमें आगे बढ़ा, प कवितामें कुछ परिचय बड़ा हो ऐसा नहीं याद पड़ना । ग्यारहवें वर्षमें एा ओर टैनीसनकी कवितासे परिचय हुआ, तो दूसरी ओर अमहयोगके पहले दौरसे ओर तत्कालीन 'प्रिंस आफ वेल्स'की भारत-यात्राके बहिष्कारके आन्दोलनसे । इसी समय स्वामी दयानन्दकी गङ्गाको लक्ष्य करके लिखे हुई उद्बोधनात्मक कविता भी पढ़ी :

गङ्गा उठी कि नौदमें सड़ियां गुठर गयीं ,
देखो तो सोते-सोते ही बरसें किधर गयीं ।

इन सबकी सम्मिलित प्रेरणासे मैंने भी गङ्गाको एक स्तुति लिखी थी जो अनन्तर गङ्गा मैयाको ही भेंट चढ़ गयी । वह मुझे स्मरण होती तो पहली कविताके नामपर कदाचित् उसीका उल्लेख उचित होता—किन्तु एक तो यह अंग्रेजीमें थी, दूसरे कविता याद न होनेपर भी इतना तो याद है कि इसके छन्दपर, भाषापर, शैलीपर, टैनीसनकी गहरी छाप थी !

इन्ही दिनों पिताके साथ उटकमंड चला गया । मैं स्वभावसे भी एकान्त-प्रिय था, और परिस्थितियां भी अकेला रखती आयी थी—पर उटकमंडसे तीन मील दूर फर्नहिल नामक स्थानके एक बंगलेमें रहकर तो मातो एकान्तमें डूब ही गया—यद्यपि प्रकृतिके स्पन्दन-भरे एकान्तमें; जिसमें इस बातकी चिन्ता नहीं थी कि परिवारके बाहर कोई भी हमारा एक शब्द भी समझने वाला न था, न हम किसीका एक भी शब्द समझते थे ! इसी एकान्त-कालमें मैंने पहले चित्र सग्रह करना शुरू किया—मुख्यतया अबनीन्द-नाथ ठाकुर और उनके नव-वर्ग सम्प्रदायकी शिष्य-परम्पराके चित्र—और उनके एलबम बनाये । यही एक दिन सहसा पाया कि मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाल दी है—'भ्रानन्द-बन्धु' ! और इस पत्रिकामें पहले पृष्ठपर कवितासे लेकर अन्तमें सम्पादकीयके बाद चित्र-परिचय तक सब-कुछ था—जैसा कि उससे पहलेके वर्षोंकी 'सरस्वती'में हुआ करता था—स्वर्गीय

महावीर प्रसाद द्विवेदीक सम्पादनत्वम् ! पहल अकम् छा कवितान् नाम-
पर गुप्तजीकी

नीलाम्बर-परिधान हरित-पटपर सुन्दर है

वाली स्वदेश-वन्दना दी गयी थी, पर दूसरे अंकसे समझमें आने लगा कि इस प्रकार उद्धृत सामग्री देना सम्पादन-बलाके विरुद्ध है। दूसरे अंकमें बड़े भाइयोसे भी सामग्री प्राप्त की : एकने तो ड्यूमाके 'काउण्ट प्राफ मांटेक्रिस्टो'के आधारपर हिन्दी धारावाही कथाकी पहली किस्त दी, दूसरेने उस समय याद नहीं क्या। पर कविता उस अंकमें मेरी ही गयी। यह भी पूरी मुझे याद नहीं है, पर जन्हीं दिनों श्री शिवप्रसाद गुप्त को 'शृङ्गी-प्रदक्षिणा' निकली थी, जिसमें अमरीकाके नयागरा प्रपातको दी गयी कथा-बलिका उल्लेख था—उसी कहानीसे प्रभावित होकर उमीपर कविता लिखी गयी थी—'आनन्द-बन्धु'का पहला अंक तो बहिन-भाइयोने ही देखा था, दूसरा पिताजीने भी। उनसे इस कवितापर मुझे पाँच रुपये पुरस्कारमें मिले थे। इस पूँजीपर अगले चार वर्ष तक आनन्द-बन्धु चल सका—मेरे सम्पादनके अनुभवोंमें वदाचित् यही सबसे प्रीतिकर है—उसके बाद न तो कभी इतना कम खर्च हुआ, न इतनी बालानशीनी नसीब हुई !

इन्ही दिनों गुप्तजीकी कविताके अतिरिक्त मुकुटधर पाण्डेय, श्रीधर पाठक, 'हरिऔध', रामचरित उपाध्याय और आराके 'प्रेमयोगी' देवेन्द्रकी कवितासे परिचय हुआ। इन सबसे छन्दोंके बारेमें कौतूहल बढा। रोला और वीर तो हिन्दीके अति-परिचित छन्द हैं, जिनसे कौन हिन्दी कवि बचा होगा; और गुप्तजीकी कृपासे हरिगीतिका और गीतिका पर भी हाथ साफ करनेका साहस हुआ। लेकिन कुछ सस्कृत छन्दोंने भी आकृष्ट किया। 'हरिऔध' की यसोदाका विलाप पढ़कर मैंने मालिनी छन्दमें कई एक विलाप लिखे थे—राधाका, प्रवत्स्यत्वतिका धीर-बधुका, इत्यादि। मन्दाक्रान्ता सब इतना अच्छा नहीं लगता था जितना बादमें लगने लगा,

पर 'निगरिणी' पर भ्रं मृग्य था—विशेषकर पिताजीके पढ़े हुए 'महिम्न-स्तोत्र'के कारण। लेकिन ये छन्द कभी मुझमें गये नहीं, और पीछे बरबरे आकर्षणमें अपनी अगकलनाका दुःख भी भूल गया।

'भ्रानन्द-बन्धु' के कुछ अंक अभी मेरे पास हैं। जब कालेज आया तो कालेजी विद्यार्थीनी नयी अहमन्यताके कारण मैंने कई अंक नष्ट कर दिये, केवल कुछ एक रचने जो 'अच्छे' समझे। बादमें कई वर्ष बाद उन्हें फिर देखा तो कुछ ऐसे कौतूहलप्रद लगे कि फिर रख ही छोडे ! इतमें एक और अंकमें एक रचनापर पिताजीके बन्धु रायबहादुर हीरालालसे पुरस्कार मिला था—लेकिन यह रचना गद्य-पद्यमयी थी, और इसमें अपने ही परिवारके सब लोगोंका कौतुकपूर्ण परिचय दिया गया था। 'भ्रानन्द-बन्धु' का पाठक-वृत्त पीछे काफ़ी बढ़ गया था—और वह दो भाषाओंमें निकलने लगा था—अंग्रेजी अक्षरों में टाइप भी हो जाता था ! इन पाठकोंमें पिताजीके कुछ मित्र और सहयोगी भी थे, जिनकी समालोचनाओंसे मुझे बड़ी सहायता मिली।

कहानी तो इन दिनों तक एक छप भी चुकी थी—इलाहाबादकी एक बालचर-पत्रिका 'सेवा'में, पर कविता पहले-पहल लाहौरमें अपने कालेजकी पत्रिकामें छपी। यह जिस समय लिखी गयी, उस समय में अंग्रेजी 'गीतांजलि'के प्रभावमें उसी दशके रहस्यवादी गद्य-गीत भी लिखने लगा था—जो दैव-श्रुपासे कभी छपे नहीं, और मेरे जेल-प्रवासके दिनों न जाने कहाँ खो-खा गये। लेकिन तुक-तालयुक्त कविताएँ उन्ही दिनों छपी थीं। पहली कविता अब 'चिन्ता'में संगृहीत है, और मन होता है कि स्वयं न बताकर लोगोसे पूछा करूँ, 'बताइए वह कौन-सी होगी ?' जैसे टेनिसन 'मॉड' कविताकी पंक्तियाँ

वर्ड्स इन द हाइ हॉल गार्डन
वेयर साइंग एण्ड कालिंग

‘माँड, माँड, माँड, माँड,’

दे बेयर काइंग एण्ड कार्लिंग

मुनाकर पूछा करते थे—‘बताइए तो कौन पत्नी थे वह?’...लेकिन बता ही दूँ, ‘चिन्ता’ की छठी कविता है, जिसका आरम्भ है—‘तेरी आँखोंमें क्या मद है...’ और अन्त है—‘जिसको लिखकर तेरे प्राणों हाथ जोड़ रह जाता हूँ।’ मेरा अनुमान है कि इसपर श्री ठाकुरकी ‘गीतांजलि’का प्रभाव परोक्ष रूपसे रहा ही, क्योंकि किन्हीं भी आँखोंके मद की महक भी तब तक पहचानी हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। ये भाव कल्पित ही अधिक थे, अनुभूत कम !

इन दिनों कहानियाँ भी लिखी। इसी समय गुप्त आन्दोलनसे भी सम्बद्ध हो गया, और तब कहानियाँ ही अधिक लिखीं—एक उपन्यास भी, जो अनन्तर किसी सहयोगीके पास पकड़ा गया था और फिर खुफिया पुलिसके दफ्तरोंमें ही बन्ही डूब गया, जहाँ अभी तक डूबा हुआ है ! लेकिन जेल जानेके बादसे जोरोसे लिखना शुरू किया। उपन्यास, कहानी, कविता, निबन्ध—सभी कुछ। इनसे अभी अवकाश लिया तो पुस्तकोंका अनुवाद करने बैठ गया। इस समयसे फिर लेखनका क्रम बराबर चलता रहा। इसलिए पुराना या ‘बुजुर्ग’ लेखक होनेके मोहमें न पड़कर मैं अपने रचना-कालका आरम्भ तभीसे मानता हूँ। और इसी शृंखलाकी पहली कविताको ही पहली कविता बहना भी न्याय-सगत होगा। आप कहेंगे, ऐसा ही था तो इतनी लम्बी भूमिका क्यों बाँधी, पहले ही कह दिया होता—लेकिन एक तो वह पहली कविता मुझे याद नहीं है, दूसरे ऐसे मामलोंमें असल बात तो भूमिका होती है, नहीं तो कवितामें भला क्या रखा है ! फरहादने पहाड़ खोदकर कौन-सी चुहिया निकाली थी, यह किसे याद है—सब पहाड़ खोदनेकी बातको लेकर ही तो मुग्ध है। लेकिन इस क्रमकी टीक पहली कविता कौन-सी है, यह याद न होनेपर भी पहली दो-चारमे-से एक तो बता ही सकता हूँ। बल्कि वह यहाँ उद्धृत भी की जा सकती है।

यह टोक पहली नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता—हो भी सटती और हो, तो मुझे अच्छा भी लगेगा—क्योंकि बाईस साल बाद आज यह मुझे अच्छी ही लगती है—यद्यपि उमरी भाषा बड़ी अटपटी है और उमरी बन्धुपर रवीन्द्रनाथ टाकुरकी छाप कुछ पड़ी थी या न यह भी नहीं कह सकता । जो हो, कविता यह है :

दृष्टि-पथसे तुम जाने हो जब ।

तब सलाह की कुञ्चित धलकों—

तेरे डरकीले घाविल को,

तेरे पावन चरण कमल को,

छू कर घन्य-भाग अपनी को लोग मानते हैं सबके सब ।

मैं तो केवल तेरे पथ से

उड़ती रजकी डेरी भरके,

चूम-चूम कर संचय करके

रख भर लेता हूँ मरकत-सा मैं अन्तर के कोपों में तब ।

पागल भ्रंभा के प्रहार-सा,

साग्ध्य-रश्मियोंके विहार-सा,

सब कुछ ही यह चला जायगा—

इसी धूलिमें अन्तिम आश्रय मर कर भी मैं पाऊँगा दब !

दृष्टि-पथसे तुम जाते हो जब ।

आज यह सहज विश्वास भी कठिन है, और विश्वास हो तो इसकी ऐसी सहज उक्ति और भी कठिन; इसलिए यह याद करके सन्तोष ही होता है कि एक समय ऐसा था जब न तो विश्वास कठिन था, न उसकी सहज अभिव्यक्ति—और उसी समयमें मैंने पहली कविता लिखी थी—

प्रवृत्ति : अहंका विलयन*

मेरे एक मित्र बहा करते हैं कि अगर अंग्रेजी न पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति आधुनिक अंग्रेजी कवितामें परिचय पाना चाहे, तो उसे 'अंग्रेज'-की कविता पढ़नी चाहिए। वह मेरे मित्र हैं, इसलिए ध्यान करनेका उन्हें अधिकार है, और वह उनका उद्देश्य भी है, फिर भी मैं मानता हूँ कि उनकी बातमें सार है। यह नहीं कि हममें प्रचारान्तरणें अपने आधुनिक होनेका दावा कर रहा हैं, यह भी नहीं कि हममें आधुनिक अंग्रेजी कविताके विषयमें जो धारणा बननी है उसे मैं सही मान रहा हूँ, केवल यह कि हममें कुछ तो मेरा उद्देश्य स्पष्ट होता है, और कुछ मेरे वास्तविक सर्वासाँ इंगित हो जाती है—उन सर्वासाँको आप गुण बड़े, या विमोचन या केवल दोष, यह आपकी रसि और मतिपर निर्भर है।

दूर्य, धर्म्य, धीम्य

आधुनिक काव्यमें 'दूर्य' और 'धर्म्य' का पुराना भेद कम महत्त्व रखने लगा है। यो तो प्राचीन काव्यमें भी विष-काव्य होता ही था और अभी तक कन्द शास्त्रोंमें उसके उदाहरण देनेकी परिपाटी है, पर आधुनिक कवितामें दूर्य और धर्म्यके भेद मिटानेके बलुगें माधन करने जाते हैं। मैंने उनका उपयोग लगभग नहीं किया है, न मैं उन सबका सम्यक कर

*विभिन्न अवसरोंपर रेडियोमें कविता-याटके साथ व्याख्या-रूपमें जो कुछ कहा जाता रहा, उसका एक सन्तन। प्रस्तुत धनु तीन प्रकारकोपर आधारित है, जो सन् १९४६-४९ में इलाहाबादमें हुए थे। इनकी पहिली सन् १९४७-४८ की धर्मानु मुन्धनका 'हरी घाम पर सल भर' की कविता थी।

रहा है। उनका उल्लेख भी कर रहा है तो यह निष्कर्ष निश्चयपूर्वक है कि आधुनिक कविता न केवल दृश्य यानी दृष्टिगम्य है, न केवल श्रव्य यानी श्रवणगम्य। उमका प्रयोग है कि वह गीष्ठी-मीष्ठी घोषणम्य हो उमे मफलता मिलनी है कि नहीं, मिल सकती है कि नहीं, यह और बात है—उमका उद्देश्य यह है। वह गीष्ठी चेतनाको घृणा चाहती है, इसलिए निरे शब्दोंके निरे अर्थसे आगे जाकर वह ध्वनियों और अन्तर्ध्वनियों, स्वरो और अन्तःस्वरोंके उलझनी है, और सवानी और त्रिवानी स्वरांको लेकर अन्वेषण करती है। आप चाहें तो यह लें कि वह एक साथ दो विरोधी दिशाओंमें चलती है—एक तरफ वह छन्दके बन्ध तोड़ती है तो दूसरी तरफ वह मगीत यानी गेयत्वको अधिक अपनाता चाहती है।

यह तो हुई आधुनिक और शास्त्रीय काव्यके उद्देश्यगत भेदकी बात। भारतीय और यूरोपीय काव्य-मिल्पमें एक अन्तर यह भी है कि अनुप्रासका प्रयोग तो हमारी कवितामें—यों भी और अर्थ-पुष्टिके लिए भी—होना है, पर स्वरांकी शक्तिका उत्पत्ता नहीं, जब कि अंग्रेजी काव्यमें अनुप्रास घटिया अलंकार है और अभिव्यंजनाके लिए स्वरांका भरपूर उपयोग होता है।

आधुनिक कवितापर मनोविज्ञानकी गहरी छाप है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और उमकी परिस्थितिमें इतना कम सामंजस्य, इतना तीखा विरोध, कभी नहीं हुआ; और उस विरोधके दवावकी कविके मनपर गहरी छाप है। इतनी गहरी, कि वह उसे सीधे-सीधे व्यक्त भी नहीं कर पाता है, केवल ध्वनित करता है, केवल एक संकेत देता है जिससे हम आगे बढ़ कर उसे देख सकें। एक सौन्दर्य होता है जो बाहर फुलवाड़ोमें बँटता है, एक होता है जो घरमें रहता है और अतिथियों द्वारा देखा जा सकता है; एक और होता है जिसे हम बन्द कमरेकी खिड़कीसे आते हुए आलोकको देख कर अपनी संवेदनाके सहारे ही मूर्त्त कर लेते हैं। मानसिक तनावसे धनुषकी प्रत्यक्षा-सी तनी हुई, अन्तर्जीवनकी सीखी चेतनासे स्वर-सी संयत, लेकिन

जीवनकी विविधताके बोधसे विद्वंसल होती हुई भी—आजकी कविताका सौन्दर्य इम तीमरी कोटिका ही सौन्दर्य है ।

★ ★ ★

उपयोगिता : कविकी, कविताकी

मेरी कविता 'हिन्दीमें लिखी गयी अप्रेञ्ची कविता' है, ऐसा कह कर कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने प्रशंसा की है, कुछ समझते हैं कि यह निन्दा है । मैं तो नही समझता कि मेरी कवितामें ऐसा कुछ है जो कि भारतकी ही काव्य-परम्परा द्वारा अनुमोदित न हो सकता हो । पर जैसा कि सर्वदा होता आया है और होता रहेगा, एक-एक युगकी कविता काव्यके उन्हीं सर्व-सम्पन्न गुणोंमें-से एक-एकको अधिक महत्त्व देती आयी है और दूसरोंको गौण मानती आयी है । कभी राग-मगीत ही सब कुछ हो जाना है, कभी अर्थ-गौरव, कभी व्यञ्जना और ध्वनिके बिना कविता पटिया मानी जाती है और कभी कवितामें समाजकी आलोचनाको ही एक मात्र उद्देश्य माना जाता है । आज एक वर्ग ऐसा भी है जो कविताको न केवल समाज-शास्त्रका आनुपंगिक मानता है, बल्कि समाजकी आलोचना भी सीधे-सीधे छन्दोबद्ध अभिधामें माँगता है । कहना चाहिए कि यह कविताकी आधुनिक दुर्गति है; दुर्गति भी हर कालमें होनी आयी है जैसे कि सापना और खोज ।

मैं सायद इम प्रवाहमें कुछ अलग पड़ गया हूँ—जिसमें मेरे तीभान्य और दुर्भाव्य दोनो हैं । मैंने कविताका उपयोग करना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने नहीं माना कि मेरे उपयोग करना चाहनेमें वह उपयोगी होती है । मैं मानता हूँ वह सब उपयोगी होती है जब मैं स्वयं उपयोगी हूँ, उगमें जं.वनकी पूर्णता तब है जब मैंने पूर्ण जीवनके प्रति अपनेको समर्पित किया है । दुर्गति देनेमें ही कविता नहीं निकलती । और अपने प्यारके बदले अपनी भूमिका दुखड़ा रोनेमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ना, केवल शोकाके लिए वह दुखड़ा और भी कम प्रतिकर हो जाता है ।

सपने में भी देखे हैं—
 मेरे भी हैं देग जहाँ पर
 स्फटिक-नील सलिलाघोंके पुत्तियों पर
 मुन-धनु सेतु बने रहते हैं ।...
 आज अगर मैं जगा हुआ हूँ अनिमिष—
 आज स्वप्न-बीबीसे मेरे पर झटपटे भटक गये हैं—
 तो वह क्यों ? इस लिए कि आज
 प्रत्येक स्वप्न-दर्शके आगे
 गतिसे चलन नहीं पयको यति कोई—
 अपनेसे बाहर धानेको छोड़
 नहीं आवास दूसरा !
 भोतर—भले स्वयं साईं बसते हों !
 पिया-पियाकी रटना !
 पिया—न जाने आज कहाँ हैं,
 सूली पर जो सेज बिछी है, वह—
 मेरी है !

छोटी कविता : भाव-संहति और भाव-समुच्चय

मैंने कहा कि अलग पड़ जाना मेरे लिए दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों हैं । पर दुर्भाग्य शायद नहीं कहना चाहिए—क्योंकि उससे जो बच होगा है और जो विरोध मिलना है वह एक तरहसे मेरे लेखनको मात्रनेमें मदद ही करता है । और सौभाग्य भी बदाबिन् नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अचेष्टनमें कभी-कभी वही सहानुभूति मिलती है उगने पड़ जाना पड़ना है ! मेरी एक निरुद्धी कविता-मुस्तफकी जब काफी तैयार हो रही थी, तब एक बन्धु पढ़नेके लिए उगे माँगकर ले गये थे । वह सम्पादक भी थे, इसलिए उन्होंने मोफा, सगे हाथ कुछ सामग्री भी जुटा ली जाय, क्योंकि

बादकलके कवि आसानीसे तो बाबूमें आते नहीं । लिहाजा उन्होंने कुछ कविताएँ छोटकर नकल कर लीं । पुस्तकका एक भाग किसीको समर्पित किया गया था जिन्हें मैं 'कैरा' नामसे जानता था और जिनतक मेरी बाणी कटिनाईसे ही पहुँच पाती । बन्धुने अर्दाई पत्रिके समर्पण-वाक्यको भी कविता मानकर बिना मुझे बताये छाप दिया । मैंने तो जब देखा तब हँस लेना चाफ़ी समझा, लेकिन अनन्तर सुना कि उसे लेकर गरमागरम नहमें हो जाया करती हैं । और जिन बन्धुने वह छपा था (उनकी दृष्टिसे छापी थी !) वह मुझे और सब तरह अपात्र मान कर भी (क्या सभी स्नेह-पात्र अपात्र नहीं होते !) उन अर्दाई पत्रिकोंके बानयको अभी तक कविता ही मानते हैं जिसे मैंने भी गद्य ही समझ कर लिखा था ।

इस विषयान्तरका कारण है । मैंने कुछ बहुत छोटी-छोटी कविताएँ लिखी हैं । छोटी कविताको महत्त्व भी देता हूँ । 'भावकके तोर' वाली बात ही नहीं है, यों भी मैं मानता हूँ कि भावना-प्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो अपने भावोंका 'पैराफ़ोज' होने लगता है । 'जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्मृति-सी छापी' वह एक आँसू बनकर आये, यहाँ तक तो ठीक है; किन्तु जब वह बरसातकी झड़ी-सी बरसने लगती है तब वह शायद वही पीड़ा नहीं रहती, और घनीभूत तो भला रह ही कैसे सकती है ! लम्बी कविताएँ भी होती हैं, हो सकती हैं, अच्छी भी हुई हैं; पर उनको कलात्मक एवता और गठन देने वाली चीज़ फिर दूसरी हो जाती है—भावकी सहति और तीव्रता नहीं । वह ढग दूसरा है, और कहूँ कि मेरा वह नहीं है । छोटी कविताओंका अर्थ गलत भी समझा जा सकता है, (और बिलकुल नहीं भी समझा जा सकता है) लेकिन ऐसा हो तो वह अनिवार्यतया कविताका ही दोष है, ऐसा क्यों माना जाय ? 'किताब और खोपड़ीके टकरानेसे खोसली टकर हो तो क्या सदैव किताब ही दोषी होती है ?'

नीति और आचरण के मान

हमारा देश गाँवोंका देश है, यह पुरानी बात है । लेकिन सम्यताकी प्रगति देशका जीवन-रम खींचकर शहरोंमें भर रही है । (और राजनीति की प्रगति शहरोंके सम्य जीवनकी बारबिबी प्रतिभाको महानगर या राजधानीमें केन्द्रित कर रही है, मिट्टीकी उर्वरा-शक्तिका स्थान रानायनिक खाद ले रही है, नदी-झरनोंका काम नहरों करने लगी है ।) इसके कारणोंमें यहाँ न जाना होगा, यहाँ इतना कहना यथेष्ट है कि गाँवोंकी संस्कृति जिन नैतिक मान्यताओंके साथ बँधी थी, शहरोंकी सम्यतामें उनके लिए स्थान नहीं है, और उनके बदले कोई दूसरे मान स्थापित किये गये हों ऐसा भी नहीं है । ऐसे लोग हैं जो कह देंगे कि गँवई संस्कृतिके नैतिक मान सामन्त-कालके थे और अब उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इससे कमसे कम मेरी तसल्ली तो नहीं होती, क्योंकि आचरणके मान बदलने पर भी नीतिकी आवश्यकता नहीं मिटती; निरी अवसरवादिता सांस्कृतिक आदर्श नहीं है, फिर वह चाहे किसी भी वर्गकी क्यों न हो !

अन्तिम उक्ति—मौन

आजका कवि पाता है—और अगर नहीं पाता है तो मैं कहूँगा कि उसे पाना चाहिए—कि व्यजनाके पुराने साधन पर्याप्त नहीं हैं । कवि नयी सूक्ष्म, नयी उपमाएँ, नया चमत्कार कवितामें लाता है । ये धीरे-धीरे परिचित हो कर हमारी भाषाको सम्पन्नतर बनाते हैं—लेकिन स्वयं भर जाते हैं; उनका चमत्कार अति-परिचयके जंगसे मिला हो जाता है । भाषाओंके बढनेका यही नियम है, हमारी बोलोके एक-एक शब्दके पीछे ऐसे कितने मृत और घ्वस्त चमत्कारोका इतिहास है, इसे वे समझते हैं जिनका भाषाकी ओर ध्यान है—और आज भाषा-संक्रान्तिके इस कालमें उधर ध्यान-दिये बिना कौन रह सकता है ?

तो व्यजनाके नये माध्यमकी खोजमें, अगर कभी कवि पाता है कि उसे

जो कहना है, वह मौन ही में कहा जा सकता है, तो क्या वह बिलकुल भूला है ? क्या इसमें वह सन्तो-मनीषियोंके साथ नहीं है—क्या स्वयं प्रकृतिके साथ नहीं है ? नाद अगर आकाशका, धून्यका गुण है, तो उसकी सम्पूर्ण-तया मुक्त अभिव्यक्तिका क्षेत्र और कौन-सा हो सकता है—सिवा नीरवताके ?

* * *

व्यक्तित्व और अहंका विलयन

किसी कविकी कवितामें प्रवहमान अन्तर्धारारण क्या है, यह पहचानना वास्तवमें कठिन नहीं, आलोचकका काम है । यह आजके कविका दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि उसे इन अन्तर्धारारणोंके—अपनी कविताकी प्रवृत्तियोंके—बारेमें जय-तव कुछ कहना पड़ता है—या वाच्य होकर कहना नहीं पड़ता तो भी कहनेके अनेक अवसर दिये जाते हैं, और परिस्थितिगत प्रोत्साहन तो मिलना ही रहता है । लेकिन उसके दुर्भाग्यमें भी किसी हद तक कविता का कल्याण छिपा है, क्योंकि कविका दुर्भाग्य कविताके दुर्भाग्यसे अलग नहीं है, और वास्तवमें आधुनिक कविताकी विशेषता यह है कि वह कविके व्यक्तित्वके साथ अधिकाधिक बंधी हुई होती जा रही है । काव्य-रचनाका—किसी भी कला-सृष्टिका—अधिकार तभी आरम्भ होता है जब व्यक्तित्वका सम्पूर्ण विलयन हो जाय, यह मानना तो दूरकी बात रही, आजका कवि साधारणतया इतना भी नहीं मानता कि कविता, या कि कला-सृष्टि, व्यक्तिके विलयनका माध्यम है; कि कविताके द्वारा कवि व्यक्तिको बृहत्तर इकाईमें विलीन कर देता है । आजका कवि तो कविताको बरच व्यक्तित्वकी, व्यक्तिके अहंकी, प्रखरतर अभिव्यक्ति और उस अहंकी पुष्ट करने वाली रचना मानता है । मैं कहूँ कि इस चरम कोटिका आधुनिक कवि मैं नहीं हूँ, अधिकसे-अधिक उस श्रेणीमें हूँ जो कविताको अहंके विलयनका साधन मानते हैं । बल्कि सच कहूँ तो इतना भी इस लिए कि मैं युगकी सीमाको इस हद तक स्वीकार करता हूँ, और उसमें बद्ध होनेको विवश हूँ । नहीं तो यह मुझे सर्वथा

स्वीकार्य है कि प्राचीन कविपंथी महत्ताका अगल रहस्य यही है कि वे अहको विलीन करके ही लिखने थे, उनके लिए कविता स्वास्थ्य-लाभका साधन नहीं, बल्कि स्वस्य व्यक्तिगत आनन्द-मापना थी। ठीक आदर्श यही है यह मैं मानना हूँ; मेरी कविता उमकी अनुगामिनी नहीं है तो यह मेरे सीमा है। उस सीमाके लिए किमो हद तक मेरा मुग भी उतरदायी है, इतना ही अपने बचावमें कह सकता हूँ। या शायद इतना और भी कह सकता हूँ कि इस परिणाम तक पहुँचनेमें—इसे स्पष्ट निश्चित करके अपने सामने रखने और स्वीकार कर लेनेमें—मुझे कुछ समय लगा।* मैं जो लिखता रहा हूँ, उसमें यदि कोई क्रमिक विकास है और वह परिपक्वताकी ओर है, तो इतना ही लज्जित होनेका कोई कारण नहीं है कि आरम्भकी रचनाएँ कच्ची हैं—धीर क्या होती ?

* 'इन्द्रपुत्रु रीदि हुए ये' में 'कविके प्रति कवि' :

नमः कवि, जो भी तुम

नाम छोड़ ही नाम छोड़ गये;

जो जब-जब हम शास्त्र रच मुदित हुए

संचित हमारा ग्रहंकार—

स्मित-भरसे तोड़ गये***

प्रयोग और प्रेषणीयता

कविका कव्य उसकी आत्माका सत्य है । [यह एक गोल-सी बात है, अतः इसके सत्य होनेकी सम्भावना काफी है !] यह भी कहना ठीक होगा कि वह सत्य व्यक्तिबद्ध नहीं है, व्यापक है, और जितना ही व्यापक है उतना ही काव्योत्कर्षकारी है । किन्तु यदि हम यह मान लेते हैं, तब हम 'व्यक्ति-सत्य' और 'व्यापक-सत्य'की दो पराकाष्ठाओंके बीचमें उसके कई स्तरोंकी उद्भावना करते हैं, और कवि इन स्तरोंमें से किसीपर भी हो सकता है ।

और आज इसीकी सम्भावना अधिक है कि कवि इन बीचके स्तरोंमें से किसी एकपर हो । 'व्यापकता' वैसे भी सापेक्ष है; जीवनकी बढ़ती हुई जटिलताके परिणाम-रूप 'व्यापकता'का घेरा क्रमशः अधिकाधिक सीमित होना चाहता है ।

एक समय था जब कि काव्य एक छोटे-से समाजकी घाती था । उस समाजके सभी सदस्योंका जीवन एकरूप होता था, अतः उनकी विचार-संयोजनाओंके सूत्र भी बहुत कुछ मिलते-जुलते थे—कोई एक शब्द उनके मनमें प्रायः समान चित्र या विचार या भाव उत्पन्न करता था । इसका एक सकेत इसी बातमें मिलता है कि आचार्योंने काव्य-विषयोंका वर्गीकरण सम्भव पाया, और कविको मार्ग-दर्शन करनेके लिए बतला सके कि अमुक प्रसंगमें अमुक वस्तुओंका वर्णन या चित्रण करनेसे सफलता मिल सकेगी । आज यह बात सच नहीं रहनी । आज काव्यके पाठकोंकी जीवन-परिपाटियोंमें घोर वैपम्य हो सकता है; एक ही सामाजिक स्तरके दो पाठकोंकी जीवन-परिपाटियाँ इतनी भिन्न हो सकती हैं कि उनकी विचार-संयोजनाओंमें

समानता हो ही नहीं, ऐसे शब्द बहुत कम हों जिनसे दोनोंके मनमें एक ही प्रकारके चित्र या भाव उदित हों।

प्रयोग: वैशिष्ट्यके लिए नहीं, साधारणत्वके लिए

यह आजके कविकी सबसे बड़ी समस्या है। यो समस्याएँ अनेक हैं—
काव्य-विषयकी, सामाजिक उत्तरदायित्वकी, संवेदनाके पुनःसाक्षात्की,
आदि—किन्तु उन सबका स्थान हमके पीछे है, क्योंकि यह कवि-भ्रमकी
ही मौलिक समस्या है, साधारणीकरण और सम्प्रेषणकी समस्या है। ओर
कविकी प्रयोगशीलताकी ओर प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति यही
है। कवि अनुभव करता है कि भाषाका पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है—
शब्दोंके साधारण अर्थसे बड़ा अर्थ हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उन
बड़े अर्थको पाठको मनमें उतार देनेके साधन अपर्याप्त है। वह या तो
अर्थ कम पाता है या कुछ भिन्न पाता है।

प्रयोग सभी कालोंके कवियोंने किये हैं : यद्यपि किसी एक कालमें
किसी विशेष दिशामें प्रयोग करनेकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है।
किन्तु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रोंमें प्रयोग हुए हैं,
उन्में आगे बढ़ कर अब उन क्षेत्रोंका अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी
नहीं छूना गया, या जिनको अभी तक मान लिया गया है। भाषाको अपर्याप्त
पाकर विराम-संज्ञितोंमें, अंकों और मीथी-निरली शब्दीरोंमें, छोटे-बड़े
टाइपोंमें, सौंधे या उलटे अक्षरोंमें, श्लोकों और श्यातोंके नामोंमें, अगूरे
वाक्योंमें—सभी प्रकारोंके इन साधनोंमें कवि उद्योग करने लगा कि
अपनी उलझी हुई संवेदनाकी सृष्टिको पाठकों तक सशुद्ध पहुँचा सके।
पूरी सफलता उसे नहीं मिली—जहाँ वह पाठको विचार-संपोषक सूत्रोंकी
जगें छू सका, वहाँ उसे वाक्य प्रयोगोंमें समझा गया, या अर्थका अन्वेषण
निरा गया। बहुतोंमें श्लोक ही भाषाको भूषण गये कि कवि आधुनिक
जीवनकी एक बहुत बड़ी समस्याका सामना कर रहा है—भाषाकी समता

संज्ञित होती हुई सापेक्षताको केवल वादकर उगम में मया, अथिह ध्याकर, अथिह गारमिह अथं प्ररता बाह्या है—और अकारके कारण नहीं, इमलिए कि उनके भीतर इगकी गहरी मांग स्पष्टित है, इमलिए कि वह 'अभिव्यक्ति' को 'अध्याय-गण' बनानेका गन्तव्य उपायद्वयिह अथ भी निरहाता बाह्या है, पर देगता है कि साधारणीकरणकी पुरानी प्रथाद्विया, जीवनके गन्तव्यद्विगमे बहकर आने हुए ग्वागमे भी भरकर और अथ कर रद्व हो गयी है, प्राण-गधारका मागं उनमें नहीं है ।

जो व्यक्तित्वा अनुभूत है, उसे समष्टि तक र्गने उगकी सम्पूर्णतामें पहुँचाना चाय—यही पहली गमग्या है जो प्रयोगशीलताको ललवारनी है । इगके बाद इतर समरजागं है—कि बह अनुभूत ही बितता बहा या छंटा, पटिया या बटिया, सामाजिक या असासाजिक, उर्ध्व या अध या अन्नः या बहिसुंगी है, इत्यादि । * * *

स्वान्तःसुरा

मैं 'स्वान्तःसुराय' नहीं लिखता । कोई भी बरि केवल मात्र 'स्वान्त - सुराय' लिखता है या लिग करता है, यह स्वीकार करनेमें मैंने अपनेको मदा अगमर्य पाया है । अन्य मानवाकी भांति अह ग्वागमें भी सुरर है, और आत्माभिध्व्यक्तिता मरुत्व मेरे लिए भी बिगीमे कम नहीं है, पर क्या आत्माभिध्व्यक्ति अपने-आगमें सम्पूर्ण है ? अपनी अध्व्यक्ति—किन्तु किणपर अध्व्यक्ति ? इसी लिए 'अध्व्यक्ति'में एक प्राहक या पाटक या र्गता में अनिचार्य मानता हूँ, और इगके परिणामरूप जो दावित्व लेरक या बरि या बलात्कारपर आता है उगमे कोई निस्तार मुझे नहीं दीरता । अध्व्यक्ति भी सामाजिक या असासाजिक वृत्तियोजी हो गवती है, और आलोचक उगका मूल्यावन करने समय ये सब बरने सोच सवता है, किन्तु वे बादकी बातें हैं । ऊपर प्रयोगशीलताकी प्रेरित करने वाली जो अनिचार्यता बहायी गयी है, अभी तो उसीकी सीमाओंकी ओर सवेत करणा

१०३

चाहता हूँ। ऐसा प्रयोग अनुज्ञेय नहीं है जो 'किसीकी किसीपर अभिव्यक्ति' के धर्मको भूल कर चलता है। जिन्हें बालकी खाल निकालनेमें रुचि हो वे कह सकते हैं कि यह ग्राहक या पाठक कविके बाहर क्यों हो—क्यों न उसीके व्यक्तित्वका एक अश दूसरे अशके लिए लिखे? अहंका ऐसा विभागीकरण अनर्थहेतुक हो सकता है; किन्तु यदि इस तर्कको मान भी लिया जाय तो भी यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति किसीके प्रति है और किसीकी ग्राहक [या आलोचक] बुद्धिके आगे उत्तरदायी है। जो [व्यक्ति या व्यक्ति-स्रष्ट] लिख रहा है, और जो [व्यक्ति या व्यक्ति-स्रष्ट] सुन पा रहा है, वे हैं फिर भी पूर्यक्। भाषा उनके व्यवहारका माध्यम है, और उसकी माध्यमिकता इसीमें है कि वह एकसे अधिकको बोधगम्य हो, अन्यथा वह भाषा नहीं है। जीवनकी जटिलताको अभिव्यक्त करने वाले कविकी भाषाका किसी हद तक गूढ़, 'अलौकिक' अथवा दीशा-द्वारा गम्य [एमोटोरिक] हो जाना अनिवार्य है, किन्तु वह उसकी शक्ति नहीं, विवशता है; धर्म नहीं, आपद्धर्म है।

प्रतीकों का महत्त्व*

जिस प्रकार अच्छी समीक्षा अच्छे साहित्यपर निर्भर करती है, उसी प्रकार अच्छे साहित्यके निर्माणके लिए अच्छी समालोचना भी आवश्यक शर्त होती है। और समालोचनासे अभिप्राय निरी चर्चासे नहीं है, बल्कि यह विलुप्त सम्भव है कि पूर्वग्रह-युक्त अधिक चर्चासे साहित्यके विकासमें बाधा ही पड़े। क्योंकि साहित्यका रसास्वादन करनेके लिए यह आवश्यक है कि एक तो स्वाद-क्षमता हो, दूसरे उसके लिए अनुकूलता हो—उसके प्रति खुलापन और उत्सुकता हो। निरी चर्चाका परिणाम बहुधा हममें उलटा होता है : वह मनको बन्द कर देती है और ग्राहकताको रुद्ध करती है।

यह बात कविताके बारेमें और भी अधिक सच है। और आजके-से मताप्रही युगमें तो कौन कवि ऐसा होगा जिसने इसकी सच्चाईका अनुभव न किया हो !

इस मामलेमें मेरा दुर्भाग्य किसी हिन्दी कविते कम नहीं रहा है। यों पहले अपने कवित्वके बारेमें कोई गलतफहमी मुझे रही हो तो अब नहीं है, अब मैं स्वयं अपने लिखनेको उतना महत्त्व नहीं देता जितना इस बातको, कि जिन धोजोसे मुझे प्रेरणा मिली है—या जिन प्रेरणाओसे मुझे यत्किञ्चित् दृष्टि मिली है—उनके प्रति लोगोमें वह खुलापन ला सकूँ जो मेरी समझमें काव्यके रसास्वादनको पहली शर्त है। इस बातमें कोई व्याज-गर्व या

*यह वस्तु पटना और इलाहाबादसे सन् १९५२-५३में प्रसारित दो वार्तापत्रोंसे ली गयी है। इसको पृष्ठिका सन् १९५०-५२ में लिखी गयी, अर्थात् मुख्यतया 'बावरा अहेरी' की, कविताएँ हैं।

मिथ्या विनय नहीं है। मैं गवमुच यह अनुभव करता हूँ कि न केवल उ
 सन्न, असम्पूर्णा गाहिर्य-सेवाकी दृष्टिसे, वरन् स्वयं आने लेखनको ;
 परिपार्यमें रगनेके लिए, वह उपयोगी होगा।

अपनी कविताके बारेमें कभी कुछ कहना हूँ, तो इसी आनासे।
 तो यही मानता हूँ कि कविने कवितामें जो कुछ कहा है, उसके बा
 उसणा कुछ बच्य न है, न होना चाहिए; अगर वह अधिक कुछ कह
 आवश्यक पाता है तो अपनी असफलता ही घोषित करता है। और मुग्
 प्रयत्तिसे आकृष्ट होकर अपना प्रचार या अपनी व्याख्या करने लगना ;
 करना चाहना उसके लिए बड़ा अहितकर हो सकता है। यह सोस कि
 'बातकी सुनो, बात करने वालेकी मत सुनो', औरोंके लिए तो ठीक ही है
 स्वयं बात करनेवालेका भी मार्ग-निर्देश उसमें है—उसे भी अपनेको गौर
 मानते चलना चाहिए।

इसलिए मेरी कविता—जैसी भी वह है—उसे आप चाहें रबिसे पढ़ें
 या न पढ़ें, सुनें या न सुनें; उसपर विचार जब भी करें तो उसीको सामने
 रखकर करें, उसके समर्थन या व्याख्यामें मेरे कहे हुएको कोई महत्त्व न
 दें। हाँ, साधारणतः आधुनिक कविताके बारेमें जो गलतग्रहमियाँ हो
 सकती हैं या फैलायी जाती हैं, उनके बारेमें मैं भी कुछ कह सकता हूँ,
 और अनुरोध कहूँगा कि उसपर आप विचार करें।

प्रतीक और जन-मानस

मैंने अन्यत्र जो कुछ कहा है—और आशा करता हूँ कि स्पष्ट और
 सुबोध ढंगसे ही कहा है—उसे यहाँ नहीं दुहराऊँगा। यहाँ आधुनिक
 कवितामें प्रतीकोके महत्त्वके बारेमें ही कुछ कहना चाहता हूँ—उनके
 महत्त्वके बारेमें, और उनकी सृष्टिके तरीकों और कारणोंके बारेमें।

कहा जाता है कि प्रतीकोंको महत्त्व देना प्रतीकवाद है और यह हास-
 कील प्रवृत्ति है। यह भी कहा जाता है कि प्रतीकवादी भारतमें एक ऐसी

परम्पराको लेकर चलते हैं जो विदेशोंमें परीक्षाके बाद छोड़ दी गयी ।
अर्थात्—यह कि प्रतीकवाद एक तो मुर्दा है, दूसरे विदेशी मुर्दा है ।

मैलामें और रैम्बो और विम्बवादके नाम लेकर पाठकको डराना नहीं चाहता—नामोसे मैं ही डरता हूँ ! पर क्या कवितामें प्रतीकोंका उपयोग सचमुच विदेशी और ह्यासोन्मुख वर्गकी विशेषता है ? मैं तो कहूँगा—और थोड़ा-मा भी अध्ययन और पर्यवेक्षण इसे पुष्ट करेगा—कि कोई भी स्वस्थ काव्य-साहित्य प्रतीकोंकी, नये प्रतीकोंकी, सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बन्द कर देता है तब जड़ हो जाता है—या जब जड़ हो जाता है तब वैसा करना बन्द करके पुराने प्रतीकोपर ही निर्भर करने लगता है । और, जहाँ तक जनवादका प्रश्न है, अगर हम यह स्वीकार करें कि हम-बाप पड़े-लिसोके, और साहित्यको लेकर चख-चख करनेवाले और दूसरोंके साहित्यसे बढ़कर हम धाम-साहित्यको जन-साहित्य मानते हैं—और न मानकर जावेंगे कहाँ ?—तो हमें लक्ष्य करना होगा कि जन-साहित्य सदासे और सबसे अधिक प्रतीकों और अन्योक्तियोंके सहारे ही धरना प्रभाव उत्पन्न करता है । यह चीज हम सस्कृतमें पाते हैं—वेदोंसे लेकर बाल्मीकि तक और बाल्मीकिसे लेकर कालिदास तक भी, फिर नहीं पाते तो हिन्दीके उस कालमें जब उसका काव्य सामन्तोंका मुलापेक्षी था । उसके बाद क्या हुआ ? यही कि सस्कृतसे वह शक्ति अपभ्रंशोंमें और फिर लोक-साहित्योंमें चली गयी, और सामन्ती साहित्य अधरमें रह गया । रीति-काव्यमें प्रतीक सबसे कम है, लोक-काव्य और लोक-गायामें सबसे अधिक । राजनीतिक मतवादको लेकर जनके नामकी ओट लेना एक बात है, जन-प्रकृतिको समझना, जन-भानसकी प्रवृत्तियोंको पहचानना दूसरी बात ।

इसलिए, प्रतीक अपने-आपमें अनिष्ट नहीं है । आशङ्कनीय यह बात होती है कि ये प्रतीक निजी न बन जावें—बन क्या जावें, रह न जावें, क्योंकि निजीको सामान्य बनाना ही तो कवि-कर्म है । व्यापक सत्यको कवि

नित्री करके देगना है, और नित्री दृष्टिको फिर माधारण बनाता है साधारणसा साधारण वर्णन कविता नहीं है, कविता तभी होती है जब साधारण पढ़ले नित्री होता है और फिर, व्यक्तिमेंसे छनकर, साधारण होता है। जो इसको भून्ने हैं, उनके पक्ष परम गुरुदेश्यपूर्ण होकर भी कविता नहीं बन सक्ने, और चाहे जो कुछ हो जावें। * * *

वर्णन और भावन

कविता ज्यों-ज्यों वर्णनात्मकतामें भावनात्मकताकी ओर बढ़ती है त्यों-त्यों उसमें शब्दोंके बलनकी सतर्कता बढ़ती जाती है। फिर भावनात्मक कवितामें भी ज्यों-ज्यों कवि निवेदनमें सूचनकी ओर बढ़ता है—जो विकासकी सहज और सही दिशा है क्योंकि वह समाज-जीवी मानव-प्राणीकी प्रवृत्तिके समान्तर चलती है—त्यों-त्यों उनका शब्द-संयमका आग्रह भी बढ़ता जाता है। इसकी चरमावस्था प्रतीकवादियोंके इस सिद्धान्तमें थी कि 'आदर्श कवितामें एक ही शब्द होना चाहिए,' क्योंकि 'एक शब्द—एक प्रतीक, एक चित्र या मूर्ति, एक सम्पूर्णता'....'चरम युक्तियाँ चरम होनेके कारण ही भ्रान्त हो जाती हैं, फिर भी यह तो मानना होगा कि कमसे कम शब्दोंके द्वारा वाञ्छित कुछ एक मूर्तियोंका उद्भावन अत्यन्त प्रभावोत्पादक हो सकता है।



प्रतीक और सत्यान्वेषण*

जीवन : निस्संग विस्मय

जीवनसे बौन प्रेम नहीं करता ? और कवि विशेष रूपसे जीवन-प्रेमी माना गया है । उसे न केवल स्वयं जीवनसे प्रेम होना चाहिए बरन् दूर-दूरोंमें भी जीवनके प्रति प्रेमका भाव जगा सकता और जगाना चाहिए । पर जीवन-प्रेमका धर्म हर आलोचकके लिए ही नहीं, हर जीने वालेके लिए अलग-अलग होता है । क्योंकि जीवन वास्तवमें निरी एक होनेकी क्रियाका, वैज्ञानिक व्यापारोंके अनुक्रमका नाम नहीं है, जीवन उनके होनेके बोधका नाम है । यानी 'कुछ है' नहीं, 'मैं हूँ' का बोध ही वास्तवमें जीवन है । और, क्योंकि जीवन-व्यापारोंके माध्यम जीने वालेका सम्बन्ध सबका अपने-अपने ढंगका होता है, इस लिए जीवन-प्रेम भी हर किमीका अलग-अलग होगा ही ।

मेरे निकट जीवनके प्रति यह प्रेम एक निस्संग विस्मयका ही भाव है । जीवनमें व्यापारोंका यह अनुक्रम—यह परास्परता—मोचने बैठे तो कोई कारण नहीं है कि यह क्रम एक क्षणमें दूगरे क्षण तक चलता ही रहे, जीवन-परास्परता बनी ही रहे । किमी क्षण भी वह टूटन टूट जा सकती है, व्यापार समाप्त हो जा सकता है, जीवन बुझ जा सकता है । फिर भी वह है, बचता है, और अनुभवोंकी एक अन्तहीन माला तिरोंका जाना है—बुझ जावे, कुछ मोटे, सब अद्वितीय—यह विस्मय कुछ छोटा नहीं है, पर इमे

* शब्दकार्ममें तन् १९५७-५८ की खजिनाएँ, जो नये संपद 'घरी घी बनना प्रभामय'में प्रकाशित हुई हैं; ये व्याख्यात्मक उत्तररत्न इत्यादि-कारके तन् १९५६ के एक प्रसारणमें लिये गये हैं ।

पहचाननेके लिए एक निम्नगता भी अपेक्षित है। हम अपने भीतर पूरी तरह यह स्वीकार कर लें कि कभी भी यह समाप्त हो जा सकता है—यानि निम्नग हो जावें—और अपनी ही सम्पूर्णतामें यह भी अनुभव करें कि यह समाप्त नहीं हुआ है, बल रहा है—यानी विम्बणमें डूब जावें, मेरे निम्न जीवनानन्दका यही नुस्खा है। निम्नन्देह ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि जोवनके प्रति यह समर्पण ही पर्याप्त नहीं है, इस जीवनानन्दको भी समर्पित करना चाहिये। सभी यह मायंक है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें इसका विरोध या मन्त्र नहीं है, इतना ही कहूँ कि वह काव्यकी नहीं, काव्यके आगेकी बात है क्योंकि यह कहता, कि वह आनन्द भी समर्पित हो, यही कहना है कि काव्य भी समर्पित हो। और स्पष्ट है कि काव्यके समर्पणका प्रश्न उठनेमें ही काव्यका पहले अस्तित्व मान लिया गया है।

प्रातःकाल जागना, जाग कर सचेत हो आना, इन्द्रियोंका एक-एक कर जागना—क्योंकि यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि सब एक साथ नहीं जागतीं—और इस सामान्य जागरणके बाद वह विशेष जागरण जो अपनेकी अपनी विशेष परिस्थितिके प्रति जगाता है—जो निरी चेतनाको अपने परिवेशकी चेतनामें बदल देता है—और फिर जागकर सहसा जागरणका, जीवनका, अखण्डित परात्परताका विस्मयकर बोध—कि कल रात जो सोया था वही आज जाग है, कि बल और पहलेके जीवनानुभव भी उसीके हैं, उसी क्रममें हैं, जो आज जाग कर इस क्षणका अनुभव कर रहा है और आगे करता चलेगा....

किसी तरह रात कटी, पौ कटी :

मायाविनि छापाओंकी काली नीरन्ध्र यवनिका हटी ।

.....

परिचितके सहसा सब खुल गये द्वार;

उमड़ने लगा होनेका छादि-अन्तहीन पारावार ।

और यह सब इस कारणहीन, अनधिकृत,

विस्मयकर संयोगसे कि किसी दुःस्वप्नके चंगुलमें अचानक रातमें साँस नहीं उलटी !

यह निस्तग विस्मय पिछली दो-तीन वर्षोंकी मेरी रचनाओंमें कई रूपोंमें प्रकट हुआ है। प्रतीकोंके महत्त्वको, और अभिव्यक्तिकी सघनता और तीव्रताके लिए उनके उपयोगकी पद्धतियोंको ज्यों-ज्यों समझता गया हूँ—अथवा कह लीजिए कि जिस चीजका मूल्य पहले ही जानता था उसका सही उपयोग भी कुछ-कुछ सीख गया हूँ या सीखता जा रहा हूँ—कुछ अपने अनुभवके सहारे, कुछ दूसरोंको उपलब्धिके अध्ययनसे—त्यो-त्यो उसे अपनी कवितामें लाता गया हूँ।

प्रतीक : सत्यान्वेषणका साधन

जीवन "स्वप्नों और आकारोंका एक रंगीन और विस्मय-भरा पुत्र। हम चाहें तो उस रूपसे ही उलझे रह सकते हैं, पर रूपका यह आकर्षण भी वास्तवमें जीवनके प्रति हमारे आकर्षणका ही प्रतिबिम्ब है। जीवनको सीधे न देख कर हम एक काँचमेंसे देखते हैं, तो हम उन रूपोंमें ही अटक जाते हैं जिनके द्वारा जीवन अभिव्यक्ति पाता है। काँचकी टकीमें पाली हुई सोन-मछलीपर एक छोटी-सी कवितामें यही कहा गया है :

हम निहारते रूप :

काँचके पीछे हीप रही है मछली ।

रूप-तुषा भी

[और काँचके पीछे] है जिज्ञीविया ।

मछलीका प्रतीक कोई नया नहीं है। प्रतीकार्थ अलग-अलग होते रहे, वह दूसरी बात है। पर कुछ विशेष प्रतीक-रूप ऐसे होते हैं जो चिरकालके लिए स्थिर हो जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं। यह इसी लिए है कि प्रतीक वास्तवमें ज्ञानका एक उपकरण है। जो सीधे-सीधे अभिधामें नहीं बँधता, उसे आरम्भात् करने या प्रेरित करनेके लिए प्रतीक बगम देते हैं। जो

त्रिमागाएँ सनातन है उनका निराकरण करनेवाले प्रतीक भी सनातन हो जाते हैं ।

किन्तु प्रतीकोंके द्वारा ज्ञानकी खोज अपने-आपमें एक बड़ा कौतूहलप्रद विषय है । क्योंकि यह ज्ञान ही दूसरे प्रकारका है । वैज्ञानिक, सागरकी गहराई नापनेके लिए रस्गी डालता है, भा किरणोंकी प्रतिध्वनिका समय मूतता है । वह एक प्रकारका ज्ञान है । कवि मछलीकी दौड़ने सागरकी गहराई भाँपता है—वह दूसरे प्रकारका ज्ञान है । वह प्रतीक द्वारा सत्यकी जानता है—गल्पके अघाह सागरमें वह प्रतीक-रूपी कंकड़ फेंककर उसकी पाहका अनुमान करता है । यदि हम सागरकी हमारे न जाने हुए सब-कुछका प्रतीक मान लें, तो मछली उम प्रतीकका प्रतीक हो जाती है जिसके द्वारा कवि अज्ञात सत्यका अन्वेषण करता है । यहसि अन्वेषणकी पद्धतिका अन्वेषण करें तो और भी कई प्रतीक हमें मिलते हैं—सागर और मछली, नदी, सेतु, जलपर पड़ना प्रकाश, परछाही, परछाहीको भेदने वाली किरण, और अन्तमें वह प्रकाशमान मछली जो परछाहीको भेद जाती है—वह प्रतीक, जिसके द्वारा अन्वेषी स्वयं अपने अहंकारसे उत्पन्न पूर्वग्रहोंकी छायाके पार देख लेता है । वह निस्संग साक्षात्कार बड़े महत्त्वकी बात है—यद्यपि इस बातको भी अभिप्रायमें कहना उसे हल्का बना देना है । अगर प्रतीकों द्वारा अन्वेषणको बिना प्रतीक-योजनाके बखाना जा सकता—तो फिर वैसे अन्वेषणकी ही क्या आवश्यकता होती ?

अभी-प्रभी जो

उजली मछली

भेद गयी है

सेतु पर खड़े मेरी छाया—

(चली गयी है कहीं)

वही तो

वही-वही तो

लक्ष्य रही अवचेतन, अनपहचाना
 मेरी इस यात्राका ।
 खड़ा सेतु पर हूँ मैं,
 देख रहा हूँ अपनी छाया,
 मुझे बोध है नदी वहाँ नीचे बहती है
 गहरी, बेगबती, प्लव-शीला ।
 ताल उसीकी अविरल
 लहरोंकी गति पर देता है प्रतिपल
 स्पन्दन यह मेरी धमनीका
 और चेतनाको आलोकित किये हुए है
 असम्भूत यह सहज स्निग्ध वरदान धूपका ।
 सय में हूँ मैं, सब मुझ में है
 सबसे गुंथा हुआ हूँ : पर जो
 बोध गया है सत्य मुझे वह
 वह उजली मछली है
 भेद गयी जी मेरी
 बहुत-बहुत पहचानी
 बहुत-बहुत अपनी यह
 बहुत पुरानी छाया ।
 रुका नहीं कुछ,
 सब-कुछ चलता ही जाता है,
 रुका नहीं हूँ मैं भी खड़ा सेतु पर ।
 देखो—देखो—देखो—
 फिर आयी यह रश्मिबाण, दामिनिद्रुत !—देखो—
 धँस रहा है मुझे लक्ष्य मेरे बाणोंका !



थिर हो गयी पत्नी

वर्षों पहलेकी बात है, मेरे एक बड़े भाईका विवाह गौरैया बिड़िया हुआ था। बात यो हुई कि भाई मंगली थे। उन्हें स्वयं ज्योतिषमें कि श्रद्धा थी यह तो नही कह सकता, किन्तु भविष्यत् सम्बन्धियोंको बहु-बहुत था और वे बधूके कल्याणको कोई चेष्टा अधूरी नहीं छोड़ दे चाहते थे। इसीलिए भाईका विवाह पहले गौरैयासे हुआ, और हमारा मानवी भोजार्थ गौरैयाकी सपत्नी होकर ही आयी।

इस बातको लेकर हम भाभीको न चिंतायें, यह कैसे हो सकता था : हम उनसे प्रायः पूछते कि 'बड़ी भाभी कहाँ है ?' और उनके यह पूछनेपर कि 'कौन भाभी ?' तुरत उत्तर देते, 'बिड़िया भाभी—और कौन ?'

लेकिन वही अकिंचन गौरैया बिड़िया एक दिन मेरा काव्य-गुरु हो जावेगी यह नहीं जानता था। निरसन्देह गौरैया बिड़िया भी यह नहीं जानती। लेकिन शोणाचार्य अगर एकलव्यसे दुबारा न मिले होते, और दक्षिणा-स्वरूप उसका अंगूठा न कटवा लिया गया होता, तो भी क्या एक-लव्यको उनसे मिलो हुई प्रेरणाका महत्त्व कम हो जाता ? गौरैया गुर्वनि मुझसे गुरु-दक्षिणा कभी नहीं मांगी, और उनके परिवारके लोग जब-तब जो दो-चार शाने मेरे आँगनगे उड़ा ले गये हैं उनके कारण मुझे पानेका मुत्त ही अधिक मिला है, अदायगीका कोई भाव मेरे मनमें नहीं आया। फिर भी गुरु-भूषणको स्वीकार करने हुए उग छ-गान करंकी सिशा-दीशाका भी उल्लेख करना चाहता हूँ जो एक गौरैया बिड़ियागे मुझे मिली।

सन् १९१६ में एक बार कानून बनाने की कोशिश कीमत देना कुछ दिनों तक चला, लेकिन अंत में सरकार द्वारा बिना कानून के ही काम चलाने का फैसला हुआ। तब तक ही यह प्रक्रिया बंद हो गई। इस प्रकार ही कानून बनाने की प्रक्रिया अनेक बार दोहराई गई है। इससे स्पष्ट है कि कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसे सफल बनाने के लिए सरकार को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है।

कानून बनाने में अनेक चरण होते हैं—पहले सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता का पता चलना चाहिए, फिर उसे संसद में पेश करना पड़ता है। संसद में कानून को पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है।

कानून बनाने की प्रक्रिया में अनेक चरण होते हैं। पहला चरण यह है कि सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता का पता चलना चाहिए। इसके बाद सरकार को संसद में कानून पेश करना पड़ता है। संसद में कानून को पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद कानून को राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है।

कानून बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसे सफल बनाने के लिए सरकार को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है।

दिए गए विवरण -

कानून, विन

दिए

दिए गए सभी पत्रों

घटना और उगकी अनुभूति दोनों इतने हीमें सम्पूर्ण है । लेकिन उनसे जो भाव मेरे मनमें उदित हुआ वह भी इन शब्दोंमें सम्पूर्ण गया ? दूसरे शब्दोंमें इस प्रश्नको याँ पूछूँ, कि मनमें कविताके-से अनुभूति जो शब्द उदित हुए थे, वे क्या सम्पूर्ण कविता थे ? या केवल कविता एक अंश ?

घटनाको, या इन शब्दोंको मैं न मूल सका । कई महीनों तक बार-बार उनसे उलझकर मैंने उन्हें एक कवितामें ढाला—इन शब्दोंका क्रम ज्यों-ज्यों था किन्तु आगे-पीछे कुछ और पंक्तियाँ जोड़ी गयी थी । और हँस-हँसकर चोकिये मत !—‘पत्ती’की तुकका भी निर्वाह किया गया था । जब सोभाव्य उस कविताको छपानेसे बच ही गया हूँ तो अब यह बताना आवश्यक नहीं है कि तुकमें कौनसे शब्द आये थे । जब मैं ही अपनेपर हँस सकता हूँ तो दूसरोको अपनेपर हँसाना आवश्यक नहीं मानता ।

कविता लिखकर एक ओर रख दी गयी । साधारणतया इससे उन अनुभूतिको चुक जाना चाहिए था और मूल घटनाको स्मृतिके क्षितिजसे नीचे उतर जाना चाहिए था । लेकिन वैसा नहीं हुआ । वही दूसरा दिन भी बार-बार सामने आता रहा और वे शब्द बार-बार मनकी कोचते रहे । क्योंकि सच बात यह थी कि उस अनुभूतिकी ललकार अभी बुकी नहीं थी, मैंने जो कविता लिखी थी वह एक प्रकारसे धोला या क्योंकि उनमें केवल बुद्धिको तोप दिया था, भावका रचन नहीं किया था ।

एक बार फिर इसीको लेकर एक और कविता लिखी । कितना सन्तोष है मुझे कि वह भी मैंने छपी नहीं ! उसके बारेमें इनका और वह दूँ कि उसमें पत्तीकी तुक निबाहनेकी कोई चेष्टा मैंने नहीं की थी । यह समझ कर कि ऐसी तुक चेंदित और इस लिए कृत्रिम ही हो सकती है, मैंने उसका मोह छोड़ दिया था । अपनी सुविधाके लिए शब्दोंमें भी कुछ हेंद-फेंद कर लिया था—‘कॉपी, फिर फिर हो गयी पत्ती’का रूप बदल कर ‘पत्ती कॉपीके फिर फिर हो गयी’ हो गया था । कहना न होया कि ‘पत्ती’

की ओरशा 'हो गयी'में अनुप्रासके लिए वही अधिक गुजाइश है ! दूसरी कविता मुझकी दृष्टिसे उतनी दूषित नहीं थी जितनी कि पहली, किन्तु यह साफ़ पहचाना जाता था कि कौन-से शब्द मूल अविभाज्य अनुभूतिके हैं और कौनसे बादमें जोड़े हुए । जैसे नकली सिक्का चलाना चाहनेवाला अच्छे सिक्कोंके साथ सौटा सिक्का मिलाकर चलाने जानेपर बराबर आघातित रहता है, और दूसरोंके न पहचान सकनेपर भी खय मानो जाली सिक्कोंको बिलकुल अलग खड़ा और पुकार-पुकारकर अपना जालीपन घोषित करता हुआ समझता रहता है, उसी तरह मूल अनुभूतिसे सम्बद्ध शब्दोंको छोड़कर बाकी शब्द मुझे पुकार-पुकार कर कहते जान पड़ते थे कि 'देखो, देखो, यह कितना बड़ा धोखा कवि कर रहा है—हम बगुलोंको रंग कर इन हमोंके साथ बिठा रहा है !'

दक्षिणके एक कविके बारेमें किंवदन्ती है कि उसकी मृत्युके बाद उनके अधूरे काव्यकी पूर्ति करने कालिदास बैठे थे तो उन्हें स्वप्नमें दर्शन देकर सरस्वतीने टोका था 'मेरे वरद पुत्रके सोनेके तारसे बुने हुए पटमें तू अपना कच्चे सूतका धागा मत मिला !' और इससे अप्रतिभ होकर कालिदासने अधूरा काव्य अधूरा ही छोड़ दिया था । लेकिन वह तो दो कवियोंकी प्रतिस्पर्धाकी बात थी, यहाँ तो 'स्वर्ण-पट' भी उसीका था जिसका कि कच्चा सूत !

जो हो । वह अनिपत्र अनुभूति, और उसके साथ-साथ अपूर्ण कृतित्व की कसक वर्षों तक बनी रही । मेरी कापीमें लिखे हुए ये कुछ शब्द मेरे साथ-साथ कई देस घूम आये और कई वर्षोंका व्यवधान पार कर आये । न उनकी ललकार कम हुई, न उनके आह्वानका कोई सन्तोषजनक उत्तर मैं दे सका । कहूँ कि मेरी काव्य-शिक्षा पूरी नहीं हुई, यह पहचानकर मेरी काव्य-मुर्खी गौरवाने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे बार-बार मेरी अधूरी कस्यका उलाहना देती रही ।


सन् '५७ की गर्मियोंमें जापान जानेका सुयोग हुआ । जापानी साहित्य

गोदा-वृद्धा पहले भी गढ़ा था और गुरोरीय कागज और विरह-
जागनी कागज और विरह-कागजके प्रभावकी बात भी मेरी अनजानी नहीं
लेखित करने लगा-तब तब गरीबों तक बढ़ा-ना जागनी माणिक
रहा । विरह-कागज जागनी जागनीके मुख्य प्राकृतिक स्थलोंमें अकेले पूरा
रहने हुए जागनी कागजमें पहले जागनीका पानी अलग मिला । इन
नदी, जागनीकी विरह-माधना-वृद्धा (जेन, प्यान) के विद्वानोंके
परिचय हुआ और धीरे-धीरे यह चीजने लगा कि किंग प्रकार इन वि
द्वानोंने जागनी करिबानों ही नहीं, बल्कि कुछ वर्ष पहले तकके
जागनी जीवनको विना प्रभावित कर रहा था ।

मेरी बारीकी यह अद्वैत बरिदा अब भी मेरे गाय थी । मैं जब
जागनी लघु मुद्राक 'जादू'के गद्य उठाकर पढ़ता और कुछ-एक मुद्रा
पढ़नेके बाद आपाविन भावने पुस्तक एक ओर रखकर बैठा सोच
रहता "कभी-कभी अपनी बारी उठाकर उगले पन्ने उठटका और गीरे
विद्विया वाली बरिदापर आकर एक जाता"

जेन माधना-वृद्धाका एक अंग है 'कोमान' अथवा पहली । यह
है पहली बहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसका कोई एक बंधा हुआ उर
नहीं होता, हर साधक उगके लिए अपना विशिष्ट उत्तर पाता है । पहिलिये
उद्देश्य ही साधकको बंधे-बंधाये उत्तरके पूर्वग्रहसे मुक्त करना होता है
यद्यपि पूर्वग्रहने मुक्त करनेके लिए मुक्त आवश्यक होता है, तथापि मु
स्वयं एक पूर्वग्रह है और साधकको मुहसे कुछ पानेकी अपेक्षासे भी मुक्त
होना होता है "साधकके भीतर यथामय कभी एक उन्मेष ('सातोरी'
होता है, और तीखे शुभ्र प्रकाशमें वह पा लेता है पहलीका उत्तर—अमृत
पूर्व, अद्वितीय और एक-भाव असम्पूक्त उत्तर, जो इतना विस्मय है कि
स्वयं पहलीसे भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता—मुहसे या परम्परासे सम्बन्धक
तो दूर ।

उन सब बातोंका सन्दर्भ देनेमें सतरा है यह मैं जानता हूँ । किन्तु



सन्दर्भ : आख्यान



शेखरसे साक्षात्कार

कुछ लोगोंको अपनी चर्चा बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगोंको बहुत बुरी; मुझे ख़रा भी सन्देह नहीं है कि मैं दूसरी कौटुम्बिक हूँ। मेरे एक मित्र कहते हैं कि परनिन्दाके बराबर कोई मुझ दूसरा है तो आत्म-प्रशंसाका मुझ है; मैं दोनोंमें ही रस नहीं ले पाता यह मेरा दुर्भाग्य भी हो सकता है। पर जहाँ अपनी चर्चा करना और गुनना दोनों ही मुझे अप्रीतिकर है, वहाँ अपनी रचनाकी चर्चाके बारेमें मेरा भाव दोरग्या है इसे अस्वीकार करना झूठ होगा। अपनी किसी रचनाकी दूसरों द्वारा की गयी चर्चा अच्छी ही लगती है, मन्ने ही वह—जैसा कि मेरा अनुभव प्रायः रहा है—प्रतिबुल ही हो। स्वयं जब-जब चर्चा करनी पड़ी है मैंने उसे लेखककी हैसियतमें अपनी पराजय ही समझा है, क्योंकि जो लिखा, उसके बाहर उसके बारेमें कुछ लिखने-बढ़नेकी जरूरत क्यों पड़े ? और मेरा समकालिक पाठक या आलोचक उसे ठीक न भी समझे तो भी मैं यह क्यों मानूँ कि उसे समझाना मेरा काम है ? मैं क्या अध्यापक हूँ—मेरा उद्दिष्ट छात्र है या कि नहुदय है; मेरी रचना कृति है या कि पाठ्य-पुस्तक ? यह मान कर भी, कि आजके अस्सी प्रतिशत समीक्षक वर्तव्य-भ्रष्ट भी हैं और परम्परा-न्युत भी, मैं यह नहीं मान पाता कि इसलिए उनका काम मुझे करना चाहिए—कमसे कम अपनी कृतियोंके बारेमें। इसलिए पहले ही साफ़ कहूँ कि 'शेखर' की चर्चाका यह अवसर मेरे लिए प्रीतिकर नहीं है।

फिर क्यों उमकी चर्चा करता हूँ ? केवल इसलिए कि इतने वर्षोंके अन्तरालके पार, 'शेखर' के असली रूपके बारेमें—और कदाचित् उसके लेखकके अगली रूपके बारेमें—मेरे मनमें कुछ कौतूहल हो आया है।

‘शेखर’ का पहला भाग बीस वर्ष पहले लिखा गया, दूसरा भी को-
तेरह वर्ष पहले, इस बीच क्या वह या उसका लेखक बदल नहीं गं-
होगे ? तीसरे भागके प्रकाशनसे पहले ऐसी जिज्ञासा मनमें आन
स्वाभाविक ही है, और उसीसे आज इस अवसरका औचित्य उत्पन्न
होता है ।

शेखर - उपन्यास ‘शेखर’ नहीं, पात्र शेखर—उपन्यासमें निरन्तर
छटपटाने वाला जीवन्त व्यक्ति शेखर : मान लीजिए कि राह-चलते आज
कहीं उसकी मेरी मुठ-भेड़ हो जाय—तब ?

वह लीजिए—वह रहा शेखर : कुछ बिसरे बाल, ग्यस्त अन्तर्मुखी
मुद्रा, झुकी आंखें पर बेचैन ललकारते कदम—“क्यों जी, वहाँ रहे तुम
इतने बरस—क्या करते रहे ?”

“जी—मैंने आपको पहचाना नहीं ।”

“हाँ, बेटा, क्यों पहचानोगे तुम । तुम नान्तिकारी प्रसिद्ध हो ।
बहुतसे लोग तुम्हें निरा अहंवादी कहते हैं, और तुम्हारे क्रांतिवादको निरा
ध्वंसवाद—फिर भी तुम्हें असाधारण तो सब मानते हैं चाहे गालीके रूपमें
ही । ‘बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा ?’ और मैं—मैं गालियाँ तो
तुमसे कम नहीं खाता रहा, पर आज जो नयी गाली मुझे मिलती है वह
यह कि प्रतिक्रियावादी हूँ—‘प्रतिगामो शक्तियाँ’ हूँ—बहुवचनका प्रयोग
अपनेको बढानेके लिए नहीं, इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत-सी बुराइयोंमेंसे
एक होनेके अभियोगको सही-सही कह सकूँ । आज तुम मुझे क्यों पह-
चानोगे ! पर एक बात मेरी भी सुनोगे ?”

“जी हाँ, बहिए ।”

“वह यह कि अगर मैं आज तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, तो तुम मेरे
लिए विनोदास्पद हो । नहीं, ऐसे अभिजात ढंगसे यह कहनेकी कोई जरूरत
नहीं है कि ‘जी, मेरा अहोभाव्य’ । मैं विद्वानेके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं
इगलिए कह रहा हूँ कि मुझसे अजनबी होकर भी तुम मेरे साथके ऐनि-

हासिक व्यंग्यनसे अलग नहीं हो सकते । और जब ऐसा है तो क्यों नहीं हम फिर एक-दूसरेसे नया परिचय पा लें—हमारे बीचमें बाहरका कोई व्यंग्यन क्यों रहे ? इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी—और मेरी बात मानकर नहीं, अपने एक अभिन्न सम्बन्धीकी बात मानकर सुननी होगी ।”

“शायद वह लाचारी तो मेरे साथ है । पात्र एक बार गढ़ा जाकर स्वतन्त्र अस्तित्व तो पा लेता है, पर स्वतन्त्रका अर्थ असम्पूक्त तो शायद नहीं है । मुझे आपकी बात सुननी ही होगी ।”

“घन्यवाद, शेखर । पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम नहीं, मैं आज असम्पूक्त हो गया हूँ । यह मेरी शोखी नहीं है, फिर भी चाहता हूँ कि उस बातको तुम पहचानो । तुम स्वतन्त्र हो, पर साथ ही इतिहासने तुम्हें बाँध भी दिया है, तुम जो हो उससे इतर नहीं हो सकते, तुम्हें विकासकी स्वतन्त्रता आज नहीं है । पर मैं—मैं राह पर हूँ । मैं बढ़ता और बदलता हूँ—अपने राग-विरागसे मुक्त होता हूँ—यानी राग-विरागके एक पुंजसे मुक्त होता हूँ, दूसरेसे सप्रथित, नये सम्पर्कोंमें पडकर पुरानोसे असम्पूक्त होता हूँ । और तुम—तुम आज मेरे होकर भी मेरे नहीं हो । परायें कभी नहीं हो सकोगे, पर मेरे भी नहीं हो—और तुम्हारी ये सब जनावली परिवर्तनेच्छाएँ मुझे आज बड़ी रोचक लगती हैं पर साथ उद्वेलित नहीं कर सकतीं ।”

“आप बदल सकते हैं, अज्ञेयजी, लेकिन ऐसा क्यों, कि मेरा विकास रुद्ध हो गया है ? क्या केवल इसलिए कि आपने एक बार मुझे लिख डाला ? रचना केवल अभिव्यक्ति नहीं है, वह सम्प्रेषण है । तब मैं केवल आपका अपेक्ष्य नहीं हूँ; प्रत्येक पाठक, प्रत्येक सहृदय मेरे रूपको बदलता है । क्योंकि मैं केवल वह नहीं हूँ जो आपने बना दिया : मेरा हर पाठक हर बार मुझे बनाता है । मैं लटवासी नहीं, मैं सेतु-वासी हूँ—और हर साहित्यिक परित्र ऐसा ही सेतु-वासी है । आप क्या कहना चाहते हैं

कि एक गेजुपी मेहराब उठाकर चाहे त्रिम नदीपर रम्य दी राय बही रहेंगी ?”

“शाबाज, शेखर ! देखना हूँ कि तुममें आरम्भ करके मैं त्रिम अन्तगावके पथपर पथ उगोपर तुम भी चले हो : तुम भी अपनेमें अगम्पूक्त हो !”

“यह तो आपकी कृपा है । मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि लेखक का यह न भूलना चाहिए कि वह जो अगम्पूक्त हो सकता है तो अपने पात्रों ही कारण । एक तटस्थता वह है त्रिमों पर्युत्तर लेखक कृतिपर बनता है, दूसरी यह है जो उसे पात्रों रचनेके बाद मिलती है । आपने जो लिखा, उगमें भेदनामं दृष्टाकी स्थिति आपने कैसे पायी इनके बारेमें आपने अपनी भूमिकामें लिखा है । यह आरोप तो मैं आपपर कैसे लगाऊँ कि सच्ची तटस्थता आपने तब तक नहीं पायी थी—पर क्या यह नहीं कह सकता कि मुझे रचकर, मेरे माध्यमसे अपना मंचित कुछ बिखेरकर ही वास्तवमें तटस्थ हो सके ?”

“शेखर, तुम्हारी बात आज मैं खूब मनझना हूँ । और जो आरोप तुम नहीं लगाने, वह मैं स्वयं लगा सकता हूँ—कि ‘शेखर’ पुस्तकमें वह सच्ची अगम्पूक्त अवस्था नहीं है जिसे मैं उद्दिष्ट मानता हूँ । इस हद तक मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है कि तुम्हें सीधी बनाकर मैं मुचउ हुआ हूँ—लेकिन मुझे कहने दो कि इतना मुक्त मैं आज हूँ कि इसे स्वीकार कर सकूँ । दर्दकी बात मैंने तुम्हारी भूमिकामें लिखी है : दर्दका मूल्य आज भी मेरे निकट कम नहीं है, पर तटस्थताका आज एक नया अर्थ मैं जानता हूँ । साहित्यकार समाजको बदलता है—यानी वह उसका अनिवार्य कर्तव्य और ध्येय है, लेखक अनिवार्यतः सामाजिक क्रान्तिकारी है, इस किशोर मोहसे मैंने छुटकारा पा लिया है । लेखक सिवा अपनेके कुदको नहीं बदलता, सिवा कलाकी समस्याके कोई समस्या हल नहीं करता । उसमें कोई समाज-परिवर्तनकारी शक्ति आती है, या उसको कृतियोंका कोई ऐसा प्रभाव होता है, तो इसीलिए कि वह केवल अपनेको बदलनेके शुद्ध आग्रह

के कारण व्यक्तिको एक अभ्रश्य सामाजिक मूल्य या प्रतिमानके रूपमें प्रतिष्ठित करता है और समाजमें मूल्यकी प्रतिष्ठा ही उसका सच्चा सामाजिक कर्म है। जिस समाजमें ऐसे मूल्योंकी प्रतिष्ठा नहीं है, वह प्रगतिवान् नहीं हो सकता क्योंकि वह गतिवान् ही नहीं है, उसकी जड़ताका लाभ उठाकर जो शक्तियाँ अपनेकी प्रतिष्ठित करती हैं वे सामाजिक उन्नतिकी शक्तियाँ नहीं हैं, और जो कुछ भी हो।”

“अजेय जी, आप एक बात भूल गये हैं। बल्कि दो बातें। एक तो यह कि मैं जो भी होऊँ, आपने तो अभी 'शेखर' पुरा नहीं किया है, इसलिए पाठकजी बात तो दूर, अभी आप स्वयं भी मुझे बदल सकते हैं। दूसरी यह कि आगे आप क्या कुछ न भी करें, तो क्या आप जो नयी बात कहना चाहते हैं उसके भी अत्रुण आपने मुझमें ही नहीं पहचानना दिये हैं? शेखरके अचूरे चरित्रमें भी क्या यह संकेत नहीं कि ब्रान्तिजो कम-से-कम साहित्यकी देन यही हो सकती है कि वह बर्गबन्ध-चरित्रको पुष्टतर बनानेमें योग्य है? और—अपनी कमजोरी और आपके उद्देश्य स्वीकार करता हुआ कहूँ कि क्या मेरी—शेखरकी अमफलताएँ भी अन्ननोगत्वा व्यक्ति शेखरकी न्यूनताओंके कारण ही नहीं हैं?”

“हाँ, शेखर, यह तो है। तुम्हारे बारेमें नयी दृष्टि भी मुझे तुमसे ही मिली है। और 'शेखर' के तीसरे भागमें जो कुछ है—”

“धमा कीजिए—वह तीसरा भाग क्या लिख गया है? छपा तो नहीं है—”

“हाँ, लिख गया है, पर लिखा जाकर ही अकारण भी हो गया है, क्योंकि अलग होकर जिसे लिख पाया, लिख डालकर उससे और अलग हो गया—और यह अलगाव अब इतना अधिक हो गया है कि पुस्तकको छापने देते मन्त्रोच होना है। तभीका सभी छप जाना तो एक बात थी, अब—अब दूसरी बात है। तुम्हीने कहा कि रचना अभिव्यक्ति-भर नहीं है, सम्प्रेषण है—और आज जब मुझे लगना है कि पहलेकी अभिव्यक्ति अचूरी है—

यानी आत्रकी दृष्टिमें अमिच्छादि नहीं है, तो महद्वय समाजके मायमें मैं क्या प्रत्यागत करूँ—सम्प्रेषण विमर्श करूँ ? यही आत्रकी मेरी समस्या है—मेरी बलाकी समस्या ।”

“त्रिगे केवल आप ही हल कर सकते हैं, अजेव जी; मैं उममें योग नहीं दे सकता—मैं तो समस्याका एक उपकरण हूँ ।”

“नहीं, दोसर, तुम समाधानके भी उत्तरण हो । तुम्हारे ही द्वारा मैं फिर अपनेको पहचानूँगा । तीसरा भाग मैं दुसरा लिग रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि उसके बाद तुम और मैं—वीम और दम वरं पहलेके तुम और आत्रके या कि बलके तुम, और तब का, अब का, भविष्यका मैं—मैं सिरसे एक दूगरेको पहचानूँगे ।”

“तो फिर मैं आपको न पहचान कर क्या अनुचिन कर रहा था ?”

“नहीं, दोसर । रचनामें ही मुझे नया संघटन, नया दृष्टिकोण मिलेगा—और रचनाकी इसके सिवा दूसरी समस्या नहीं है कि उनके द्वारा रचना-रचयिता दोनोंका संघटन हो ।”

“मैं तो अभी आपको फिरसे पहचानने लगा—क्योंकि अपनेको जोलममें बालनेको मेरी पहचानी हुई प्रवृत्ति आपमें ज्यों-की-त्यों है ।”

“लेकिन मेरा विनोद ? मैं कहूँ कि तुम अब भी मेरे विनोदकी वस्तु हो तो बुरा तो न मानोगे ?”

“बुरा माननेकी क्या बात है ? हर ईश्वर अपनी सृष्टिको देखकर हँसता है, पर कौन उससे अपनेको काट लेता है ? आपने मुझे नास्तिक बनाया था या नहीं, यह तो नहीं जानता—पर समझता हूँ कि ईश्वर भी सृष्टियों द्वारा अपना संघटन करता रहता है ।”

“दोसर, नास्तिकताका प्रश्न क्यों उठाते हो जब कि वह तुरन् ही एक जाडयाका, एक स्थितिशीलताका आग्रह बन जाता है ? हम आस्था-सम्पन्न रहें, इतना क्या तुम्हारे लिए भी काफी नहीं है ?”

‘शेखर’ : एक प्रश्नोत्तर*

“शेखरके विषयमें मुझे कुछ बातें आपसे पूछनी हैं ।”

—“जल्द पूछिए,—मेरा अहोभाग्य ।”

“शेखरकी धातृभाषा अंग्रेजी बना कर क्या आपने पाठकोंके लिए उसकी मनोवृत्तिकी समझना कठिन नहीं कर दिया है ?”

—“मैं तो समझता हूँ कि आसान कर दिया है—क्योंकि पढ़ने वाले स्वयं उसी कोटिके हैं । हिन्दीके उपन्यास पढ़नेवाले अधिकतर विदेशी उपन्यास साहित्यसे परिचित होते हैं । सब तो नहीं होते, लेकिन जो केवल हिन्दीसे परिचित हैं वे अधिकतर अब भी उपन्यासको घटिया साहित्य मानते हैं और जब ‘शेखर’ लिखा गया था तब ही साहित्य ही नहीं मानते थे ।

“और फिर यह भी सोचिए कि शेखर है कौन ? जिस वर्गका प्रतीक पुण्य वह है, वह क्या सबमुच अंग्रेजीपर पला नहीं था ? और इस लिए सच्चे चित्रणके लिए अंग्रेजीके प्रभावको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है ?”

“शेखरके निर्माणके समय क्या किसी विदेशी उपन्यासका कोई पात्र आपके सामने था ?”

—“सामने था यह कहना गलत होगा । पर परोक्ष भी नहीं था यह दावा मैं कैसे कर सकता हूँ ? यही कह सकता हूँ कि किसी पात्रका

● दिल्ली रेडियोकी प्रेरणासे भी बनारसीदास चतुर्वेदीने ‘शेखर’के सम्बन्धमें एक प्रश्नावली तैयारकी थी जिसके उत्तर लेखने दिये थे । पूल प्रश्नावली अंग्रेजी-हिन्दी मिश्र भाषामे थी, किन्तु प्रश्नोंका प्रस्तुत रूप प्रश्नकर्ता द्वारा अनुमोदित है ।

भारतीय प्रतिरूप बनानेकी मैंने कोई कोशिश नहीं की; न यही भावना मनमें थी कि किसी प्रतिद्वंद्व पात्र जैसा पात्र, उसमें अधिक सफलतासे चित्रित करके दिखाऊँ—‘नहलेपर दहला’ लगाने वाली जो मनोवृत्ति होती है। यो साहित्य पढता हूँ तो उससे प्रेरणा भी मिलती ही है : जब हम किसी कलाकारकी प्रतिभाके सामने झुकते हैं तो उससे स्वयं भी कलाके प्रति निष्ठावान् होनेकी वर्तव्य-प्रेरणा पाते हैं। ‘जर्मा क्रिस्तोफ़’ के अनवरत आत्म-शोध और आत्म-साक्षात्कारका जो चित्र रोलांने प्रस्तुत किया है, उससे मुझे अवश्य प्रेरणा मिली : लेकिन न तो ‘शेखर’ उपन्यास ‘जर्मा क्रिस्तोफ़’ जैसा उपन्यास है, न शेखर पात्र वैसा पात्र है। समानता इतनी ही है कि जैसे ‘क्रिस्तोफ़’ में लेखक एक आत्मान्वेषीके पीछे उमका विश्व सींचता चला है, वैसे ही मैं एक दूसरे आत्मान्वेषीके पीछे चला हूँ। ‘क्रिस्तोफ़’ में सर्वत्र उपन्यासकार अन्य-गुरूपमें लिप्त रहा है, पोथरका रूप उत्तम-गुरूपमें लिखी गयी आत्मवधाका है—लेकिन यह तो तन्त्र यानी टेकनीककी बात है।”

“मैं तो तूर्गेनेवके बाजारोवकी बात सोच रहा था।”

—“तूर्गेनेवका मैं थडा प्रशंसक हूँ, और मानता हूँ कि बाजारोवका चरित्र उपन्यास साहित्यकी एक विभूति है। लेकिन पोथरपर बाजारोवका प्रभाव मैं समझना हूँ बिलकुल नहीं है। बाजारोव रूसी निहिलिज्मकी देन है। तूर्गेनेव निहिलिस्ट नहीं था लेकिन उगने युगकी प्रवृत्तियाँ हो पहुँचाना और विश्लेषण करके इन प्रवृत्तिका चरम रूप सम्मूह रस दिया। मैं भी आत्मवधादी दृष्टसे सम्बद्ध रहकर भी ‘कनविस्ट’ आत्मवधादी नहीं रहा, पर मुझे इगने बड़ी दिलचस्पी रही कि आत्मवधादीका मन कैसे बनता है। ‘शेखर’ की रचना इगीगे आरम्भ हुई। मुझे बाजारोवकी जम्हरन नहीं थी, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्य था। साथ ही यह प्रश्न भी मेरे सामने था, कि आत्मवधादी बनना कैसे है, यही भर जानना चाहती नहीं है : अगर मुझे आत्मवधादीका दर्शन अतर्वाप्त मायूम होगा है तो उगये आने भी बड़

कर देखना होगा। और फिर यह भी सकेत देना होगा कि आतंकवादोंके भीतर भी, उस बादके प्रति असन्तोष उसे प्रेरणा और शक्ति दे सकता है कि उसमें आने निकल जाय। बाजारोव नियतिवादी है। यह तुर्रेंनेवका दोष नहीं, उसकी सत्यनिष्ठा है—तत्कालीन निहिहिस्ट इससे आगे नहीं देखता था। शेखर नियतिवादी नहीं है। इनका भ्रम मैं नहीं देता, मानवमें मेरी आस्था अधिक है तो इसका कारण भौतिक दर्शनका सबसे आज तकका विकास भी है।”

“शेखर और बाजारोव दोनोंमें समान रूपसे माता-पिताके प्रति अवज्ञा का भाव है।”

“हाँ, एक हद तक है। वह पीढियोंके परस्पर सम्बन्धका सूचक है। बिना ऐसे सम्बन्धके आतंकवादी हो नहीं सकता। आस्तिकता और आस्था, नास्तिकता और अनास्था, दोनोंकी जड़में पित्रो और सन्तानके रागात्मक सम्बन्ध होते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान इनका अन्वेषण करता है।”

“जब तक किसी पात्रका अन्त न हो जाय, तब तक उसके चरित्रका पूरा चित्र सामने नहीं आता। आपके सामने क्या शेखरका ऐसा सम्पूर्ण चित्र है?”

“है तो। उसकी चर्चा मैं स्वयं नहीं करता क्योंकि जब तक मेरी बातको पाठक अपने लिए न जाँच सके तब तक वह एक प्रकारका आरोप ही होगा। ‘शेखर’के तीसरे भागमें चित्र पूरा हो जाता है, पर वह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। अगर पूछते हैं, तो कहूँ कि अन्त तक उसकी शिक्षा (मेरी दृष्टिमें) पूरी हो जाती है : वह हिंसावादसे आगे बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि वह मरता है तो एक स्वतन्त्र और सम्पूर्ण मानव बन कर। यों उसे फाँसी होती है—ऐसे अपराधके लिए जो उमने नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें भी बाजारोवसे समानता देख सकते हैं—पर मेरे निष्कर्ष यह निष्पत्ति न तो नियतिवादी है और न निरा निनिस्तरम :

मानव-जीवनके प्रति उपेक्षाका भाव मुझमें बिलकुल नहीं है, उसे मैं नगण्य नहीं मानता ।”

“शेखरका यह अन्त विचारोत्तेजक और स्फूर्तिप्रद हो सकता है । लेकिन क्या वह उतना ही शानदार है जितना ‘शेखर’में रामजीका, जिस की फाँसी शेखर देखता है ?”

—“रामजी और मदनसिंह—‘शेखर’के ये दो विशेष पात्र हैं : दोनोंमें एक ऋजुता है, जीवनके प्रति एक भव्य स्वीकारका भाव । लेकिन उस स्वीकारके पीछे जाइए तो दोनोंमें मौलिक अन्तर है । रामजीका स्वीकार सहज आस्थाका स्वीकार है । उसके कुछ सहज नैतिक मूल्य या प्रतिमान हैं, जिनके सहारे वह चलता है : उसकी शालीनता उसकी आस्थाका प्रतिबिम्ब है । मदनसिंहकी ऋजुता उतनी सहज नहीं है । वह दुःखसे मंत्र कर बना हुआ व्यक्ति है, उसकी जो दृष्टि मिली है वह बहुत अन्धकारमें टोहनेके बाद मिली है । मदनसिंहकी शालीनता विनयका ‘सुमिलिटी’ का—प्रतिबिम्ब है । एक तीसरा पात्र मोहसिन है : उसमें भी ऋजुता है : वह उसके फव्वारङ्गनका प्रतिबिम्ब है ।

“शेखरकी यात्रा इन तीनोंसे कठिन है । टेकनीककी दृष्टिसे ये तीनों उसके अन्त-सघर्षको और स्फुट करनेका काम करते हैं । मेरा विश्वास है कि अन्तमें ऋजुता उसमें भी आनी है : और वह शालीनता स्वातन्त्र्यका प्रतिबिम्ब है । शेखरकी खोज अन्ततोगत्वा स्वातन्त्र्यकी खोज है—या हो, ऐसा उसके लेखकका प्रयत्न रहा ।”

‘शेखर’का जीवन-दर्शन क्या है, क्या आप मशेषमें बनानेकी बात करेंगे ?”

—“बाह्-बाह् ! अगर मशेषमें बना सकना तो विस्तारमें क्यों किया ? क्या निवृत्त्यपिनाका दूसरा नाम है : जो कुछ भी कहा जाय वह मशेष-तम बलात्कर्ममें कहा जाय यही बलात्कारका उद्देश्य होता है । यों मूत्र आप

पाहें तो कहेंगे ‘स्वातन्त्र्यकी खोज’—फिर आप सूत्रकी व्याख्या चाहेंगे और मैं कहूँगा कि वही तो ‘शेखर’ है ।”

“शेखरके चरित्रमें कई ऐसे अवसर आये हैं जब उसका भारतीय नीति-शास्त्रकी दृष्टिसे स्खलन होता है । उसका क्या प्रभाव पाठक-पाठिकाजोपर पड़ेगा, यह भी आपने सोचा है ?”

—“उत्तर देनेसे पहले स्वयं आपसे एक प्रश्न पूछें ? आप नीति-शास्त्र और नीतिमें—या नीतिमें और नैतिकतामें—कोई भेद करते हैं ?”

“इसमें आपका क्या अभिप्राय है मैं नहीं समझता ।”

—“वह यह कि अगर नीतिशास्त्रसे—युगीन नैतिकतासे—जरा भी इधर-उधर नहीं हटना है तब तो नैतिक संपर्कका चित्रण ही नहीं किया जा सकता । और प्रचलित नैतिकताका सभर्यन-भर करनेके लिए कलाकी साधना, कम-से-कम मुझे तो व्यर्थ मालूम होती है—और मेरा विश्वास है कि किसी भी कला-साधकको व्यर्थ मालूम होगी । क्योंकि कलाको नैतिकता के प्रचलित रूपसे कोई रूपाव नहीं है—उसे तो नैतिकताके बुनियादी स्रोतोंमें मतलब है ।

“और इतना ही नहीं, हमारे युगमें यह और भी महत्वपूर्ण बान हो गयी, क्योंकि—आप स्वयं मानेंगे—नैतिक रुढ़ियों जिस तेजीसे इस युगमें टूटीं यह बहुत दिनोंसे नहीं देखी गयी होगी । जब नैतिकताके पुराने आधार नहीं रहते—तब मानव कैसे नैतिक बना रह सकता है, या रह सके—यह प्रश्न तो कुछ ऐसा है कि कलाकारको ललकारे ।”

“सँर । मेरा प्रश्न तो धर्मी ज्यों-का-त्यों है ।”

—“अब उमका उत्तर सरल है—बल्कि एक तरहसे मैं दे चुका : शेखरकी स्वातन्त्र्यकी खोज, टूटती हुई नैतिक रुढ़ियोंके बीच नीतिके मूल-स्रोतकी खोज है । कह लीजिए कि समाजकी खोखली तिरछ हो जाने वाली मान्यताओंके बदले व्यक्तिकी दुःखनर मान्यताओंकी प्रतिष्ठा करनेकी कोशिश है । मैं मानता हूँ कि धरम आवश्यकताके, धरम दवावके, निर्णय

करनेकी चरम आवश्यकताके क्षणमें हर व्यक्ति अकेला होता है : और उस अकेलेपनमें वह क्या करता है इसीमें उसके आत्मिक धानुरी कसौटी है ।”

“यह तो घोर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है ।”

—“एक अराजकवादीके मुँहसे इस आलोचनाको मैं निन्दा तो नहीं मान सकता !”

“लेकिन पाठकपर प्रभावकी बात तो रह ही जाती है । हर कोई अपनेको ही प्रमाण मानने लगेगा तो समाज कैसे बना रहेगा ?”

—“ऐसा खतरा बिलकुल नहीं है, यह तो मैं नहीं कह सकता । लेकिन कोई भी बड़ा परिवर्तन लानेके लिए जोखिम तो उठाना पड़ता है । और यह जरूरी है कि हर पाठक—हर व्यक्ति—समझे कि उसे नैतिक आचरण करना है तो इस लिए नहीं कि बेसी रुझि है, बल्कि इस लिए कि उपमें बेसी अन्त प्रेरणा है । समाजमें ऐसे घटतसे लोग होते हैं जो नैतिक मूल्योंके विश्वास नहीं करते पर उनके विरुद्ध आचरण भी नहीं करते—चाहे सौरभयसे, चाहे मुविधाकी कमीसे, चाहे प्रेरणा ही की कमीसे सही । फिर ऐसे भी हैं कि मूल्योंको मानते तो हैं पर आचरण उनके विरुद्ध करते हैं—चाहे दुर्बलताके कारण, चाहे और किसी कारण । ये दोनों प्रवृत्तियाँ घलत हैं, और समाजके सही निर्माणमें योग नहीं देनी । इनसे यह नहीं अन्टा है कि बर्म और विश्वासमें सामंजस्य लानेके लिए नैतिक व्यवस्थाको सारमें पड़ने दिया जाय । यह कुछ मिलाकर व्यक्तिके लिए ही नहीं, समाजके लिए भी धेयकर है । समाजकी नैतिक या आचरण-सम्बन्धी मान्यताएँ उसकी इकाइयोंकी मान्यताओंकी औगम्य होनी हैं, इस लिए उस औगम्यके स्तरको जो भी ऊँचा उठाना है पूरे समाजको उठाना है । मान्यता और बर्मका अविरोध स्वयं एक बड़ा आदर्श है—नैतिक मूल्य है । यही ईमानदारी है । सामाजिक रुझिने ऊँचे आतमाकी प्रतिपत्त्यासे कौने किसी पाठकका अर्थात् ही सज्जता है मैं नहीं समझता । आज पृष्ठों है कि आदर्शो बननेको ही प्रमाण

मानने लगेगा तो समाज कैसे बना रहेगा ? इसमें एक तो यह ध्वनि है कि समाज जो मानता है और व्यक्ति जो मानता है उसमें अनिवार्यतया विरोध है—ऐसा ही हो, तो आप ही बताइए, किसीके भी किनीको भी प्रमाण माननेसे भी, कोई भी कैसे बना रहेगा ?

“लेकिन इसे छोड़ें भी, तो प्रश्न यह रहता है व्यक्तिको जो सत्य दीखता है, उसे अनदेखा करके वह जो उसे झूठ दीखता है उसे मानता चले—जो स्थिति कि अपनेको प्रमाण न माननेमें निहित है—तो इसपर क्या समाज, आपके शब्दोंमें ‘बना रहेगा’ ? सच्चाईमें जोखम है—पर जोखम बचनेकी गुंजाइश तो है जब कि पाखण्ड निश्चित मरण है—नीरग्ध्र, अमोघ सर्वनाश !”

“आपके इन उत्तरोंसे भुझे पूर्ण सन्तोष तो नहीं हुआ, पर आपके दृष्टिकोणको सामने रखकर एक बार फिरसे ‘शेखर’को पढ़नेकी तीव्र इच्छा अवश्य उत्पन्न हुई है।”

—“तब तो मैं कृतार्थ हुआ।”

‘नदीके द्वीप’ : क्यों और किसके लिए

अपनी किसी कृतिके बारेमें कुछ कहनेका आकर्षण कितना उत्तरना है, इसको वे लोग पहचानते होंगे जिन्होंने कवि-सम्मेलनों आदिमें कवियोंके अपनी कविताकी व्याख्या करते सुना है। कृतिकारको जो कहना है, जो उसने कृतिमें वह कहा ही है, और मानना चाहिए कि यथाशक्य सुन्दर रूपमें ही कहा होगा, तब क्यों वह उसे कम सुन्दर ढंगसे कहना चाहेगा ! एक जवाब यह हो सकता है कि जो कृतिमें सुन्दर ढंगसे कहा गया है, वह व्याख्यामें सुबोध ढंगसे कहा जायगा। तो इस जवाबमें सुन्दर और सुबोधता जो विरोध मान लिया जाता है, उसे कमसे कम मैं तो स्वीकार नहीं करता। सुबोधता भी सौन्दर्यका ही एक अंग है या होना चाहिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि वस्तुके अनुकूल रूप-विधानमें—और इस अनुकूलतामें ही सौन्दर्य है—सुबोधता इस लिए कम हो कि वह वस्तु भी वैसी हो। तब इस दशामें सुबोध बनानेमें हम वस्तुसे कुछ दूर ही चले जावेंगे। कोई भी वस्तु, कृतिमें अपने सुन्दरतम और इस लिए सुबोधतम रूपमें आनी चाहिए, तभी वह कृति कला-कृति है। अगर वह सुबोधतम होकर भी सहज सुबोध नहीं हुई है, तो यह तभी हो सकता है कि उस स्थितिमें वह वस्तु अधिक सुबोध नहीं हो सकती, और अगर ऐसा है तो व्याख्या सुबोध तभी होगी जब वह कृतिके सम्पूर्णको संक्षिप्त करके उसके सषट्को ही—या अलग-अलग सषट्को ही देखें।

‘नदीके द्वीप’में भूमिका नहीं है। इसीलिए नहीं है कि मैंने सीधे लिया, उपन्यासमें उपन्यासकारको जो कहना है, वह उपन्याससे ही प्राप्य होना चाहिए; न मित्र होना चाहिए, उपन्याससे ही हो सकता है, नहीं तो फिर उपन्यासकारने वह कहा ही नहीं है। मैं क्यों मान लूँ कि मेरा पाठक इतना

बुद्धि-मग्न नही होगा कि मेरी बात पहचान ले ? बल्कि इतना ही नहीं, यह भी तो सम्भव है कि मैंने जो कहा है, उसे मैं स्वयं दूसरे रूपमें उतना ठीक न पहचानूँ, न जानूँ ? स्पष्ट है कि कहानीकार भी इस बातको मानना है कि ‘कहानीकार विद्वान् करो, कहानीकारपर मन करो’ । नहीं तो कहानी क्यों लिखना, बिना कहानीके ही निरी व्याख्या क्यों न लिख डालना ? ऐसे भी लेखक है जिन्होंने कृतिसे बड़ी भूमिकाएँ लिखी हैं—कभी-कभी भूमिकाएँ ही पहले और प्रधान मानकर लिखी हैं, और फिर कृतिमें केवल भूमिकामे प्रतिपादित विद्वान्तोको उदाहृत कर दिया है । लेकिन ऐसी क्यामे भूमिकाको ही कृति मानना चाहिए, और तथा-वर्णित कृतिको उमकी एक अन्तकृति, एक दृष्टान्त ।

‘नदीके द्वीप’ व्यक्ति-चरित्रका उपन्यास है । इसमें इनर कुछ वह क्या, नहीं है, इसका मैं क्या उत्तर दूँ ? और दूँ ही, तो वह मान्य ही होगा ऐसा कोई आन्वयगत तो नहीं है । व्यक्ति अपने सामाजिक संस्कारोंका पुत्र भी है, प्रतिबिम्ब भी, पुत्रता भी, इसी तरह वह अपनी वैदिक परम्पराभ्रंशता भी प्रतिबिम्ब और पुत्रता है—‘वैदिक’ सामाजिकके विरोधमें नहीं, उससे अधिक पुराने और व्यापक और लम्बे संस्कारोंको ध्यानमें रखने हुए । फिर वह इस आधार पर अपनी छाप भी बँटाना है, क्योंकि जिन परिस्थितियोंमें वह बनता है उसीको बनाना और बदलना भी बनना है । वह निरा पुत्रता, निरा जीव नहीं है, वह व्यक्ति है, बुद्धि-विवेक-मग्न व्यक्ति । तो अब हम चाहें तो व्यक्तिको जैसा वह है वहीमे ले सकते हैं, उस विन्दुमें आरम्भ करके उसकी तनि-विधिसे देख सकते हैं, या फिर मुक्यतया इसीपर विचार कर सकते हैं कि वह जैसा है वैसा हुआ क्यों; और वैसा होकर वह क्या कर रहा है, इसे शीघ्र मान ले सकते हैं । पहलेमे सामाजिक शक्तिपाको, निहित मान कर चलने हैं और व्यक्ति-चरित्र ही शोधने होगा है, दूसरेमे व्यक्ति शीघ्र होता है और सामाजिक शक्तिपा ही प्रधान पात्र ही बनती है । यहाँ तक विद्वान्-विधानका प्रवृत्त है, दोनों प्रक्रियाएँ अपना स्थापन करती

हैं, दोनोंकी विनोयताएँ और मर्यादाएँ हैं। और दोनोंके अपने-अपने जोगम भी। सनक बलाकार जोगममे बचकर चल सकना है। शतरंजका खेल देखें, तो राजा-बजोर हाथी-घोड़े आदि मोहरोंको राजा-बजोर, हाथी-घोड़ा ही मानकर खेलका विकास देख सकते हैं, या फिर इन सबकी प्रवृत्तियों और मर्यादाओं और चालोंको गौण या 'स्थिति-जन्य' कहकर इमी अनुसन्धानमें लग सकते हैं कि क्यों राजा राजा है और प्यादा प्यादा, या घोड़ा क्यों अट्टाई मरकी चाल चलता है और हाथी तिरछी; या क्यों प्यादा बढ़कर बजोर तक बनता है, राजा नहीं, और क्यों राजा प्यादा नहीं बनता। या यह भी सोचा जा सकता है कि प्यादेको बजोर मान लें और घोड़ेको प्यादा तो खेल कैसा चले? वह भी बड़ा रोचक अनुसन्धान हो सकता है, चाहे यह प्रश्न रह ही जाय कि क्या वह शतरंज फिर भी है?

तो मेरी रुचि व्यक्तिमे रही है और है; 'नदीके द्वीप' व्यक्ति-चरित्रका ही उपन्यास है। घटना उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे काफ़ी है, पर घटनाप्रधान उपन्यास वह नहीं है। 'शेखर'की तरह वह परिस्थितियोंमें विकसित होते हुए एक व्यक्तिकका चित्र और उस चित्रके निमित्तसे उन परिस्थितियोंकी आलोचना भी नहीं है। वह व्यक्ति-चरित्रका—चरित्रके उद्घाटनका उपन्यास है। उसमे पात्र थोड़े हैं; बल्कि कुल चार ही पात्र हैं। चारोंमें फिर दो, और दोमें फिर एक और भी विशिष्ट प्राधान्य पाता है। 'शेखर'से अन्तर मुख्यतया इस बातमें है कि 'शेखर'में व्यक्तित्वका क्रमशः विकास होता है; 'नदीके द्वीप'में व्यक्ति आरम्भसे ही सुगठित चरित्र लेकर आते हैं। हम जो देखते हैं वह अमुक स्थितिमें उनका निर्माण या विकास नहीं, उनका उद्घाटन भर है। और चार पात्रोंमें जो दो प्रधान हैं उनपर यह बात और भी लागू होती है; बाकी दो पात्रोंमें तो कुछ क्रमिक विकास भी होता है। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि

'नदीके द्वीप' चार सवेदनाओंका अध्ययन है। उसमें जो विचार हैं, वह परिष्कृत नहीं, सवेदनाका ही हैं।

उपन्यास क्या है या क्या नहीं है, इसको लेकर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन उसमें लेखकका कोई सम्पूर्ण जीवन-दर्शन नहीं तो जीवनके सम्बन्धमें विचार तो प्रकट होने ही हैं। 'नदीके द्वीप'के लेखकके वे विचार क्या हैं? यहाँ कहना होगा कि वे स्पष्ट कम ही बड़े गये हैं, लेखक की ओरसे तो बिलकुल नहीं, पात्रोंकी उक्तियों या बर्णनोंमें भी या प्रतीक-भावमें ही वे प्रकट होते हैं, और वह भी सम्पूर्ण जीवनके सम्बन्धमें नहीं, उसके पहलुओंके। 'नदीके द्वीप' एक दर्द-भरी प्रेम-बहानो है। दर्द उनका भी जो उपन्यासके पात्र हैं, कुछ उनका भी जो पात्र नहीं है। किसी हद तक वह कहानी अगाधारण भी है—जैसे कि किसी हद तक पात्र भी अगाधारण हैं—मद नहीं तो चारमें-से तीनके अनुपातमें। लेकिन इन हद तक अगाधारणता दोष ही होती है, ऐसा मैं नहीं मान लूँगा। 'नदीके द्वीप' समाजके जीवनका चित्र नहीं है, एक अंगके जीवनका है, पात्र साधारण जन नहीं हैं, एक वर्गके व्यक्ति हैं और वह वर्ग भी साम्यात्की दृष्टिमें अग्रपान ही है, लेकिन बगौटी मेरी समझमें यह होनी चाहिए कि क्या वह चित्र भी वर्गका चित्रण है, उसका सच्चा चित्र है? क्या उस वर्गमें ऐसे लोग होने हैं, उनका जीवन ऐसा जीवन होता है, सवेदनाएँ ऐसी सवेदनाएँ होती हैं? अगर हाँ, तो उपन्यास सच्चा और प्रामाणिक है, और उनके चरित्र भी वास्तविक और सच्चे हैं, न साधारण टाडर हैं, न अगाधारण प्रतीक हैं। और मेरा विश्वास है कि 'नदीके द्वीप' उस समाजका, उसके अस्तित्वोंके जीवनका चित्रण वह चित्र है, सच्चा चित्र है। निम्नलिखित उपन्यासके मूल्यांकनमें हमें आगे भी जाना होगा है, इन प्रश्नोंका उत्तर सोचना होगा है कि लेखकमें सत्यता कितनी है, अथवा वर्गके सम्बन्धमें वह कहाँ तक अग्रगण्य चरित्र का हो गया है। पर वह क्या पात्रोंकी या बस्तुकी अगाधारणताके अन्तर्गत है।

याम्निविषताके इग निर्वाहके साथ 'नदीके द्वीप'में एक आदर्श-परकता भी है। वास्तव और आदर्शमें कोई मौलिक विरोध नहीं होता, यह कहना शायद आवश्यक नहीं है। इतना ही है कि जो आदर्श वास्तवकी भूमिसे नहीं उठता, वह निराधार ही रहता है, उसे पाया नहीं जा सकता, उसकी ओर बढ़ा नहीं जा सकता, वह जीवन नहीं देना। तो 'नदीके द्वीप'में क्या आदर्श है? कदाचित् यह मुझे कहनेकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आरम्भमें कहा, यही वह क्षेत्र है जहाँ कथाकारकी ओर नहीं, कथाकी ओर देखना चाहिए। कथामें अलग आदर्शको निकाल कर मैं कहना चाहता या कह सकता तो क्या क्यों लिखता? यों उपन्यासके आरम्भमें सूत्र-रूपसे जो दो उद्धरण दिये गये हैं—एक दालीका, एक स्वयं लेखककी कवितासे, वे अर्थ रखते हैं : दर्दमें भी जीवनमें आस्था, जीवनका आश्वासन—जो शैलीके सन्दर्भसे ध्वनित होता है; और दर्दसे भँज कर व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास, ऐसा स्वतन्त्र कि दूसरोको भी स्वतन्त्र करे—जो 'अज्ञेय'के सन्दर्भसे ध्वनित होता है। आदर्शके ये दो सूत्र कथामें हैं, चरित-नायक भुवन एकको ध्वनित करता है तो मुख्य स्त्री-पात्र रेखा दूसरोको। चन्द्रमाधव और गौरा स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं, और भुवन तथा रेखाके प्रति-चित्र भी। चारों एक ही समाज या वर्गके प्राणी हैं। पर चन्द्रमाधवका चरित्र-विकास विकृतिकी ऐसी प्रतियोगिनी गुथोला हो गया है कि उसका विवेक भी उसे कुपथ पर ले जाय, और उसकी सदोग्मूलता आत्म-प्रवचनके कारण है। इसीमें वह भुवनका प्रति-भू है। दूसरी ओर गौरा तथा रेखा भी प्रत्यवस्थित किये गये हैं। त्यागकी स्वस्थ भावना एकको दृष्टि देती है तो दूसरीमें एक प्रकारके आत्म-हृत्नका ही कारण बनती है—यद्यपि उनकी भावना इतनी उदात्त है कि हम उसे अपनी सहानुभूति दे सकें। मानी आप दे सकें—यद्यपि मैंने तो सभी पात्रोंको अपनी सहानुभूति दी है। भले ही साधारण सामाजिक जीवनमें कुछसे मिलना-जुलना चाहें, कुछसे बचना चाहें, पर अपनी कृतिके क्षेत्रमें तो सभी मेरी समवेदनाके पात्र हैं।

शिल्पके बारेमें मेरा कुछ न बहना ठीक है, पर नामके बारेमें एक बात कहूँ। इस नामकी मेरी एक कविता भी है। पर दोनोंमें विशेष सम्बन्ध नहीं है। उपन्यास लिखना आरम्भ करनेसे पहले, जब मैं उसे लिख डालनेके लिए नहीं जा छिपनेकी बात सोच रहा था तब दो-एक मित्रोंने पूछा था कि नाम क्या होगा। मैंने तब तक निश्चय नहीं किया था। उन्हींसे पूछा—“आप ही सुझाइये।” कविताके कारण ही एक मित्रने यह सुझाया; मैंने कहा, “अच्छ, यही सही।” फिर मेरे लिखना आरम्भ करनेसे पहले ही नामका विज्ञापन भी हो गया। यों नामका निर्वाह उपन्यासमें हो गया है, ऐसा मेरा विश्वास है।

‘नदीके द्वीप’ मैंने किसके लिए लिखा है? अगर कहूँ कि सबसे पहले अपने लिए, तो यह न समझा जाय कि यह पाठककी अवज्ञा करना है। कदापि नहीं। बल्कि मैं मानना हूँ कि जो अपने लिए नहीं लिखा गया, वह दूसरेके सामने उपस्थित करने लायक ही नहीं है। यहाँ ‘अपने लिए’की शायद कुछ व्याख्या अपेक्षित है। ‘अपने लिए,’ अर्थात् अपनेको यह बात सप्रमाण दिखानेके लिए कि मेरी आस्था, मेरी निष्ठा, मेरे संवेदना-जालकी सम्पूर्णता और सच्चाई, मेरी इट्रेविटी उसमें अभिव्यक्त हुई है। जब तक अपने सामने इसका जवाब स्पष्ट न हो तब तक दूसरेके सामने किसी लेखकको जाना नहीं चाहिए; उससे भूल हो यह दूसरी बात है।

फिर, अपने बाद, संवेदनशील, विचारवान्, प्रौढ अनुभूतिके पाठकके लिए। स्पष्ट है कि ऐसा बहना, यह कहना नहीं कि जन-जनार्दनके लिए। साहित्य पाठकमें कुछ तैयारी, अनुकूलता और परिपक्वता माँगी ही है। पुराने आचार्य तो इसे मानते ही आये, आज-कल भी यह मत विनान्त अमान्य तो नहीं है। जनकी दुहाई देने वाले भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूपसे मानते हैं कि पाठककी संवेदनाओंकी व्यापकता और परिपक्वताका कुछ

महत्त्व होता है । तो—क्या 'नबीके द्वीप' मैंने आपके लिए दिखाई है ? यदि आप यहां तक मेरी बात ध्यान दे कर पढ़ने रहे हैं तो कहूंगा कि हाँ, आपके लिए भी, फिर आप चाहे जो हो । और यदि इसमें पहले ही आप उत्र चुके हैं, या दूसरा कोई मन बना चुके हैं, तो फिर मेरी हाँ भी आप तक कैसे पहुँचेगी ?

और अगर आज आपमें वह परिपक्वता नहीं है तो ? तो आरके शुभेच्छुके नाते मैं मनाता हूँ कि कल वह हो !

श्लील और अश्लील*

“साहित्यमें श्लोल और अश्लोलका प्रश्न उठाना कहाँ तक उचित है ? श्लोल और अश्लोलकी परिभाषा क्या, मर्यादा क्या ?”

—श्लील और अश्लीलका प्रश्न नया नहीं है । समय-समयपर अलग-अलग प्रकारके लोगोंने इसे उठाया है । यह कहना कठिन है कि इस प्रश्नको उठानेवाले सभी व्यक्तियोंकी दृष्टि असाहित्यिक रही है, यद्यपि अधिकतर ऐसे लोगोंने प्रश्नको साहित्यके बाहरसे ही देखा है । कुछकी दृष्टि तो अत्यन्त सजुचित रही है, कुछने केवल अपनी कुण्डा और दुर्बलताका आरोप साहित्यपर किया है । पर हम मान भी ले कि प्रश्न उठानेवाले सभी बड़े विवेकी और नीतिवान् रहे, तो भी इस बातकी ओर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रश्नका अन्तिम उत्तर कोई नहीं पा सके । यह इसीलिए आवश्यक है कि जो कुछ भी उत्तर या सही दृष्टिकोण हो सकता है, उस तक पहुँचनेके लिए सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि श्लील और अश्लील देस-कालपर आश्रित है । उनकी कोई परिभाषा न केवल शास्वत नहीं हो सकती वरन् आत्यन्तिक भी नहीं हो सकती । श्लील और अश्लील केवल समय (कनवेंशन) हैं; जो हर समाज और सामाजिक स्थितिके अपने अलग-अलग होते हैं । इसीलिए जिस संस्कृत काव्यको एक दिन आर्य-साहित्यका गौरव समझा जाता था, उसे दूसरे दिन गर्हणीय घोषित किया जा सका; जो ग्रन्थ लिखकर प्रणेता एक दिन ‘ऋषि’ गिने गये उसे दूसरे दिन एक ‘राजपि’ ने ‘भारतका कलंक’ ठहरा दिया । नागर

* ये प्रश्न ‘ज्ञानोदय’ के सम्पादक द्वारा प्रस्तुत किये गये थे; उत्तर उस पत्रके ‘प्रणय अंक’ में छपे थे ।

समाज 'ग्राम्यता' को अश्लीलताका पर्याय मानता है; ग्राम-समाज सोहदा-पन और शहरोपनको एक समझता है....

क्या श्लील और अश्लीलकी कलागत मर्यादाका विचार करते समय वे ही मानदण्ड लागू होंगे जो जोयन-गत नैतिक मर्यादाओंका विचार करते समय लागू होते हैं ?

—श्लील और अश्लीलका प्रश्न तत्कालीन सामाजिक नैतिकताका प्रश्न है। साहित्यका प्रश्न यह नहीं है। उसी प्रश्नको जब सुन्दर-असुन्दरका प्रश्न बनाकर हम साहित्यकी मर्यादाके भीतर लाते हैं, सब वास्तवमें प्रश्न वही रहता ही नहीं, दूसरा ही हो जाता है। यह उल्लेख्य है कि जहाँ श्लील और अश्लीलके बारेमें कभी नीतिवादियोंमें भी एकमत नहीं हो सका, वहाँ इसी प्रश्नके साहित्यिक प्रतिरूपके बारेमें साहित्य-जगत् प्रायः एकमत रहे हैं।

देखना अश्लील नहीं है, अपूरा देखना अश्लील है। इतना ही नहीं, दिनु और माताको एक दूसरेके सम्मुख नग्नता नंगापन या अश्लीलता नहीं है, यह भी कि अनुरागवद्भू प्रणयी-युगलकी एक-दूसरेके सम्मुख नग्नता भी नंगापन या अश्लीलता नहीं है। वहाँ अश्लीलता उगीकी दीखी है, जो अपूरा देखना है—जो बेवल्ड नंगापन देखना है, उसे औचित्य देनेवाली पूर्णताकी नहीं। यह बात जिनकी पाठकके बारेमें लागू है उनकी ही लेखकके बारेमें; अगर वह बीसा देखना है, या दिगाना चाहता है, तो वह अश्लील है क्योंकि वह अपूरा है अर्थात् असाहित्यिक है।

कथाकारके लिए जीवनमें क्या आवश्यक है, प्रश्नको इन रूपमें पूछना मतिधर्म पैदा करता है। जो समाजमें जीता है, उसका समाजके साथ पारस्परिक स्वामात्रिक और अनिवार्य है। वह समाजमें चाहता है कि समाज उसको पनवने और पृष्ठ होने दे, समाज उगने टोक यही चाहता है। यह इन ममशीलता अंग है कि व्यक्ति सामाजिक आचरणके कुछ नियम माने।

ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिको समाजको तत्कालीन मान्यताएँ गलत और असह्य जान पड़ें; जैसे कि ऐसा भी होता है कि समाजको व्यक्तिके विचार या आचरण सतरनाक जान पड़ें। तब टकराहट होती है या नया सन्तुलन होता है, या कोई टूटता है या बहिष्कृत होता है या हट जाता है। जहाँ तक नये समय या बनबेंदानका प्रदन होता है, जो जयी है वही ठीक है—क्योंकि प्रतिष्ठितका ही नाम मर्यादा है। किन्तु बनबेंदानके क्षेत्र से अलग इन सधर्पका भी ऐतिहासिक मूल्याकन अलग ढंगसे हो सकता है। और जहाँ साहित्यका प्रदन है, वहाँ तो आचरण-सम्बन्धी यह सारा सधर्प ही बेमानी है। जिस कलाकृतिके रचयिताके जीवन और आचरणके बारेमें हम कुछ नहीं जानते, क्या यह कहना होगा कि उसका मूल्याकन हम नहीं कर सकते? और अगर एक कृतिके मूल्याकनमें कृतिकारके जीवनका प्योरा अप्रासंगिक है, तो दूसरी कृतिके साथ बैसा क्यों नहीं—क्यों न ऐसे व्योरेको साहित्यिक प्रतिभामें से अलग कुछ माना जाय?

कोई सामाजिक प्राणी सामाजिक रुढ़िको गलत मानता है तो उसे तोड़नेके लिए—या सही मूल्योंकी प्रतिष्ठाके लिए—वह कितना जोखिम लटानेको तैयार है, यह उसका निजी प्रदन है। कुछ 'निवाह ले चलने'में कल्याण समझते हैं, कुछ अड़ना ठीक समझते हैं फिर चाहे जो हो।

साहित्यमें कृतिकार अगर किसी साहित्यिक रुढ़िको—चाहे वह तत्कालीन सामाजिक मूल्योंसे ही सम्बन्ध रखती हो—गलत समझता है तब उसके सामने भी ठीक वही प्रदन होता है : निवाहता चलूँ, या लड मरूँ? कुछ निवाहते चलते हैं, कुछ लड मरते हैं। कुछ लड जाते हैं और मरते भी नहीं, कुछ अमर ही हो जाते हैं। प्रतिक्रिया साहित्यकारकी शिक्षा-दीक्षा, प्रवृत्ति, चरित्र और सामर्थ्यपर निर्भर है, परिणाम इन सबके अलावा परिवेश पर भी—सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति पर भी—

क्या प्रत्येक कलाकारके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कृतिकी महत्ता और स्थायित्वको दृष्टिसे स्वयं भी आचारगत और विशेषकर

प्रगल्भ-सम्बन्धी सामाजिक मान्यताओंसे संबंध रखते ? धर्मशास्त्रोंके विषय-में धारण क्या कहेंगे ?

—प्रश्नको जितना मैं समझता हूँ, उगका उत्तर ऊपरकी बातोंमें निहित है। कृत्तियों मद्रता, या उगके स्थायित्वकी सम्भावना, बाहरकी बातोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती, और लेगाके जीवनकी घटनाएँ भी इन सम्बन्धमें 'बाहरकी बातों' हैं। बड़े-बड़े नोनिष्पत्ती ब्रह्मकाग लिग गये; कभी कोई आचारा भी बड़ी शीघ्र लिग गया। यह नहीं कि जीवनकी घटनाओंका कोई अंग रचनापर नहीं पड़ना; केवल इतना कि साहित्यमें हमारा वास्तविक उग अंगरसे है जो कि कृत्तियोंमें लक्ष्य है, जीवनकी घटनामें नहीं।

आपको जिन विशेष कृतियों और पात्रोंके सम्बन्धमें अज्ञानीता का आरोप किया गया है, उनके पक्ष-विपक्षमें रचयिताकी हैसियतमें आपका मन्तव्य क्या है ?

—इस विषयमें क्या कह सकता हूँ जब कि, अगर मेरा साधारण निष्पत्त ठीक है तो, पक्ष-विपक्ष रहते ही नहीं ? अगर मैं स्वयं देख सकता हूँ कि मेरा देखना अधूरा देखना है, तो क्या मैं पूरा न देखूँगा ? उदाहरण मर दे सकता हूँ : 'नदीके द्वीप' में अश्लीलता किसी वर्णनमें नहीं मानता; दृष्टिमें वह है तो न लेखककी और न रेखा या भुवनकी; बल्कि चन्द्रमाखकी दृष्टिमें वह है। कह सकते हैं कि भुवन या रेखा वास्तविक नहीं हैं, चन्द्रमाख अधिक वास्तविक है; जो कहते हैं मुझे उनसे बहस नहीं क्योंकि शायद यह ठीक ही है कि थोड़ी बहुत अश्लीलता ही अधिक वास्तविक है....

एक आलोचना-विशारदाने 'नदीके द्वीप' के स्त्री-पात्रोंको इसलिए अस्वाभाविक और असम्भव बताया है कि उनमें ईर्ष्या नहीं है। मेरे निकट ईर्ष्या भी अधूरी दृष्टिका, अपरिपक्वताका, परिणाम है। एक वय में—वय मानसिक भी होता है—ईर्ष्या स्वाभाविक हो सकती है; पर मैं मानता हूँ कि बच्चा बड़ा भी हो सकता है। युवतीके लिए—हिन्दी

अन्यासकी नायिकाके लिए भी !—वयस्क हो जाना नितान्त अस्वाभाविक नहीं है ।

अदलीलका अस्तित्व या उद्भव कहां है ? प्रणय-व्यापारमें, या उसके विग्रहमें, या कलाकारके मनमें, या कहीं और ?

—अगर प्रश्नको 'रसका अस्तित्व कहां है' वाले दूध किताबी प्रसंग में नहीं देखना है, तो उत्तर उतना कठिन नहीं है । गर्म आँसुकी होती है, तो जपड़ापन भी आँसुमें होता है । अगर लेखककी दृष्टि अधूरी, जपड़ी (अनएव असाहित्यिक) थी तो अदलीलता बही है, और उससे अन्यत्र लेखनमें भी ; अगर पाठककी दृष्टि बंसी है तो वहाँ ।

प्रश्नका एक पहलू और हो सकता है, कि कोई रचना अगर अपरिपक्व पाठकमें अमानाजिक भावनाएँ जगाती है, तो क्या वह खतरनाक नहीं है ? 'सेसरसिप'का यह प्रश्न साहित्यका नहीं, सामाजिक नियन्त्रणका प्रश्न है । दवाएँ खतरनाक हो सकती हैं, उनके वितरणका नियन्त्रण केवल प्रयोक्ताको ही नहीं, दवाको भी दुहपयोगसे बचाता है । सामाजिक स्वास्थ्यका यह प्रश्न समस्याका एक स्तर है । एक दूसरा भी है . दवा तो यों भी विविष्ट प्रयोगकी चीज है . रूग्णावस्थासे सम्बन्ध रखती है । पर बच्चेके लिए तो गर्म दूधसे भी खतरा हो सकता है । यद्यपि यह कहना कठिन है कि गर्म दूध बुरा है, केवल रोगीका खाद्य है । तब ?

इस 'तब' का उत्तर भी साधारण जीवनकी समस्या है, साहित्यकी नहीं; पर होनी भी तो यही उत्तर होता कि "तब वही कीजिए जो साधारण जीवनमें करणीय है"—ऐसी व्यवस्था रखिए कि बच्चा और गर्म दूध दोनों एक दूसरेसे बचे रहें, और बच्चा प्रकट निषेधसे होने वाले आकर्षण से भी बचा रहे !

रेखाकी भूमिका*

‘नदीके द्वीप’ में श्लील और अश्लीलके सम्बन्धमें जो प्रश्नोत्तर छोये, उसकी बातोंको नहीं दोहराऊंगा। मुझे स्मरण है कि मैंने बात-घोतके सिलसिलेमें पटनेमें कहा था कि ‘अश्लीलताकी परिभाषा युगके साथ बदलती रहती है’। आपने इसका स्पष्टीकरण चाहा है। जो जुगुप्सा उत्पन्न कर दे वह अश्लीलता है, यह अश्लीलकी एक परिभाषा है। जुगुप्साका अर्थ है गोपन करनेकी इच्छा। और यह स्पष्ट होना चाहिए कि छिपाने-छिपाने की इच्छा जिन परिस्थितियोंमें होती है वे निरन्तर बदलती रहती हैं। इसलिए इस अधूरी परिभाषाकी दृष्टिसे भी अश्लीलताका अर्थ बदलता रहता है। इसके अलावा मनोविज्ञानने मूल प्रवृत्तियोंके बारेमें जो नयी दृष्टि दी है उससे जो परिपक्वता पाठकको मिली है (या मिलनी चाहिए) उसने भी अश्लीलताके क्षेत्रको संकुचन कर दिया है। जैसे बच्चेकी ममता बड़ोंमें जुगुप्सा नहीं उत्पन्न करती, बल्कि बड़े बच्चोंको क्रमशः यह गिसाने है कि अपने समाजके पहरावेके नियमोंके अनुरूप सकोचका भाव उनमें जागना चाहिए; उसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्रमें भी जब अपरिपक्वको परिपक्वके सम्मुख लाया जाता है तब जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए—और ऐसे माझानुमें अश्लीलता नहीं माननी चाहिए। अगर मेरी यह स्थापना उचित

* यह एक पत्रके कुछ अंश हैं जो एक सप्तेता द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नोंके उत्तरमें लिखा गया था। पत्रमें रेखाके चित्रके चतिरिक्त भी कुछ बातोंका उल्लेख है, किन्तु सभी ‘नदीके द्वीप’ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे सम्बद्ध हैं, अतः शीर्षकमें अश्लीलता शेष होने पर भी सार्था है कि वह धामक न होगा।

है कि मनोविश्लेषणकी नयी खोजोंने हमें परिपक्वता दी है तो स्पष्ट है कि उनसे असलीलताकी परिधि भी बदली है। यह ठीक है कि बहुतसे पाठकोंमें यह परिपक्वता नहीं होती जिसकी आज हम अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस परिस्थितिमें जो करना चाहिए उसका सकेत मैंने 'प्रश्नोत्तर' में दे दिया है। जो नियमन समाजको करना चाहिए, उसे लेखक अपने ऊपर ओढ़ ले या ओढ़ना चाहे तो वह निरा दम्भ ही होगा—वैसे ही जैसे जो काम राज्यशक्तिके क्षेत्रके होते हैं उन्हें व्यक्तिका अपने ऊपर ओढ़ना चाहना दम्भ होगा—या मूर्खता। * * *

रेखा 'नदीके द्वीप' का सबसे अधिक परिपक्व पात्र है। यह मैं पहले लिख चुका हूँ कि मेरी दृष्टिमें बड़ी उपन्यासका प्रधान पात्र भी है। वही अपनी भावनाओंके प्रति सबसे अधिक ईमानदार है और अपने प्रति सबसे अधिक निर्मम। एक दूसरी तरहकी ईमानदारी चन्द्रमाधवमें भी है लेकिन वह दस्युकी ईमानदारी है—जो नीच-खसोटकर पा लेना चाहता है किन्तु मूल्य चुकानेको तैयार नहीं है।

रेखाका जीवन-ध्येय और जीवन दर्शन ? इस प्रश्नका उत्तर मेरे लिए कठिन है। और शायद यह लेखकके क्षेत्रसे बाहरको भी बात है। क्योंकि इस विषयपर कहानीमें जो नहीं मिलता है वह प्रस्तुत किया जाकर अविश्वास्य रहेगा। इन्ना शायद कहानीमेंसे निकाला जा सकता है कि रेखा अपनी भावनाओंके प्रति सच्ची रहना चाहती है, भीतरके प्रति अपने उत्तरदायित्वको उसने समर्पणकी सीमा तक पहुँचा दिया है। जहाँ यह व्यक्तिकी बहुत बड़ी शक्ति है, व्यक्तित्वके विकासका एक उत्कर्ष है, वहाँ यह उसकी एक पराजय भी है। क्योंकि केवल 'अपनेमें जो है उसके प्रति समर्पण' काफी नहीं है। अपनेसे बाहर और बड़ा भी कुछ है जिसके प्रति भी उतना ही निस्मग समर्पण वास्तवमें चरित्रकी पूर्ण विकसित और परिपक्व अवस्था है। रेखाकी ट्रेजेडी उसके इन्ही समर्पणके अधुरेपनकी ट्रेजेडी है—जितना ही वह पूरा है उतना ही वह अधूरा है क्योंकि वह अधूरेके

प्रति है। ट्रेजेडी तब होती है जब जो 'दण्ड' मित्रता है वह भोक्ताके 'दोनों' के कारण नहीं, उनके गुणोंकी श्रुतियोंके कारण मित्रता है—“शरद फाल्गुन आर देवर वरुण्ड ।”

देवनीककी दृष्टिये दोनों स्त्री-यात्र—रेखा और गौरा, तथा दोनों पुरुष-यात्र—भुवन और चन्द्रमाधव, प्रत्यवस्थित (काउंटरपॉज) हो गये हैं। किन्तु वास्तवमें स्थिति यह नहीं है कि दोनों स्त्री-यात्र एक दूसरेके चरित्रको उभारते हैं, या दोनों पुरुष-यात्र एक दूसरेको। वास्तवमें उपन्यासके प्रति-चरित्र रेखा और चन्द्रमाधव हैं। रेखा भावनाकी सच्चाईके प्रति समर्पित है या होना चाहती है, चन्द्रमाधव सहज प्रवृत्तिकी तृप्तिको ही अपना लक्ष्य बनाता है। रेखाका आदर्श है दान, चन्द्रमाधव लब्धि। इसीलिए रेखामें ईर्ष्या नहीं है और चन्द्रमाधवमें प्रेम उनके विमानो अभिव्यक्ति ही नहीं पा सकता।

रेखा और गौरामें ईर्ष्या न होनेकी आलोचना हुई है। ऐसे भी जो मानते हैं कि ईर्ष्याके बिना प्रेम नहीं है, या ईर्ष्याके बिना नारी नहीं है। ईर्ष्या-भरा प्रेम या ईर्ष्या-भरी नारियाँ मैंने न देखी हों, ऐसा नहीं है निस्सन्देह अधिकतर ऐसा ही होता है। लेकिन जीवनका अनुभव अति संक्षय या अधिमात्रका ही अनुभव नहीं है—जो परिपक्वताकी ओर ले जावही अनुभव है। मैं मानता हूँ कि ईर्ष्या प्रेमका सबसे बड़ा शत्रु है और प्रेमकी स्वस्थ वयस्कताके मार्गमें सबसे बड़ा रोड़ा। मैं नहीं मानता कि ईर्ष्यामुक्त प्रेम असम्भव है या अस्वस्थ है या अस्वाभाविक है। बल्कि यह मानता हूँ कि प्रेममें जिनको भी जितना अधिक ईर्ष्यासि मुक्त मैंने पाया है उनका उतना ही अधिक सम्मान कर सका हूँ—चाहे इस देश-कालमें, चाहे दूसरे देश-कालमें।

यों, यदि यह सूचना आपके किसी कामकी है तो—यह भी कहूँ कि बीसियों वर्षसे ईर्ष्याकी समस्यामें सैद्धान्तिक दिलचस्पी रही है। वेत्सके दो उपन्यास इसी प्रश्नको लेकर हैं जिनमेंसे एक मुझे विशेष प्रिय है:

ये दोनों ही कॉलेजके जमानेमें पढ़े थे, जब समाजको बदलनेका मेरा
 आग्रह तत्कालीन वैल्सके आग्रहसे कुछ कम नहीं था ! वैल्सके दिये हुए तर्क
 आज कुछ अतिमरलीकरण जान पड़ते हैं वह दूसरी बात है, लेकिन
 मानवीय व्यक्तिके परिष्क-विकासके लिए ईर्ष्या-मुक्तिका जो सैद्धान्तिक
 प्रश्न उन्होंने उठाया था वह मुझे आज भी एक जीवित प्रश्न जान
 पड़ता है ।



‘नदीके द्वीप’का समाज*

‘नदीके द्वीप’के पात्रोंके विषयमें आपके प्रश्नका क्या उत्तर हो सकता है ? जो उपन्यास मूलतः चार-पाँच वैयक्तिक संवेदनाओंका अध्ययन है उसके पात्र ‘समाजसे कटे हुए’ हैं या नहीं, यह प्रश्न मेरे लिए तो प्रागंगिक ही नहीं हुआ । एक पेड़की शाखा-प्रशाखाकी रचना देखनेके लिए क्या यह पहले निश्चय कर लेना अनिवार्य (या आवश्यक भी) है कि वह वे जगलसे कटा हुआ है या कि जगलका अंग है ? उपन्यास अनिवार्यतया पु समाजका चित्र हो, यह माँग बिलकुल गलत है । उपन्यासकी परिभाषा बारेमें यह भ्रान्ति (जो देशमें या कमसे कम हिन्दीमें काफी फैली हुई मालूम होती है) साहित्यके सामाजिक तत्त्वको गलत समझनेका परिणाम है । वह लीजिए कि छिछली या विवृत प्रगतिवादिताका परिणाम है ।

‘नदीके द्वीप’के पात्र किमी हद तक अवश्य अगाधारण हैं । वैसे ही जैसे भारतमें पद्म-लिखा व्यक्ति किसी हद तक अगाधारण अवश्य है, जहाँ शास्त्र रताका स्तर अद्भुत प्रतिशत है, शिक्षिताका आधा प्रतिशत और मुनिशिक्षिताका कितना ? • २ प्रतिशत ? समाजके त्रिग अगमेमें ‘नदीके द्वीप’के पात्र आये हैं उसका वे गलत प्रतिलिखित नहीं करते । मेरे लिए उनकी इतनी सामाजिकता पर्याप्त है । इनके आगे उनमेंसे प्रत्येक चरित्र एक नयी मुनिमित्त विद्वान्य व्यक्ति-चरित्र हो और जीवन होकर सामने आ गये, यही मेरा उद्देश्य रहा और इतना मात्र मैं कलात्मक उद्देश्य मानता हूँ । यां दूसरे भी उद्देश्य हो सकते हैं, यह अलग बात है ।

‘दिल्लर’में ‘नदीके द्वीप’का अधिक सम्बन्ध मुझे तो नहीं दीगया । पर

* काशीके एच विद्यापीठके प्रश्नके उत्तरमें लिखे गये पत्रका अंग ।

लेखकको बात पाठक क्यों मानने लगा, खासकर जब वह ऐसा समझता ही कि वह कुछ देल सकता है जो भले ही स्वयं लेखकको भी न दीखा हो ।

इतना अवश्य है कि 'शेखर'का तीसरा भाग मेरे सामने है और केवल मेरे सामने है, पाठकके सामने नहीं है । इसलिए यह असम्भव तो न होना चाहिए कि 'शेखर'के पहले दो भागोंका तीसरे भागके साथ सम्बन्ध, और 'नदीके द्वीप'से उन सबका अलगाव मैं पाठककी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह देल सकूँ—अपने सभी पूर्वग्रहोंके बावजूद !



सन्दर्भ : आलोचना

प्रतिष्ठाओंका मूल स्रोत

हिन्दीमें आज आलोचनाकी जितनी अप्रतिष्ठा है, उतनी शायद कभी नहीं थी। आलोचनासे हमारा अभिप्राय साहित्यालोचन अथवा आलोचनाके निदान नहीं, व्यावहारिक ग्रन्थ-समीक्षा है। ऐसा क्यों है? इस प्रश्नपर विचार करने लगे तो साथ ही ध्यान होता है कि केवल समीक्षाकी नहीं, समीक्षाके माध्यम या आधार, हमारे पत्र और पत्रिकाओंकी भी उतनी ही अप्रतिष्ठा है। और कुछ और पीछे जाकर देखें, तो यह भी लक्ष्य होता है कि हिन्दी पत्रकारिताके आरम्भके युगमें हमारे पत्रकारोंकी जो प्रतिष्ठा थी, वह आज नहीं है। साधारण रूपसे तो यह बात कही जा ही सकती है, अपवाद सांजने चलें तो भी यही पावेंगे कि आजका एक भी पत्रकार या सम्पादक वह सम्मान नहीं पाता जो कि पचास-पचहत्तर वर्ष पहलेके अधिकतर पत्रकारोंको प्राप्त था। जो पाठक ये पत्रियाँ पढ़ेंगे वह शायद सम्पादक नहीं होगा इसलिए स्वयं उसे ललकारना तो व्यर्थ होगा। उसे इतना ही कहना होगा कि आजके सम्पादक-पत्रकार अगर इस बन्तरपर विचार करें तो स्वीकार करनेको बाध्य होंगे कि वे न केवल कम सम्मान पाते हैं बल्कि कम सम्मानके पात्र हैं—या कदाचित् सम्मानके पात्र बिल्कुल नहीं हैं, जो पाते हैं वह पात्रतासे नहीं, इतर कारणोंसे।

इन परिस्थितिकी धर्चा सम्पादकोंके सम्मुख ही करनी चाहिए, या कि साधारण पाठकोंके लिए भी उनका कुछ उपयोग है? मैं तो समझता हूँ कि साधारण पाठकोंके सामने इन प्रश्नको उठानेका पर्याप्त कारण है। क्योंकि यह केवल विशेषाधिकार-प्राप्त पत्रकार-विरादरीका प्रश्न नहीं, हिन्दी-भाषी मानके लिए एक प्रश्न है, और—कम-से-कम कागजी प्रस्तावके

आधारपर !—यह मान लिया गया है कि कुछ वर्षोंको निदिष्ट अवधिमें भीतर सभी भारतवासी हिन्दी-भाषी हो गये होंगे :

बहुत दूरतक इस अप्रतिष्ठाकी जड़ें व्यावसायिकताके प्रसारमें हैं । वे दिन लड़ गये जब पत्र निकालना साधना थी और साहित्यिक पत्र निकालना तो पूरी कूच-तपस्या । आजका पत्रकार पेरोवर आदमी है, उसका दिमाग ट्रेड-यूनियनकी लोकपर चलता है (क्योंकि मालिकका दिमाग पूंजीवादी पटरीपर जमा है) पुराना सम्पादक ही मालिक होता या क्योंकि वह मिलिक्यत नहीं, मुसोबत थी; आज बहुधा मालिक ही सम्पादक होता है क्योंकि अधिकार उसे चाहिए, काम करने वाले पेरोवर पत्रकार तो बहुत मिल जावेंगे जो उसके आदेशसे काम करेंगे !

त्रिस प्रकार सम्पादककी अप्रतिष्ठा व्यावसायिकतामें निहित है, उसी प्रकार समीक्षाकी भी । क्योंकि प्रकाशन भी एक व्यवसाय है, और बित्रीके लिए विज्ञापन चाहिए, और समीक्षा विज्ञापनका एक रूप है—या बनाया जा सकता है*, इस लिए प्रकाशक और पत्रों और पत्रकारोंका ताल-मेल एक व्यावसायिक आवश्यकता है । और फिर आलोचक भी पेरोवर आलोचक है—क्योंकि या तो वह लेखक है और इसलिए प्रकाशकके हितके साथ उसके हित बंधे हैं, या वह पत्रकार ही है और सीधे ओपलीमें सिर दिव्य बैठा है ।

* कितने प्रकाशक अब स्वयं अपनी 'समीक्षा-पत्रिकाएँ' निकालने लगे हैं । अपनी प्रकाशन, अपनी पत्रिका, अपने 'समीक्षक' जो बहुधा प्रकाशकके अपने प्रकाशन, प्रकाश्य, या प्रकाशनाकांक्षी लेखक होते हैं—इसी सांगो-पांग व्यवस्था है ! पंजाबीमें कहावत है :

घापेई मैं रब्बो-गुब्बी,

घापेई मेरे बच्चे ग्गुण ।

—स्वयं मैंने पेट-भर भोजन पाया, स्वयं अपनेको पुत्रा-दक्षिणा दी,
स्वयं अपनेको घातीर्षाव दिया कि मेरे बच्चे त्रिपे !

य वह स्कूल-कालेज-युनिवर्सिटीमें पढाता है, और आलोचना लिखेगा तो राष्ट्र-क्रममें आनेके लिए उसे अमुक होना होगा या नहीं होना होगा—और आलोचकके लिए पाठ्य-पुस्तकका आकर्षण यह फिमलन है कि बस, एक बार गिरे और गये—कर्म-वासी जीवसे मानव तबके सारे जैविक विचार पर पानी फिर गया। शिक्षण भी तो आज व्यवसाय है, और युनिवर्सिटीके वाइस-चांसलरके अपनेको 'कुल-पति' कह लेनेसे स्थिति बदल घोड़े ही जाती है !

लेकिन यहाँ तक पहुँच कर इस बातको ले उड़ना भूल होगा कि व्यावसायिकता या पूँजी ही सब दोषोकी जड़ है; और हम निर्दोष हैं और कुछ नहीं कर सकते। पूँजीके शासनका समर्थन हमें अभीष्ट नहीं है, लेकिन उसमें उबरनेके लिए नारेवाजी काफी नहीं है। 'अमुक दुष्ट है क्योंकि उसने हमें बाँध लिया'— यह नतीजा कुछ मदद नहीं कर सकता जब तक कि हम वह भी न सोचें कि 'हममें क्या दुर्बलता थी कि हम बाँध गये ?'

क्या केवल यही कि हमने नारे नहीं लगाये, या कि काफी जोरसे नहीं लगाये ? जी नहीं। नारे तो हमने लगाये, लेकिन यह सोचनेके लिए कभी नहीं श्के कि क्या उनमें कुछ सत्य भी कभी था ? या अगर कभी था, तो आज भी है या कि दम तोड़ चुका, और हमारे चित्तलानेमें ही उसकी उलटी सार्थि हूव गयी ?

जो लोग पूँजीके शासनसे बचनेके लिए मयेष्ट सतर्क थे, आलोचनाकी मर्यादाओंकी उन्होंने कम उपेक्षा नहीं की। बल्कि शायद उन्होंने उसकी मट्टीको अधिक पलोदा, क्योंकि उन्होंने समीक्षाको राजनीतिका साधन बनाया, और उस राजनीतिका जिसमें शाश्वतकी सिल्ली उडाकर तात्कालिक मुविषाको ही शाश्वत सिद्धान्त बना डाला गया था। शाश्वत कुछ नहीं है, आलोचनाके सिद्धान्त समाजको प्रतिबिम्बित करते हैं और इस लिए समाजके साथ बदलते हैं, इस प्रतिपाद्यसे आरम्भ करके समीक्षाको विन्दुय अपसरवादिताके हाथों बेच दिया गया। साहित्यके मान—कोई भी

मान, नैतिक मान भी—समाजके, देश-कालके, समकालीन सांस्कृतिक विकासके प्रतिबिम्ब हैं; और क्योंकि विकास एक अवस्थिति नहीं, एक अनवरत गतियुक्त क्रिया है, इसलिए ये मानव भी बदलते हैं और उनपर आधारित हमारे निष्कर्ष और निर्णय भी कालान्तरके साथ संशोधनीय हो जाते हैं, यह कहना एक बात है। लेकिन रोज-रोजके सन्धि-विग्रहोंसे देश-काल, समाज, संस्कृति उसीके अनुरूप रोज-रोज नहीं बदल जाते। राजनीतिक सुविधाके आधार रोज बदल सकते हैं पर नैतिक-सांस्कृतिक मान गिरगिटकी चमड़ीके रंग नहीं है। जैविक विकाससे उदाहरण लीजिए : बन्दर या उसके किसी जाति-भाईसे मानवका विकास हुआ, दोनों अलग हैं और दोनोंका अपना-अपना स्थान है जिनपर आप चाहें तो ऊँच-नीचकी भावना भी रोप सकते हैं, पर विकास-गतिके नामपर आजके बन्दरको कल मानव और परसों फिर बन्दर नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसे ऐतिहासिक दृष्टि नहीं कहते, और इसपर आधारित आलोचना-शास्त्र (—क्योंकि आप मानिए न मानिए, ठीक वैसा ही विधान भी है जिसे देखकर लोग दिन-दिन तय कर लेते हैं कि आज कौन ठोक और कौन बेठीक लिख रहा है !—) वैज्ञानिक, शास्त्रीय, ऐतिहासिक, भौतिक, कुछ नहीं हो सकता; वह या तो शुद्ध धोखा हो सकता है, या—अगर उसके प्रचारक स्वयं उसपर विश्वास कर रहे हैं तो—कोरी आत्म-प्रवचना। बकरे को आप काम-धेनु कहिए, कह सकते हैं; और काफी चित्लाकर और दुराग्रहसे कहेंगे तो सामनेवाला कोई भी भला बादमी चुप हो जायगा कि कहने दो; पर इतने पर ही गलस्तनसे दूध नहीं दुह लिया जा सकेगा, किसी दूसरे इष्टकी तो बात ही क्या !

असलमे समस्या यही है कि हमारे पास आज किसी चीजकी मापनेके लिए मापदण्ड नहीं है। पुराने माप कुछ तो पुराने थे ही, घिम-घिसा गये थे और नया शोध माँगते थे, कुछको हमने अवज्ञा और कुशिक्षा और शक्ति-श्लालसा और परमुखापेक्षिता और दाम-वृत्ति नहीं तो अनुकरण-

वृत्तिके कारण स्वयं नष्ट कर दिया। यह बात केवल साहित्यपर नहीं लगती, हमारे सारे सांस्कृतिक-सामाजिक जीवनपर लगती है। हमारे पास कोई नीति नहीं है, क्योंकि नीतिके कोई आधार नहीं है। प्रत्युत्पन्न-मतिस्वको हमने नैतिक क्षेत्रमें ला बिठाया; बिठाया ही नहीं, सिंहासन दिया; और अब यह चरम सीमापर पहुँचकर हमें अबसर-नीतिसे चला रहा है, और हम हक्के बक्के देख रहे हैं कि यह क्या हुआ! क्या हमारे पास नीति है? शास्त्र है? क्या हमारे पास संस्कृति भी है? और इस घबराहटमें एक प्रतिक्रियावादी दौड़ता है पीछेको कम-से-कम मौर्यों-गुप्तोंके साम्राज्य तक, तो दूसरा प्रतिक्रियावादी दौड़ता है रूसी साम्राज्यकी ओर। अगर हमारे पास आज कोई संस्कृति नहीं है, टूटी-फूटी, भ्रष्ट-ध्वस्त, पगु-दुर्बल, चाहे कौसी भी वह हो, अगर हम उसीको अपने प्राणोंके बलसे नहीं जीवन्त और गतिवान् कर सकते—तो क्या इन दूरके साम्राज्योंसे हम संस्कृति लाकर यहाँ बिठा सकेंगे?—एक साम्राज्य जो कालके आयाममें दूर है, और दूसरा जो देशके आयाममें उगना ही दूर है! जिस देशमें हर कार्यके साथ शान्ति-पाठकी परम्परा थी, और आज भी ऐसे लोग कम नहीं हैं जो शान्तिकी भावनाको सहज ही आत्मसात् कर लेते हैं, उस देशमें नेतृत्वका दम भरने वाला एक व्यक्ति पूछे कि शान्ति किम चिड़ियाका नाम है, और नये नियम खलील एक इस्पाती फ़ारुता आपके सामने लाकर खड़ी कर दें कि इस चिड़ियाका—हम जरा यह फारुता उड़ाते हैं और शान्तिके इस प्रतीकके लिए आप लड़ मरिये!

विषयान्तर हो गया है, लेकिन बहुत नहीं, और सर्वथा अप्राप्तगिक भी नहीं। फिर भी, 'शान्त पाप' बहकर अपने विषयपर लौट आवें।

सो, पत्रकार, सम्पादक, आलोचककी अप्रतिष्ठाका प्रमुख कारण यह है कि उसके पास मानदण्ड नहीं है। यही हरिश्चन्द्र-कान्हीन सम्पादक-पत्रकार

—या उतनी दूर न जावें तो महावीर्यमाद द्विवेदीका सपकात्रीन भी— हमघे अच्छा था । उसके पास मानदण्ड थे, नैतिक आधार थे और स्पष्ट नैतिक उद्देश्य भी । उनमेंसे अगर कोई ऐसे भी थे जिनके विचारोंको हम दकियानुमी कहते, तो भी उनका सम्मान करनेको हम बाध्य होते थे क्योंकि स्पष्ट नैतिक आधार पाकर वे उनपर अमल भी करते थे—वे चरित्रवान् थे । आज—विचार-क्षेत्रमें हम अग्रगामी भी कहला लें, तो कर्मके नैतिक आधारोंको अनुपस्थितिमें निजी रूपसे हम चरित्रहीन ही हैं और सम्मानके पात्र नहीं हैं....

इस सारे मसलेको साधारण लेकिन समझदार हिन्दी पाठकके सामने रखनेका यही कारण है । वास्तवमें परिस्थिति उतनी अमाध्य नहीं है । क्योंकि ऐसा नहीं है कि संस्कृतिके नामपर आज हमारे पास कुछ नहीं है और हमें कही न कहीसे कलम लाकर इस बज्रमें लगानी है—और बज्र है इसलिए खाद, पानी और यहाँ तक कि हवा भी कही दूरसे लाकर यहाँ जमाना है कि वह चालानी पीघा पनप सके । हमारे पास बहुत कुछ है जो आशाका आधार है, बल्कि हमारे पास जो कुछ है वही ही आशाका आधार है, और उसीमेंसे हमें नया आलोक, नयी गर्मी, नयी गति पानी है । और इसके लिए आवश्यक है कि हम जिस तरह अपने शरीर, अपने धर्म, अपने कार्यको आर्थिक दासतासे बचाने या उबारनेके लिए सतर्क रहते हैं, उसी तरह अपने मन, अपने चिन्तन, अपनी बुद्धि-को वैचारिक दासतासे बचाने और उबारनेके लिए भी सतर्क और सन्नद्ध रहें । भारतमें बौद्धिक-सांस्कृतिक स्वाधीनताकी परम्परा रही, पर आज वह स्वाधीनता आक्रान्त है; और निरी परम्पराके सहारे बँड रहनेसे काम नहीं चलेगा क्योंकि वह परम्परा और भी आक्रान्त है, और जो स्वयं आक्रान्ता नहीं है उनमेंसे भी बहुतोंसे अवहेलना और उपेक्षा पाती है । सांस्कृतिक आदान-प्रदानपर हमें रोक नहीं लगानी है; बँसा आदान-प्रदान किस संस्कृतिमें नहीं हुआ और बिना उसके कौन संस्कृति बच सकी ?

भारतकी संस्कृति तो है ही समन्वित संस्कृति : पहले आयात या कहीं-कहीं आरोप, फिर मिश्रण, फिर बाह्य प्रभावको आत्मसात् करके उसीसे अन्तःप्रेरणाकी प्राप्ति, फिर उसीका प्रतिभा-प्रसूत नया प्रस्फुटन—बाहरके दापसे सकृतियोंका सर्वर्धन बराबर इस तरह होता रहा है, और हमारी सभी कलाएँ ही क्यों, धर्म, आचार, दर्शन सभी—इसी प्रकार सर्वर्धित और परिवर्तित होते रहे हैं। लेकिन संस्कृतिके विकासके लिए मानसिक स्वातन्त्र्य अनिवार्य है : अलग सोचनेकी, भिन्न प्रकारसे सोचनेकी, प्रयोग करने, भूल करके शिक्षा पाने, लौक छोड़कर भटकने, शोध करने, असह-मत होने, अपने क्षेत्रको प्रसूत या संकुचित करने, गहराई या ऊँचाई देने, बोलने और न बोलनेकी स्वाधीनताके बिना सांस्कृतिक विकास नहीं है। आज जो आसन्न युद्ध-संकटके नामपर कहा जाता है कि पहले शान्ति चाहिए, पीछे स्वतन्त्रता देली जायगी, वह स्थितिको विकृत रूपमें दिखाना है। शान्ति बनाम स्वतन्त्रताका धर्म-संकट महाभारतकी भी मूल समस्या थी, और धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिरने स्वतन्त्रतासे ऊपर शान्तिको नहीं रखा था। इस द्वन्द्वको कवि 'दिनकर'ने एक नया अभिप्राय देकर अपने काव्य 'कुक्षेत्र'में उपस्थित किया है। युधिष्ठिरने स्वतन्त्रताको तरजोह दी थी, इसीलिए हम भी दें, ऐसी लचर दलीलकी कोई जरूरत नहीं है। स्वतन्त्रता सहज ही शान्तिसे अधिक मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि शान्तिके नामपर स्वतन्त्रताकी बलि देनेसे स्वतन्त्रता तो जाती ही है, शान्ति भी हाथ नहीं आती। नाराकी ही बान करनी हो तो, 'पहले स्वतन्त्रता' बुरा नारा नहीं है : वह स्वयं भी प्राणवान् है और प्राण फूँकने की भी क्षमता रखता है।

कलाके क्षेत्रमें भी स्वतन्त्रताकी प्राथमिकता अपना विशेष अर्थ रखती है। मनुष्यका विवेक ही उसकी स्वतन्त्रताका आधार है, और स्वतन्त्रता की प्रथम मूल्य मानना वास्तवमें साहित्यालोचनको निःसंग विवेकपर

आधारित करना ही है । इस प्राथमिक मानकी रदा, जिमसे और सब मान उद्भूत होने हैं, और सब मर्यादाएँ और प्रतिष्ठानें जन्म लेनी हैं, हम सब का उत्तरदायित्व है ।

आलोचना, साहित्य, हिन्दी—ये सब कोई भी आकाशपर नहीं टिकें हैं; सस्कृतिके ये अंग साम्प्रतिक स्वाधीनताके सहारे ही जी सकते हैं ।

भारतीयता

भारतकी आत्मा सनातन है, भारतीयता केवल एक भौगोलिक परि-
वृत्तिकी छाव नहीं, एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण है, जो भारतीयको सारे
संसारसे पृथक् करता है । भारतीयता मानवीयताका निचोड़ है, उसकी
हृदयमणि है, उसका शिरसावतंस है, उसके नाकका बेसर है ”

आप कहते चले जाइये, सौ थोताग्रोंमेंसे एकको—नहीं, आपको हजार
थोता मिलें तो हजारमेंसे एकको—छोड़कर बाकी सब आपके शब्द गट-गट
पी जायेंगे; एक हल्की-सी तन्दा, एक सुखालम पिनक-सी उनपर छा
जावेगी; कितना अण्डा है यह सुनना कि भारतीयता मानवीयताके नाकका
बेसर है, क्योंकि निस्सन्देह भारतीयताके नाकका बेसर में स्वयं हूँ ”

तब वह जो सौमें एक—या हजारमें एक—है, उसे पकड़ लीजिए !
उसे इंगित करके बाकी सभासे कहिए; 'देखिए, यह आदमी शास्त्र
भारतीयताको नहीं जानता-मानता ! अपनी सत्त्वृत्तिसे, मानवीयताके श्रेष्ठ
दायसे, यह अपरिचित है, भारतकी सनातन आत्मासे इसने अपनेको
तोड़ लिया है.....' सब लोग उसकी ओर दया-भरी दृष्टिसे देखने लगेंगे—
अरे, विचारा, अभाग, अज्ञान-मोहान्धकार-प्रसन्न कहींका ! और कुछ कदा-
चित् अवहेलना और हिंकारतकी दृष्टिसे उसे देखकर मुँह फेर लेंगे—
कम्बल परम्परा-द्वेषी, परमुखापेशी; सदियोंकी गुलामीसे इसकी आत्मा
गुलाम हो गयी है !

ठीक इन मौकोंपर आप मुँहकर उन ती सौ निन्नातन श्रेष्ठालु आत्म-
रत थोताग्रोंसे वह प्रश्न पूछें बैठें जो उन्हें पहले ही आपसे पूछना चाहिए
या—कि भारतीयता आखिर है क्या ? भारतकी आत्माका वैशिष्ट्य किममें
है ? तो वे अचक्रवा जायेंगे । फिर सिनियानो-सी हँसी हँस देंगे । हँ-हँ, यह

भी भला कोई पूछनेकी बात है, अगर तो मझाक करते हैं, भारतकी आत्मा माने—हाँ-हाँ, सदियोंमें सब जानने है, भारतको आत्मा माने—भारतकी आत्मा ! हाँ-हाँ, वही तो ।

हाँ, हाँ, वही नो ! सदियोंसे सब जानते हैं तमो अब पूछनेकी कोई जरूरत नहीं है । लेकिन किसी भी सांस्कृतिक परम्परासे, किसी भी जातिकी व्यक्तिगत और समूहगत रचनात्मक प्रवृत्तियोंके समन्वयसे उत्पन्न गतिसे लाम उठानेके लिए, उसे नया जीवन देनेके लिए, उससे अनुप्राणित होकर आगे बढ़नेके लिए, आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रश्न पूछे, उसका उत्तर अपनेमें पावे, उससे जो भी गत्यात्मक प्रेरणा मिल सकती हो उसे आत्मसात् करे । क्योंकि ऐतिहासिक परम्परा कोई षोटली बाँधकर रखा हुआ पापेय नहीं है जिसे उठाकर हम चल निकलें । वह रस है जिसे हम बूँद-बूँद अपनेमें सचय करते हैं—या नहीं करते, कोरे रह जाते हैं ।

और प्रश्न पूछनेकी आवश्यकताका सबसे बड़ा प्रमाण तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रश्नपर हमें मिलता है । उसे लक्ष्य करते हुए समकालीन भारतीय मानसकी पड़ताल करें—और यहाँ भारतीय मानससे अभिप्राय केवल उसके इने-गिने मेधाधियोंका मानस नहीं, लोक-मानस है, प्राकृत जनका भी मानस है—तो हम कह सकते हैं कि भारतीयताका पहला लक्षण या गुण है सनातनकी भावना, कालकी भावना, कालके आदि-हीन अन्त-हीन प्रवाहकी भावना—और काल केवल वैज्ञानिक दृष्टिसे क्षणोंकी सरणी नहीं, काल हमसे, भारतीय जातिसे, सम्बद्ध विशिष्ट और निजी क्षणोंकी सरणीके रूपमें । इसके प्रभावोंकी पड़ताल की जाय, इससे पहले इसकी पृष्ठ-भूमिपर एक दृष्टि और दीक्षा ली जाय । कलियुग कितने वर्षों का होगा, यह शास्त्र बताने हैं । इसी प्रकार द्वापर, त्रेता और सत्यूगोंके काल है । यों तो इतना ही मानव काल-कल्पनाकी शक्तिसे परे चला जाता है । लेकिन आगे जब हम जानते हैं कि यह ब्रह्माका केवल एक पल है, और फिर हिसाब लगाते हैं कि ब्रह्माका दिवस और वर्ष बँसा

होगा—नव हम यथार्थताके क्षेत्रसे विलकुल परे चले जाते हैं । ऋषि-मुनि साठ हजार बरम तक तपस्या कर लेते थे । आज साठ वर्षको मानवीय आयुकी औसत मानकर उससे हजार-गुनी अधिकी कल्पना, खीर, को भी जा सकती है, लेकिन देवताओंकी आयु-गणना करने जाते ही फिर यथार्थताका आंचल छूट जाता है । इस प्रकार सनातनके बोध तक पहुँचने-पहुँचते हम काउची यथार्थताका बोध खो देते हैं । सनातनकी भावना लम्बी बाल-परम्पराकी भावना नहीं, बालकी अयथार्थताकी भावना है ।

यों तो पश्चिमकी युवा मस्त्रुतियोंमें पले हुए लोग प्रायः पूर्वकी प्राचीन मस्त्रुतियोंकी चर्चा करते हुए 'मस्त्रुतिके भार' की चर्चा किया करते हैं—बहुत लम्बी सांस्कृतिक परम्पराका एक बोझ उम परम्परामें रहनेवालोंपर हो जाना है, जिसमें वह समकालीन प्रत्येक प्रवृत्ति या घटनाको सुदूर धनीकी कसौटीपर परखने लगते हैं, सामने न देखकर पीछे देखते हैं और एक प्रकारके नियतिवादी हो जाते हैं । भारतके बारेमें—और इसी प्रकार मिस्र आदिके बारेमें—यादृचाय अध्येताओंने ऐसे विचार प्रकट किये हैं । लेकिन अगर कुछ गह्र वर्षोंकी सांस्कृतिक परम्पराका ही इतना बोझ हो सकता है, तो कल्पना कीजिए उम बोझका, जो ब्रह्माके एक युगकी उद्भावना करनेमें पड़ता होगा ! यद्यपि यह हम कह सके कि ब्रह्माका युग हमारी उद्भावनाकी पकड़में बाहरकी चीज है—वह बाल्यनिक यथार्थता भी नहीं हो सकती ।

'भारतीयता' का दूसरा विविष्ट गुण है खीरकारकी भावना । जिनो हद तक यह पढ़नी विदीयताका परिणाम हो है । हिन्दू देवताओंको छोड़कर जिनोके दिन और रात होने लम्बे नहीं होने । यों अमर तो सभी देवता होने हैं, लेकिन दूसरोंके देवताओंके दिन-रात साधारण मानवीय दिन-रात ही होने हैं, और उनकी जीवन-वर्षाकी कल्पना हमें अपने यथार्थ बाल्यमें परे नहीं ले जाय । लेकिन भारतके देवताओंके जीवनकी कल्पना ऐहिक बाल्यकी

भावनाको मिटाकर ही की जाती है। और जब हमारा काल ही यथार्थ नहीं रहता, तब उस कालमें होनेवाले व्यापार भी अयथार्थ हो जाते हैं। हमारे यथार्थ दुःख-बलेश, हमारे यथार्थ आशा-आकांक्षा, मानवके उद्योग-परिश्रम—मानवी व्यापार-मात्र अयथार्थ हो जाते हैं। और यथार्थतासे इस स्वतन्त्रता प्रभाव मानवी सम्बन्धोंपर भी पड़ता है : हमारे लिए हमारे पड़ोसी भी यथार्थ नहीं रहते, बल्कि किसी हद तक हम स्वयं ही अपने लिए यथार्थ नहीं रहते—क्योंकि जिस ब्रह्माके एक निमित्त-यातमें हमारे कल्याण विलीन हो जाते हैं, उसके सामने क्या है हमारा शुद्ध जीवन—हमारी अपेक्षामें एक रोग-कीटाणुका जीवन जितना नगण्य है, उससे भी तो अधिक नगण्य हम हो जाते हैं। और फिर ब्रह्माके 'निमित्त-यात' की हम जब कल्पना करते हैं, तो ब्रह्माकी मान्यताकार ही कल्पना करते हैं—अर्थात् एक कल्पित—या कल्पनावीत—अतिमानव ब्रह्माके सामने यथार्थ ऐहिक मानव न-कुछके बराबर है। अपनी इस नगण्यतासे ही स्वीकारकी भावना उत्पन्न होती है—दुःखके प्रति स्वीकार, वैश्वके प्रति स्वीकार, अप्या-चारके प्रति स्वीकार, उत्पीड़नेके प्रति स्वीकार—यहाँ तक कि दागपाके प्रति स्वीकार, वह दागगा वैहिक हो या मानविक।

इस प्रकार हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि 'भारतीयता'के मूल में जो भावना या भावनाएँ हैं, उनमें हमें मानवीय अस्तित्वकी नगण्यता और जीवनके प्रति अज्ञानका पाठ मिलता है। यह परिणाम चौहानेसाय है। केवल स्वीकारो महत्त्व थीरता भी तो नहीं। और न चौहानेके लिए उगके पाग और भी महत्तर है—इस अस्मित्वके परे परस्मिकके किसी क्षम-कोडे अर्थ न-बहा, और जीवनके प्रति अज्ञाने उत्तरमें जीवनवाके भार-तोय आरतिका। केवल द्विग तरत विरलन कायकी भारताने हवाके शकके बोधको मिटाया है, उगी प्रकार अत्यन्त जीवनवाके अस्मित्व-न करणाको भी मिटा दिया है, जीवनवाकी अस्मित्व-माके प्रति

दया रखता हुआ किसी भी जीव—मानव या मानवेतर—का कष्ट मंजमें देखता चलता है !

मैं परम्परा-द्रोही नहीं हूँ, न भारत-द्रोही ही हूँ । न ही मैं निराशा-वादी हूँ । और तात्कालिक लाभ या उपयोगिता या सफलताके नामपर नैतिक मूल्योंकी उपेक्षा मुझे कभी अभीष्ट नहीं रही—मेरा आग्रह सदैव अवसरवादके विरुद्ध और नैतिक मूल्योंकी रक्षाका रहा है । मुझे यही कहना है कि भारतीयताका जो रूप हमारी तत्सम्बन्धी सहज स्वीकृति—हमारे सनातन स्वीकार—में लक्षित होता है, उसकी मूल भावनाएँ स्वयं जड़ हैं और जाड़्य उत्पन्न करने वाली हैं, और उससे परिब्याप्त संस्कृति (मैं 'अनुप्राणित' कहने लगा था, पर अनुप्राणित तो तब हो जब प्राण हों, जड़तासे तो विजडित ही होगी !) गतिहीन, स्थितिशील और अग्रतिवादी या प्रगतिवादी ही होगी ।

इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि भारतीय संस्कृति अग्राह्य है, या कि भारतीय परम्परा त्याज्य है । परिणाम एक तो यह निकलता है कि उसके सम्बन्धमें हमारी धारणाएँ भ्रान्त हैं और त्याज्य हैं । दूसरे यह भी परिणाम निकलता है कि जिसे हम भारतकी आत्मा कहते हैं, वह वास्तवमें आत्मा और अनात्मका, जीवित और जड़का एक पुंज है, जिसकी परीक्षाकी आवश्यकता है, परीक्षा करके जड़को अलग रख देना होगा—चाहे पुरातत्व सप्रहालयमें ही—और जीवितको श्राव्य बढ़ाना होगा । और आगे तीसरा परिणाम यह भी निकलता है कि आज बहुधा भारतीय संस्कृतिके जड़ तत्वोंको ही भारतीयता माना जाता है । कुछ लोग भारतीयताके समर्थनके नामपर निरी जड़ताका समर्थन करते हैं, कुछ दूरगरे जड़ताके विरोधके नामपर संस्कृतिसे ही इनकार करना चाहते हैं ।

हमें चाहिए वह बेलाय, सचेत, स्वाधीन जिज्ञासा जो परिधृतिमें घिरी हुई भी आगे देखे । जो अपने देशमें रहकर भी आगे देखे; आगे दूसरे

देशोंको नहीं, हमसे आरम्भ होनेवाली आगेकी दिशाको, आगेको । जो अपने कालमें रहकर भी आगे देखे; न इधर बनादिको, न उधर अनन्तको, वरन् हमसे आगेके उस कालको जो हमारे कालसे प्रसूत है और जिसके हम स्रष्टा हैं । वह अपरिवर्द्ध जिज्ञासा भारतीयता है कि नहीं, इसपर विद्वान् लोग बहस कर सकते हैं; मैं अमन्दिग्य भावसे इतना जानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वह भारतीयताको कल्याणकर बना सकती है ।

नये लेखककी समस्याएँ

नये साहित्यमें नये लेखक और पाठक दोनोंको रुचि होना स्वाभाविक है। पर आज जब हम नये साहित्यकी बात करते हैं, क्यों सचमुच नया साहित्य ही हमारे ध्यानमें होना है—वह साहित्य जो आज इस समय लिखा जा रहा है, या बल लिखा जावेगा? या कि आज नये साहित्यकी खर्चा करते समय भी हमारी दृष्टि वास्तवमें आजमे बीस-पचीस वर्ष पहलेके साहित्यपर ही जमी होती है? (हमारी यानी सम-कालीन साहित्यमें रुचि रखनेवालेकी, उन प्राध्यापकोंकी नही जो भारतेन्दु-से इधर देख ही नहीं सकते।)

नये साहित्य, नये साहित्यकारकी सम्मूलाओपर विचार करनेके लिए सबसे पहले इसी स्थितिका सामना हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सामने नया साहित्यकार ही यथार्थ नहीं है तो उसकी समस्याएँ भी यथार्थ ही सकती है?

आजके हिन्दी साहित्य-क्षेत्रकी तुलना गन् पीतीसके शिनिजसे करें तो यह बात स्पष्ट हो जावेगी। 'प्रसाद', मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, मुद्गल—ये उन समयके बुजुर्ग थे, 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी—ये उभर कर सामने आ गये थे और इनके कृत्स्नमें हिन्दीकी उज्ज्वल सम्भावनाएँ स्पष्ट दोग रही थी। और इनके पीछे—

अनेक
समय और प्रतिभावाली नये
भगवतीचरण वर्मा, 'दशरथ',
नकते हैं, पर यहीपर नकल
यह कि साहित्यिक
एक ६६

समाज,
'गनाये जा
। अभिप्राय
। नीचे तब
। उम्माह

से आगे बढ़ रहा था, और नये तथा पुराने साहित्यकारके बीच सम्पर्क और सहानुभूतिका एक सूत्र भी था। और आज ? उस दिनके उल्टे हुए साहित्यकार आजके प्रतिष्ठित लेखक हैं : पर उनके आगे ? सन् १९३५ में बुजुर्गोंके बाद हम जिनके नाम लेते थे आज भी उन्हींके नाम लेते हैं यद्यपि बादवाले भी बुजुर्ग हो गये हैं : और उनके आगे अब नये नामोंकी वान होती है तो चुप रह जाते हैं, या अचकचाकर एक दूसरेकी ओर देखते हैं, या बोर्ड युवनर लेखकोंके नाम लेनेका उपक्रम करते हैं, तो मुँह बिचका देते हैं.....

तो क्या हिन्दी साहित्य खत्म हो गया ? क्या उसकी सम्भावनाएँ चुक गयी ? क्या निराशाके सिक्का हमारे पास देनेको और नयी पीढ़ी के लिए पानेको और कुछ नहीं रहा ? या कि साहित्यमें नयी पीढ़ी ही अब नहीं होगी ?

लेकिन तब और अबकी तुलनाको कुछ और आगे बढ़ावें। कदाचित् उसीसेसे इस विषय स्थितिके कारण हमें मिल सकें, और उसके मुपात्के लिए कुछ प्रकाश।

सन् तीस-वैतीसका युवक अपने बुजुर्गोंकी पीढ़ीसे ईर्ष्या नहीं करता था : ईर्ष्याकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके मनमें यह बोध स्पन्दित होता रहता था कि आगे शीघ्र ही कुछ बहुत बड़ा होनेवाला है, जिसमें वह भाग लेगा; उसका जीवन बराबर आशा और अनागतके आह्वानसे भरा था। लेकिन आजका युवक जानता है कि पीछे कुछ ही पहले बड़ी-बड़ी बातें हो चुकी हैं : और जब वह अपने पूर्ववर्ती पीढ़ीकी ओर देखता है तो कुछ इस भावसे कि उन महान् घटनाओंमें इन लोगोंने भाग लिया था। इससे वह यह भी अनुभव करता है कि वह उन घटनाओंसे अलग है, उच्छिन्न है, और पिछली पीढ़ीके प्रति एक ईर्ष्या भी उसमें भर जानी है। 'वैसी घटनाएँ अब फिर नहीं होंगी'—बहादुरसाह और सन् सत्तावनके बादसे इस घटीके दूसरे-तीसरे दशक तक उर्दूपर

इसके विपरीत आजका साहित्यकार अनुभव करता है कि उनकी कहीं जड़ें नहीं हैं, यह उच्छिन्न और अनापार है, और इस प्रकार वह तात्कालिक परिस्थितिका गिलौना बन जाता है। ऐसा न होना, तो साहित्यमें ऐसी स्थितिची जन्मना भी अव्यभव थी जिसमें निकट या दूर, देश या विदेशमें कहीं कोई पटना होते ही सारा साहित्यिक वृत्तिव मानो बटन दबाकर उपर मोड़ दिया जाय। (यह नहीं कि हिन्दीमें ऐसा हो गया है, और शायद कभी हो भी नहीं; पर ऐसे दल हैं जो मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो यह स्थिति साना चाहते हैं और बाहर नहीं तो अपने दलके इने-गिने 'साहित्यिक' पत्रोंमें ऐसा अभ्यास भी करते हैं।)

यह 'निर्मुहता या निर्मूलता' नये लेखकको पहली ममम्या है। यों अगर यह परिस्थिति-जन्य तथ्य है तो इसका यह इलाज बनाना ही व्यर्थ होगा कि 'जड़ें होनी चाहिए'; पर इस स्थितिके जो सत्रे हैं, उनसे सतक कर देना लाभकर हो सकता है। सत्रे दो दिशाओंमें हैं। एकका इगिन हम ऊपर कर चुके : नया साहित्यकार अपनेको तात्कालिक परिस्थितिके प्रति समर्पित कर दे सकता है। युग-धर्मके नामपर क्षण-धर्मों होकर एक सत्रनाक किस्मका अवसरवादी हो जा सकता है और अपनी चिन्तनकी स्वाधीनता छो दे सकता है। दूसरा सत्रा दूसरी दिशामें है। वह अतीतोन्मुख होकर फिर एक बीतो हुई परिस्थितिको लाना चाह सकता है, एक रुमानो लालसा उसे रुदिवादी ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी बना दे सकती है। पहला सत्रा एक प्रकारका आरम-समर्पण है, दूसरा एक दूसरे प्रकारका। अन्त दोनोंका है व्यक्तित्वकी पराजय और मानसिक दासत्व।

[२]

एक और दृष्टिसे भी यह तुलना उपादेय है। सन् तीस-पैंतीसका साहित्यकार—यहाँ हम उस समयके बुजुर्गकी बात नहीं, उस समयके युवक

साहित्यकारकी बात कह रहे हैं—विद्रोही और परिवर्तनकारी था, पर अपने प्रति उत्तरदायी रहते हुए। वह मानता था कि सामाजिक-राजनैतिक घटनाओंमें व्यक्तिका हस्तक्षेप उन घटनाओंकी दिशाको प्रभावित कर सकता है, और उसे वैसा करना चाहिए। यह 'चाहिए'की भावना नैतिक भावना थी, और नैतिकताका आधार व्यक्ति-धर्म था। उदाहरणतया युद्धारम्भके बाद जो 'क्रासिस्ट-विरोधी लेखक सम्मेलन' दिल्लीमें हुआ था, वह प्रगतिवादियोंका सम्मेलन नहीं था, न प्रगतिवादी दलकी प्रेरणासे ही हुआ था। प्रगतिवादियोंने भी उसमें भाग लिया था अवश्य; और उसके दौरानमें प्रगतिशील लेखक सघका एक अलग खण्ड-सम्मेलन भी किया था जिसमें सदस्येतर लोग नहीं बुलाये गये थे; पर 'क्रासिस्ट-विरोधी लेखक सम्मेलन' मूलतः ऐसे ही व्यक्तियोका सम्मेलन था जो एक नैतिक प्रश्नपर तटस्थ न रहकर अपनी नैतिक सहानुभूति स्पष्ट प्रकट करना चाहते थे—एक राजनैतिक दल या सघटनके रूपमें नहीं बल्कि स्वाधीन चिन्तकोंके रूपमें।

लेकिन आजका युवक लेखक इस अर्थमें उत्तरदायी नहीं है—यानी वह अपने प्रति उत्तरदायी नहीं है और लसकी दायित्व-भावनाका आधार नैतिक नहीं है। आज या तो वह किसी दलका सदस्य है और दलके प्रति उत्तरदायी है, और यह दायित्व नैतिक नहीं, राजनैतिक है—जहाँ उसका अपना विवेक दलकी नीतिसे मेल नहीं खाता वही दलको नहीं, विवेकको छोड़ना ही सुसदस्यता है! या फिर, यह अनुभव करके, और ठीक अनुभव करके, कि विवेकका ऐसा उत्सर्ग एक मानसिक दासता होगी, वह दलोंसे तो अलग रहता है पर अपनी अकिंचनतासे किफतन्न्य-विमूढ हो जाता है। सत्ता-लोलुप, सत्तापूजक दलोंमें बँटे हुए जगत्में वह इस विश्वासको बनाये नहीं रख पाता कि उसकी नैतिक मान्यताएँ सामाजिक-राजनैतिक जं.वनको प्रभावित कर सकती हैं। वह देखता है कि एक ओर किसी दलका पराजित होनेका मतलब है अस्वतंत्रता खोकर लय हो जाना, अर्थात् एक नैतिक

इकाईके रूपमें आनी गता मो देना, तो दूसरी ओर स्वतन्त्र रहना चाहने-का मननव है अकिंचन हो जाना, न-बुछ हो जाना, और जो न-बुछ है उसकी नैतिक भावना भला विद्व-वाक्त्रियोंतर क्या प्रभाव डालेगी ? इन प्रकार निम्गहायनाही एक भावनामे वह राजनीतिको आत्म-मर्माग कर देना है और वह जाना है । यह उमी आपार-हीनताका दूसरा पहलू है । आत्रके लेगवही स्थिति पुरानी पीढ़ीकी ही नहीं, बीचकी पीढ़ीकी ओशामें भी जटिलतर है ।

[३]

पुरानी पीढ़ियोंकी कर्णाकी जड़में जोव-दवाकी भावना थी । बीचकी पीढ़ीने दयाकी एक नये रूपमें देखा : एक सामाजिक उत्तरदायित्वके रूपमें; उमकी करुणा सामाजिक चेतनाके रूपमें प्रकट हुई । दोनों विद्व-बुद्धोंके बीचका अन्तराल इम रूपान्तरका काल है : मानवीय कर्णाके सामाजिक चेतनामें परिवर्तित होनेका काल । गरीबकी सहानुभूति दी जाने लगी, इमलिए नहीं कि वह गरीब है वरन् इसलिए कि वह सामाजिक उत्पीड़नाका शिकार है । इम कालका समूचा लेखन एक नये प्रकारकी गजग कर्णाका लेखन है । और वह करुणा उम व्यक्ति या समाजके प्रति अकरण भी रही जो गरीबीके सामाजिक पहलूको नहीं देखता रहा ।

एक ओर मानवी करुणा सामाजिक चेतना बनी, तो दूसरी ओर वह एक नये अर्थमें मानवीय हुई—क्योंकि वह मानवपर केन्द्रित हुई । जीव-दयाके आदर्शमें मानव और मानवैतरका भेद प्रखर रूपसे सामने आया और उत्पीड़ित मानवकी सहायता तथा बन्दरों-चीटियोंको आटा सिलानेमें न केवल एक मौलिक गुणात्मक भेद देखा गया बल्कि एक विरोध भी : दूसरेसे पहला न केवल बेहतर था, बल्कि दूसरा अपराध था क्योंकि वह पहलेमें बाधक था ।

महाँ तक तो ठीक है । लेकिन आज फिर एक नयी स्थिति सामने है । केवल गरीब ही उत्पीड़ित नहीं है : केवल गरीब ही सहानुभूतिवा

पात्र नहीं है। आज बल्कि वह निम्न मध्यवर्ग ही, जिसे हमे उत्पीड़कोका गुरगा मानना सिखाया जा रहा था, अधिक उत्पीड़ित और सहानुभूतिका पात्र है। (निरसन्देह विषटित होते हुए अभिजात वर्गमें भी करुणाके पात्र होंगे, पर उनकी बात हम नहीं कहते क्योंकि समूचे वर्गके वारेमें ऐसी साधारण स्थापना नहीं की जा सकती।) आज सन् तीस-पँतीसका लेखन एक नये रूपमें दीखता है, और अचरज पैदा करता है। और उस समयका गम्भीर मानवीय सत्य आज एक पार्टीका नारा मात्र रह गया है; आजका गम्भीर मानवीय सत्य उसमें नहीं समा रहा है, कोई भले ही अपने नारोंसे अपनेको ही ऐसा चकरा ले कि आगे कुछ सोच न सके।

यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर नयी पीढीके साहित्यकारको पाना है। वह अपनी करुणा किसको दे ? गरीबके वर्गको, जो गरीब तो है ही ? या निम्न मध्यवर्गको, जो गरीबसे किसी तरह कम कष्टमें नहीं है ? या कि समूची मानवताको वह करुणाका पात्र मान ले—जो स्वयं एक छतरनाक सिद्धास्त हो सकता है ? या फिर वह मानवताके प्रतीक स्वयं अपनेको ही करुणाका परम पात्र मानले—जो कि पराजयकी इति है !

बोचकी पीढी एक प्रश्नको लेकर बहुत चर्चा करती थी : 'कस्में देवाय हविषा विधेम ?' आज यह प्रश्न कोई नहीं पूछता। न उसे उठाया ही जा सकता है। इसलिए नहीं कि 'कस्में' का अन्तिम उत्तर हमने पा लिया है : इसलिए कि बाकीका पद निरर्थक हो गया है। 'देवाय' का कोई प्रश्न ही नहीं; 'हविष्'—वया हमारा नैतिक चिन्तन अधिक मूल्यवान् है, या हमारा राजनैतिक कर्म ? 'विधेम'—जब हमारा कर्ता होना ही सन्दिग्ध है तो हम उत्तम पुरुषमें बान ही क्यों करें, दलका जो विधेय हो !

[४]

नये लेखकके स्वाधीन विकासमें स्थितिवी बाधाएँ और भी हैं। पिछले पालीस-बचास वर्षोंमें कई साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ आरम्भ हुईं और बन्द

हुं। जब "दरिद्राणां मनोरथाः" मरीची थीं, लेकिन विनीत मंत्र हो गयीं, अगर एष-आय पत्रिका बनी तो इगोस्टिण कि 'माहिन्विक' विनोदना मोड़ लगने छोड़ दिया। फिर भी, कुछ वर्ष पहले तक बराबर नये पत्र आते रहे, गाते दो-चार अशोक बाद ही बन्द हो जानेके लिए! मूत्रनोष्कण्टा बराबर बनी रही। माहिन्विक पत्र-जगत्की अवस्था उनकी हीन कमी नहीं थी जिनकी यह आज है। आज जो दो-एक माहिन्विक पत्र निकलने हैं, उनके निकलने रहनेका रहस्य ढूँढ़ने वाले तो कदाचित् प्रत्येकके पीछे किसी एक आदर्शवादीकी हृद्यभंगि अच्छा कोई कारण न मिलेगा—कमसे कम यह तो बोई न बड़ गयेगा कि उसके प्राहक इनने हैं कि वह आर्थिक दृष्टिसे गफल है! ऐसी स्थितिमें नये लेखकके लिए लेखन-जीवी हो सकना तो लगभग असम्भव है। यह नहीं कि पहले स्वतन्त्र लेखन-जीवियोंकी संख्या बहुत अधिक रही, पर अब स्थिति और भी विकट हो गयी है। पत्र-पत्रिकाओंकी अनुपस्थितिमें लेखकोका सामने आना भी कठिन है, जो प्रतिष्ठित है उनकी बात छोड़ दें तो नयी प्रतिष्ठाएँ बनना वहीं कठिन हो गया है, क्योंकि उसके लिए चर्चा, समीक्षा, वाद-विवाद इत्यादि आवश्यक है और पत्र-पत्रिकाओंकी अनुपस्थितिमें ये सब भी नहीं हो सकते। दलोंके छोटे-मोटे स्थानीय पत्र अपने लघु उपयोगके बावजूद इस कमीको पूरा नहीं करते। रेडियोपर समीक्षाएँ होती हैं, लेकिन एक तो उनका साधारण स्तर अल-वारोंके रिविचारी क्रोड़पत्रोंकी धालोचनासे ऊँचा नहीं होना; कुछ इस लिए और कुछ निरी वार्ता होनेके कारण कोई उनपर ध्यान नहीं देता; दूसरे रेडियोपर भी प्रायः प्रतिष्ठित लेखकोकी रचनाओंकी ही चर्चा होती है। रेडियो नयी प्रतिष्ठाएँ नहीं बनाता, नयी प्रतिभा सामने नहीं लाता, केवल प्रतिष्ठित प्रतिभाओंका दोहन या शोषण करता है। हमारी धारणा है कि यह बात भारतीय रेडियोके समूचे इतिहासके बारेमें निरपवाद सत्यके रूपमें कही जा सकती है।

ऐसी स्थितिमें नये लेखकके आगे मार्ग क्या है? शिक्षण, पत्रकारिता

और सिनेमाके व्यवसाय, रेडियो, प्रकाशन और प्रचारके सरकारी विभागोंकी नौकरियाँ, सरकारी पत्रोत्पादक सम्पादन—ये ही मार्ग उसके सामने खुले रह जाते हैं। थोड़ी-बहुत सम्भावना कूटनीतिक पत्रकारिताके क्षेत्रमें हो सकती है—विदेशी दूतावासोंके प्रचार-प्रसार विभागोंमें। स्वच्छन्द रहना बहुत बठिन हो गया है और क्रमशः कठिनतर होता जाता है क्योंकि जीवनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ भी इतनी महँगी हो गयी हैं। यह सकट भारतमें ही नहीं, सर्वत्र यही प्रदन है। इलैंडमें भी लेखक अधिकाधिक सरकारी नौकर होते जाते हैं; अमेरिकामें बहुतसे लेखक 'लेखन-शिक्षक' भी हो जाते हैं पर इस एक नये व्यवसायकी सम्भावनासे बहुत अधिक अन्तर नहीं पड़ता। रुसमें तो सभी लेखक अनिवार्यतः सरकारी कर्मचारी हैं ही, नहीं तो प्रकाशमें ही नहीं आ सकते। इस प्रकार सर्वत्र साहित्यकारका 'सरकारीकरण' हो रहा है, और इसका प्रभाव उसके मानसिक विकासपर होना स्वामयिक है। वह क्रमशः अधिक आसानीसे अपनेको स्वाधीन व्यक्तिके रूपमें नहीं, एक सस्याके कर्मचारीके रूपमें देखता है। जिस प्रकार दल-निष्ठा उसके स्वतन्त्र विवेकको सीमित करती है, उसी प्रकार सस्या-निष्ठा भी। किस लेखकने नहीं अनुभव किया होगा कि कलका स्वाधीन साहित्य स्रष्टा आजका रेडियो-कर्मचारी या प्रकाशकका सलाहकार बन कर, अपनी सस्याके दृष्टिकोणको सम्पूर्णतया अपना कर, आज उसके पास कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसे कल वह स्वयं अग्राह्य मानता था! सन् तीस-पैंतीसका साहित्यकार विद्रोहमें भी अपने प्रति उत्तरदायी था; आजका सस्यानिष्ठ साहित्यजीवी ऐसे नैतिक दायित्वके अन्तर्गत चल सकता है। (बल्कि उनके बगैर ही मजेमें चल सकता है, तो मजा फिरकिया हो जायगा !)

१

विद्य...

नहीं। मैंने
लेखकको

ही खोजना होगा। वह भेरा काम नहीं है। ऐसा इस लिए नहीं कि मुझे उसकी समस्यासे सहानुभूति नहीं, वरन् इस लिए कि मैं जो भी कहूँ, वह 'बाहर'से मिली हुई सलाह ही हो सकती है, और समाधान 'भीतर'से होना चाहिए। सलाहके तौरपर अपने अनुभवकी दो-तीन बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो यह, कि समस्याको आँख मिलाकर देख लेना भी उपयोगी है। उसमें समाधानकी जो माँग है, वही समाधान उत्पन्न करेगी। दूसरे यह, कि समस्याका रूप नया और जटिलतर होते हुए भी मूलतः समस्या वहीं है : एक स्वाधीन व्यक्तित्वका निर्माण, विकास और रक्षण। लेखकको वह स्थिति और वातावरण खोजना और गढ़ना है जिसमें स्वाधीन व्यक्तित्व पनप सके, उन साधनोंको पाना और बनाना है जिनके द्वारा वह व्यक्तित्व अभिव्यक्त हो सके। उसे न समाष्टिमें विलीन हो जाना है, न निरे स्वच्छन्दतावादमें पलायित होना है; न सर्वसत्तावाद स्वीकार करना है, न सम्पूर्ण अराजकता। वह उत्तरदायित्व-मुक्त नहीं है; पर उसका उत्तरदायित्व न तो अधिकारकी अम्यस्त पुरानी पौढ़ीका अपने अधिकारके प्रति उत्तरदायित्व है, न परिवर्तन-कामी बीचकी पौढ़ीका अपने प्रति उत्तरदायित्व। उसका उत्तरदायित्व है स्वाधीन विवेकके प्रति—यद्यपि मैं इसकी कठिनाइयाँ ही गिनाता आया हूँ ! लेकिन अगर वही एक रास्ता है, तो उसकी कठिनता या दुर्गमता भी ऐसी बाधा नहीं हो सकती जिसे उलाँच न सकें। 'नान्यः पन्था विद्यते ?' 'धुमास्ते पन्थानः !'

पत्र-साहित्य और पुस्तक-साहित्य

स्यायित्वकी मांग मात्रवमें स्वाभाविक है। युद्ध, क्रान्ति और अशान्ति-के समय ही वह उस परिस्थितिको स्वीकार करता है जितमें टिकाऊपन एक बहुत ही सापेक्ष वस्तु हो जाती है। पत्र-साहित्य और पुस्तक-साहित्यका स्वाभाविक और सुपरिचित अन्तर भी ऐसे कालमें धुंधला होकर मिट-सा जाता है, और तब हम 'पत्र-पुस्तक', 'बुक-मैगजीन', 'नियत कालिक—अथवा अ-नियतकालिक !—साहित्य'की चर्चा सुनने लगते हैं। पिछले विश्व-युद्धके समयसे पत्र-पुस्तकोंका चलन हमारे देशमें भी पनपा और फैला। आजकलके क्रमागत प्रकाशनोमें कदाचित् ऐसे ही सकलनोंका स्थान ऊँचा पाया जायगा। (क्रमागत प्रकाशन उन्हें इस लिए बचा गया है कि वे एक शृंखलामें बंधे तो होते हैं, पर उनके प्रकाशनकी कोई नियत अवधि नहीं होती—या होती भी है तो उसका निर्वाह कम ही होता है !)

युद्धकालमें ऐसे प्रकाशनोके आविर्भावके कई कारण थे, जिनमें आर्थिक और कानूनी कठिनाइयाँ भी थी। यो इन कठिनाइयोंका कारण भी युद्ध-जन्य परिस्थितियाँ ही थी। यह भी उल्लेख्य है कि इन प्रकाशनों-में 'अपेक्षया अधिक स्थायी' साहित्य देना चाहा क्योंकि प्रचलित पत्र-पत्रिकाओंमें क्रमशः अधिक अनुपातमें कूड़ा-कचरा भर जाने लगा था। किन्तु इसका कारण फिर युद्धजन्य ही था : खड़े-खड़े खाने, बर्तन पहने सोने, बतार बाँधकर तिनेमा-नाचपर जाने और सफ़रमें दौड़ते हुए पढ़ने का आदी होकर मानव सब-कुछ जल्दी, तेज, सीसा, गर्म और लुभावना माँगने लगा था।

युद्ध-कालका यह फूल युद्धान्तमें मर नहीं गया। बल्कि स्थितिसे

उपरो उपयोगिताको एक अनिवार्यताका-मा रूप दे दिया, और अब यह माना जा सकता है कि 'पत्र-पुस्तकें' हमारी रोजमर्रा पाठ्य-ग्रामणीयें एक निश्चिन्ता स्थान रगतों हैं जिसे किसी दूसरे प्रकारका साहित्य नहीं भर सकता । क्योंकि वे हमारे वर्तमान जीवनकी एक माँग पूरी करती हैं ।

वह माँग, और वह स्थान बना है, इसकी ओर ध्यान देना हितकर होगा ।

पत्र-पुस्तकोंकी पहली उपयोगिता यह है कि वे उन समकालीन साहित्य-प्रवृत्तियोंको प्रतिबिम्बित करती हैं जो अन्यथा ओझल ही रहतीं । नयी प्रवृत्तियोंका घोटक समूचा साहित्य न तो पुस्तकाकार छप ही सकता है, न उसका छपना आवश्यक अथवा उचित ही है । लेखक पुस्तक निश्चिन्ता है तो अपने परिश्रमके फल-स्वरूप एक ऐसी चौड़ा निर्माण करता है जो, साहित्यालोचनकी कमौटीपर वह चाहे जैसी उतरे, एक स्थायित्व रखती है । किन्तु पुस्तक लिखनेसे पहले, या उसके साध-साध, उसके लिए प्रयोग और अभ्यास और नयी शैलियों और परिपाटियोंका अन्वेषण और छान-बीन आवश्यक है । यह सब वह कहाँ करे ? इसके लिए ये 'पत्र-पुस्तकें' ही उपयुक्त स्थान हैं । अगर साहित्य एक प्रशस्त उद्यान है जिसमें पेड़ फूलते-फूलते हैं, तो 'पत्र-पुस्तक' वह क्यारी है जिसमें पहले चारा या कलम तैयार की जाती है ।

पत्र-पुस्तकें उस साहित्यकी सहायक होती हैं जिसकी टक्कर समकालीन साहित्यमें क्रान्तिकारी हलचल पैदा कर सकती है, लेकिन जो इसके बावजूद (या इसी कारण) पुस्तकाकार नहीं छप सकता और प्रायः प्रकाशनों द्वारा उपेक्षित या अभमानित होता है । ऐसे साहित्यके लिए पत्र-पुस्तकें श्रेष्ठ तैयार कर देती हैं । इसी प्रकार इन्हीं पत्र-पुस्तकोंमें लेखक हानि-लाभकी ओरसे उदासीन होकर—या कमसे-कम उससे बाधित न होकर—आधिक या सामाजिक दबावसे मुक्त, निर्भीक भावसे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ।

पत्र-पुस्तकोंकी एक उपयोगिता यह भी है कि स्वाधीनचेता, रुढ़ि-विरोधी और आदर्शवादी लेखक अपनेको पुस्तक और पत्र-प्रकाशकों द्वारा उपेक्षित पाकर आत्माभिव्यक्तिके लिए अपना अलग प्रकाशन कर लेते हैं। देश-विदेशमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण मिल जावेंगे। ऐसे पत्र सर्वदा दीर्घजीवी नहीं होते, किन्तु इनकी उपयोगिताकी परख उनकी आयुसे नहीं, उनके उद्देश्योंसे होती है। ऐसा भी होता है कि ऐसा पत्र केवल एक अंक निकालकर बन्द हो जाय—किन्तु उससे क्या? अस्थायी ही सही, वह व्यापारिक लाभ-विचार और प्रचलित रुढ़ियोंके दबावसे मुक्त होकर साहित्यिक अभिव्यक्तिका एक साधन तो रहा।

संक्षेपमें कहा जा सकता है कि पत्र-पुस्तकें साहित्यिक चेतनाकी मुक्त अभिव्यक्तिका साधन हैं, और उस अभिव्यक्तिके नियमनकी चेष्टाअंकि प्रति साहित्यकारके विद्रोहका प्रतीक। उनके दृष्टिकोण अलग-अलग (और परस्पर विरोधी तक !) हो सकते हैं, वे साहित्यके विभिन्न अंगोंसे सम्बद्ध हो सकते हैं, पर एक बात जो उनमें समान रूपसे मिलेगी वह है इस बातका आग्रह कि लेखकोंको (और विशेषतया नये लेखकोंको) बचसर दिया जाय कि वे पाठक-वर्गके पास निर्बाध पहुँच सकें।

निस्सन्देह इसका एक दूसरा पक्ष भी है। रुढ़िके प्रति असन्तोष-भाव तभी उपयोगी होता है जब रुढ़ि भी हो। नियमनके प्रति विद्रोह-भाव, परम्पराकी अवज्ञा, तभी अर्थवन्ती होती है जब नियमनका प्रयत्न हो, परम्परामें कुछ दम हो। नये लेखकोंको भी पाठक तक पहुँचाना वास्तवमें तभी सच्चे अर्थमें सामाजिक दृष्टिसे फलप्रद होता है जब वे पुराने और प्रतिष्ठित लेखकोंके साथ आँवें और उनकी पंक्तिमें स्थान ग्रहण करते हुए उस स्थानके लिए अपनी पायताकी प्रत्यक्ष प्रमाणित होने देते चलें। पत्र-जगत्के सन्दर्भमें इस बातका अनुवाद यह हुआ कि पत्र-पुस्तकें और अग्रगामी ('एवी गार्ड') नियत अथवा अनियत-कालिक,

अपनी सच्ची उपयोगिताके लिए ऐसी स्थिति मांगते हैं जिसमें साधारण व्यावसायिक आधारपर चलनेवाली, किन्तु प्रतिष्ठित, और जाने-माने लेखकोंका सहयोग पानेवाली पत्रिकाएँ भी हों। ऐसी पत्रिकाओंकी अनु-पस्थितिमें केवल नये लेखकोंकी, केवल विद्रोहियोंकी रचनाओंका अलग सकलित प्रकाश अंधेरेमें अत्यधिक बढ गये किन्तु दुर्बल और अल्प-प्राण पौधेका-सा अस्वाभाविक विकास भी हो सकता है, कच्चेपनकी उपासना का नया सम्प्रदाय भी बन सकता है, निरी असहिष्णु और आधारहीन अराजकताको भी प्रथम दे सकता है और—एक (या अनेक) नयी 'हाथो दाँतकी मीनार' भी खड़ी कर सकता है जिसपर झण्डा विद्रोहका फहराता हो किन्तु भीतर रहनेवालोंकी प्रवृत्ति असण्ड गुहावासके लिए अभेद्य व्यूह रच लेने-भर की हो !

और तथ्य यह है कि इधर हिन्दीमें सुदृढ व्यावसायिक आधार वाली साहित्यिक पत्रिकाएँ, जिनकी व्यावहारिकता आदर्श-विरोधी न हो पर जिनके पैर भूमिपर टिके हों और जिन्हें गगन-विहारकी कोई आकांक्षा न हो, नहींके बराबर हैं। असन्तोष प्रकट करनेवाले यथेष्ट हैं, किन्तु जिनके प्रति होकर वह सारवान् होया यह बताना कठिन है। एक लक्ष्यहीन विरोध, जो वही भी तीर लग जानेसे अपनेको मुषण्वा समझ लेता है— यह कोई स्वस्थ या स्वास्थ्यकर स्थिति नहीं हो सकती—”

×

×

×

इधर हिन्दीमें बढ़तगे नये पत्र निकलने रहे हैं। साहित्यके लिए माँग ज्यादा है, पढ़नेवालोंकी संख्या बढ गयी है, अधिक व्यक्तियोंके पास पुस्तकें खरीदनेके लिए अधिक पैसा है, फिर स्वाधीनताके साध-माध भागी भाग्यभोके प्रति एक नया लगाव जाया है, और जन-मापारणके स्तर नये पंजना तो है ही। सब ओर माँग है कि 'और अधिक कम्बर, अधिक धानी कम्बर !'

राष्ट्रीय भावनासे उत्पन्न इस माँगका प्रभाव प्रादेशिक साहित्यों और जन-भाषाके साहित्योंकी नयी उठानमें स्पष्ट लक्षित होता है। इस प्रवृत्तिका विशिष्ट महत्त्व इसलिए है कि यह ऐसे समयमें प्रकट हो रही है जब कि दुनियामें एक अन्तर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक केन्द्रीकरणका आन्दोलन चल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोगका लक्ष्य तो सबको स्वीकार है, किन्तु लक्ष्य-मिथ्याके साधनोको लेकर बड़ा विवाद होता है। एक पक्ष है कि एक कृत्रिम विश्व-ख्याती नोकरगाहीके उद्योगोंसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया नहीं स्थापित हो सकता, विश्व-बन्धुत्वकी कोई आशा हो सकती है तो स्वाधीन बगों और समाजोंके स्वाभाविक आदान-प्रदान और परस्पर सहज सहयोगके आधारपर ही। ससृष्टिके क्षेत्रमें इसका अर्थ है प्रादेशिक विद्यास—स्थानीय परम्पराओं और लोक-कलाओं और शिल्पके सम्पर्कसे परिपुष्ट प्रादेशिक कलाओंकी उन्नति। कलाको जीवनमें उमका उपयुक्त स्थान—दैनन्दिन जीवनके ताने-बानेमें अविच्छिन्न रूपसे बुने हुए 'पैटर्न' का स्थान भी इसी प्रकार दिया जा सकता है। यह स्थान सोकर कला या साहित्य आकाश-बेल हो जाता है, वह स्वयं भले ही यह समझता रहे कि उसका घरातल ऊँचा उठ गया है, पर वास्तवमें वह प्रेरणाके मूलस्रोतसे कटकर अलग हो जाता है। आजके सभी उत्तरदायी कलाकार इस वैच्छिन्न्यका अनुभव करते और अपने ढंगसे इस दरारको पाटने या उमके आर-पार सेतु बाँधनेका उद्योग करते हैं। साधारणतया कहा जा सकता है कि आज कलाकारों और साहित्यकारोंका बहुमत इसी पक्षमें है कि प्रादेशिक लोक-ससृष्टियों और लोक-साहित्योंको प्रोत्साहन दिया जाय और उनसे ताता जोड़ा जाय; क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि सहज आत्मा-मिथ्यक्तिके लिए यह मार्ग ही ठीक है, न कि बढ़ते हुए केन्द्रीकरण और उसके आनुपगतिक सरकारी नियन्त्रण और निरोधका रास्ता।

दिशा-निर्देश और अभिव्यक्तिका माध्यम न मिलनेसे किसी भी देश, प्रदेश अथवा जनपदकी कलाका द्वारा अवश्यम्भावी है। उस दशामें तो

और भी अधिक जब कि बाह्य प्रमाणांका अगर उगडर पड रहा हो । एक विदेशी पत्र-पुस्तकके मग्गादकने इगी लिए निमा है कि लेखकोंको अपने-अपने प्रदेश-जनताशमें धूम-धूमकर उमके गलियारोंको साहित्यमें पुन-दृष्टीविन करना चाहिए ।

निस्मन्देह यह प्रवृत्ति बडी आमानोमे निरे गाम्भृतिक जीर्णोद्धार—
रिवाइवलिजम—में परिणत होकर लक्ष्य-स्मरित हो सकती है, और आज के हिन्दी साहित्यमें जीर्णोद्धारकी प्रवृत्तियाँ बूझनेके लिए बहुत बारीक-बीनोकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी । किन्तु इस छत्रके होना रास्तेको गलत नहीं प्रमाणित करता; यह कोई तर्क नहीं है कि जो रास्ता साहम नहीं माँगता वही रास्ता ठीक है । आवश्यकता इस बातकी है कि नये पत्रों—पत्र-पुस्तकोंमें प्रादेशिकता और अन्तर्देशिकताका सामंजस्य किया जाय । पत्र प्रादेशिक इस अर्थमें हो कि अपने प्रदेशके साहित्यकारोंको प्रमुख स्थान दे, और अन्तर्देशीय इस अर्थमें कि उसमें—कम मात्रामें—देशान्तरोंका श्रेष्ठ साहित्य भी स्थान पावे । इसीसे गति और समय, चेतना और सस्कार, प्रगति और संस्कृतिका वह समन्वय हो सकता है जो सम्पूर्ण जीवन है ।

और दोनों ही के लिए दृष्टिके सस्कारकी आवश्यकता है : दौटना साधारण व्यास जितना है उससे दूरकी चीज देखनेमें आँखपर जोर पडता तो उससे अधिक निकटकी चीज देखनेमें भी कमजोर नहीं पडता । व्यापक दृष्टि इस या उसको अधिक अच्छी तरह देखनेमें नहीं है बल्कि दृश्य-मंडल-का व्यास बढ़ानेमें है । अर्जुनके लक्ष्य-भेद वाली बात जितनी सच है, उससे उलटी बात भी कम सच नहीं है—कि केवल केन्द्र-बिन्दु को देखना पर्याप्त नहीं है, केन्द्रपर आँखें टिकाये रहते भी पूरी परिधिका अवलोकन कर लेना ही वास्तविक दृष्टि है । बल्कि आज-कालके जटिलतर जीवनमें यही अधिक सच है, जैसा कि कोई भी आधुनिक यन्त्र-चालक बता सकता है । विमान-चालकोंके लिए एकाग्रताके साथ-साथ परिधि-दर्शिता (पेरिफेरल

विज्ञान) कितना महत्त्व रखती है, यह उसके लिए दी जानेवाली अलग ट्रेनिंग बताती है।

X

X

X

क्या हिन्दी पत्र-पुस्तक-साहित्य अपने क्षेत्रके उत्तरदायित्वका निर्वाह करता रहा है और कर रहा है? न्यूनाधिक मात्रामें, हाँ।

संस्कृतिको परम्परा जब बहुत लम्बी हो जाती है, तो उसके संचालनमें एक शिथिलता और उदासीनता आ जाती है, और विदेशी आलोचक बड़ी आसानीसे कह जाया करते हैं कि छ-सात हजार वर्षोंके बोझसे दबो भारतीय संस्कृतिका पराजयवादी हो जाना स्वाभाविक है। इसकी अन्विति यों भी की जा सकती है कि कालके महामरुके पार संस्कृतिका गघा हाँकते-हाँकते गधेवानमें भी कुछ गघापन आ जाना अप्रत्याशित नहीं है! किन्तु इधर उस महस्थलके ऊँचे-नीचे गलियारोंमें लगातार दुलसीपर दुलसी खाकर गधेवान चेत उठा है। गधेको घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, न उसके पख उगाये जा सकते हैं, किन्तु किसी यानमें उसे साथ ले उड़ा जा सकता है, और वह यान लोक-चेतनाका ही यान है इसे लोग जानने लगे हैं। परन्तु काम बहुत है, बहुत बड़ा है; कितना भी हम करें, आगे और भी बहुत कुछ करनेको रह जाता है। जो हारते नहीं हैं, वे इसीसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं कि इस दिशाका परिप्रेक्ष्य जल्दी चुक जाने वाला नहीं है और सामयिक साहित्यको—जिसके साहित्य होनेपर भी उतना ही बल है जितना उसके सामयिक होनेपर—यह नुविधा जल्दी नहीं मिलने वाली है कि बैठकर अपनी पीठ ठोके या पैर सहलावे। यह सन्तोषका विषय हो सकता है कि कुछ एक पत्र-पुस्तकोंने जल्दी ही अपने लिए गौरवका स्थान बना लिया था और ऐसी स्थिति आ सकती थी कि चिरकालसे प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओंसे पहले उनका नाम लिया जाया करे। किन्तु दूसरी ओर यह भी सच है कि नयी पत्र-पुस्तकोंकी संख्यामें इधर जितनी वृद्धि हुई है, उनमें सकलित वस्तु उसके अनुपातमें नहीं बढ़ी।

हमारी समस्या अब यह नहीं है कि पत्र-पुस्तकोंकी संख्या कम है। अब तो यही सम्भावना दीखती है कि शीघ्र ही उनका बाहुल्य ही एक समस्याका रूप ले ले। कागजके सकटके बावजूद हिन्दीमें ही दर्जनों नये पत्रोंके आवेदन निर्णयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बीसियों नयी योजनाओंकी घोषणा हुई है। नये आयोजित सब पत्र साहित्यिक नहीं हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सबके सब शायद निकलेंगे भी नहीं (एक अंक भी नहीं !); फिर भी प्रश्न यह है कि क्या इनमेंसे आधे भी नये पत्र निकलना ठीक होगा ? हमारा पाठक-वर्ग बड़ा है, बढ़ना चाहिए, और अभी उसके और बढ़नेकी गुंजाइश है। लेकिन पाठकोंके दुगुने हो जानेपर पत्र तिगुने-चौगुने तक तो हो सकते हैं, दस-पन्द्रह गुने हो जानेसे क्या लाभ होगा—विशेषकर उस अवस्थामें जब कि लेखकोंका वर्ग बढ़ाकर दुगुना भी न किया जा सके ?

अधिक प्रकाशन, लेखकोंसे अधिक सामग्रीकी माँग, इसलिए लेखकोंके द्वारा अधिक माँग, अधिक पारिधमिक। यह तो एक पूर्वापर शृंखला हुई। और कौन नहीं मानेगा कि पारिधमिककी दर बढ़नी चाहिए ? परन्तु एक और शृंखला है। प्रकाशन अधिक, लेखन उतना ही, विकल्प सीमित, इसलिए घटिया प्रकाशन। अथवा—लेखक ही प्रकाशक, यानी प्रकाशक-पदस्य लेखक और निरे लेखकमें क्रेता-विक्रेताका सम्बन्ध, एक प्रकाशक-लेखक और दूसरे प्रकाशक-लेखकमें प्रतियोगिता; फलतः निरे व्यवसायी प्रकाशकके मामले आदर्शवादी साहित्यकार-प्रकाशककी पराजय। यह सीमरा पूर्वापर है। पाली हार जाना एक बात है, हारो पाठीमें जा मिलना दूसरी—जो लेखक, पाठक, साहित्यकार, साहित्य-रचनाओं व्यावसायिकतामें मुक्त रहना चाहते हैं क्या वे इस सामग्र्यागे और इनके दूर-व्यापी प्रभावोंमें परिचित हैं, इसका सामना करनेकी तात्पर्य आवश्यकताके प्रति मुत्तक हैं, उनके निराकरणके उद्योगमें सचेष्ट हैं ? इस नहीं जानने—आत्मन होनेके लिए हमारे पास सचेष्ट प्रमाण नहीं है।

एक ही हार्डीको क्रमशः बड़ती हुई खानेवालोंकी सख्याके लिए पकानेवाले क्रमशः बढ़ते हुए रसोइए—यह परिस्थिति न प्रोतिकर है, न कल्याणकर । हार्डियाँ बड़नी चाहिए, भोग्य सामग्री भी बड़नी चाहिए...

मैं जल्दी हड़बडाता या घबराता नहीं हूँ, न समस्यासे भापनेकी ही मेरी प्रवृत्ति है । जब-तब छतरेकी घण्टी बजाना या किनाड-शरोखे बन्द कर के अगला चढ़ाना मुझे घृण्य है । खुली आँखें, बँधी मुट्टियाँ, अविचलित बुद्धि, स्पन्दनशील हृदय, इन्हें मैं मानव-गुण भी मानता हूँ और मानवता के प्रति दायित्व भी । आसन्नको कभी अनदेखा नहीं करता इसलिए अपनेको अरक्षित भी नहीं मानता, आपन्न भले ही पाऊँ । इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन तमाम लेखकोंके सामने, जो लेखन-कर्मका सम्मान करते हैं, जो उसे उदजोष्य बनाकर भी, उसके प्रति अपना एक नैतिक दायित्व समझते हैं, जो एक बनी-बनायी लीकमें पडकर हाँके जाना नहीं चाहते, जो कलाको स्वाधीन-चेतनाकी स्वाधीन अभिव्यक्ति मानते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक महान् कर्तव्य है । उन्हें उसका सामना करना है और एक साथ मिलकर करना है । कलाकार सदासे व्यावहारिक व्यक्तिवादी रहे हैं पर कला-सृष्टिसे बाहर उन्हें कच्चा मिलाना होगा नहीं तो उनका टिके रहना कठिन हो सकता है । साहित्यकारोंको युगके सन्देशवाहक तो मान लिया जाता है, पर उनका सन्देश सुना जाता रहे, इसके लिए उनके स्वरोंका समवेत होना उपयोगी है । नहीं तो अलग-अलग आवाजें खो जावेंगी बल्कि एक दूसरेको हुवा देंगी ।

निस्सन्देह हमें अब चार करोड़ साक्षरोंकी ही नहीं, पूरे चालीस करोड़की बात सोचनी है, और इतने पाठकोंके लिए पर्याप्त पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करनेमें नये सब प्रकाशन क्षम सकते हैं । पर केवल अधिक छपे हुए पन्ने तैयार करना ही उद्दिष्ट नहीं है—कमसे कम साहित्यकारोंको हम पत्रके साथ नहीं उलझना है । जो छपे वह लेखकोंके नये ढीलके अनुदानमें टीक, बड़ा और तगड़ा हो यह भी लेखकोंके देखना है....

‘हमारे घर पाहुने आये—दे दालमें पानी’ क्रमिक आत्मघातका मार्ग है और लेखकको न केवल आत्मघात नहीं करना है वरन् जीवन-दान भी देना है—और जीवन जलका भी एक पर्याय है इस शब्द-मायाकी ओट भी आत्मघातका ही एक रूप होगा । बीसवीं सदी ही सही, कलियुग ही सही, मानव आदर्श और मूल्य इतने नहीं बदल गये हैं !

हिन्दी पाठकके नाम

दंग तो पुराना है : सुधी पाठक, सहृदय पाठक, विज्ञ पाठक, रस-मर्मज्ञ पाठक—इन सम्बोधनोंसे अपनापेका पर्यावरण बनाकर सर्व-साधारणको अपनी आलोचक-बुद्धिको विश्राम देनेके लिए आमन्त्रित करना... या आजके रुखे युगमें, अब रखाई योग्यताका और बेरखी सत्ताका लक्षण मान ली जा सकती है, जब बदतमीजी ही फैसान है, पाठकको पुकारते समय कोई आदर-सूचक विशेषण न लगा कर केवल 'हिन्दी पाठक !' कहनेसे भी काम चल जायगा। असल उद्देश्य तो यह है कि निहोरेसे उसे कहा जाय कि 'मेरी ओर देखो, मेरी बातका महत्त्व पहचानो और मुझे साधुवाद दो।' (और इस प्रकार स्वयं अपनी धीमत्ता, सहृदयता, विज्ञता या मर्मज्ञताको प्रमाणित करो—कैसा सूझ चारा ढाला गया है पाठककी बहुन्ताके भोले पछीको लुभानेके लिए !)

लेकिन मुझे पुरानी बात नहीं कहनी है, न ऐसे सम्बोधनकी आडमें कोई नाता जोड़कर अपने व्यक्तिगत पूर्वग्रहों या पक्षपातके लिए व्यापक समर्पण प्राप्त करना है। मैं अपनेको साहित्यके प्रति उत्तरदायी मानता हूँ तो इसे भी उस दायित्वका अंग मानना है कि जहाँ मैं या मेरा कार्य आलोच्य विषय हो, वहाँ व्यक्तिगत नाता जोड़ कर आलोचनाकी व्यक्ति-निरपेक्षतामें बाधा न डालूँ।

तो, पाठक, मुझे आपकी सहृदयताकी या मर्मज्ञताकी दुहाई देकर आपका अनुमोदन नहीं माँगता है। बल्कि जहाँ तक प्रशंसा या श्लाघाका प्रश्न है, मैं मान लेना चाहता हूँ कि आप मेरे अपरिचित, शैर आदमी हैं।

तो आपको सम्बोधन क्यों कर रहा हूँ ? पिछले डेढ़-दो सौ वर्षोंके, और विशेष रूपसे सड़ी बोली हिन्दीके साहित्यकी प्रति-विषिवा अभ्ययन करते या

पुस्तकों और पत्रोंमें उगका प्रतिबिम्ब खींचनेका प्रयत्न करते समय मैं थोड़ा-बहुत यह अन्वेषण भी करता रहा हूँ कि उगके पाठ्य-पुस्तक—अर्थात् भारत—विषय भी हिन्दी साहित्यके लिए खींच मारूँ। क्योंकि दोनों स्पष्ट ही अन्योन्य-साध्यमी हैं, और परस्पर एक-दूसरेके आचारको निर्धारित या परिवर्तित करने हैं।

और अब कुछ-कुछ ऐसा लगने लगा है कि आरके विषयी धुंधली-सी आचार-रेखा मेरे सामने बन चली है। उगमें रग भर कर पूरा विषय बनाऊँ, इससे पहले उग रेखाशुक्तिसे आरके सम्मुख रचना चाहता हूँ। इसके आईनेमें सरकारकी जो तगवीर बनी है, उसे सरकार क्या पहचानने है ?

आग कौन है ? 'कौन तुम अज्ञान-वय-बुल-सील मेरे मोन ?' मैं नहीं जानता। पर जानता हूँ कि बरसाये आपके लिए लिखना आया है; स्वयं भी लिखता आया हूँ और दूसरोंका लिखा भी नाना प्रकारसे आपके सम्मुख लाता रहा हूँ—संकलित कर के, सम्पादन कर के, पुस्तकों, मगहों और पत्रिकाओंके रूपमें, आलोचना और अनुमोदन कर के—और मानता रहा हूँ कि यह परिधम व्ययं नहीं है, असमय नहीं है, और अपात्रके लिए नहीं है, अपाह्य नहीं है। फिर भी, आपको मैं जानता हूँ, यह कह सकनेका अधिकारी अपनेको नहीं मानता आया, न अभी ऐसा दावा कर सकता हूँ।

एक पाठकको मैं जानता था। वह कोई पुस्तक या पत्रिका बेचक पढ़नेके लिए नहीं मँगता या खरीदता था। ऐसा 'साहित्य' मँगाना या खरीदना उसके लिए मानो एक अद्भुतकी घोषणा थी—जीवनके कर्म-काण्डका एक छोटा-सा अंग था। वर्षोंकी दासतासे—विदेशी सत्ताकी, निरक्षरता (सम्पूर्ण या पूर्णप्राय) की, अर्थकी, जाति, वर्ण, प्रदेश, पेशे, बिरादरी और अज्ञानकी सकीर्णताओंकी दासतासे जो सांस्कृतिक जाड्य उसमें आ गया था, उसकी परिधिमें रहते हिन्दीकी पत्रिकाके लिए चन्दा देना या हिन्दी-पुस्तक खरीदना अपने परलोकका ऋण चुकानेके बराबर था। क्योंकि पत्रिकाका चन्दा या पुस्तकका दाम चुकाकर वह मानो अपने देश, धर्म,

जाति, भाषा, संस्कृति आदि सभीका एक पुंजित सदस्य-शुल्क चुका देता था। इन सबको अलग-अलग देखने या उनका सम्बन्ध समझनेकी शक्ति या प्रवृत्ति उसमें नहीं थी। होती भी कैसे, जब कि अपेक्षया प्रबुद्ध वर्ग भी 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान' को एक अविभाज्य इकाई, और एक अकाट्य तर्क-भरम्परा मानता था, निरा भावनागत सत्य नहीं ! 'हिन्दीकी पुस्तक ? हाँ, हमारे घरमें है।'.....'हिन्दीकी पत्रिका ? हाँ, हमारे घरमें तो आती है।' हाँ, अपने लोक-परलोकके प्रति हम सावधान हैं, अपने कल्याणकी व्यवस्था हमने कर ली है !

पर वह पाठक आप नहीं है।

एक और पाठकको भी मैं जानता था। वह हिन्दीको प्रेम करता था। उसे अत्यन्त अपनी मानता था। ठीक वैसे ही अपनी, जैसे कि अपनी बहू-बेटो अपनी होता। और बहू-बेटोकी भाँति ही उसे अन्तःपुरमें रखता था। 'हिन्दी पुस्तक ? हिन्दी पत्रिका ? हाँ, हमारे यहाँ आती है—घरमें पडती है।' और बाहर ? बाहर कचहरीके लिए उर्दू-फारसी है, व्यापारके लिए लड़े-महाजनी है, हाकिमके लिए अंग्रेजी है। प्रखर सघर्षके जीवनको इन उलझनोंको बाहर ही रखकर, अमूर्दम्पश्या अन्तःपुरिकाओंके लिए—नहीं-नहीं, गृह-लक्ष्मी आर्य-ललनाओंके लिए—चाँदकी शीतल किरणें ही पथेष्ट है.....

वह पाठक भी आप नहीं है।

एक और पाठकको मैं जानता हूँ। जानता हूँ कहते थोड़ा शिक्षकता है, पर जानता था कहना ठीक न होगा। क्योंकि उसका अभिप्राय यदि यह समझा जावेगा कि वह पाठक पहले था और अब नहीं है तो यह शल्लभ होगा; और यदि यह ध्वनि सी जावेगी कि उसे मैं पहले अधिक जानता था और अब कम जानता हूँ तो यह भी ठीक न होगा। क्योंकि वास्तवमें पूरा जानता कभी नहीं था; और वास्तवमें वह पाठक भी था नहीं,

है। मुझे कुछ मान है कि अब भी वह आस-पास घेरे हुए है। यह पाठक पढ़नेको पढ़ना नहीं मानता—या यों कहूँ कि पढ़ने-पढ़नेमें भेद करता है। पढ़ना साध्य तो है नहीं, साधन है। काहे का साधन ? उन्नतिका। और उन्नतिकी परिभाषा स्पष्ट है—तरक्की, यानी नौकरी। पढ़ना असलमें पढ़ाई करना है। और पढ़ाई कर चुकनेके बाद ज्ञान-वर्द्धनके या मानसिक विकासके लिए कौन पढ़ता है ? दैनिक अखबार तक तो ठीक है—संसारकी गति-विधिसे परिचित होना तरक्कीके लिए जरूरी है, और दैनिक अंग्रेजीका अच्छा होता है। उससे आगे—हाँ, तफ़रीहन् पढ़ा जा सकता है—मनोरंजन तो आवश्यक है। नया कुछ, मनोहर कुछ, रसीला कुछ, सिगरेटके घुएँके साथ अगर सारी उलझनें और चिन्ताएँ फूँककर उड़ा दी जा सकें—स्वप्न-जीवनका कारवाँ क्षण-भरके लिए किसी हरी-भरी फुलवाड़ीमें जा टिके, किसी सरिताके किनारे जा लगे, चाहे वह हरियाली माया हो, सरिता मृग-जल हो***ऐसा कुछ हो तो अलबत्ता पढ़ा जा सकता है।

यह पाठक भी आप नहीं है।

लेकिन आप अब तक शायद सोचने लगे हों कि यह भी लल्लो-पत्तोरा एक नया ढंग है। अमुक-अमुक आप नहीं हैं, अर्थात्—आप इससे अच्छे हैं। और यह रेखा-चित्र भी कहाँ है—अभी तक तो दूसरी रेखाएँ मिटायी ही जा रही हैं। ठीक है, अब पाटी साफ़ हो गयी है।

या कि केवल लगभग साफ़ है, क्योंकि एक और पाठकका चित्र अभी भी सामने आता है***

और यह पाठक पढ़ता ही नहीं। यों कितारें वह काफ़ी घाटता है, और भारी-भारी शब्द, नाम, फ़िकरे और आँकड़े हर वजह उसकी उन्नतने छिमाते पड़ते हैं। लेकिन वह पढ़ता नहीं, केवल पढ़ाना है। पढ़ाना हिनो है, यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि उसने सारी दुनियाको अलग-अलग द्विध्वनिमें बाँट रखा है—एक द्विध्वनिमें वे हैं जो कभी पढ़ ही नहीं मानते,

दूसरेमें वे हैं जिन्हें पढ़ाना ध्यय है, एकमें वे हैं जो पहले ही गलत पढ़ गये हैं और जिनकी विद्याकी मिटाना है; और—एकमें वे हैं जो सकल-ज्ञान-विद्या-विशारद हैं और परम-गुण-निधान हैं । इस प्रकार यह पाठक केवल पढ़ाता है, और अपने-आपको ही पढ़ाता है, क्योंकि और किसे पढ़ाये ?—और है ही कौन, मानव तो होता नहीं, केवल वर्गोंमें बँटी हुई मानवता होती है; शाश्वत कुछ नहीं है और सब कुछ गत्यात्मक है, और जो यह खोज कर गये हैं उन्होंने जो कुछ कह दिया है वह शाश्वत सत्य है और उसमें परिवर्तन लाना चाहना गुरुतर अपराध है ।

यह पाठक भी—अगर आप अब तक मुझे दुमुँहा जतरोही करार देकर, पार-छ. पत्रके लेखका दस्ती बम फेंकनेके लिए सौलते हुए, अपने काणजी जनवादी मोर्चेपर सन्नद्ध नहीं हो गये हैं तो !—आप नहीं हैं ।

[२]

तो आप कौन हैं ?

क्या आप सदाकाशी हैं ? सदाकाशी लोग ही नरककी सड़कोके पक्षर कूटते हैं, क्योंकि वे केवल आकाशी होते हैं । उनकी आकाशाओंसे ही नरकके घोंककी कुट्टिम भूमि तैयार होती है ।

‘अच्छे-बुरेका बोध मुझे है;

लेकिन अच्छेको पहचानकर

मैं बुरेके धागे भ्रुक जाता हूँ

क्योंकि मैं सदाकाशी हूँ :

मेरे लिए स्वर्गकी धाना भला किस नरकमें होगी !’

क्या आप पारसी हैं ?

पारसी ही साहित्य क्षेत्रमें कुकुरमुत्तकी बानी देखकर भी निश्चिन्त पड़े रहते हैं, दाम्भिकता कागन गहने हैं; आज-कालके सस्ते मुल्कमेंको या सामायनिक धानुको सोना होनेका दावा करने देने हैं—क्योंकि उन्हें क्या

है। मुझे कुछ मान है कि अब भी वह आस-पास घेरे हुए है। यह पाठ पढ़नेको पढ़ना नहीं मानता—या यों कहूँ कि पढ़ने-पढ़नेमें भेद करता है। पढ़ना साध्य तो है नहीं, साधन है। काहे का साधन? उन्नतिका। और उन्नतिकी परिभाषा स्पष्ट है—तरबक्री, यानी नौकरी। पढ़ना असलमें पढ़ाई करना है। और पढ़ाई कर चुकनेके बाद ज्ञान-वर्द्धनके या मानसिक विकासके लिए कौन पढ़ता है? दैनिक अखबार तक तो ठीक है—संसारकी सभ्यताके विधिसे परिचित होना तरबक्रीके लिए जरूरी है, और दैनिक अखबारकी अच्छा होता है। उससे आगे—हाँ, तफरीहन् पढ़ा जा सकता है—मनोरंजन तो आवश्यक है। नया कुछ, मनोहर कुछ, रसीला कुछ, सिपरेटके धुएँके साथ अगर सारी उलझनें और चिन्ताएँ फूँककर उड़ा दी जा सकें—स्वप्न-जीवनका कारवाँ क्षण-भरके लिए किसी हरी-भरी फुलवाड़ीमें जा टिके, किसी सरिताके किनारे जा लगे, चाहे वह हरियाली माया हो, सरिता मृग-जल हो***ऐसा कुछ हो तो अलबत्ता पढ़ा जा सकता है।

यह पाठक भी आप नहीं है।

लेकिन आप अब तक शायद सोचने लगे हों कि यह भी कल्लो-पत्तोका एक नया ढंग है। अमुक-अमुक आप नहीं हैं, अर्थात्—आप इससे अच्छे हैं। और यह रेखा-चित्र भी कहीं है—अभी तक तो दूसरी रेखाएँ मिटायी ही जा रही हैं। ठीक है, अब पाटी साफ हो गयी है।

या कि केवल लगभग साफ है, क्योंकि एक ओर पाठकका चित्र अभी भी सामने आता है***

और यह पाठक पढ़ता ही नहीं। यों कितारें यह काफ़ी घाटना है। और भारी-भारी शब्द, नाम, फिकरे और अकड़े हर वक़्त उसकी उबावनें फिसले पड़ते हैं। लेकिन वह पढ़ता नहीं, केवल पढ़ाता है। पढ़ता सिधे है, यह कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उसने सारी दुनियाको अलग-अलग दिश्योंमें बाँट रखा है—एक दिश्वेमें वे हैं जो कभी पढ़ ही नहीं सकते,

दूसरेमें वे हैं जिन्हें पढ़ाना व्यर्थ है, एकमें वे हैं जो पहले ही गलत पढ़ गये हैं और जिनकी विद्याको मिटाना है, और—एकमें वे हैं जो सकल-ज्ञान-विद्या-त्रिचारद है और परम-गुण-निधान है । इस प्रकार यह पाठक केवल पढ़ाता है, और अपने-आपको ही पढ़ाता है, क्योंकि और किसे पढ़ाये ?— और है ही कौन; मानव तो होना नहीं, केवल वर्गोंमें बंटी हुई मानवना होती है; धानवत कुछ नहीं है और सब कुछ गत्यात्मक है; और जो यह खोज कर गये हैं उन्होंने जो कुछ वह दिया है वह शाश्वत सत्य है और उसमें परिवर्तन लाना चाहना गुरुतर अपराध है ।

यह पाठक भी—अगर आप अब तक मुझे दुमुँहा जनद्रोही करार देकर, प्रार-रुः पत्रके लेखका दस्ती बम फेंकनेके लिए तैलते हुए, अपने कागजी जनवादी मोर्चेपर सन्दूध नहीं हो गये हैं तो !—आप नहीं हैं ।

[२]

तो आप कौन हैं ?

क्या आप सदाकाशी हैं ? सदाकाशी लोग ही नरकको सटकोंके पत्थर कूटते हैं, क्योंकि वे केवल आकाशी होते हैं । उनकी आकाशाओंसे ही नरकके शोककी कुट्टिम भूमि तैपार होती है ।

‘प्रच्छे-दुरेका शोष मुझे है;

लेकिन प्रच्छेको पहचानकर

मैं दुरेके घागे भूक जाता हूँ

क्योंकि मैं सदाकाशी हूँ :

मेरे लिए स्वर्गकी घाशा भला किस नरकमें होगी !’

क्या आप पारसी हैं ?

पारसी ही साहित्य क्षेत्रमें बुदुरमुत्तकी बढती देखकर भी निश्चिन्त पड़े रहते हैं, दाम्निशोषा शासन सहते हैं; आश-बलके सस्ने मुलम्मेहो या सामाजिक धानुशो सोना होनेका दावा करने देते हैं—क्योंकि उन्हें क्या

चिन्ता, पारस-मणि तो उनके पास है ही, चाहे जिस धातुको सोना बना लेंगे !

क्या आप हिन्दीके हितैषी है ?

हिन्दीके हितैषियोंको बार-बार प्रणाम, जिनकी हितैषणा कुछ कम होती तो हिन्दीकी उन्नति कुछ अधिक हो पायी होती ! हितैषी-मण हिन्दीकी रक्षाके नामपर उसके चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी करके बंटे है कि वह न हिल-डुल सके, न बढ़ सके, न साँस ले सके; और बाहरसे कुछ ग्रहण करनेकी तो बात ही दूर ! बिना रास्ता देखे चला नहीं जाता तो बिना समीक्षाके साहित्य-निर्माण भी नहीं हो सकता; लेकिन हितैषियोंके कारण समीक्षा असम्भव हो रही है, क्योंकि जो 'सम' देखना चाहता है वह तो हिन्दी-द्वेषी है, विरवात्य समर्थक नहीं है ! हमने गो-रक्षाके नामपर सारे भारतवर्षको एक विराट् पिञ्जरापोल बना डाला, जिसका गोधन सारे उसारमे निवृष्ट कोटिका है, क्या हम हिन्दी-रक्षाके नामपर अपने साहित्यको भी एक पिञ्जरापोल बना डालेंगे, जिसमें उत्पादक तो अस्तित्व होंगे, लेकिन सभी अधभूखे, अधमरे, निस्तेज; जिसकी प्रतिभा अनुर्वर होगी और उत्पादन उपहासास्पद (यद्यपि उसपर हँसनेकी अनुमति किसीको न होगी !)—और जिसमें हम साहित्य-नवनीतके बदले बारखानोंका 'बिना हाथके स्पर्शसे' तैयार किया गया बनस्पति ही पानेकी बाध्य होंगे ?

[३]

तो मुधो और गहूदप पाटक, मर्मज्ञ पाटक, मुझे आपसे कहना यह है कि आप देखिए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं । यह बातही नहीं है कि जब-जब हिन्दीका कोई अण्डा पच बन्द हो तब-तब आप दुःख प्रकट कर दें, और जब-जब कोई अण्डा लेपक मरे तो रोष कर लें कि अण्डेकी समाचार-पत्रोंने यह समाचार बार दिन बाद और पृष्ठ प्यारके पाँचवें काष्ठमंभे क्यों छाया । (और, हाँ

कवि-सम्मेलनोंमें जाकर हूल्हाड कर आवें कि कवि गाकर क्यों नहीं पढ़ते ?) आपका दायित्व इससे बड़ा है। हमारे साहित्यकी दुर्बलता और विपन्नता के आप उत्तरदायी हैं, जैसे कि उसकी पृष्ठता और समृद्धिके आप विधायक हैं। आप ही नहीं, लेकिन आप भी। जब हिन्दी उपेक्षित और अपमानित थी, तब उसकी दमलिए दक्षिण मिलती थी कि वह विद्रोहीकी भाषा थी और अनवरत संघर्ष उसे माँजता था। अब उसे हमे माँजना है, नहीं तो वह मँली ही होगी। तूफानमें नावको तैरते रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, लेकिन जब तूफान नहीं होता तब केवल तैरनेसे ही नाव बही नहीं पहुँच जाती, उसे खेना होना है, और टीक दिशामें खेना होना है, श्रमके लिए नकशोंकी आवश्यकता होनी है, और दिग्दर्शकोंकी, और कर्णधारों और समर्थ मल्लाहोंकी ...

इतनी ही मेरी बात है। स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग अमुक्तप्रगाढ पाठकके जोग लिखी। मेरी चिट्ठी खुली चिट्ठी है, अतः उसमें जिनकी जो इच्छा हो पढ़ ले सकता है, पर इससे मेरी बातका अन्तस्तत्त्व—और उमकी चुनौती—मारहीन नहीं हो जाती। और जो पाठक उसे समझना है और ग्रहण करता है—अर्थात् उमके अनुसार बम करता है—वही 'स्वनि श्री सर्वोपमा जोग' मेरा पाठक है, मुधी और सहृदय और समझ, और उमके जोग लिखी। बम लिखी बहून जानना। इति शुभम्।



•

•

सन्दर्भ : स्थिति

2

10/10/10

अर्थ और यथार्थ

उस दिन तीन-चार युवक कविगण मेरे यहाँ पधारे थे। आँगनके एक मिरेपर बैठे हम लोग इधर-उधरकी बात कर रहे थे—जैसी बातें ऐसे अवसरपर हुआ करती हैं। न-जाने कैसे बात खजनोंपर आकर रुकी, और आगन्तुओंमेंसे एकने, जिनकी स्मरण-शक्ति अद्भुत है, इस छोट्टेसे पदोंके विषयमें कई एक सर्वदे-कवित्त सुना डाले।

मेरे आँगनमें कुछ फूल-पौधे भी हैं। आस-पासके घरोंने अपने आँगनोंका ऐसा उपयोग व्यर्थ माना है, या इसके लिए जो थोडा बहुत श्रम करना पड़ता है उसे अपनी शानके खिलाफ समझा है, इसलिए एक-से कई घरोंकी पत्तियोंमें मेरा आँगन कुछ विशिष्ट हो गया है और वहाँ प्रायः ही पत्तों आते रहते हैं। जिस समय हम लोगोंकी बात-चीत हो रही थी, उस समय खंचल पत्तियोंका एक जोडा आँगनकी हरियालीमें इधर-उधर दौड़ रहा था—बीच-बीचमें दबकर घासमें कुछ टोहता और फिर पूँछ झुलाकर आगे बढ़ता हुआ।

मैंने सर्वथा सुनानेवाले बन्धुसे पूछा : “आपने खजन देखे हैं ?”

उन्होंने कहा . “नहीं तो—ये तो पानीके किनारे होने हैं।”

मैंने आँगनकी ओर इशारा करके पूछा “वह क्या है, आप पहचानते हैं ?”

“वह ? वह चिड़ियाका जोडा ? चिड़िया है, और क्या ?”

“कौन चिड़िया ?”

“चिड़िया है—नाम-काम तो हम नहीं जानते।”

मैंने बताया कि यही खजन है तो उन्होंने समझा कि उन्हें बनाया जा रहा है। बड़ी कठिनतासे वह माने कि ये वास्तवमें खजन है, और शीघ्र

ऋतुमें प्रायः दिल्लीमें देखे जाते हैं। परिश्रममें कौए, तोते, चील, बगुले मोर—(और हाँ, 'चिडिया' अर्थात् गौरैया)—इन चार-छः के बारेमें तो वह निश्चयपूर्वक कह सके कि उन्होंने देखे हैं, बाकी कुछ नाम उन्हें याद नहीं जो उन्होंने पढ़े हैं।

X

X

X

और एक बार नगरके एक दूसरे भागमें एक लेखक बन्धुसे मिलने गया था। उन्हें जो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, वह जिस सड़कपर है उसके दोनों ओर अर्जुन वृक्षोंकी पक्तिर्षा है। तीन-चार बर्षोंसे वह निरन्तर दिनमें दो-चार बार उनके नीचेसे गुजरते हैं। अर्जुनका वृक्ष मुझे सुन्दर लगता है, अतः उनसे भेंट होनेपर मैंने उनकी अपनी तत्पराजिकी प्रशंसा की। वह अचकचाकर बोले, "कौनसे पेड़—कहाँ? अर्जुन कैसा होता है?" ज्ञात हुआ कि वह उस मार्गसे आते-जाते तो है, पर पेड़ोंकी ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, नाम जाननेकी तो बात दूर। आम, नीम, जामुन, केला, खाड़, इन कुछ एक वृक्षोंके अलावा और कोई वृक्ष वह पहचान सकेंगे, ऐसा वह दावेके साथ नहीं कह सकते थे। पलाश? पलाश तो वह नहीं जानते, ढाकके पत्तोंकी पत्तलोंमें उन्होंने दावतें सायी हैं अतः पत्ता तो पहचान लेंगे..."

X

X

X

गोष्ठी-समाजोंमें जाना कम होता है, पर उस बार एकमें गया था जो सरकारी क्वार्टरमें हो रही थी—उसमें रहनेवाले सज्जन एक छोटी संस्थाके मन्त्री थे। 'जनताका साहित्य' विचारका विषय था। आरम्भमें चाय-पात था, उसके साथ वार्तालापमें मैंने अड़ोस-पड़ोसके क्वार्टरोंके बारेमें पूछा तो ज्ञात हुआ कि स्थिति वैसी ही है जैसी सरकारी क्वार्टरवासियोंकी होती है। किसमें कौन रहता है यह कोई नहीं बता सकता था; इन प्रकारकी सूचना मिलती थी कि 'मद्रासी है', या 'बनिये है', या 'अमुक दज्जर

या मिनिस्ट्रीमें है, नाम तो नहीं मालूम'। गोष्ठी आरम्भ हुई तो मुझसे भी पूछा गया कि क्या मैं जनताका साहित्य लिखता हूँ—क्या मेरी कृतियाँ 'मानेज' के लिए हैं? नहीं तो क्यों नहीं?

×

×

×

कवियोंका प्रकृति-पर्यवेक्षण गम्भीर होना चाहिए, या कि सामाजिक प्राणीके नाते लेखकको अपने प्रतिवेशीके सुख-दुःखमें प्रवेश करना चाहिए और उससे मानवीय रागात्मक सम्बन्ध रखना चाहिए—ये उपदेश पुराने हैं। ऊपरकी घटनाओंको ऐसी बातकी पुष्टिके लिए प्रस्तुत करना भी पुरानी बात है। दूसरी ओर, कालिदासने कही 'जयन्' शब्दका प्रयोग किया है इससे प्रमाणित होता है उन्हें ज्योतिषका पूरा ज्ञान था, या कि बिहारीका 'राधा नागरि सोय' उनके आयुर्वेद-ज्ञानका प्रमाण है, या कि अमुक ग्रन्थमें अस्ती किस्मकी घामोका नामोल्लेख है इससे लेखकके अगाध प्रकृति-ज्ञानका कुछ अनुमान हो सकता है, इस तरहकी पुविनमाँ भी बहुत सुनी जा चुकी है। मुझे जो कहना है वह भिन्न है।

और वह यह, कि इस प्रकारके उपदेश उन लोगोंके लिए व्यर्थ होने जिनके दृष्टान्त दिये गये हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें ये अमान्य होते, बल्कि इसलिए कि वे इनसे पूर्णतया सहमत होते—सहमतिके वास्ते और बावजूद उनकी वह स्थिति होती, बल्कि थी, जिसका उल्लेख किया गया है।

मुझे यह उतनी सोचनीय बात नहीं जान पड़ती कि लेखकका प्रकृति-परिचय अधूरा हो, या कि उसके मानवीय सम्बन्धोंकी परिधि बहुत छोटी हो, मुझे यह बात छतरनाक जान पड़ती है कि 'श्रुति', 'मानव', 'जनता', 'मानेज'—ये सब उसके लिए अनुभव-गोचर यथार्थ न रहकर मानविक परिचल्यनाएँ, एक्स्टेंकट विचार-तत्त्व बन जावें। पर्यवेक्षणका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, अनुभवकी कभीकी पूरा किया जा सकता है, पर अनुभव-

गम्य यथार्थसे कट जानेपर उससे फिर सम्बन्ध जोड़ना वहीं कठिन होता है, और परिश्रम-साध्य होना है, अपने-आप तो कमी जुड़ ही नहीं सकता । अनुभवकी कमी लेखकको केवल असमर्थ बनाती है, पर यथार्थका यह बौद्धिकीकरण उसे आततायी होनेका अतिरिक्त सामर्थ्य दे देती है । जो व्यक्ति पशु-पक्षी, तरु-लता-फूल-पत्ते, प्रकाश-छाया, रंग-रूप-गन्ध-स्वनि-रस इत्यादिको सद्वत् नहीं पहचानता वह केवल अबोध है, केवल सोया हुआ है; लेकिन जो इनको न पहचानता हुआ 'प्रकृति-प्रेम' की बात करता है वह भरमानेवाला है—वह नशा करके सोया है । जो इन मनुष्य, उस मनुष्य, अनेक मनुष्योंको अलग-अलग जीवन्त और सवेदनशील इकाइयोंके रूपमें नहीं जानता और अपनाता वह मूढ़ है, किन्तु जो इसके बावजूद 'जनता' 'मानवता' 'मामेज' आदिके नामपर आह्वान करता है वह वैसा मूढ़ है जिसके हाथमे आग है ।

X

X

X

मैं बार-बार सोचता हूँ कि हमारा साहित्य, हमारा सम्पूर्ण कला-कृतिरत्न, यथार्थके इस बौद्धिकीकरणसे आक्रान्त है । यथार्थको यथार्थवत् ग्रहण कर सकनेकी हमारी क्षमताको वह कुण्ठित कर रहा है ।

यह ठीक है कि स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर बढ़ सकना विकासका लक्षण है । एक चीज और एक चीज और एक चीजसे बढ़कर सख्या 'एक' की प्राप्ति और उससे 'इकाई' का बोध, एक मानव और एक मानव और एक मानव की पहचानसे मानव-मानकी उपलब्धि और उससे 'मानवता' की परिकल्पना—यों बढ़ना बुद्धिकी धर्म है । किन्तु 'क'से 'ख' तक यों बढ़ना कि दोनों एक ही व्यासमें आ जावें एक बात है, यों आगे निकल जाना कि 'ख'को पानेमें 'क' खो जाय दूसरी बात । चौमहला भवन बनाना एक बात है, चौथी मंजिलपर पहुँच कर पहलीकी नीव खोदना दूसरी बात !

कृतिके लिए अनुभवकी सर्वोपरि महत्तापर आप्रह क्या मेरा दुराग्रह

या पूर्वग्रह मात्र है ? मेरी समझमें समय-समयपर इसकी आवश्यकता पड़ती रही है, और बलाके क्षेत्रमें यह आग्रह नाना रूपोंमें प्रकट हुआ है। सर्वत्र या सर्वथा उत्तम एक-मात्र आत्म-बोध या आत्म-वेदना न हो ही यह अलग बात है। भक्ति-आन्दोलनमें अनुभूतिकी यथार्थताका एक प्रकारका आग्रह था, छायावादी आन्दोलनमें एक दूसरे प्रकारका, और— यदि समकालीन प्रकृतिके बारेमें एक अनात्मनिक स्थापना मुझे करने दी जावे—नयी कवितामें एक तीसरे प्रकारका आग्रह है। 'आत्मविषय को शत्रुवादी धारदार विदम्बना'के विरुद्ध, वास्तवके एतादृशत्वका अग्रह स्पष्ट नहीं है, निरर्थक नयेपनका या वीरिष्ट्यका आग्रह नहीं है, बहुरूपता सही और विद्विषदायक पहचानका आग्रह है। मैं तो यह भी बताना अनुचित नहीं समझता कि छायावादकी 'अनन्तकी प्यास' और नये कविताका 'क्षणिक दर्द' एक दूसरेसे इस अर्थमें दूर नहीं है कि दोनों एक-दूसरेकी प्राथमिकता और आत्मन्यतापर बल देना चाहते हैं। इससे कोई कहना चाहे कि तब नयी कवितामें नया कुछ नहीं है, और अन्तर्गत बातके समर्थनमें मेरा माध्य दे, तो मुझे आगि नहीं। नये कवितामें नया कुछ कभी नहीं हुआ—हो ही क्या सकता है ? केवल अन्तर्गत होता है, और वही नया अर्थ दे देता है। जो नये सन्दर्भको स्वीकार तैयार है, वह अपने आप नया हो जाता है और उसमें अन्तर्गत-संगतता है...

दुलिया
 रखनेकी
 सहोदय

लेखक और प्रकाशक

कुछ लेखक मुझसे शायद इस बातपर ईर्ष्या भी कर सकते हैं कि प्रकाशकके साथ मेरा पहला साक्षात्कार मेरी पहली रचनाको लेकर नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको अपना दुर्भाग्य ही मानता हूँ। क्योंकि बादमें स्वयं मुझे जो अनुभव हुए, और दूसरोंके अनुभवोंके जो प्रामाणिक वृत्तान्त मुझे मिले उनके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि नये लेखक और प्रकाशकका संपर्क लेखक-जीवनका एक बहुमूल्य अनुभव है, और इस सघर्षसे अछूते रह जाना बच जाना नहीं, बल्कि बंचित हो जाना है। शरीरपरके पात्र जिस प्रकार मूरकी मूरमार्दका परिचय देते हैं, और वणहीन शरीर बीरताको भी मन्देहास्यद बना देता है, उसी प्रकार किमी लेखकके कमी प्रकाशकके चोट न खानेका अर्थ भी यह लिया जा सकता है कि यह वास्तवमें लेखनोद्गीरी नहीं है—शौकिया लिख-लिखा लेता है, निरा 'एम्प्योर' है। मध पृष्ठ तो मैं भी आरम्भमें लेखन-जीवी नहीं था। मेरी पहली पुस्तक जब छपी तब मैं जेलमें सरकारको मेहमाननिवाडोसे लाभ उठा रहा था; और दूसरी पुस्तक यद्यपि छपी मेरे जेलसे आ जानेके बाद, तथापि प्रकाशकके उसकी लिखा-गई कुछ अनुग्रहशील सन्पादकोंकी मध्यस्थतासे पकड़े ही हो गयी थी। लेकिन इस प्रकार लेखक-जीवनकी मेरी दीशामें जो कमी रह गयी थी उसे बादके अनुभवोंने पूरा कर दिया। करेतेके मोम चड़ा होनेमें फिर भी कोई कमर रह गई होती, तो यह अपनी दो-एक पुस्तकोंका प्रकाशक बन बन मैंने पूरी कर ली!

अगर मुना जाता है कि लेखन और प्रकाशन अप्योत्पादित है : एकके बिना दूसरेका कल्याण तो हो ही नहीं सकता, जीवन भी सम्भव नहीं है। यह कुछ बीगो ही बात है जैसी यह, कि विज्ञान प्रगतिरा स्यात्

है। अणु-बम और उद्‌जन-बम वैज्ञानिक प्रगतिके सूचक हैं, नि.सन्देह, लेकिन प्रगति किस दिशामें ? प्राणिशास्त्र और घनस्पति-शास्त्रमें परस्पर आश्रयके दो रूप बताये जाते हैं : एक जिसे 'सहजीविता' कह सकते हैं—जिसमें दो प्राणी या उद्भिज एक-दूसरेको जीवनकी सुविधा देते चलते हैं; दूसरी जिसे परोपजीविता कहा जाता है और जिसमें एक प्राणी या उद्भिज दूसरेके सहारे जीता हुआ उसका प्राण-रस चूस लेता है और उसके विनाशका कारण बनता है। आदर्शोंकी धात अलग है—आदर्शमें विज्ञान मूलतः कल्याणकारी है और प्रकाशन भी मूलतः कल्याणकारी है। लेकिन समकालीन वास्तविकता देखें तो मानना होगा कि प्रकाशन भी लोक-कल्याणसे उनना ही दूर है जितना कि विज्ञान।

वाल्मीकिके समय प्रकाशक नहीं थे। उससे रामायणकी कल्याणकारिता में कुछ कमी आयी हो ऐसा नहीं जाना गया। व्यास इस हदतक आधुनिक हो गये थे कि उन्होंने एक शीघ्रलिपिकको महाभारत बोलकर लिखा दिया था; लेकिन प्रकाशक तब भी नहीं थे। महाभारत-रूपी ज्ञान-महार्णव इस-लिए सूख गया हो, या उसके लेखककी उपजीविका मारी गयी हो, इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रकाशक और लेखकका सम्बन्ध साँप और नेवलेका है, अथवा साँप और भेड़कका अथवा साँप और छछूँदरका—इस बारेमें बहस हो सकती है; लेकिन सध मानिए कि हर हालतमें साँप प्रकाशक ही है ! बाकी यह लेखककी प्रतिभापर निर्भर है कि वह भेड़ककी तरह लील लिया जाता है, या कि छछूँदरकी तरह 'शीलें बनै न बनै विनू गोलै' की स्थितिमें प्रकाशनके गलेमें अटका रहता है, या कि फिर न्योलेवी तरह उसपर हावी हो उठता है। लेकिन कौरी सिद्धान्त-वर्चा छोड़कर अपने अनुभवपर आवें।

अभी मैं जेल हीमें था कि एक प्रकाशकने एक पुस्तककी पाण्डुलिपि देखनेको मँगायी थी। उसके बाद आज तक न तो वह पाण्डुलिपि देखनेको मिली, न उसका कुछ और पता लग सका। अब तो वह प्रकाशक महोदय

भी स्वनामधन्य हो गये हैं इसलिए उनके बारेमें अधिक कुछ कहना प्रयोग होगा। और एक थे, जिन्हें पाण्डुलिपिके साथ एक संस्करणके कागजके दा भी दिये थे। तब तक इतना सीख लिया था कि पुस्तककी प्रतिलिपि अब अपने पास रखनी चाहिए, इसलिए पुस्तकका तो उद्धार हो सका; लेकिन वह रपया उन्होंने किस हिमायतमें बराबर कर लिया, यह आज तक न आ पाया। एक ऐसे भी मिले जिन्हें पुस्तक उनकी ओरसे स्वयं छपाकर दी यह सज्जन छपाईका हिमायत-विभाव तो क्या चुनाते, पुस्तक ही बेचकर खा गये। लेखकका दुर्भाग्य यह है कि वह जब ऐसे अनुभव सुनाता है, तो उसका स्वर भी अभियोक्ताका स्वर नहीं होता, क्योंकि सुननेवाले सब उसीकी अभियुक्त ठहराते हैं—क्यों उसने ऐसी मूर्खता की? बचपनमें क्या सुनै थी कि गुड एक बार भगवान्‌के पास फरियाद लेकर गया कि “भगवन्, मुझे बचाइये, जो मुझे देखता है खानेको दौड़ता है।” भगवान्‌जीने उस मुसकराकर कहा, “भैया, तनिक दूर खड़े होकर बात करो”—क्योंकि गुडको इतना निवट देखकर स्वयं उनका जी ललच आया था। कुछ वैसी ही दशा बेचारे लेखकको है।

जिन दिनों मैं लाहौरमें था उन दिनों, हमारे पड़ोसमें एक नया बैंक खुला था। मुझे तो बैंकसे काम ही क्या पटता, लेकिन एक मित्रने बताया कि उन बैंकमें जो कोई नया हिमायत खोलने जाता था उसकी बड़ी छानि होती थी। मैंनेजिग डायरेक्टर साहब स्वयं उससे मिलते थे और उने खास पिलाते थे। लेकिन एक बार रपया जमा करा कर जो व्यक्ति फिर खर्च निकलवाने आता उसको बिलकुल दूसरी ही स्थितिका सामना करना पड़ता। या तो मैनेजर या बड़े एकाप्टेण्ट साहबकी अनुपस्थितिके कारण बैंक पास न हो सकता, या फिर बैंक बाटनेवालेके हस्ताक्षरोंमें कोई घुटि निकल आती, या कोई दूसरी अड़चन बना दी जाती। अब तो कौन नियन्त्रणके कारण बैंकोंमें ऐसी हरकतें बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन प्रकाशकोंके लिए यह बाधें हाथका खेल है। आप अगर कुछ भी जाने हुए

लेखक है तो पाण्डुलिपि लेकर प्रकाशकके पास जाइये, आपकी खातिर करके वह पाण्डुलिपि तो हथिया लेगा। अगर उसको आशा हो कि आप बापीराइट भी उसके नाम कर दे सकते हैं तब तो वह आपको पत्नीके लिए साड़ी और बच्चोंके लिए खिलौनेसे लेकर अन्न-कष्टके समय देहरादून के बडिया बासमती चावल आपके घर पहुंचाने तक सभी तरहके उपचार कर सकता है। लेकिन एक बार अधिकार उसे दे दीजिए—बस उसके बाद राह चलते आपको पहचान ले तो भी समझिए कि मुरब्बत दिखा रहा है !

या फिर दूसरा पैतरा यह हो सकता है कि पाण्डुलिपिकी बात सुनकर ही आपको एहसानसे लाद दे। अगर आप नये लेखक हैं तब तो निश्चय मानिए कि उसका रवंया यही होगा। “अजो साहब, आज-कल कौन जनरल पुस्तकें छापनेका साहस कर सकता है ? आज-कल तो आप जानते हैं सिर्फ रीडरें चलती हैं। हमने अमुककी पुस्तक छापी थी, पांच प्रतियां भी नहीं बिकी। और अमुककी पुस्तक—हम जानते थे कि उसकी एक भी प्रति नहीं बिकेगी, लेकिन बेचारेकी धुरी हालत थी—हमने सहानुभूतिवश छाप दी। आखिर प्रकाशक भी तो इन्सान है !”

बैसे कुशल प्रकाशक इन पैतरेकी परिधिके अन्दर भी कई तरहकी नफासत दिखा सकता है। जैसे, “अच्छा अब आप आये हैं तो रस जाइये पाण्डुलिपि ! मैं देखूंगा—” और फिर कलकसे कह दे कि ‘यह महाशय फिर आवें तो भीतर मत भाने देना, या कोई बहाना बनाकर टाल देना।’ या यह भी हो सकता है कि, “देखिए साहब, यह किताब छपने-छपानेकी तो है नहीं। लेकिन आपने परिश्रम किया है—पहू लीजिए पचास रुपये से जाइये—पुस्तकके राइट हमारे नाम लिख जाइए—हमारे पास पनी रहेंगे—और नहीं तो यही समझ लीजियेगा कि हमारे पास अधिक मुरशिद है !”

इसीका और भी परिप्लुत, और इसलिए और भी खतरनाक रूप

यह होता है कि “साहब, आर तो जानते हैं इन युगमें चीज नहीं बिकनाम बिकता है। चीज किन्नी ही अच्छी हो, जब तक उनके माय कं बडा नाम न हो, कोई उसे पूछना ही नहीं। और बड़ा नाम हो तो उस साय चाहे जो कबाड़ जोड़ दीजिए चल जायेगा!” इसके बाद प्रकाश अपने कथनकी पुष्टिमें ब्योरेवार बता देता है कि किस-किस नेताके नाम कौन-कौन-सी रद्दी पुस्तकें छपी या बिकी या पुरस्कृत हुई हैं, और कौन कौनसे महद्ग्रन्थ या तो पाण्डुलिपिके रूपमें ही दीमकों द्वारा खा लिये गे हैं या छपकर चाट-पकौड़ी या परचून लपेटनेके काममें आते रहे हैं—केवल इसलिए कि उनके लेखक पहले ख्यात-नाम नहीं थे।

इतना लेखकका होसला पस्त करनेके लिए काफ़ी होना चाहिए इसके बाद वह या तो अपने कागज़-पत्र लपेटकर मुँह लटकाये चल देग या फिर—जैसी कि प्रकाशक आशा कर रहा है—क्रिकर्तव्य भावसे उसी से पूछेगा, “तो फिर आप ही कुछ सलाह दीजिए न?”

प्रकाशकने तो यह भूमिका रची ही है सलाह देनेके लिए! वह कहता है : “आप तो साहित्यकार हैं, आदशके लिए लिखते हैं। नामका मोह आपको तो है नहीं। मेरी राय तो यही है कि आप ऐसी तरकीब कीजिए कि आपको चीज भी लोगोके सामने आ जाये और आपको कुछ लाभ भी हो जाये। असल चीज तो यही है कि उत्तम साहित्य अधिकसे अधिक लोगोके सम्मुख आये, लेखकके नामसे क्या आता-जाता है? आखिर पुराणों-उपनिषदोंके लेखकोंका किसे पता है?”

इस तरहकी थोड़ी और प्रभावोत्पादक बात-चीतके बाद वह उपाय यह बताता है कि लेखक पाण्डुलिपि उसे दे दे, वह किसी प्रसिद्ध ब्यक्तिसे अच्छे पैसे दिलवा देगा और उसके नामसे पुस्तक छपवा देगा। इससे लेखकको पारिधमिक भी मिल जायेगा और उसकी पुस्तक भी प्रकाशमें आ जावेगी। उपर प्रसिद्ध ब्यक्ति भी प्रसन्न और साय-साय थोड़ा और प्रसिद्ध हो जावेगा, और प्रकाशकको भी थोड़ा-सा लाभ हो जावेगा।

इस प्रकार सबको लाभ भी हो जावेगा और लोक-कल्याण भी — 'बहुजन-हिताय, बहुजनसुखाय' के आदर्शका इससे अच्छा निर्वाह और क्या हो सकता है ?

इतनी बात तो प्रकाशक आसानीसे कह सकता है। लेखक उसे समझ्यो न मानेगा तो भी व्यवहार-कुशल यथार्थवादी तो मान ही लेगा। इससे आगे प्रकाशक यह बताना आवश्यक नहीं समझेगा कि वह 'प्रसिद्ध व्यक्ति' शायद किराी पाठ्यक्रम समितिका सदस्य भी है, या कि कागजके कंट्रोलरका रिश्तेदार है, या सिमेटके परमिट दिला सकता है। उसे साधकर प्रकाशक भविष्यमें अपना कौन-सा काम निकलवानेकी आशा कर रहा है, ऐसी घरेलू बातोंसे लेखकको क्या मतलब हो सकता है ?

या यह भी हो सकता है कि 'प्रसिद्ध व्यक्ति' और कोई न होकर प्रकाशककी पत्नी ही हो—या कि स्वयं प्रकाशक ही हो और पुस्तक उमीके नामसे छपनेकी बात हो रही हो। ऐसा अकसर देखा गया है कि प्रकाशक एक प्रकाशकके रूपमें छोड़कर और हर रूपमें प्रसिद्ध होना चाहता है—चाहे आलोचकके, चाहे कविके, चाहे कवयित्रीके पतिके—या और नहीं तो कवयित्रीके पाणि-प्रायिके रूपमें ही सही ! वह भी न हो तो सम्पादकत्व तो कही गया नहीं है—जो पुस्तक प्रकाशक छाप रहा है उस पर सम्पादकके रूपमें अपना नाम तो वह दे ही सकता है !

प्रकाशकका—या प्रकाशक और लेखकके सम्बन्धका—यह विषय एकाग्री ध्यान पड़ सकता है। क्या ऐसा असम्भव ही है कि प्रकाशक लेखकका हितैषी हो और सत्साहित्यके प्रणयन और प्रचारमें योग दे सके ? असम्भव तो नहीं है। विदेशोंमें इसके कई उदाहरण मिल जावेंगे। भारतमें भी कुछ निष्ठावान् प्रकाशक हुए हैं और अब भी हैं। ऐसे भी प्रकाशक हुए हैं, और हैं, जिन्हें लेखकोंने गृहदूके रूपमें पाया है और जिनकी मंत्री भी बीबीके लिए आत्मिक तृप्तिका आधार बनी रही है। अपनी ही बहू

मैंने अभी जिनकी तरहके प्रकाशकोंका वर्णन किया है, समीक्षा निरीक्षण अनुभव मुझे है, लेकिन गाय ही ऐसे भी है जिनका मैं बन्धुवन् सम्मान करता हूँ। बल्कि यह कहूँ कि मेरे लिए वे सदैव पहले बन्धु रहे हैं और पीछे प्रकाशक। यह लीजिए कि वे बन्धु ही हैं जो कि प्रकाशनका काम भी करते हैं। अदृश्य में नहीं होना चाहता—कोई भी लेखक अदृश्य नहीं होता—लेकिन वस्तु-स्थितिसे आँसू मूँदना भी ठीक नहीं है। हिन्दीके अधिकतर प्रकाशक अभी अनपढ़ और सकीर्ण बुद्धिके हैं। जो अन्वय हैं, उन्हें बारम्बार नमस्कार !

जीवनका रस

समयकी दूरी सभी अनुभवको मीठा कर देती है, तात्कालिक परिस्थितिमें भले ही वे कितने ही तीखे और कटु हों। इसलिए आज यह कहना अनुचित न होगा कि जेलकी मेरी स्मृतियाँ मधुर ही मधुर हैं—उन अनुभवोंकी भी जो तब भी मीठे थे, और उनको भी जो उस समय अपनी कटुताके कारण तिलमिला देते थे या आगकी एक लकीर-सी मनमें खींच देते थे। और शायद यह कहना भी ठीक होगा कि स्मृतियाँ—कमसे कम अधिकांश—कुछ धुँधली भी हो गयी हैं। और शायद यह धुँधलापन भी माधुर्यका एक तत्व होता है क्योंकि जो आज भी पूर्ववत् उज्ज्वल या गहरी है उन्हें ठीक मधुर कहना शायद अनुचित हो—शायद उतना ही अनुचित जितना उन्हें कटु कहना। गहराईका एक आयाम होता है जो अनुभूतिको कड़वी-मीठीकी परिधिसे परे ले जाता है.....

×

×

×

चार-सौ कैदियोंके लिए बनी हुई जेलमें भरे हुए अठारह सौ कैदियोंसे एक जब देखता है कि उसके कुछ साथी भूख-हडताल करते हैं, छिपकर मेवा-बादाम खाते हैं और भ्रूकोजका दारवत पीते हैं, और जेलका डाक्टर उन्हें सहानुभूति देकर भी परेशान है कि उनका वजन घटनेकी बजाय बढ़ता ही जाता है, तब उसे हँसी भी आती है और म्लानि भी होती है; आज स्मृतिमें दोनों ही मधुर हैं। नये कैदीको पुराने पकड़कर जेलकी धोबी-भट्टी के सामने मन्दिर कहकर माया टेकवाने ले जाते हैं—यह भी उसी कोटिका अनुभव है जिसके कालेज-जीवनमें 'क्रस्ट वियर फूल' की खिसियाहटके अनुभव। ऐसा ही है अफीमका धोर-व्यापार करनेवाले एक एम्लो-इंडियन

द्वारा बिना जानके पेश्वर कीर्ती चिट्ठिया पकड़ना गिनाया जाना : दिल्ली जेलमें लाया जानेपर 'गोरा-बारक' में उगे शाही पाकर उगमे कई अनुभव बागें गीगी थीं जिनमें मुख्य यह थी । अहमदनगरे के आमके पेश्वर तांशको बुल-बुल आकर बगेरा करने दे और तांशको हम सोचवतीके गहारे उन्हें मोजकर हाथगे पकड़ लेने थे—गहारे मुझे चिन्ताम नहीं होना था कि ऐसा सम्भव है और तांशगे मुनकर आगको भी न हो—लेकिन मैंने कई बुल-बुल ऐसे पकड़कर पास लिये और उनकी बोलीने मेरे एकान्तमें एक अत्यन्त प्रीतिकर व्यापान हाल दिया—इसी प्रसंगमें यह भी याद आता है कि जेलके दारोगा आये और बुलबुल देखकर जल-मुनकर छाक हो गये, लेकिन नये क्रान्तिकारी बन्दीको यह कहनेका साहस भी न बटोर सके कि वह पत्नी न पालने देंगे—उग बन्दीने दो-तीन दिन पहले शिनाऊके लिए आये मुझबिरकी और उगका बचाव करनेके लिए बीचमें पड़े मजिस्ट्रेटको पीट दिया था । (बादमें स्वयं भी गिटा था—पर कुंदीकी कौन आबरू जागी है, उधर वहीं दारोगाको घांटा पड़ गया तो वन !) इसलिए दारोगायाहब खास निगोरकर अपने बच्चोंके लिए बुलबुल मांग ले गये थे—पर अगली परेडपर फिर नये पत्नी वहाँ बैठे हुए थे—अन्ततोगत्वा मुझको ही दखत बुलाकर वहाँसे एक काल-कोठरीमें भेज दिया गया—

ऐसे हल्के-फुल्के अनुभव और भी हैं । किन्तु गहारे भी अनेक हैं, कुछ तो इतने गहारे कि अभी तक उनसे वह अलगाव नहीं स्थापित कर सका है जो उन्हें साहित्यकी वस्तु बना दे : अभी तक वे मेरे ही अनुभव अधिक हैं । जिनसे तटस्थता पा सका है, उनमेंसे कुछ 'रोखर' में आ गये हैं—कुछ प्रकाशित दूसरे भागमें, कुछ अप्रकाशित तीसरेमें, कुछ शायद आपकी स्मरण भी हों । कुछ कहानियोंमें भी आ गये हैं । बूड़े बाबा मदनसिंह, फत्तकड़ मोहसिन, फांसी पानेशाला रामजी : ये सब नाम सच भी हैं, शूठ भी, क्योंकि अगर काल्पनिक नहीं है तो पात्रान्तरित है । यानी एक मदन-

सिंहसे भी मेरा परिचय हुआ था, एक मोहसिनसे भी, एक रामजीसे भी— पर मेरे परिचयके यथार्थ व्यक्ति और मेरी पुस्तकके पात्र अलग-अलग हैं। पात्रोंके साथ जो घटित हुआ वह वास्तवमें भी नहीं, किमीके साथ तो घटा, पर उस नामके व्यक्तिके साथ नहीं; और प्रायः सब कुछ एक ही व्यक्तिके साथ नहीं। साहित्य-रचनामें चयन भी है, सम्पुजन भी, सघनीकरण भी : क्योंकि सागरके विस्तारको एक आलोक-वैष्टि ब्रूदके विकिरित आलोकके छोटेसे दायरेमें दिखा सकना ही रचनाका काम है, लेखकका वह गुण है जिसे 'दृष्टि' कहा जा सके। 'सोखर' की भूमिकामें और अग्यत्र मैंने कहा है कि दुःख वह दृष्टि देता है; पर ऐसा है तो दुःख किमी भी तीव्र अनुभूतिका नाम है—ऐसी अनुभूति जो संवेदनाको, चेतनाको, घनीभूत आलोक-रूप दे देती है—“रचनाकारकी प्रतिभा ढाकेकी मलमलका पचास हाथका धान बुननेमें नहीं है, उसे अंगूठीमेंसे गुजार देनेमें ही है, यद्यपि शिल्पी होनेके नाते वही मलमल भी बुनता है और अंगूठी तो उसकी है ही। मेरे नाम रचनाकार होनेके नाते क्या है, क्या नहीं है, यह कहना मेरा काम नहीं है; जो मेरा आदर्श है वह मैंने बता दिया।

पर आदर्शोंकी नहीं, घटनाओंकी ही जान बूझें, जिसे आदर्शकी खली-मैने छाना जाता है।

एक हमारे दिन थे जिन्होंने आरम्भमें हमारी बहुत सहायता की, सौहार्द स्थापित करनेके बाद हमें एक बीमरा भी खोरीसे ला दिया कि हम लोग अपने फोटो खींचकर बाहर भेज दें क्योंकि क्या आने क्या होनेवाला है, भावी इतिहासकारको सामग्री तो मिल जाय ! और इस सबसे उनका अगली सजसद क्या था ? कि सारे फोटो पाकर एक सेट पुलिसको दे दें जिससे उसे शिवालयके काममें मुद्रिषा हो जाय और हमारे मित्रको इतनी सतर्कनी मिल जाय कि वह कैंदी स्टोर-कन्वर्टे से बड़कर कैंदी दफ्तर-कन्वर्ट हाँ जावें। दफ्तर चार सौ बीसमें वह चार सालकी कैंद काट रहे थे और अनेक मुद्रिषाएँ प्राप्त रहनेपर भी उन्हें वह परिस्थिति सालनी थी जिसमें

मानी। चार-गी-धीगी प्रतिभाका कोई उपयोग बड़ न कर सकें। स्टोर बचकामि कुछ गुजाइश भी थी, पर ऐसे पड़े-जिने प्रतिमानागो टाके दिर बह भयपेष्ट थी—इतरकी बचकामि तो अनेक सम्भावनाएँ भरी थीं ! हमारे गाथ उन्हें गरजना नहीं मिली क्योंकि हमने उन्हें बागनेमे पहुँचे छोड़ो लेकर फिल्म आदि सब अन्य मापनोमे बाहर भेज दिये और सब बँदल उन्हें लौटाया कि 'उगमे कुछ काम नहीं हो सकता—बारकमे छोड़ो लेना योग्यता काम है'। बड़ एगा गिनियाये कि पष्टे भर बाद ही हमारे तलानी हो गयी—गापद उन्होंने सोचा हो कि फिल्म अभी जेलमें ही है ! पर बेचारे तरकी पानेसे रह गये ।

एक और घटना याद आती है : वह दूसरी कोटिको है। उसपर हँसा भी जा सकता है, और उसे जुगुप्सा-जनक भी माना जा सकता है, पर मैं हँसना नहीं हूँ, न सिझकना हूँ : गहरी मानव अनुभूतिमें अपनी एक अभुण्ण, अभ्रंश्य पवित्रता होती है जिसे दर्नककी क्षुद्रताएँ छू नहीं सकती ।

हमारे बार्डरोमें, जो हथियार-बन्द अनिरिक्ता पुलिससे बदलकर दिये गये सिपाही थे—एक युवक था जो गाता था। प्रायः इपूटीपर वह कोई तान छेड़ देता : उसका गला मोटा था और उसमें वह गुण पर्याप्त मानने या जिसे 'सोत्र' कहते हैं। हमारे बारकके साथ ही जनाना बार्डका पिछ-वाड़ा था और बार्डरकी दौड़ दोनोंके बीच होती थी। जनाना बार्डमें एक 'पगली' थी जिसकी चोख-चिल्लाहट हम प्रायः सुनते थे—इसीसे हम उसे पगली जानते थे, यद्यपि यह भी हो सकता है कि वह, केवल एक दबंग विद्रोहिणी नारी रही हो। जो हो, बार्डरका गाना सुनते ही वह शान्त हो जाती थी और कभी-कभी उत्तरमे गाने भी लगती थी।

हम लोग इस रोमासका रस लेते थे। रस कहीं भी लिया जा सकता पर जेलमें दूसरोके रोमांसमें कुछ अतिरिक्त दिलचस्पी हो जाना स्वाभाविक

है ! क्रमशः बात फैल गयी; अन्तमे वार्डरकी बदलीकी आज्ञा आ गयी । अपनी अन्तिम ड्यूटीपर, जब उसके जवाबमें वह स्त्री गाने लगी तो, उसने पुकार कर कहा : “अब क्या गाना—आज रुलसत है ।” इतना हम लोगों ने भी सुना, उसके बाद सन्नाटा-सा रहा और हमने बात खतम समझी । पर थोड़ी देर बाद बाहर गुल-गपाडा सुनकर हम लोग अहातेमे निकल आये । शोर जनाना बारकके भीतरसे आ रहा था, हमें उसकी बाहरी दोवार और ऊपर दो-एक रोशनदान दीखते थे और हम जो कुछ समझ सके वह इन्हींसे छनकर आनेवाले शोरसे, और जो देख सके उससे ।

वह स्त्री भीतर न जाने कैसे रोशनदान तक चढ गयी थी और उसके सीखचे पकडकर और एक टाँग भी उनमें अड्डाकर लटक रही थी । अपनी साडीको कदाचित् उसने कमन्दके काममे लगा दिया था । भीतर नीचे वार्डरानियाँ और दूसरी कैदिने चिग्ला रहीं थी, उसे उतारनेकी जुगत कर रही थी । और वह मानो इन सबसे असम्पुक्त बाहरको देख रही थी । वार्डर नीचे था, स्त्रीने उसे आवाज दी, सीखचोसे हाथ बाहर बढ़ाया पर वह पहुँचसे बहुत दूर था, फिर सहसा उसने झटकेसे अपनी चोली फाड कर बाहर गिरा दी, वार्डरने उसे उठा लिया और दोनों एक-टक एक-दूसरेको देखते रहे । तभी—भीतर शायद सोडी मँगा ली गयी थी—स्त्रीको पीछे खींच लिया गया और शब्दसे हम पहचान सके कि उसे पेटियोसे पीटा जा रहा है....

उसी रात वार्डरकी बदली हो गयी, दो-एक दिन बाद स्त्री भी कहीं भेज दी गयी—शायद उसे सजा हो गयी ।

घटना इतनी ही है, और इसके बारेमें कुछ कहना न आसान है, न उचित; इतना ही कि मेरे निकट यह भी वैसी एक सोनेकी अँगूठी है जिसमेसे गूडो मलमल गुजारी जा सकती है—और उस मलमलसे बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रपंच फैलाया जा सकता है । पर घटनामे निहित मानवीय भावनाका जो सत्य है उसका और कुछ नहीं किया जा सकता मित्रा उसको चुप-चाप

स्वीकार करनेके । विमानमें सिमी बगुनो हवा करनेके लिए उसे तिन करने हैं और सब बंद उड़ सकती है, पर मानवीय मीठानमें उसी मान्य ही उंगे एक स्थान पर से जाती है जब बंद धरातलमें उड़ कर एक स्थान बगुनो हो जाती है ।

मैंने कहा कि गणपती दूरीपर सभी कुछ मीठा है क्योंकि कभी कुछ भुंगला भी है—पर जो भुंगला नहीं है, उसे मीठा कहना उतना ही ठीक ज धेटीक है बिना उसे कटुवा कहना । वह प्रोग्रसिव है और इन दोनों रसोंमें परे है—जीवनका रस कटुवा-मीठा कुछ नहीं है, बल्कि तन-रस है विमानमें सब रस गमाये है ।

लेखक है तो पाण्डुलिपि लेकर प्रकाशकके पास जाइये, आपकी खातिर करके वह पाण्डुलिपि तो हथिया लेगा। अगर उसको आशा हो कि आप कापीराइट भी उसके नाम कर दे सकते हैं तब तो वह आपकी पत्नीके लिए साड़ी और बच्चोके लिए खिलौनेसे लेकर अग्न-कष्टके समय देहरादून के बड़िया बासमती चावल आपके घर पहुँचाने तक सभी तरहके उपचार कर सकता है। लेकिन एक बार अधिकार उसे दे दीजिए—बस उसके बाद राह चलते आपको पहचान ले तो भी समझिए कि मुरब्बत दिखा रहा है !

या फिर दूसरा पैतरा यह हो सकता है कि पाण्डुलिपिकी बात सुनकर ही आपको एहसानसे लाद दे। अगर आप नये लेखक हैं तब तो निश्चय मानिए कि उसका रवैया यही होगा। "अभी साहब, आज-कल कौन जनरल पुस्तकें छापनेका साहस कर सकता है ? आज-कल तो आप जानते हैं सिर्फ़ रीडरें चलती हैं। हमने अमुककी पुस्तक छपी थी, पाँच प्रतियाँ भी नहीं बिकीं। और अमुककी पुस्तक—हम जानते थे कि उसकी एक भी प्रति नहीं बिकेगी, लेकिन बेचारेकी बुरी हालत थी—हमने सहायु-भूतिवश छाप दी। आखिर प्रकाशक भी

वैसे कुशल प्रकाशक इस पैतरेकी नकासत दिखा सकता है। जैसे, "पाण्डुलिपि। मैं देखूँगा—"

किर

। भी बई तरहकी
 ३ तो रख जाइये
 कि 'यह महाशय
 टाल देना।'
 छपने-छपानेकी
 पचास रुपये
 पान
 हमारे पान अधिक

। भी खतरनाक न्य

मैंने अभी जितनी तरहके प्रकाशकोंका वर्णन किया है, सभीना त्रयो अनुभव मुझे है, लेकिन साथ ही ऐसे भी हैं जिनका मैं बन्धुवत् सम्मान करता हूँ। यत्कि यह कहूँ कि मेरे लिए वे सदैव पहले बन्धु रहे हैं और पीछे प्रकाशक। कह लीजिए कि वे बन्धु ही हैं जो कि प्रकाशनका काम भी करते हैं। अकृतज्ञ मैं नहीं होना चाहता—कोई भी लेखक अकृतज्ञ नहीं होता—लेकिन वस्तु-स्थितिसे आँलें मूँदना भी ठीक नहीं है। हिन्दीके अधिकतर प्रकाशक अभी अनपढ़ और संकीर्ण बुद्धिके हैं। जो अपवाद हैं, उन्हें बारम्बार नमस्कार !

जीवनका रस

समयकी दूरी सभी अनुभवोंको मोटा कर देती है, तात्कालिक परि-
 स्थितिमें भले ही ये कितने ही तीखे और कट्टे हों। इसलिए आज यह
 कहना अनुचित न होगा कि जेलकी मेरी स्मृतियाँ मधुर ही मधुर हैं—उन
 अनुभवोंकी भी जो तब भी मीठे थे, और उनकी भी जो उस समय अपनी
 कट्टाके कारण तिलमिला देते थे या आगकी एक लकीर-सी मनमें खींच
 देने थे। और शायद यह कहना भी ठीक होगा कि स्मृतियाँ—कमने कम
 अधिकांश—कुछ धुंधली भी हो गयी हैं। और शायद यह धुंधलापन भी
 साधुर्मक एक लक्ष्य होना है क्योंकि जो आज भी पूर्ववत् उज्ज्वल या गहरी
 हैं उन्हें ठीक मधुर कहना शायद अनुचित हो—शायद उनका ही अनुचित
 जितना उन्हें कट्टे कहना। गहराईका एक आयास होता है जो अनुभूतिको
 कड़वी-मीठीकी परिधिसे परे ले जाता है”

×

×

×

चार सौ बंदियोंके लिए बनी हुई जेलमें मरे हुए अठारह सौ बंदियोंमेंसे
 एक जब देखता है कि उसके कुछ साथी भूत-हडताल करते हैं, टिपकर
 मेका-बादास खाने हैं और मूवोज़का चरचरा पीते हैं, और जेलका डाक्टर
 उन्हें महानुभूति देकर भी परेशान है कि उनका बदन घटनेकी बजाय बढ़ता
 ही जाता है, सब उठे हंगी भी आती है और म्लानि भी होती है; आज
 स्मृतिमें दोनों ही मधुर हैं। नये बंदीको पुराने पकड़कर जेलकी घोड़ी-जट्टी
 के सामने मन्दिर बहकर साया टेकवाने ले जाते हैं—यह भी उम्मी कीटिका
 अनुभव है जिसके बालेज-ओवनमें 'प्रस्ट विअर फ़ूल' की लिमियाहटके
 अनुभव। ऐसा ही है अजीमका खोर-ब्यापार करनेवाले एक एम्बो-रुद्धियन

द्वारा बिना जालके पेड़पर बँधी चिट्ठिया पकड़ना मिलाया जाना : दिल्ली जेलमें लाया जानेपर 'गोरा-बारक' में उभे साथी पाकर उससे कई अनुभव बातें शीघ्री थीं जिनमें मुख्य यह थी । अहातेके आमके पेड़पर साँझको बुलबुल आकर बगेरा करते थे और रातको हम मोमबत्तीके सहारे उन्हें खोजकर हाथसे पकड़ लेते थे—पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा सम्भव है और शामद मुझसे मुनकर आपको भी न हो—लेकिन मैंने कई बुलबुल ऐसे पकड़कर पाल लिये और उनकी बोलीने मेरे एकान्तमें एक अत्यन्त प्रोत्तिकर ब्यापात डाल दिया—इसी प्रसंगमें यह भी याद आता है कि जेलके दारोगा आये और बुलबुल देखकर जल-मुनकर छाक हो गये, लेकिन नये क्रान्तिकारी बन्दीको यह कहनेका साहस भी न बटोर सके कि वह पक्षी न पालने देंगे—उस बन्दीने दो-तीन दिन पहले शिनाहके लिए आये मुखबिरको और उसका बचाव करनेके लिए बीचमें पड़े मजिस्ट्रेटको पीट दिया था । (बादमें स्वयं भी पीटा था—पर कूदीकी कौन आबरू आती है, उधर कहीं दारोगाको चाँटा पड़ गया तो बस !) इसलिए दारोगासाहब सीस निपोरकर अपने बच्चोंके लिए बुलबुल माँग ले गये थे—पर बंगली परेडपर फिर नये पक्षी वहाँ बँठे हुए थे—अन्ततोगत्वा मुझको ही दफ्तर बुलाकर वहाँसे एक काल-कौठरीमें भेज दिया गया—

ऐसे हल्के-फुल्के अनुभव और भी हैं । किन्तु गहरे भी अनेक हैं, कुछ तो इतने गहरे कि अभी तक उनसे वह अलगाव नहीं स्थापित कर सका है जो उन्हें साहित्यकी वस्तु बना दे : अभी तक वे मेरे ही अनुभव अधिक हैं । जिनसे तटस्थता पा सका हूँ, उनमेंसे कुछ 'शेखर' में आ गये हैं—कुछ प्रकाशित दूसरे भागमें, कुछ अप्रकाशित तीसरेमें, कुछ शायद आपको स्मरण भी हों । कुछ कहानियोंमें भी आ गये हैं । बूढ़े बाबा मदनसिंह, फनकड़ मोहसिन, फाँसी पानेवाला रामजी :—ये सब नाम सच भी हैं, मूठ भी, क्योंकि अगर काल्पनिक नहीं हैं तो पानान्तरित हैं । यानी एक मदन-

सिंहसे भी मेरा परिचय हुआ था, एक मोहसिनसे भी, एक रामजीसे भी— पर मेरे परिचयके यथार्थ व्यक्ति और मेरी पुस्तकके पात्र अलग-अलग हैं। पात्रोंके साथ जो घटित हुआ वह वास्तवमें भी कहीं, किसीके साथ तो घटा, पर उस नामके व्यक्तिके साथ नहीं; और प्रायः सब कुछ एक ही व्यक्तिके साथ नहीं। साहित्य-रचनामें व्यय भी है, सम्पुजन भी, सघनीकरण भी : क्योंकि सागरके विस्तारको एक आलोक-वेष्टित बूंदके विकिरित आलोकके छोटेसे दागरेमें दिखा सकना ही रचनाका काम है, लेखकका वह गुण है जिसे 'दृष्टि' कहा जा सके। 'शंखर' की भूमिकामें और अन्यत्र मैंने कहा है कि दुःख वह दृष्टि देता है; पर ऐसा है तो दुःख किसी भी तीव्र अनुभूतिका नाम है—ऐसी अनुभूति जो सर्वदनाको, चेतनाको, धनीभूत आलोक-रूप दे देती है—रचनाकारकी प्रतिभा दाकेकी मलमलका पचास हाथका धान बुननेमें नहीं है, उसे अगूठीमेंसे गुबार देनेमें ही है, यद्यपि शिल्पी होनेके नाते बड़ी मलमल भी बुनता है और अंगूठी तो उसकी है ही। मेरे पास रचनाकार होनेके नाते क्या है, क्या नहीं है, यह कहना मेरा काम नहीं है; जो मेरा आदर्श है वह मैंने बता दिया।

पर आदर्शोंकी नहीं, घटनाओंकी ही बात कहूँ, जिसे आदर्शोंकी चलनी-मेंसे छाना जाता है।

एक हमारे मित्र थे जिन्होंने आरम्भमें हमारी बहुत सहायता की, सोहार्द स्थापित करनेके बाद हमें एक कैमरा भी खोरीसे ला दिया कि हम श्लेष अपने फोटो खींचकर बाहर भेज दें क्योंकि क्या जाने क्या होनेवाला है, नाबी इतिहासकारको सामग्री तो मिल जाय ! और इस सबमें उनका अमली मजसद क्या था ? कि सारे फोटो पाकर एक सेट पुलिसको दे दें जिससे उसे शिनाल्लके काममें मुविधा हो जाय और हमारे मित्रको इतनी तरक्की मिल जाय कि वह कैदी स्टोर-क्लर्कसे बढ़कर कैदी दफ्तर-क्लर्क हो जायें। दफ्तर चार सौ बीसमें वह चार सालकी कैद काट रहे थे और अनेक मुविघाएँ प्राप्त रहनेपर भी उन्हें वह परिस्थिति खलती थी जिसमें

आपकी बात भी-की भी परिभाषा कोई उपाय न कर सके। उन्हीं कर्तव्यों के कुछ संवादों को भी, पर ऐसे गढ़े विषये परिभाषायुक्त उनके लिए नद भावने की थी—इसकी कल्पना तो अनेक सम्भवताएँ थी थीं। हमारे साथ उन्हें साक्षात् मही विधि का कि हमने उन्हें बगलने के पहले को तो लेकर किम्प अर्थात् सब भाव साधने के बाद भेज दिने और सब केना के हे मीमांसा कि 'उमने कुछ काम मरी हो सकता—बादमें को तो लेना प्रोत्साहन का है'। वह ऐसा विचारने कि कहे घर बाद ही हमारी गवाही हो गयी—साथ ही उन्हीं मोषा हो कि किम्प अभी प्रोत्साहन ही है। पर बेबाके तत्काली काने के रूढ़ गये।

एक और घटना यह भी है वह दुगरी कोटि की है। उन्हीं होगा भी आ सकता है, और उन्हीं नमुना-जनक भी माना जा सकता है, पर में होगा मरी है, न सिद्धता है : गहरी मानव अनुभूति में आनी एक अन्वय, अर्थात् परिभाषा होती है विषये दर्शकों धुन्नाएँ छू नहीं सकती।

हमारे बाहरों में, जो हृषिकार-वन्द अनिरिक्त पुलिने बदनकर दिने गये गिनाही थे—एक युवक था जो गाता था। प्रायः हृदयपर वह कोई तान छेड़ देना : उगता गाता मीठा था और उन्में वह गुण पर्याप्त मानने था विषये 'सोव' करने है। हमारे बाहरों के साथ ही उनाना बाईका रिफ-बाड़ा था और बाईरकी दोड़ दोनोंके बीच होनी थी। उनाना बाईमें एक 'पगली' थी जिसकी चील-बिल्लाहट हम प्रायः सुनते थे—दूसरे हम उन्हें पगली जानते थे, यद्यपि यह भी हो सकता है कि वह केवल एक दलंग विद्रोहिणी नारी रही हो। जो हो, बाईरका गाता सुनते ही वह दान्त हो जाती थी और कभी-कभी उत्तरमें गाने भी लगती थी।

हम लोग इस रोमासका रस लेते थे। रस कही भी लिया जा सकता पर जेलमें दूसरोंके रोमासमें कुछ अनिरिक्त दिनचस्पी हो जाना स्वाभाविक

है ! क्रमशः बात फैल गयी; अन्तमें वार्डरकी बदलीकी आज्ञा आ गयी । अपनी अन्तिम इयूटोपर, जब उसके जवाबमें वह स्त्री गाने लगी तो, उसने पुकार कर कहा : “अब क्या गाता—आज एल्लसत है ।” इतना हम लोगों ने भी सुना, उसके बाद सन्नाटा-सा रहा और हमने बात खतम समझी । पर थोड़ी देर बाद बाहर गुल-गप्पाडा मुनकर हम लोग अहातेमें निकल आये । दोर जनाना बारकके भीतरसे आ रहा था, हमें उसकी बाहरी दीवार और ऊपर दो-एक रोगनदान दीखते थे और हम जो कुछ समझ सके वह इन्हींसे छनकर आनेवाले शोरसे, और जो देख सके उससे ।

वह स्त्री भीतर न जाने कैसे रोगनदान तक चढ गयी थी और उसके सीलबे पकड़कर और एक टाँग भी उनमें अडाकर लटक रही थी । अपनी साड़ीको कदाचित् उसने कमन्दके काममें लगा दिया था । भीतर नीचे वार्डरानियाँ और दूसरी कँठिनें चिड़ला रही थीं, उसे उतारनेकी जुगत कर रही थी । और वह मानो इन सबसे असम्पूक्त बाहरको देख रही थी । वार्डर नीचे था, स्त्रीने उसे आवाज दी, सीलबेसे हाथ बाहर बढ़ाया पर वह पहुँचसे बहुत दूर था, फिर सहसा उसने झटकेसे अपनी थोली फाड कर बाहर गिरा दी, वार्डरने उसे उठा लिया और दोनों एक-दक एक-दूसरेको देखते रहे । तभी—भीतर शायद सीढी भँगा ली गयी थी—स्त्रीको पीछे खींच लिया गया और शब्दमें हम पहचान सके कि उसे घेटियोसे पीटा जा रहा है—”

उसी रात वार्डरकी बदली हो गयी, दो-एक दिन बाद स्त्री भी कहीं भेज दी गयी—शायद उसे सजा ही गयी ।

घटना इतनी ही है; और इसके बारेमें कुछ कहना न आसान है, न उचित; इतना ही कि भेरे निकट यह भी बैसी एक सोनेकी अँगूठी है जिसमेंसे पृथ्वी मलमल गुजारी जा सकती है—और उस मलमलसे बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रपञ्च फैलाया जा सकता है । पर घटनामें निहित मानवीय भावनाका जो सत्य है उसका और कुछ नहीं किया जा सकता सिवा उसको चुप-चाप

स्वीकार करनेके । विज्ञानमें किसी वस्तुको हल्का करनेके लिए उसे बिलक करते हैं और तब वह उड़ सकती है, पर मानवीय संवेदनामें उसकी सभनता ही उसे एक स्तरपर ले जाती है जब वह घरातलसे उठ कर एक दिग्ग वस्तु हो जाती है ।

मैंने कहा कि समयकी दूरीपर सभी कुछ मीठा है क्योंकि सभी कुछ घुँघला भी है—पर जो घुँघला नहीं है, उसे मीठा कहना उतना ही ठीक वा बेठीक है जितना उसे कड़ुवा कहना । वह प्रोज्ज्वल है और इन छोटे रसोंसे परे है—जीवनका रस कड़ुवा-मीठा कुछ नहीं है, वह राम-रस है जिसमें सब रस समाये हैं ।

कवि-कर्म : परिधि, माध्यम, मर्यादा*

नये और पुराने लेखक या कविको तुलना करें तो एक उल्लेखनीय अन्तर हमें दीखता है। पुराने जमानेके कवि भिन्ना अपने कुल-परिचयके अपनी अधिक चर्चा नहीं करते थे। वह कुल-परिचय भी एक परम्पराका निर्वाह-सा होता था, और उसके अलावा शायद उमका एक कारण यह भी था कि उम बालके कवि भौतिक परम्परासे चलते थे और उममें कृत्रिमता का नाम-गता बतानेका यह साधन ही सकता था कि उसे भी काव्यका अंग बना दिया जाये। किन्तु इस आधारपर जहाँ एक ओर हम मानते हैं कि प्राचीन कवि आत्रके कविसे अधिक शालीन और शीलवान् था क्योंकि मान्य-

*सागरकी साहित्यिक संस्था 'रचना'के सामन्त्रणपर संस्था द्वारा निम्नलिखित विषय 'मेरी रचना' पर दिये गये भाषणका प्रति-लिखित रूप। भाषणका अधिकतम सस्या द्वारा उसी समय रिकार्ड कर लिया गया था, उसीसे प्रतिनिधित्व करके इसका प्रकाश किया जा सका। जैसा कि भाषणमें स्पष्ट कहा गया है कि विषयके अधीन सीधे-सीधे अपनी या अपने पृष्ठ-भूमि अथवा

गहरा प्रभाव उसके लेखनपर पड़ता है। हमें न केवल इस परिस्थितिको ध्यानमें रखना चाहिए बरन् उसके कारणोंपर भी विचार करना चाहिए।

क्षेत्र-विस्तार और परिधि-संकोच

स्थितिके कारणोंके विश्लेषणमें मेरी रायमें सबसे पहला स्थान साहित्य-क्षेत्रके रूप-परिवर्तनको देना चाहिए। ऊपर मैंने जिस दृष्टिपूर्तिकी बात कही है, वैसे ही कुछ सन्तुलन साहित्य-क्षेत्रमें भी देख सकता है और इस लिए एक-साथ ही दो परस्पर-विरोधी जान पड़ने वाली बातें भी कही जा सकती हैं—एक तो यह, कि साहित्यका क्षेत्र विस्तृत हो गया है; और दूसरी यह, कि उसको परिधि सकुचित हो गयी है। किन्तु अपने-अपने ढंगसे दोनों सही हैं, और आजके कृतिकारकी स्थितिके निरूपणके लिए दोनों प्रकारकी प्रक्रियाको समझना आवश्यक है।

पहले क्षेत्र-विस्तारकी प्रक्रियाको लें। पुराने जमानेके कवि या तो जन-कवि होते थे, या राज-कवि होते थे। जनसे अर्थ आधुनिक राजनीतिक जन अथवा 'मासेज' नहीं है, लोक अथवा प्रोक है। जन-कवि अनाम अथवा अज्ञात-नाम होता है; जन-माध्यम इस अर्थमें 'स्वयम्भू' होता है कि उसकी रचनाको देश-कालके किसी एक बिन्दुके साथ नहीं बाँधा जा सकता। सम्भव नहीं कि प्राचीन-कालमें नामके विषयमें जो दोहरी प्रवृत्ति हम पाने हैं उसका वास्तविक समाधान यही हो कि वे दो अलग-अलग काव्यों की प्रवृत्तियाँ हैं—नामाग्रही प्रतिभा-नवित राज-कवि और अज्ञात-कुलशील, नाम-हीन जन-कवि जिसकी रचना यदि शिथिल वर्गमें पहुँच कर आदृत हुई भी तो 'बन्धुचित्तवेः' होकर ही सुभाषित-भाण्डागारोमें भर ली गयी "जो हो, प्राचीन कालमें ऐसा शायद कोई नहीं हुआ जिसने जन-कवि और राज-कवि दोनों नाम या दोनोंके उत्तरदायित्व निवाहें हो। न उस कालके समीक्षक अथवा पाठकने—और न ही आजके समीक्षकने—

उससे यह माँग की कि वे अनिवार्यतया यह दोहरी माँग पूरी करें। कि आज परिस्थिति यह है कि हम कविसे चाहते हैं कि वह एक साथ जन-कवि भी हो और राज-कवि भी हो। और आज इस बड़ी हुई माँग उन्नतर राजनीतिक रूप भी लिया है जिसके अनुसार इन शब्दोंके अर्थ बदल गये हैं और माँग न केवल बढ़ गयी है बल्कि वहीं अधिक कड़ी भी हो गयी है। इसलिए जन-कवि न कह कर जनता-कवि, और राज-कवि न कह कर राज्य-कवि कहना कदाचित् अधिक उचित हो। जन अब लोक न रह कर जनता है, और राज्योंकी बढ़ती हुई शक्तिने राज-सत्ताका रूप भी बदल दिया है। फलतः आज एक ओर यह आग्रह है कि कवि अपना साहित्यकारको जन अथवा जनताका होना चाहिए और दूसरी ओर यह भी है कि राज्यके प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह होना चाहिए, क्योंकि राज्य भी जन-राज्य है। इस दोहरी आशासे कहीं-कहीं तो बंगाल कोशिस की जाती है कि कविको ठोक-मोट कर जन-कवि, या राज्यका कवि, या एक-साथ ही जन-कवि और राज्य-कवि, बनाया जावे। इसका परिणाम यह होता है कि कवि न तो जनका रहता है और न राज्यका। वह जन-धारण या राज्य-धारण हो जाता है—या एक-साथ ही जन-धारण और राज्य-धारण। यह समस्या, हो सकता है कि हमारे देशमें ऐसी तात्कालिक न हो, केवल दूरकी सम्भावना हो। क्योंकि यहाँ बंगाल नियमनका तंत्रा, कम्मे कम अभी, नहीं है। पर कुल मिला कर आजके साहित्यकी परिस्थितिमें ऐसी प्रवृत्ति बढ़नी ही जा रही है, और हमारे देशकी प्रगति भी इसका अपवाद नहीं है, यह मानना होगा।

स्थितिका और भी अद्भुत पहलू यह है आजका कवि स्वयं यह मान लेता है कि उसको जन-कवि या राज्य-कवि होना है। ऐसे लेखक अमर कम होने जा रहे हैं जो यह कहें कि साहित्यकारका उत्तरदायित्व सबसे पहले अपने प्रति है, दूसरोंके प्रति बादमें है या परिणामतः है। आजकी परिस्थितिमें ऐसा कहना संकल्पनाका दुष्सा नहीं है; इस लिए इस बातको

बहुनेकी आवश्यकता बहुत कम लोप मानते हैं—वे भी नहीं, जो मन ही मन इसे सही मानते होंगे ।

विस्तारका एक पक्ष और भी है । हमारे समाज-जीवनमें जनका महत्त्व क्रमशः बढ़ता गया है । पुराना जो समाज-संगठन था, उन्नतिके साथ-साथ उगमें साधारण जनका स्थान ऊँचा उठता गया है । कलाओंमें और सस्कृतिमें उसे अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है, और उचित ही दिया जाने लगा है—मैं मानता हूँ कि यह औचित्य निरी अनिवार्यतासे गुरतर और दृढतर आधार-पर टिका है । किन्तु इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव साहित्यिक प्रतिमानों या मूल्योंपर भी हुआ है । जन या लोक नामकी समष्टिमें लोगो या अगोंकी संस्कारितके कई अलग-अलग स्तर हैं, कुछ अधिक सस्कृत हैं, कुछ कम, कुछ और भी कम; कुछ पढ़े-लिखे हैं, कुछ साधर हैं, कुछ साधरसे भी जरा नीचे ही—पर इन सबका एक-सा दावा कलाओंपर, सस्कृतिपर और साहित्यपर हो गया है । और अब यह नहीं कहा जाता, और प्रायः माना भी नहीं जाता, कि यह दावा बिन्दुल निराधार है । समान सुविधा और समान पैठको पर्यायवाची ही मान लिया जाता है—न भी माना जाता हो तो इनके अन्तरपर बल तो नहीं दिया जाता । किसी समय भरत यह बता सकते थे कि समाजमें बैठने और काव्य-रस ग्रहण करनेका कौन अधिकारी होता है, उन न्यूनतम गुणोंकी तालिका बना सकते थे जो काव्य-रसिकके लिए अनिवार्य माने जाते थे । वह परिस्थिति अब नहीं रही । आज यह प्रश्न उठाना, कि आप काव्य सुनने या साहित्य पढ़नेके अधिकारी भी है या नहीं इसकी परीक्षा होनी चाहिए, साधारणतया अनधिकार-वर्चा मानी जावेगी । कोई साधर है तो वह पढ़नेका अधिकारी है ही, ऐसा मान लिया जाता है । और न केवल पाठक ऐसा मानता है जो ऐसा मानकर एक अधिकार अपने ऊपर ओड़ ले सकता है, बल्कि लेखक भी ऐसा मान लेते हैं जो इस प्रकार अधिकार नहीं, केवल उत्तर-दायित्व ओड़ते हैं । हम चाहें तो इसे नयी लोकतन्त्रवादी अथवा मानवता-

गचना है, पर इसे मैं निःसंशय भावने जानता हूँ कि सचछो लोकप्रिय बनानेके लिए उसे बन्दाराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसीमें वह मूढ़ हो जाता है। एक तरहसे मैं यह भी समझता हूँ कि मेरा यह विश्वास, मेरे भावके और भविष्यके पाठमें मेरी आलोचकसे अधिक श्रद्धा और सम्मानका चिह्न है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आज नहीं भी समझता है वह कल समझेगा : और यह आवश्यक नहीं समझता हूँ कि मैं आज ही ऐसा मान लूँ कि जो आज मेरी बात नहीं समझता है वह कल भी नहीं समझेगा, और इसलिए मैं आज ही अपनी बात घटिया बंगसे कहूँ—या बात ही घटिया कहूँ।

जिग परिधि-संकोचकी बात मैंने कही है, यह नहीं है कि उसके भीतर अपने लेखन-कर्मकी कठिनाईका मैंने अनुभव नहीं किया है, या-कि तीव्र मानसिक सन्तान और संघर्षके दण मैंने नहीं जाने हैं। पर कला यदि सत्यकी उपलब्धिका या उसके सूचनका एक साधन या माध्यम है, और कलाकार यदि उसकी इस माध्यमिकताकी रक्षाका अपना कर्तव्य न मूले, तो उसकी समस्या हल होकर ही रहेंगी और इसी निष्ठाके सहारे उसका पथ विशद हो जावेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है।

माध्यमकी मर्यादा

दो-एक बातें मैं साहित्यके माध्यम अर्थात् भाषाके विषयमें कहना चाहता हूँ : वह भी हिन्दीके विधिवत् शिक्षित विद्यार्थिकि, या अधीन पाठकके भी नाते नहीं, लेखकके नाते।

मुझे एक लेखककी हैसियतसे यह बात कहनेकी जान पड़ती है—विश्व-विद्यालयोंमें जो पढ़ाया जाता है यह उसके सर्वथा विपरीत है—कि विभिन्न कलाओंके जितने भी माध्यम हैं, भाषाका माध्यम उनमें सबसे अधिक कृत्रिम है। संगीतके सुर होते हैं, उनका अपना एक मूल्य होता है जो

गायत्रीमें उनके उपयोगसे स्वतन्त्र है । गुरुका उपयोग या दुरुपयोग उनके आत्यन्तिक मूल्यको नहीं बदलता । इसी प्रकार विश्वकाके रग या मूर्तिधारके मिट्टी-बन्धन, रत्न-यागु आदि भगना स्वतन्त्र अस्तित्व और सत्ता रखते हैं । किन्तु भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आत्यन्तिक या स्वतन्त्र अस्तित्व रखनेवाला कुछ भी नहीं है । शब्दका आत्यन्तिक या अतीतार्थ अर्थ नहीं है . अर्थ बहो और उतना ही है जितना हम उसे देते हैं बल्कि देनेकी प्रवृत्ति कर लेते हैं । दूसरे शब्दोंमें, ('दूसरे शब्दोंमें कहना' ही अर्थका आरोप करना है ।) शब्दका अर्थ एक सर्वथा मानवीय आविष्कार है, तो एक समय है; जितने अर्थ हैं सभा तदर्थ हैं । हमने मान लिया है कि अमुक एक शब्द-श्रवणका अर्थ अमुक है, उगमे भिन्न कुछ मान लेने तो दूबरा हो जाता । इतना ही नहीं, हमने जो मान लिया है, उगार भी बराबर ज्ञापन नहीं रहने; अर्थ थोडा उपयोग-वीग होता ही रहता है और फिर ये ऊत्तार्थ और अर्थपर शब्दका सारकार या इतिहास बनकर उगमे एक और नया अर्थ जोड देने हैं । इस दृष्टिसे भाषा, बलाके माध्यमोंमें सबसे कमजोर है ।

इसका यह अभिप्राय न समझा जाय कि जो पढ़ाया जाता है उसे मैं किन्तु न समान्य कर रहा हूँ । यह बात भी निरान्त ध्रमपूर्ण नहीं है कि अन्य बलाके स्थूल अथवा मूर्त साधनोंपर निर्भर करती है इसलिए संगीत और काव्य, जिनके साधन सूक्ष्म और अमूर्त हैं, उच्चतर कोटिके हैं । (यद्यपि इतने हीसे इन दोनोंका पद-निर्णय अन्तिम रूपसे नहीं हो जाता— दोनोंकी उच्चताके समर्थनके लिए युक्तियाँ दी जा सकती हैं । संगीत मूर्ध्म स्वरपर निर्भर है, पर काव्य शब्दमें अर्थकी अपेक्षा रखता है, इसी एक युक्तिको दोनोंके समर्थनमें लगाया जा सकता है ।) किन्तु जहाँ तक काव्यका प्रश्न है, इस बातका महत्त्व समझना आवश्यक है कि उसका माध्यम सर्वथा मानवीय है । भाषा सबसे कमजोर साधन है, इसका यह अर्थ नहीं है कि काव्य सबसे कमजोर बला है । बल्कि जिस स्तरपर संगीत

अपने सूक्ष्म साधनमें अर्थकी अपेक्षासे मुक्त हो जाता है और एक आत्यन्तिक मूल्य—स्वर—पर आधारित होता है, काव्य उस स्तरपर भी ऐसा कोई आधार न लेकर मानव-प्रदत्त अर्थकी अपेक्षा किये रहता है, मेरी दृष्टिमें यही उसकी महत्ता है—यह इतना बड़ा उत्तरदायित्व ही उसकी शक्ति का उद्गम है। कहीं, कभी, किसी स्तरपर भी काव्य-कला मानव-तर या मानवापर कुछका सहारा नहीं लेती है या चाहती है, यही उसका सारभूत सत्य, उसका स्वभाव या शील है। मुझे यह बात विशेष रूपसे कहने की जान पड़ती है। लेखकके लिए तो इसका सर्वोपरि महत्त्व है कि वह अपने माध्यमकी शक्ति और मर्यादाको समझे। शिक्षा-व्यवृत्तिमें भाषाके इस पहलूकी उपेक्षा, और मूल्यांकनके लिए इससे होने वाली सैद्धान्तिक काल्पनिकता, इसका महत्त्व और बढ़ा देती है।

अपनी इस दुर्बलता या विशेषताके—विशेषतासे उत्पन्न दुर्बलतासे—कारण भाषा कला-साधनमें ऐसी है जिसका सबसे अधिक आसानीसे दुरुपयोग किया जा सकता है। भाषाकी शक्तिका आज जितना दुरुपयोग दुनियामें होता है, मेरी समझमें उतना किमी युगमें न हुआ होगा। और आज जब शब्दको जन तक पहुँचानेके साधन—रेडियो, माइक्रोफोन और स्टाउडरपीकर इत्यादि—इतने विकसित हो गये हैं, शब्दको दूर-दूर तक पहुँचाया जा सकता है और अक्षिराम दुहराया जा सकता है—यानी जब शब्दके उपयोगकी सम्भावनाएँ बहुत बढ़ गयी हैं—तब उनके दुरुपयोगकी सम्भावनाएँ भी उनी अनुपातमें बढ़ी हैं—इस सतरेको देखना और इसके प्रति सतर्क होना मैं आत्रके लेखक का कर्तव्य समझता हूँ। और मुझे कभी-कभी यह देखकर बेशय और दुःख होता है कि भाषाका ठीक उतरशील ढंगमें उपयोग करने वाले लेखक हिन्दुस्तानमें और हिन्दीमें दिन दिन कम होने जा रहे हैं।

लेखकके नाने अपने माध्यमको मैं इसी सन्दर्भमें देखता हूँ। मैं हिन्दी भाषा लिखता हूँ। बहुत-से लोग ऐसा मानते हैं कि मेरी मातृभाषा हिन्दी

नहीं है। मेरे पूर्वज पत्रावके रहने बाते थे और मेरे माता-पिता भारतमें अधिकतर पत्रावी ही बोलते थे। मैंने सबसे पहली भाषा हिन्दी ही सीधी। यों मेरा जन्म भी हिन्दीकी एक बोलीके प्रदेशमें हुआ और बोलना सीखनेकी आसुके तीन-चार वर्ष मैंने हिन्दीकी ही एक दूसरी बोलीके प्रदेशमें बिताये। त्रिन आलोचकोंको ये तथ्य मान है, उनमेंसे कुछको मेरी भाषामें 'पूर्वी प्रभाव' मितने है, कुछको 'पत्रावी प्रयोग'। कम-से-कम एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही विद्वान्को, पहले कुल-परिचयके कारण केवल पत्रावी प्रभाव दीखे और अनन्तर जन्म-नदातकी सूचना मिलनेपर केवल पूर्वी प्रभाव!

कौनसे, या कौन-कौनसे प्रभाव मेरी भाषामें स्थित होने हैं, मैं नहीं जानता; उपसुंक्त दोनों भी हो सकते हैं। और सम्भव है कि अन्य प्रभाव भी हों, और जो तो उममें कुछ अनौचित्य भी मुझे नहीं दीगता। इतना ही कहूँ कि अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने हिन्दीको कुछ अधिक उत्तरदायी ढंगसे ग्रहण किया—आप चाहें तो यों कह लीजिए कि मैंने मुझे करना पड़ा। मातृ-भाषा मानकर उसकी त्रिननी अवज्ञा की जा सकती थी, वह मैंने नहीं की। भाषा मान कर उसे पढ़कर, समझकर, सही मस्कारी ढंगसे उगका मयन और नियमित उपयोग करके जो किया जा सकता है, भरमक वही मैं करता रहा।

जीवनकी विशेष परिस्थितियोंने मुझियाएँ भी मुझे दी, बठिनाइयोंमें भी मुझे डाला। इनमें एक यह भी थी कि किसी भी मातृ-भाषा या बोलीके मेरा घनिष्ठ सम्पर्क नहीं रहा। आरम्भिक बचपनके बाद अधिकतर हिन्दी प्रदेशके बाहर ही रहना रहा, और वह भी लगातार किसी एक भाषाके प्रदेशमें नहीं। इसलिए त्रिसे वास्तवमें जन-भाषा या मातृ-भाषा कहा जा सके ऐसी किसी भी भाषासे मेरा सम्बन्ध न हुआ—या कि इतनी भाषाओं से हुआ कि उगका उल्लेख अनावश्यक हो गया। पर इससे यह लाभ भी मुझे हुआ कि हिन्दी—ऐसी हिन्दी जो लिखी-पढ़ी जाती है और बोली भी

जा सकती है, ऐसी हिन्दी जिसके लिखे, पढ़े और बोले जाने वाले ढीन अलग रूप नहीं है बल्कि एक ही सहज स्वरूप है—ऐसी हिन्दीका मेरा अभ्यास कुछ अधिक हो गया। और यह इसके बावजूद कि पहले-पहन बोलना हिन्दीमें सीखनेके बाद मेरी शिक्षा आरम्भसे ही क्रमशः संस्कृत, फ़ारसी और अंग्रेजीमें हुई।

इसलिए यद्यपि मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन दूसरी तरहका रहा होता तो मुझे कुछ और लाभ भी हुए होते या हो सकते, यह मैं नहीं मान सकता कि परिस्थितिसे मुझे क्षति ही क्षति हुई। और मैं समझता हूँ कि—अच्छी ही हिन्दी लिख लेता हूँ—परिस्थितिकी इस देनको क्योंकि न समझा जाय।

द्विवेदी-युगमें भाषाके बारेमें जो सजगता और आग्रहशीलता थी वह आज नहीं है। यह ठीक है कि उस युगमें भी जो आग्रह था वह आरम्भिक स्थितिमें पर्याप्त न होता, क्योंकि उस समय व्याकरण-शुद्धिपर और भाषाके प्रतिमानीकरणपर ही अधिक बल दिया जाता था, और भाषा अथवा शब्दका सस्कार व्याकरण-शुद्धिसे अधिक बढ़ी और गहरी बात है। किन्तु द्विवेदी-युगका आग्रह तत्कालीन आवश्यकताके सन्दर्भमें यत्प्रमाण ही था। और उस युगके भी कुछ कवियोंने तथा बादके कई कवियोंने इस बातका गहरा अनुभव किया कि भाषा लिखनेमें व्याकरण-शुद्धिसे अनप भी या अधिक भी कुछ चाहिए। किन्तु छायावादके बाद यह चेतना क्रमशः क्षीणतर होती गयी है। परवर्ती वादोंका नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि इस कुप्रवृत्तिके लिए किसी एक वादको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इतना ही कहूँ कि छायावादी-युगके कुछ कवियोंकी छोड़कर, भाषाके सम्बन्धमें जितनी चेतना कवि अथवा साहित्यकारमें होनी चाहिए, उतनी कम लेखकोंमें रही, और उगे आवश्यक तो और भी कम लेखकोंमें माना। मैं समझता हूँ कि यह हिन्दीकी एक बहुत बड़ी कमी या कमजोरी रही है और है। हम लोगों—लेखकों—मेंगे अनेकोंका यह भाव, कि जितने

समय तो एक प्रकारकी हिन्दीका प्रयोग होना चाहिए जो गरी हो, 'अच्छी हिन्दी' हो, पर बोल-बालमे या दूगरे बामोंमे दूगरे दगणी हिन्दीने भी काम बड गबडा है, यह एक बुनियादी भूड है। भाषाका गस्कार सही बरी होना है जो इतना गहरा हो जावे कि टिराने-बोलने समय ही नहीं, स्वयं देखने समय भी यह प्रश्न न उठे कि भाषा सही है या नहीं। सही भाषा जय गह्वर भाषा हो जाय तभी यह वाग्म्यमें गहो है। इस सहजताकी मापना हम हिन्दी लेगवाने स्पष्ट नहीं की, ऐसा मुझे लगता है।

आधुनिकता : वस्तु और नैतिक मूल्य

वाग्म्यकी वस्तुके बारेमें भी कुछ बहनेरी गुमाडन है। मैं मानता था कि यह बतानेकी आवश्यकता न होनी चाहिए कि वाग्म्यका विषय और वाग्म्यकी वस्तु अलग-प्रलग थोडे हैं, पर हिन्दी आलोचना पढ़कर बार-बार समझना पडता है कि इस बुनियादी बातको स्पष्ट बहने और दोहरानेकी आवश्यकता है। बहिर् बोई नया विषय लेकर भी वही पुरानी वस्तु भी दे सकता है, और बोई पुराना विषय ले कर नया वस्तु भी दे सकता है। इस लिए वाग्म्य बंसा है, यह विचार करनेके लिए विषय कंसा है, या क्या है, या नया है या पुराना है अथवा नहीं है, इसकी परीक्षा उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि उतनी वस्तुकी परीक्षा। विषय भी छोटे-बड़े हो सकते हैं, कम या अधिक महत्त्वके हो सकते हैं, और उतना भी कुछ विचार तो होगा ही, पर साहित्यिक मूल्यांकन प्रथमतः वस्तुमें सम्बन्ध रखेगा।

और किमी भी वृत्तिकी वस्तु अनिश्चर्यतया मानवीय वस्तु होती है। वाग्म्य पेड़पर या पहाडपर भी हो सकता है, पर पेड़ या पहाड उसके विषय होंगे, वस्तु नहीं; वस्तु जो भी होगी मानवीय ही होगी। क्योंकि यह विषयके साथ बहिके रागात्मक सम्बन्धका प्रतिबिम्ब होगी—एक संवेदना या चेतना की अपनेसे इतरके साथ परस्पर प्रतिक्रियाके उद्भूत वस्तु। इसलिए वस्तुकी

परीक्षा करते समय कृत्रिमकारके मानवकी परीक्षा भी आवश्यक होती है। तो आत्म-विशेषणमें विषयका बहुत कम महत्त्व है, बन्तुका ही है, और बन्तुका महत्त्व भी इगणित है कि वह बन्तु मानवीय है और उनके सहारे हम कृत्रिमकारके मनमें पहुँचते हैं और उनकी परमा करते हैं कि कैसे वह बन्तु तक पहुँचा, कैसे उसे उनकी गंधेदाने प्रहण किया और कैसे बन्तु-गणित या प्रेषणीय बनाया।

इसीके साथ साथ हुआ दूसरा प्रश्न मूल्योंका है। यह शब्द भी इस अर्थमें बहुत नया है। पुराने कविके लिए कभी यह समझा नहीं हुई कि शायदे, या कि नैतिक, मूल्योंका विचार किया जाय। आज यह निदान आवश्यक हो गया है, क्योंकि मूल्योंपर इतना जोरम भी कभी नहीं हुआ जितना आज है। जो भी मूल्य है वे भी मन्दिग्द है और उनसे इनकार भी उतना ही मन्दिग्द है। अर्थात् श्रद्धा भी मन्दिग्द है और सन्देह भी उतना ही मन्दिग्द। यह आत्मन्तर सकट और इसकी चेतना आधुनिकताका लक्षण भी है और उसका साथ भी।

मानव-समाज उन्नति कर रहा है। उन्नतिका मार्ग यन्त्रीकरणका है। यन्त्र ही उन्नतिका साधन है। किन्तु यन्त्र नैतिक नहीं है। उसे हम अनैतिक न कह सकें तो कहें कि वह अति-नैतिक है। उसे नैतिकतासे कोई मतलब नहीं है। तो मानव यन्त्रके सहारे उन्नति करता है, और यन्त्रकी नैतिकतासे कोई मतलब नहीं है, पर मानव ऐसा नहीं हो सकता कि उसे भी नैतिकतासे कोई मतलब न रहे। यह तो हो सकता है कि वह कुछ अनैतिक करे, यह भी हो सकता है कि वह भरसक अनैतिक कुछ न करे। लेकिन नीति और अनैतिकके विचारसे ही वह मुक्त हो जाय, यन्त्रके साथ यन्त्र हो जाय, ऐसा उसके लिए कम-से-कम अभी तक सम्भव नहीं हुआ है (और मैं आशा भी करता हूँ कि कभी सम्भव नहीं होगा)।

इस परिस्थितिमें, जहाँपर हमारी उन्नतिके जितने साधन हैं उन सबको नीतिसे कोई मतलब नहीं है पर स्वयं हमें नीतिसे मतलब है—

बल्कि उससे हमारा प्रयोजन बढ़ता जा रहा है—आधुनिकता नामकी एक नयी समस्या हमारे सामने है। वह समस्या और भी विकट इसलिए होती है कि पुरानी, शास्त्रीय, धार्मिक अथवा ईश्वर-सम्भूत नैतिकताकी प्रवृत्ति इस युगमें क्रमशः कम होती जा रही है और आज हम नैतिकताका आधार खोजना चाहते हैं तो एक मानव-सम्भूत नीतिमें ही। अब भी ऐसे अनेक हैं जिनके लिए ईश्वरपरक नैतिकता काफी है और जो धर्मके धारेमें कोई प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन उनकी सख्या क्रमशः घटती जाती है और ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं जो 'नैतिक क्या है?' इसका उत्तर पानेके लिए मनुष्यकी ओर देखते हैं। इस प्रकार नैतिकताका आधार स्वयं होकर अथवा अपनी वृद्धिको बना कर हमने समस्याको कठिनतर ही बनाया है। जो दायित्व अब तक धर्मपर या ईश्वरपर था, वह मानवने अपने ऊपर ओढ़ लिया है।

यह समस्या किसी रचनामें स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट हो या न हो, आजके कृतिकारके सामने रहती ही है। और इसके सन्दर्भमें—जिस हद तक वह इसके प्रति सजग होता है—एक नयी समस्या हो जाती है उसकी अपनी संवेदना या अनुभूतिकी। हम यन्त्रके सहारे उत्पत्ति करते हैं; यन्त्रमें जैसे नैतिक बोध नहीं है वैसे ही अनुभूति भी नहीं है। पर हम जैसे नैतिकतासे मुक्त नहीं हो सके हैं वैसे ही अनुभूतिसे मुक्ति भी हमने नहीं पायी है। इस प्रकार यन्त्रके सहारे क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि जमी अनुपातयें यन्त्रके सन्दर्भमें हमारी अनुभूतिवा मूल्य दिन-दिन कम होता जाना है। अगर हम इससे इन नतीजोंपर पहुँचें...

नयण्य मान लेते, तो
सकने।
है,

... कर
... होना
... नये
... जके
... परि-

नाम यह होता है कि वह अनुभूतिपर अतिरिक्त आग्रह करने लगता है। आलोचक इसे असन्तुलन कह कर उड़ा दे सकते हैं। या वे यह प्रत्य उग्र करते हैं, जैसा कि कुछ शास्त्रीय आलोचकोंने उड़ाया है, कि अनुभूतिही इतनी पचांगि लाभ क्या—नित्री दुःख-मुग्ध या गपपं आतिर नित्री ही तो है, उगमें जो ब्यापक या गार्वजनिक उल्लस्य हो वही सामने लानी चाहिए। किन्तु उल्लस्यकी ब्यापकताया सडन किये बिना भी यह कहा जा सकता है कि कलाकारके मध्य और वैज्ञानिकके मध्यमें अन्तर है तो यही कि कल कारका सत्य रागात्मक सम्बन्धपर आश्रित है—अर्थात् मानवीय सध और अनुभूतियोंके सन्दर्भमें ही सार्थक है। उसे सन्दर्भसे काटकर नहीं प्रह किया जा सकता। और वास्तवमें पश्चिमके सधर्प-प्रधान साहित्यके मूल यह बात है भी। न तो उम सधर्पको पश्चिमके जीवनकी वषार्य परिस्थिति से अलग करके समझा जा सकता है, और न उमसे उपलब्ध या उधर परस्त्रे गये मूल्योंको उम सधर्पसे अलग करके प्रेषित किया जा सकता है। जो पाठक उस सधर्पको नहीं समझ सकते हैं, वे उममें उत्पन्न होने वाले नैतिक आग्रहोंको भी नहीं समझ सकते हैं। समकालीन प्रवृत्तियोंमें इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं—पर वे उन्हीके लिए उपयोगी होंगे जिनके लिए वे अनावश्यक हैं—जिनके लिए उनकी आवश्यकता होगी उनके लिए वे उसी कारण अनुपयोगी हो जावेंगे !

क्षण

समकालीन साहित्यमें 'क्षण'पर जो आग्रह लक्षित होता है, उसे इसी सन्दर्भमें समझना चाहिए। अनुभूति और परिस्थितिमें जब विषय, असन्तुलन या विरोध होता है तब कलाकार अनुभूतिपर आग्रह करता है। यदि वह अतिरिक्त आग्रह है तो इसीलिए कि वह सन्तुलन और सामंजस्यका आग्रह है। साहित्य अथवा कलाके आन्दोलनोंका अध्ययन करें तो हम पावेंगे कि यह आग्रह केवल नये युगकी विशेषता नहीं है। जब-जब परि-

रिपति और अनुभूतिमें ऐसा विपर्यय हुआ है तब-तब ऐसा आग्रह पाया गया है। क्षणका आग्रह क्षणिकताका आग्रह नहीं है, अनुभूतिकी प्राथमिकताका आग्रह है। और अनुभूतिको अनुभावबत्ते अलग नहीं किया जा सकता—अनुभूति अद्वितीय है क्योंकि कोई दूसरेकी अनुभूति नहीं भोग सकता। 'सहानुभूति'में 'सह' विशेषणमें ही इसकी स्वीकृति है और कवि साधारणीकरण द्वारा जिस अनुभूतिका प्रेषण करता है वह काव्यानुभूति जीवनकी अनुभूतिमें अलग होती है।

क्षणके इस आग्रहका एक पक्ष यूरोपके साहित्यिक अस्तित्ववादमें पाया जाता है। मृत्युके साथ उसके लगावके मूलमें एक बात यह है कि मृत्यु-साक्षात्कारके क्षणमें ही जीवनकी चरम अथवा तीव्रतम अनुभूति होती है—जीवनका चरम आग्रह उसी क्षणमें प्रकट होता है। जिस अरुन्धि अथवा 'मतली'की उसमें चर्चा है, वह भी परिस्थिति और अनुभूतिमें विपर्ययके अस्वोकारकी ही प्रतिक्रिया है। जिस मानवने जिस व्यक्ति-विकासपर आधारित जिस यन्त्र-सम्बन्धताके सहारे जिस प्रकृतिपर विजय पाकर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है, वही मानव उसी यन्त्रके कारण उसी प्रकृतिके सामने इतना नगण्य हो गया है कि उसके व्यक्ति-जीवनकी अनुभूतियाँ कोई अर्थ ही नहीं रखती—इस थिराट् न-कारको निगलनेके लिए बाध्य होनेपर अगर उसकी अंतर्द्वियाँ विद्रोह करती हैं तो वह समझमें आ सकता चाहिए।

निस्सन्देह यह अस्तित्ववादी दर्शन ही एकमात्र दर्शन नहीं है। दूसरे भी हैं। एकान्त सत्यका आग्रह न विज्ञानका होता है, न कलाका; धर्मका वह हो सकता है। कला या साहित्यके किसी आन्दोलनमें बुनियादी आग्रह क्या है वह समझना चाहिए; क्षणके दर्शनमें आग्रह यह है कि जीवनानुभूति नामकी निजी और आत्मन्तिक चीजको दूसरी सब चीजोंकी अपेक्षामें रखना पूर्वापरको उलटना है। घोड़ेके आगे गाड़ीको जोतना है। दूसरा

गब-बुछ ही जीवनानुभूति मामकी निजी चीजकी ओसा रखता है। अनुभूति आन्वयिक है, इनर गब-बुछ केवल मन्दरं।

शागके विषयमे जो कुछ मने बढा है मेरे निजी विचार है। इमे यह न ममशा जाय कि शागकी खर्षा करनेवाले गब मेरी समझमे इमी दृष्टिने सोचने है, या कि उन गबमे इमकी अथवा ऐमी उत्कट अनुभूति हो। यह भी हो गचना है अनेकोंमे वैमी अनुभूति न हो; अथवा अनुभूति दूररोंकी हो पर क्योंकि ऐमे लेखनमे कुछ नयापन पाया गया हो या उमका प्रभाव पडा हो इमलिए दूररोंने भी उमी प्रवाहमे लिखना आरम्भ कर दिया हो। जैगा लिखनेका फँसान हो, या समझा जाय, वैमा और तो लिख ही सकते है। और फँसान नया हो होना है। दूररी जगह पुराना होकर छोडा भी जा चुका हो तो भी क्या; जहाँ ग्रहण किया जाता है वहाँ नया ही होता है, नया माना जाकर ही फँसान होना है और उम रूपमे अनुकूल होता है। नि.सन्देह नयी कविताके नामपर लिखा और छाया जानेवाला बहुत-बुछ ऐसा है। किन्तु जो कृति न होकर अनुकृति है, उमके घटियापनके आधार-पर कृतिको रद्दी ठहरा देना भूल है; वह आलोचना नहीं, प्रवचना है। अनुकृति अन्ततः अनुकृति है; कृतिका मूल्याकन उमके आधारपर नहीं होता। छायावाद-युगमे भी—आज हम जानते हैं—कवि इने-गिने ही थे। पर छायावादी ढगकी कविता लिखनेवाले बहुत थे। दूसरे वाक्य-युगोंमे भी ऐसा होता रहा है। केवल इसलिए, कि किसी समय जो कुछ लिखा जा रहा है उसमे कुछ सच्चा और मूल्यवान् जान पडता है और बहुत-सा ऐसा नहीं जान पडता, समूचेको उपेक्षणीय नहीं ठहरा दिया जा सकता। सागर में सौप बहुत है, मोती बहुत कम, इतने ही से जो आलोचक मोता लगानेके परिश्रमको व्यर्थ समझता है या सागरका ही अस्तित्व मिथ्या प्रमाणित हो मानता है, स्पष्ट है कि उसके हाथ हम अपनी साहित्य-बीजकी नहीं सौप सकते।

कठघरेसे*

प्रश्न १ : साधारणतया आपके बारेमें लोगोंकी तरह-तरहकी धारणाएँ हैं। उन्हें आप जानते हैं ? वे कहीं तक ठीक हैं ? जो ठीक नहीं हैं उनके लिए कहीं तक आप उत्तरदायी हैं, या कि उन्हें ठीक करनेमें अपना क्या कर्तव्य मानते हैं ?

उत्तर : तरह-तरहकी धारणाएँ हैं यह तो जानता हूँ। क्या है, यह भी कुछ जानता हूँ—जाने बिना रह कैसे सकता जब वह पत्र-पत्रिकाओं तकमें प्रकट होती रहती है, बात-चीतमें तो होती ही हैं; और जब मेरे प्रति लोगोंका व्यवहार—या व्यवहारकी अनुपस्थिति !—उनको प्रतिबिम्बित करती है ?

● इस प्रश्नोत्तरका सूत्रपात सर्वेश्वरदयाल सकसेना द्वारा प्रेषित एक लिखित प्रश्नावलीसे हुआ था; उन प्रश्नोंके उत्तर लिखकर उन्हें बिधे जानेपर दो-एक पुरक प्रश्न उन्होंने और पूछे जिनका उत्तर भी यथा-स्थान जोड़ लिया गया। यह मानकर कि ये प्रश्न एक बन्धुके सहज कौतूहलसे अधिक सामयिक अभिप्राय रखते हैं, और ये उत्तर न केवल लेखकके जीवनको समझने या उसकी कृतियोंके मूल्यांकनमें उपयोगी होंगे वरन् समकालीन लेखक मात्रकी समस्तघातोंको एक व्यापकतर परिपार्श्वमें भी रख सकेंगे, इस प्रश्नोत्तरको यहाँ सम्मिलित कर लिया गया है। लेखकने जो क्रुद्ध अपने विषयमें कहा है, उसे तो उसीके सश्रममें ग्रहण करना होगा और वह तद्वत् किसी दूसरे लेखकके जीवनपर लागू न हो सकेगा, पर उतारे दूसरोंका अन्त संघर्ष भी एक प्रत्यक्ष प्रयासमें पाठकके सम्मुख था सकेगा ऐसी धारणा की गयी है।

पर वे धारणाएँ ठीक हैं, यह मानना कठिन है। उनमें बहुत-सी न केवल आना है, बरन् निराधार भी है—यानी मेरा ओरमे उनके दिग् कोई आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है—याँ पूर्व-ग्रहा भी आमार तो होगा ही है स्वयं पूर्व-ग्रहोंमें। कई धारणाओंमें मुझे अचरज होना है, कुछे विनोद, कुछे क्लेश भी। और गबके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ, यह मानना तो और भी कठिन है—अगर मेरा होना ही उत्तरदायी होना नहीं मान लिया जाय। एक उदाहरण हूँ : मुना है कि कई लोग मेरे निकटके बन्धुओंमें पूछा करते हैं—‘क्यों जो, तुमने ‘अज्ञेय’ को कमी खुदकर हँसने देखा है?’ मेरे बन्धु स्वयं इस प्रश्नपर हँसते हैं, क्योंकि वे और मैं साथ बैठकर अनेकों बार अनेकों विषयोंपर हँसे हैं। हाँ, जब मैं जान करता हूँ तो एकाग्र होकर काम करना हूँ, हर क्षण मिनटपर पान-निगरंटेके लिए अवकाश निश्चालना, या टहलकर दूरके कार्यस्थल लोगोंको कामसे हटाकर उनसे गप्प लड़ाना—इसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं महसूस होती और इसे मैं बुरी आदत भी समझता हूँ क्योंकि यह कार्य-क्षमताको क्रमशः क्षीण करती जाती है। इतने ही से कुछ लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं कि मुझे मनहूस, दुविनीत आदि ठहरा देते हैं। जब मैं ‘विशाल भारत’ में गया था तब पढ़नेके एक साप्ताहिकके सम्पादक महोदयने मेरे आनेसे बहाँ छा जानेवाली ‘मनहूसियत’ पर तीन-चार कालमका सम्पादकीय लेख लिख डाला था। यह उन्हें सूझा ही नहीं था कि उनकी यह प्रतिक्रिया स्वयं ‘सेन आफ ह्यूमर’ की कितनी कमीका प्रमाण है—जिसे बगलमें ‘काण्डज्ञान’ कहते हैं उसकी कमीकी बात ज़ो छोड़ ही दें !

मुझे जो शिक्षा-दीक्षा मिली, उसमें सन्तुलनको—जीवन, कर्म और भावाभिव्यक्तिके सहज समयको—विशेष महत्त्व दिया जाता रहा। और परिस्थितियोंने एकान्त इतना अधिक दिया कि एक आत्म-निर्भरता अम्याय नहीं, चरित्रका अंग बन गयी : चिन्तन और अनुभूति कम नहीं हुई, पर कोई अनुभूति तत्काल दूसरोपर प्रकट हो ही जानी चाहिए था

चेहरेपर झलक आनी चाहिए, सामाजिकताकी ऐसी कोई परिभाषा भी सीखनेको न मिली। अब, जब उतना एकान्त नहीं है, तब भी उस सस्कारकी छाप तो है ही। लोग मुझे अच्छे लगते हैं; पर भोज़े नहीं, उतने ही जितनोसे एक-साथ सीधे निजी सम्पर्क हो सके : जितनोमें सभी मुक्त भावसे अपनेको अभिव्यक्ति दे सकें और एककी अभिव्यक्ति दूसरेकी बाधा न बने। समाजमें जीवी बनकर आऊँ या रहूँ, यह मुझे ठीक लगता है; अभिनेता बनकर रहूँ यह गलत : जहाँ अभिनेता बनकर आना अनिवार्य हो वहाँ भरसक आता ही नहीं, क्योंकि यह फिर उस अर्थमें समाज नहीं है—वहाँ आदान और प्रदानकी धाराएँ एक-सी मुक्त नहीं बहती हैं। लेखक, या कवि या साहित्यकारके नाते विशिष्ट रूपमें दूसरोंके बीचमें आनेमें मुझे सकोच ही नहीं, ग्लानि भी होती है, क्योंकि वैसे कुछ वैशिष्ट्य है तो अपनी साधनाके क्षेत्रमें। समाजको उससे कुछ मतलब है तो तब जब कि मेरी रचना उसके सम्मुख है और मैं नहीं हूँ। अगर मैं, या मैं भी, सम्मुख हूँ तो फिर उस विशिष्टताको छोड़ देना चाहिए या ओट कर देना चाहिए—क्योंकि तब मैं समाजका अंग बना रहना चाहता हूँ, एक प्रदर्शित जन्तु नहीं।

मुझे लगता है कि हिन्दी लेखकोंमें ऐसा सीचनेवाले शायद कम हैं, पाठकोंमें तो कम है ही। हो सकता है कि मेरा ही भाव-सस्कार विदेशी है। इसलिए मेरा बर्ताव लोगोंको कुछ भिन्न जान पड़ता है—भिन्न है ही—और इसका कारण वे मेरा अहंकार मान लेते हैं। इसलिए मैं दूर रखा जाता हूँ : और बचपनसे एकान्तके अम्यस्त मुझको जब दूर रख दिये जानेसे कोई बलेश नहीं होता—या होता दीखता नहीं—तो यह भी मानना युक्ति-मंगत जान पड़ने लगता है कि यह अहंकार आभिजात्यका अहंकार है। जब कि स्थिति यह है कि अपने थोड़ेसे दन्धुओंसे मुझे मयेष्ट सामाजिक तृप्ति मिल जाती है और बाकी बहुत-सी क्षुराफातसे बचकर मैं दत्तचित्त होकर अपना काम कर सक्ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हिन्दी या

भारतीय लेखकसे अधिक परिश्रम करता हूँ : अधिक समय पढ़ने लिखनेमें बिताता हूँ, अधिक समय आत्म-प्रशिक्षणमें जिसमें केवल मनका प्रशिक्षण नहीं, ज्ञानेन्द्रियोंका और हाथोंका प्रशिक्षण भी शामिल है। मैं कपड़े सँभल लेता हूँ, जूते गाँठ लेता हूँ, फर्नीचर जोड़ लेता हूँ, मिटाई-पक्वान्न बना लेता हूँ, जिल्द-बन्दी कर लेता हूँ। पखे, साइकल, मोटर, बिजलीके छंटे-मोटे यन्त्र—इनकी सफ़ाई और थोड़ी-बहुत मरम्मत कर लेता हूँ। वितायती ढगके बाल काट सकता हूँ, चाभियाँ खी जावें तो ताले खोल दे सकता हूँ, सूत कात लेता हूँ, मामूली कढ़ाई कर लेता हूँ, मिट्टीके खिलौने बना लेता हूँ, काठके ठप्पे खोदकर कपड़े छाप लेता हूँ, साँचे तैयारकर मूर्तियाँ बना लेता हूँ। प्रूफ देख लेता हूँ, कम्पोज कर लेता हूँ, प्रेसकी मशीन चला लेता हूँ। फ़ोटो खींचता हूँ, फिल्म और प्रिंट डेवेलप कर लेता हूँ, हाथके रंग लेता हूँ। घरकी पुताई कर लेता हूँ, सिमेंटके गमले बना लेता हूँ। फूलोंकी और तरकारीकी खेती कर लेता हूँ, फावडा, कुल्हाड़ी, गीनी बना लेता हूँ, निराई कर लेता हूँ। बन्दूक-पिस्तौल चला लेता हूँ। तैर लेता हूँ, दौड़ लेता हूँ, पहाड़ चढ़ लेता हूँ, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन खेल लेता हूँ। और इन सबमें केवल चौक रखता हूँ, ऐंसा नहीं है; अधिकांशमें वे किसीके भी सहारे आजीविका भी कमा ले सकता हूँ। और जो नहीं जानता वह सीखनेको हमेशा तैयार हूँ। ऐसी दशामें हल्की गुणवादीकी अनुपस्थितिमें अपनेको वंचित या मोहनाज न अनुभव करूँ तो अपनेको दोषी नहीं मानता, और जो लोग लिख-लिखकर गालियाँ देने हैं उनकी गालियोंसे उतना न निलमिलाऊँ जितना वे चाहते हैं तो उन्हें भी यह न सम्झना चाहिए उनकी गालियोंमें शक्ति कम थी—इतना ही कि वे निशानेपर लगी ही नहीं।

पर कोई मेरे बारेमें जो सोचे ठीक सोचे, इसके बारेमें कुछ क्या करना चाहिए? पहले तो कोई सोचे ही क्यों : और सोचे तो जो उसे ठीक जान पड़े वही सोचे। मेरे बारेमें अगर लोग कुछ सोचें तो अच्छा सोचें,

ऐसा चाहना स्वाभाविक हो सकता है पर वह आखिर चाहनेका ही तो क्षेत्र है—अपनी आकांक्षासे मैं दूसरेको बांध तो नहीं सकता न ? और वह अच्छा केवल अच्छा ही न हो, सच भी हो; या अगर बुरा सोचा गया है तो वह झूठ हो; यह तो अपने कर्म और उसके स्वयं निरीक्षणका क्षेत्र है—मैं अमुक प्रवारका होऊँ या न होऊँ इसके लिए मुझे स्वयं परिश्रम करना होगा, दूसरोको उससे क्या ? मेरा कर्तव्य इतना ही है कि वह परिश्रम मैं करूँ, और, हाँ, उससे मुझे जो उपलब्धि हो उससे किसीको वंचित न करना चाहूँ बल्कि उसे दूसरो तक पहुँचानेका प्रयत्न करूँ। मेरा स्याल है कि वह मैंने किया भी है। हो सकता है कि मैंने चाहा हो कि इस दिशामें जो परिश्रम करूँ वह ऐसे व्यक्तियोंके साथ करूँ जिन्हें उससे अधिक लाभ हो और मेरा परिश्रम व्यर्थ न जाय, हो सकता है कि मैंने पहचाननेमें भूल की हो या कि अपने परिश्रम का व्यर्थ मोह किया हो। पर मूमकी तरह केवल जोड़कर रखना मैंने नहीं चाहा—अपने जानते हुए किसी क्षेत्रमें नहीं।

प्रश्न २ : जीवनमें अगर किस सीमा तक समझौता कर पाते हैं ? अपने व्यवहारकी सफ़ाई किस हद तक और किन लोगोंको देना उचित समझते हैं—या नहीं समझते ?

उत्तर : समझौता, अपनी समझमें, बम कर पाना है। कभी जहाँ सोचना भी है कि वही व्यावहारिक होगा, वहाँ भी नहीं कर पाना—यानी मुक्ति जिसे मानती है, वह भावना-घाह नहीं होना और तब भावनाको अमान्य नहीं कर पाना। पर समझौता नहीं कर पाता इसका यह अर्थ नहीं कि भूल नहीं करता। जीवनमें अनेक भूलें की हैं और उनही बोर्ड सीमा निर्धारित कर सका होऊँ ऐसा नहीं जाना। भूलोंके लिए दण्ड मिलना ही सो भोगता है। भूल अपने सामने स्वीकार कर लूँ यह बाड़ी मालूम होना है, दण्ड दूसरोके सम्मुख रोक कर ही भोगूँ इसकी बोर्ड आवश्यकता नहीं देखता।

और भूलती सफाई क्या ? जब दीस जाय, तब उनके स्वीकारको ही अधिक महत्त्व देता हूँ। स्वीकृतिके साथ-साथ सफाई देनेमें नैतिक दुर्बलता दीसती है, या आत्म-सम्मानकी कमी। स्वीकारके बाद दूसरे रियायत करें, या देवें कि कैसे वह भूख अगमभाव्य न थी या दान्तव्य है— यह उनके विवेक और औदार्यपर है।

पर भूलको छोड़, बेवज्र विवादास्पद व्यवहारकी बात हो, तो कहूँ कि जो स्नेही या हितैषी हैं, या जिनका मन खुला है, या जिनमें शुद्ध जिज्ञाना है, उनके सामने जवाब देनेकी, उन्हें समझानेकी, समाश्वस्त करनेकी, उनकी शकाओंका समाधान या निवारण करनेकी, बराबर तैयार हूँ। जिनका स्नेह या विश्वास मुझे मिला है, उनके प्रति अपना दायित्व बहुत बड़ा मानता हूँ।

किन्तु जो पहले ही अविश्वास या विरोध-भाव लेकर आते हैं, जिनके प्रश्नोंमें पूर्व-ग्रह प्रधान है, जो व्यवहारके बारेमें नहीं, नीमतके बारेमें प्रतिकूल धारणा बनाकर आते हैं, उनके सम्मुख सफाई देनेकी बातसे आत्मा विद्रोह कर उठती है। मैं जानता हूँ कि यह विद्रोह अत्र्यावहारिक है, बार-बार अपनेको बताता हूँ कि आजके बाद-दूषित मातावरणमें प्रतिकूल पूर्व-ग्रहकी सम्भावना ही अधिक है, विरोधीका मत-परिवर्तन ही तो वास्तविक विजय है और राजनीतिकको तो निरन्तर विरोधके बीचमें जीना होता है। पर मैंने कहा न कि कुछ बातोंको युक्ति मान लेती है और भावना अंगीकार नहीं करती ? यह बात भी वैसी ही है।

कह लीजिए कि आत्म-सम्मानका अतिरजित भाव है, या अहंकार है, या कोरी सिद्धान्त-वादिता या अनावश्यक संवेदन-शीलता, कि मित्रत्व पयादा नाजुक है या चमड़ी बहुत पतली है। कह लीजिए कि ऐसे राजनीतिमें सफल नहीं हो सकता, और आज सफलताका अर्थ राजनीतिक सफलता ही है। मैं जानता हूँ कि मैं असफलताके पथपर हूँ। लेकिन

भीतर कुछ कहता है कि उस पथके अन्तपर पहुँचकर जब पीछे देखूँगा, तो कुल मिलाकर अपनी असफलतापर म्लानि नहीं होगी, न अपनेको यह आश्वासन देना आवश्यक जान पड़ेगा कि इसकी पूति अगले जन्म या लोक में होगी—इसी लोककी उतनी मात्र उपलब्धि यथेष्ट होगी ऐसा मुझे प्रत्यय है ।

तो जो विरोधी पूर्वग्रह लिये हुए हैं उन्हें कोई सफाई देनेकी आवश्यकता में नहीं समझता, और भरसक उनके विरोधसे न उलझनेका मैंने प्रयत्न किया है । एक-आध अवसर पर ही इसमें चूक हुई है, और उसके लिए मैं पछताया हूँ । और जिन्होंने विश्वास दिया है, उनकी शंकाओंकी भरसक मैंने कभी उपेक्षा नहीं की है, उस विश्वासका पात्र बने रहने या होनेके लिए मैंने सतत प्रयास किया है ।

प्रश्न ३ : लोगोंकी धारणा है कि धार्मिक दृष्टिसे आप सर्वत्र सम्पन्न रहे हैं, और हैं; और रईसी तबोयत आपको विरासतमें मिली है । लोग मानते हैं कि इस स्थितिको बनाये रखनेके लिए आप कोई भी समझौता कर सकते हैं । यह कहाँ तक ठीक है ?

उत्तर : बाल्य-कालमें एक बार एक हाथ देखने वाला हमारे यहाँ आया था । ऐसी बातोंको एक शरालसे अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था, पर हम आदमीमें सभा-चातुर्य कुछ अधिक था, इसलिए पिताजीकी सहास ताडनाके बावजूद वह थोड़ी देर टिका रहा । मेरा हाथ देखकर बोला— 'यह बादशाह होगा ।' फिर थोड़ी देर बाद हँसकर . 'तबोयतका बादशाह होगा—यैसे पल्ले कभी कुछ नहीं रहनेका !' बात अच्छी लगी थी, पर हँसकर उड़ा दी गयी थी । पूर्व-पक्ष तब प्रीतिकर था ही, उत्तर-पक्षको किसीने महत्त्व नहीं दिया क्योंकि हाथ देखनेपर विश्वास किसे था ? आज जानता हूँ कि उत्तर-पक्ष भी सच रहा है और है, तो यह केवल स्थितिका स्वीकार है, सामुद्रिकता अनुमोदन नहीं ।

मैं तो यही समझता हूँ कि साधारण मध्य-वित्तीय स्थिति हमारे परिवारकी रही; दैन्य हमने नहीं जाना तो जिसे सम्पन्नता कहना चाहिए, अर्थात् जिसका आधार आर्थिक निश्चिन्तता हो, वैसी व्यय-शमता—वह भी हमारी नहीं थी। यों हिन्दीके औसत लेखककी पारिवारिक स्थितियों अपेक्षा मेरी कुछ अधिक सुविधाकी रही, यह मान लेनेमें मुझे संकोच नहीं। पर उसमें उतार-चढ़ाव नहीं रहे ऐसा नहीं है। और मैंने विशेष कुछ उद्योग किया तो वह सुविधाकी स्थितिको बनाये रखनेके लिए था यह तो बिल्कुल ही शलत है—मेरे सब उद्योग इससे ठीक उलट रहे। बम-विस्फोटक बनानेवाली बातको तो छोड़िए—यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वह रईसी बनाये रखनेके लिए किया गया समझो जाय। पर कष्टके दिन मैंने न जाने हो, लगातार दो-चार दिन लाचारीश्री फ्राकाकशीके अवसर न जाने हों, दूकानोंके सामने खड़े होकर फल-मिर्च आदिवा बेचस काल्पनिक आस्वादन न किया हो, ऐसा नहीं है। अगर रईसीका यह अर्थ है कि उससे हीन-भाव या कटुता नहीं आयी, तो मान लेना होगा कि रईसी मुझमें रही। और यह भी मान लेना होगा कि ऐसी स्थितियोंमें पडना वास्तवमें 'लाचारी' नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं चाहकर भी स्थितिको न बदल सकूँ—बल्कि एक तरहसे वह स्वच्छया वरण की गयी ही स्थिति थी—गिद्धान्तके मामगर। उनसेसे कुछ गिद्धान्त आज बचकाने हठ मालूम होते हों, वह दूसरी बात है। पर समझोना मुझमें प्रायः नहीं बन पड़ा, न अब बनता है।

लेकिन मेरे कुलके बारेमें लोग—या आप भी—जानने कितना है? मेरे गिनाने जब अक्षयान लिया तब वह एक उच्च पदाधिकारी थे भारत, पर आरम्भिक शिक्षा उन्होंने एक मरहूम 'टो-ड'में पायी थी—गुरुके साथ रहकर उनके मराठों बोकर और उनके अंगोछे धोकर। यह तो वीर; परीक्षामें प्रथम आकर छात्रवृत्ति पानेपर ही सम्भव हुआ कि वह शिक्षण विश्वविद्यालयकी शिक्षा पूरी करके प्राध्यापक नियुक्त हो सकें। शिक्ष-

विद्यालयमें भी वह प्रत्येक परीक्षामें प्रथम आते रहे। अध्यापकसे पुरातत्व विभागके खोजी और अनन्तर अधिकारी नियुक्त होकर उनकी जीवन-परिपाटी एक नये ढाँचेमें ढल गयी। दादा संस्कृतके विद्वान् थे, लेकिन सम्पन्नताका लाञ्छन उन्होंने नहीं जाना, अत्यन्त विपन्नावस्थामें ही वह अपनी विद्याके कारण समाजमें प्रतिष्ठा पाते रहे। उनके दादा विपन्नतामें पीछे नहीं थे, और विद्यामें भी शून्यसे दूर न थे; बड़ोसे मुना है कि जब उनकी मृत्यु हुई तब दाह-कर्मके साधन न थे और कई घरोसे कोडियोंकी हँडिया बटोर कर अन्वेषिणी हो सकी थी। उससे पहलेकी चार-पाँच पीढ़ियोंमें भी, जिनका पता है, सम्पन्न कोई नहीं हुआ; विद्यावान् कोई-कोई हुए, एक अपने पिताके श्राद्धके लिए पड़ोसियों से पैसे तो वहाँके पण्डितोंसे श्राद्ध-विधिके बारेमें उलझ पड़े और फिर असन्तुष्ट होकर गया गये, ऐसा पड़ोसियोंके पण्डितोंकी बहियोंसे पता चलता था।

ऐसे, संक्षेप यह कि मध्यवित्त कहलानेकी पात्रता वास्तवमें पिताने उपाजित की, या कह लीजिए कि दादाने पिताके कार्यान्वयनके बाद। उससे पहले शासक परम्परामें यह बोझ किसीने नहीं ढोया और कुछने तो विद्याका बोझ भी नहीं। किन्तु ब्राह्मणत्वका गौरव-भाव सभीमें दृष्टेय मात्रामें था ऐसा जान पड़ता है, और समझौता न कर सकना उसका एक आनुपमिक था। दादासे पहले पुरखा पौरोहित्य करते थे, पर पिताने 'दान न लेने'के विधान्तको इतना उत्कट रूप दे दिया था कि जहाँ कुछ 'दिये गये' होनेकी वृत्ति भी हो वहाँ वह बदलेमें दुगुना दे कर सोच करते थे। जेलसे आनेके बाद मैं एक 'आश्रम' बनानेकी आदर्शवादी शोकमें था; एक परिचितने उसके लिए जमीन और उसपर बनी हुई इमारत मुलम कर दी थी। पितासे परामर्श करनेपर उन्होंने कहा, 'वह अगर भाडा लें, या लगान लेकर पट्टे पर दें, तो ठीक है; मुफ्त दें तो न लो।' मेरे पृष्ठनेपर उन्होंने कारण बताया, 'तुम धन्य हो गये हो और सोच-समझकर जो करोगे उसमें बाधा देना नहीं चाहता, पर मैंने मन-ही-मन सोच रखा था कि मेरी कोई सन्तान

कभी दान नहीं लेगी....' ब्राह्मणोंका दान लेना उनके पतनका कारण रहा ऐसी उनकी दृढ़ धारणा थी; मुझमें ब्राह्मणत्वका कोई भाव नहीं है पर उनकी इस भावनाको मैं समझ सक्ता और ब्राह्मणत्वसे अलग करके भी उसे आदर्शयत् अपने सम्मुरा रखता रहा हूँ—कि यथा-सम्भव दानमें या 'भुज' कुछ नहीं लूंगा। यों सृष्टिमें जहाँ सभी कुछ अकारण और बिना प्रतिदान चाहे मिलता है, वहाँ यह दम्भ-सा जान पड़ सकता है, किन्तु जो वास्तवमें उस स्तरपर जा या जी सकता है वह फिर इतना निस्संग भी होगा कि सँ कुछ उभी दाताको लोटा दे और हिसाब बेबाक करते समय हँसमें अप को भी शोक दे—अर्थात् उसका लेना फिर दान लेना नहीं, ऋण ले भर हो जाता है। पर साधारण जीवनके स्तरपर भी उद्योग यह रहा कि जो पाऊँ उसके बदलेमें यथा-शक्य दूँ भी। जीवनका हिसाब बनिवेश हिसाब नहीं है जिसमें देना-पावना प्रत्येक असामीके साथ अलग-अलग बराबर होना चाहिए, जीवनमें एकसे पाया हुआ दूसरेको देकर भी ऋण शोध होता है यह मैं जानता हूँ। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ कि सात मिलाकर देखने लूँ कि क्या और देना है, पर इस बारेमें सतर्क हूँ कि अन्तमें यह स्थिति भले हो हो कि बहुत-सा ऋण बिना चुकाया ही रह गया, यह न हो कि कुछको मैंने 'दान-खाते प्राप्त' मान लेनेकी भूल भी हो और उसका प्रतिदान देनेकी बात ही न सोची हो....

थोड़ा बहक गया न ? या कि बहुत बहक गया ? उपसंहार कर दूँ : तबीयत रईसी है, लेकिन इस रईसीके पीछे जो संस्कार है, वह ब्राह्मणका है, बगिरूवा नहीं। कुछ जोड़-जाड़कर मैंने नहीं रखा है, कुछ जमा नहीं किया है, जो देनेको या उसे कभी किसीको इतकार नहीं किया है, जो नहीं था उसका दुःख नहीं माना है। उत्तराधिकारमें पिताकी धन या अबल सम्पत्तिमें (अधिक तो उन्होंने भी नहीं जोड़ा, पर कुछ भूमि और घर तो थे ही, और समूहीत पुरालेख और कला-वस्तुएँ इत्यादि) भागी होनेसे इनकार कर दिया था; जीवनका बीया कराया था पर किसी कभी

समयपर नहीं दे पाता रहा अतः सब जद्दा हो चुकी है । धरमें साफ-सुथरे बंपसे रहता रहा हूँ, दो चार कला-वस्तुएँ भी आस-पास जुटा रखी हैं— पर उनकी प्राप्तिमें जो कुछ व्यय हुआ है उतना मुझे रईस कहकर कोसने और अपनेको सर्वहारा कहकर सराहने वाले अनेक अपने पान-सिगरेटमें फूँक देते हैं । और फिर यह है तो इसका सही उपभोग भी कर लेता हूँ; न होगा तो जरा भी खेद मुझे नहीं होगा—जिस भी स्तरपर रहूँगा साफ-सुथरे सयत और तोपप्रद ढंगसे रह लूँगा ऐसा मुझे भरोसा है ।

लेकिन यह तो बताइये, लोगोमें जो धारणा है उसका उनके पास क्या आधार है यह आप उनसे पूछते हैं ? या वे अपने-आपसे पूछते हैं ? या कि, क्योंकि मेरे विचार कुछ लोगोंको पसन्द नहीं है, और कुछ लोग राजनीतिक मताग्रहोके कारण मुझे चुप कराना आवश्यक समझते हैं, इसलिए चाहे जो झूठा अपवाद मेरे बारेमें फैलाया जा सकता है ?

प्रश्न ४ : आप कई भाई-बहिन हैं पर सबमें आपसमें बंसी गहरी घातमोघता या गहन स्नेह-भाव नहीं लक्षित होता जो साधारणतया परिवारोंमें होता है । क्यों ?

उत्तर : स्नेह-भाव लक्षित नहीं होता, यह तो शायद ठीक है । पर वह है नहीं, यह भ्रान्ति है । जैसा दूसरे परिवारोंमें होता है, वैसा प्रगल्भ प्रदर्शन आप हमारे परिवारमें नहीं पायेंगे । क्योंकि हम सबका बाल्य-काल अधिकतर बन-पर्वतों या देहाती प्रदेशोंमें बीता; सभीने स्वतन्त्र या आत्म-निर्भर स्वभाव पाया; प्रायः सभी किसी हद तक अन्तर्मुख हो गये—अर्थात् अनुभव अधिक करते हैं, भाव-प्रदर्शन कम । यह तो नहीं कहूँगा कि सब भाई-बहनोमें एक-सा सौहार्द है—बहूँ कया 'साधारण' परिवारोंमें भी होता है ? पर एक गहरे स्तरपर एक अव्यक्त और अमुखर बन्धन हमें बाँधे हुए है ऐसा मैं जानता हूँ । उतना ही काफ़ी भी समझता हूँ—क्योंकि

उतना शक्ति देता है, उससे अधिक जो होता है वह अवरोध करता है, व्यक्तिके विकासमें बाधक होता है।

प्रश्न ५ : आपके जीवनमें कभी ऐसे धक्के आए जब आपने कोई काम केवल भावनासे—जैसे स्नेहके दबावसे—प्रेरित होकर किया हो और बुद्धि या विवेककी प्रेरणा न मानी हो, या परिणामकी परवाह न की हो ?

उत्तर : पुराने ढाका शहरके गाडीवानोंकी एक कहानी सुनी थी—वहाँ शहरके किसी भागसे दूसरे भाग तकका गाडी-भाड़ा एक चपनी बँचा हुआ था और शहरके लोग कभी भाड़ा नहीं ठहराते थे। जब कोई पूछता तो गाडीवान समझ लेते कि बाहरका है, और मनमाने पैसे माँगते; गाहक कुछ भी कम बताता तो उसे अपदस्थ करनेके लिए बहते, 'घीरे बात करो, वायू, घोडा सुन लेगा तो हँसेगा !' आपके सवालसे यह कहानी याद आ गयी, क्योंकि जो भी मुझे निकटसे जानते हैं सभी इस प्रश्नको सुनकर हँसेगे—वे इसे ठीक उलटकर पूछते कि क्या मैंने कभी कोई काम बुद्धि अथवा विवेककी प्रेरणा मात्रसे किया, या भावनाके दबावको एक ओर रखकर, या कि परिणामका भी विचार करके ! जो कुछ भी करता हूँ उनके निकट वह भावुकताका ही परिणाम होता है—अविवेकी, उत्तर-दायित्वहीन, अब्याचहारिक, अदूरदर्शी। फिर वह चाहे नौकरी करना हो चाहे छोड़ना, पत्र निकालना हो अथवा बन्द करना, या—लेकिन और निजी बातोंको छोड़िए ही। और मैं समझता हूँ कि सचमुच अगर सोचने बैठूँ कि कौन-सा महत्वपूर्ण निर्णय मैंने भावनाको छोड़कर शुद्ध तर्कके या विवेकके आधारपर किया था, तो शायद उत्तर नहीं पाऊँगा। इस समय भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नपर विचार होता रहा है, तर्क-गगन उत्तर स्पष्ट है पर जब-जब प्रश्न सामने आया है मैंने मही वह दिया है कि 'भाइ

एय नाट येट इमोजनली कन्विन्ड'—बहु निर्णय अभी रागके स्तरपर प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न ६ : अपने जीवन या बचपनकी कुछ ऐसी घटनाएँ बताइये जिनका आपके जीवनपर गहरा असर पड़ा हो या जिन्होंने आपके धार्मिक व्यक्तित्वको बनानेमें योग दिया हो ?

उत्तर : ऐसे प्रश्नका जवाब शायद सोच समझकर देना चाहिए । क्योंकि ऐसी तो बहुत घटनाएँ होंगी जिनका प्रभाव पडा, और उनमेंसे स्मरण भी बहुत-सी होंगी, पर क्योंकि बताते समय तो दो-एक ही चुननी होंगी और उस चयनपर तात्कालिक मनःस्थितिका प्रभाव पड़ेगा ही, इसलिए परिप्रेक्ष्य गलत भी हो सकता है । जैसे अभी सफाई देनेवाले प्रश्नपर एक घटना याद आयी थी जो भूली नहीं, पर उसका महत्त्व कितना है क्या मैं ठीक-ठीक जानता हूँ ? मैं कोई छः वर्षका था जब बड़े भाइयोंके लिए गर्म सूट बनवाये गये थे । जब कच्ची सिलाईके बाद सूट क्रिटिंगके लिए लाये गये, तब मैं भी खडा देख रहा था । सूटमें कोट और जोधपुरी सीचेड थी, और भाइयोपर सूट खूब फब रहे थे, मैं मुग्ध-मा देख रहा था । माता-पिताने मेरे मुग्ध भावको लुब्ध-भाव समझकर पूछा कि क्या मैं भी बनवाना चाहता हूँ ? और मेरे उत्तर देनेसे पहले ही माताने कहा—'भाइयोको देखकर हिंस हुई होगी !' और पिताने उत्तर दिया—'होती ही है—बच्चा ही तो है ।' मेरे कुछ कहनेसे पहले ही न केवल ईर्ष्याका आरोप मुझपर कर दिया गया है, वरन् उसे स्वाभाविक भी मान लिया गया है, इससे मुझे क्लेश हुआ । मैंने गम्भीरतासे कहा कि 'मुझे नहीं बनवाना है', तो उसे झेंप समझा गया, और इसपर आँसुमें आँसू आ गये तो उससे यह प्रमाणित ही मान लिया गया कि ईर्ष्या थी । मेरे इनकार करते रहनेपर भी सूटका नाप दे दिया गया और जब भाइयोके कपड़े बनकर आये तब साथमें मेरा भी सूट था । वैसे कपडे पहनकर मुझे

अग्ने—कलेशका अन्त कर दूँ । न जाने कितना दौडा हूँगा, वह भी सीपा नहीं, न सुलेमें । कोई डेढ घण्टे बाद वह चिडिया एक कँटोली शाडीमें घुस गयी और उसमें फँस गयी । मैं न उसके भीतर घुस पाता था न छोड़कर हो जा सकता था, और मेरी पास आनेकी कोशिशसे डरकर वह और छटपटाती थी और उलझकर चीखती थी । मैंने एक फायर और भी किया, पर जानता था कि वह ध्वय होगा—उस शाडीमें उतनी हल्की गोली चिडिया तक पहुँच ही नहीं सकती थी । जैसे-तैसे मैं भीतर घुसा ही, पास पहुँचकर मैंने उसका अन्त कर दिया और बाहर निकलकर ही मुझे ध्यान हुआ कि मैं भी कम लडू-लुहान नहीं हूँ... अब भी कभी उस चिडियाकी याद आती है तो मन-ही-मन उससे क्षमा माँग लेता हूँ...

कालेजके प्रोफेसरने मानव-मात्रपर विश्वासकी जो सीख दी थी— इस घटनाका वर्णन 'घरे घायावर रहेगा याद ?' में 'किरणकी खोज' वाली यात्रामें है—उसे भी जीवनकी महत्वपूर्ण घटना और प्रभाव मानता हूँ, यद्यपि वह बाल्य-कालकी तो नहीं है ।

कालेजसे अपनी बी० एस-सी० की परीक्षा मैंने बीमारोमें दी थी— मुझे टाइफाइड ज्वर था । केवल पहला परचा मैंने अपने हाथसे लिखा था, अन्य परीक्षाओंके लिए लिपिक माँग था । छः छः घण्टेकी प्रयोग-सम्बन्धी परीक्षाएँ भी आराम-कुर्तमिं लेटे-लेटे दी थी । डाक्टरने चारपाईसे हिलने-हुलनेसे भी मना किया था, परीक्षामें पोजीशनके मोहमें मैंने भी प्रायः तै कर लिया था कि एक वर्षके लिए छोड़ दूँ, और डाक्टरने तो यह भी कह दिया था कि 'या तो तुम परीक्षाका मोह छोड़ो या मुझे बहो कि मैं तुम्हारा मोह छोड़ूँ ।' पर एक सहपाठीने, जिसने मेरी बड़ी दाश्रूपा भी की, मुझे समझाया कि मैं परीक्षा अवश्य दूँ । आवश्यक होगा तो वह कंधेपर उठा कर मुझे परीक्षा-गृहमें ले जायगा... 'और जहाँ तक पोजीशनका प्रश्न है— यह बोन वह सकता है कि एक साल टाल जानेसे ही कोई गारण्टी मिल जायगी—अगले साल उस समय हीजा हो गया तो ?' या हीजा न रही,

हालमें जाते-जाते पैर फिसलकर टाँग टूट गयी या गहरी मोच ही आ गयी तो ? जो हो, उसकी, और अपने भौतिक-शास्त्रके आचार्य ('किरणोंकी खोज' वाले गुरु ही) की दौड़-धूपसे ही मुझे लिपिक रखकर परीक्षा देनेकी अनुमति मिली; और मेरा सहपाठी प्रतिदिन मेरे साथ परीक्षामवन तक जाता और वहाँसे मुझे लिवा लाता रहा। वह बी० ए० ना छात्र था, अतः उसके परचे अन्य दिन होते थे—पर यह बादमें पता चला कि उसने परीक्षा दी ही नहीं। मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण उमने यह किया, पर उसका कहना था कि उसने स्वतन्त्र रूपसे यह निर्णय पहलेसे कर रखा था क्योंकि पास तो वह हो ही नहीं सकता था। और यह जानकर ही वह पुलिसके लिए इन्टरव्यूमें भी जा चुका है....

यह ठीक था कि उसके पास हो सकनेकी आशा किसीकी नहीं थी—मुझे भी नहीं। यह भी ठीक है कि अपना परीक्षा-फल जाननेसे पहले ही मुझे सूचना मिल गयी कि वह पुलिसमें भरती हो गया है और ट्रेनिंग ले रहा है। हाँकीका वह अच्छा खिलाड़ी था—बालेज और विस्वविद्यालय दोनोंकी टीममें (और अनन्तर प्रान्तकी टीममें) रहा, यह पुलिसके लिए अतिरिक्त योग्यता थी....

मेरे ऋणकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ब्रान्जिबारी दपमें आकर मैं अमृतनगरमें छिपकर रहना था, तब पुलिसकी मारगर्मी वहाँ बहुत बढ़ गयी थी क्योंकि कई पड़पन्नकारियोंके वहाँ होनेकी सूचना पुलिसको थी—और ठीक ही थी। हम लोग एक-एक, दो-दो कर वहाँसे हट रहे थे। एक दिन अपने दो गांधियोंकी गाड़ीमें बिटाकर गाड़ीके चले जानेके बाद (पुलिसका कुछ अनिश्चित प्रबन्ध देखकर यही ठीक समझा था कि गाड़ीके चले जाने तक रुकूँ ताकि निश्चिन्त छोड़ सकूँ) मैं प्लेडजामें पुलिसको और मुझ ही था कि सामने एक बर्सेपारीमें लगभग टकरा गया। उसमें आँसे मिलने ही एक बिजली-भी दौड़ गयी। घानेसारी बर्सेमें मेरा सहपाठी सामने गड़ा था। ब्रान्जिबारियोंकी मोचके दिग्

जिनकी विशेष रूपसे नियुक्ति हुई थी उनमें वह भी था। वही पहले बोला—तीखे फुमफुगाते स्वरमें—‘मैंने तुम्हें अभी पहचाना वहाँ है—दो मिनट दूंगा।’ फिर बदले हुए स्वरमें—‘भाई माऊ करना—मैं उरा जल्दोमें हूँ—’ और आगे बढ़ गया।

दो मिनट मेरे लिए काफी थे। मैं बाहर जा चुका था जब सीटियाँ बजने लगी और स्टेशनकी नाकाबन्दी होने लगी।

जीवनमें अकारण बहुत-सा मिलता है। वह अकारण होता है इसलिए उसे ग्रहण कर सकना भी आसान तो नहीं होता। न अगीकार भारी हो, न उसके लिए धृतराज-भाव बोझ जान पड़े, ऐसा देव-कृपामें ही मिलता है। उम आध्यात्ममें ‘दान न लेने’ की बात कोरा अहंकार ही। मुझे बहुत मिला है, और कैसे कहूँ कि वह अकारण नहीं है? मेरी जन्म-पत्रीमें लिखा है कि ‘मेरे शत्रु बहुत होंगे, पर मित्रके सिवा कभी कोई कुछ क्षति नहीं कर सकेगा।’ तो थोड़ेसे मित्रोंकी अकृपासे आहत होकर यह क्यों भूल जाऊँ कि अनेक शत्रुओंके आघातोंसे भी उमी एक व्यापक कल्याण द्वारा धचा लिया गया है? यह-कलकी बात नहीं कहता—यह स्वयं क्या कम विचारे होंगे कि एक दूसरे ग्रहपर जीने-मरनेवाले कोटि-कोटि प्राणियोंकी बेधारीमें हेर-केर करनेकी स्पृधा करें!—जीवनके उतार-चढ़ावके प्रति एक दृष्टि की ही बात कहता हूँ। दुनियामें बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ उखाड़-मछाड़कर भी; पर जीवनके प्रति मेरा दुनियादी भाव आक्रोशका नहीं है। जीवन एक विस्मयकर विभूति है, और मानवीय सम्बन्ध और भी विस्मयकर।

लाहौरमें जब कालेजमें पहुँचा, तब तक साइकल चलाना नहीं जानता था। कभी मौका ही नहीं हुआ, जंगलोमें पैदल चलनेके ही अवसर अधिक मिलते रहे और छः वर्षकी आयुमें ही जम्मूसे बनियालके रास्ते—यह बनियालकी सड़क बननेके पहलेकी बात है, जब सुरग नहीं थी और पीर पचालकी श्रेणीको ऊपर बर्फपरसे पार करना होता था—धीनगरकी पैदल

हालमें जाते-जाते पैर फिसलकर टांग टूट गयी या गहरी मोच हो जाये तो ? जो हो, उसकी, और अपने भौतिक-शास्त्रके आचार्य ('विलेखोज' वाले गुरु ही) की दौड़-भूपसे ही मुझे लिपिक रसकर परीक्षा लेने अनुमति मिली; और मेरा सहपाठी प्रतिदिन मेरे साथ परीक्षण तक जाता और वहाँसे मुझे लिवा लाता रहा। वह बी० ए० था या, अतः उसके परचे अन्य दिन होते थे—पर यह बादमें पता चला कि उसने परीक्षा दी ही नहीं। मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण उसने क्या, पर उसका कहना था कि उसने स्वतन्त्र रूपसे यह निर्णय करने कर रखा था क्योंकि पास तो वह हो ही नहीं सकता था। और यह करने कर ही वह पुलिसके लिए इन्टरव्यूमें भी जा चुका है....

यह ठीक था कि उसके पास हो सकनेकी आशा किसीकी नहीं थी—मुझे भी नहीं। यह भी ठीक है कि अपना परीक्षा-फल जाननेसे पहले ही मुझे सूचना मिल गयी कि वह पुलिसमें भरती हो गया है और इंतजाम के रहा है। हाँकीवा यह अच्छा सिलाडी था—बालेज और विरक्तिमान दोनोंकी टीममें (और अनन्तर प्रान्तकी टीममें) रहा, यह पुलिसके लिए अतिरिक्त योग्यता थी....

मेरे ऋणकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ब्रान्तिकारों के आकर मैं अमृतसरमें छिपकर रहता था, तब पुलिसकी सरगमों बड़ी बढ़ गयी थी क्योंकि कई पड़्यन्त्रकारियोंके बहाँ होनेकी सूचना पुलिसकी थी—और ठीक ही थी। हम लोग एक-एक, दो-दो कर बहाने देते थे। एक दिन अपने दो साथियोंको गाड़ीमें बिठाकर गाड़ीके बने बने बाद (पुलिसका कुछ अतिरिक्त श्रवण्य देकर यही ठीक समझा था कि गाड़ीके बने जाने तक रहूँ ताकि निश्चिन्त सौट सकूँ) मैं जेठानी पुलकी ओर मुड़ा ही था कि सामने एक बर्दीपारीके लगभग टकरा रहा। उगमे आँधे मिलने ही एक बिजली-जो दौड़ गयी। बर्दीपारी बर्दीमें मेरा सहपाठी गामने रहा था। ब्रान्तिकारियोंकी खोरके लिए

जिनको विरोध रूपसे निपुक्ति हुई थी उनमें वह भी था। वही पहले बोला—तीखे फुमफुसाते स्वरमें—'मैंने तुम्हें अभी पहचाना कहाँ है—दो मिनट दूँगा।' फिर बदले हुए स्वरमें—'भाई माफ़ करना—मैं जरा जल्दीमें हूँ—' और आगे बढ़ गया।

दो मिनट मेरे लिए काफी थे। मैं बाहर जा चुका था जब सीटियाँ बजने लगी और स्टेशनकी नाकाबन्दी होने लगी।

जीवनमें अकारण बहुत-सा मिलता है। वह अकारण होता है इसलिए उसे ग्रहण कर सकना भी आसान तो नहीं होता। न अगोकार भारी हो, न उसके लिए कृतज्ञ-भाव बोझ जान पड़े, ऐसा दैव-वृषामे ही मिलता है। उम आयाममें 'दान न लेने' की बात कोरा अहंकार है। मुझे बहुत मिला है, और बँसे बहूँ कि वह अकारण नहीं है? मेरी जन्म-पत्नीमें लिखा है कि 'मेरे शत्रु बहुत होंगे, पर मित्रके सिवा कभी कोई कुछ क्षति नहीं कर सकेगा।' तो थोड़ेसे मित्रोंकी अहृषासे आहत होकर यह क्यों भूल जाऊँ कि अनेक शत्रुओंके आघातोंसे भी उसी एक व्यापक करुणा द्वारा बचा लिया गया हूँ? ग्रह-फलकी बात नहीं कहता—यह स्वयं क्या कम विचारे होंगे कि एक दूनरे ग्रहपर जीने-मरनेवाले कोटि-बोटि प्राणियोंकी बेचारगीमें हेर-फेर करनेकी स्पृधा करें!—जीवनके उतार-चढ़ावके प्रति एक दृष्टि की ही धान कहता हूँ। दुनियामें बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ उखाड़-पछाड़कर भी; पर जीवनके प्रति मेरा बुनियादी भाव आक्रोशका नहीं है। जीवन एक विस्मयकर विभूति है, और मानवीय सम्बन्ध और भी विस्मयकर।

लाहौरमें जब कालेजमें पहुँचा, तब तक साइकल चलाना नहीं जानता था। कभी मोवा ही नहीं हुआ, जंगलोंमें पैदल चलनेके ही अवसर अधिक मिलते रहे और छ. वर्षकी आयुमें ही जम्मूमें बनिहालके रास्ते—यह बनिहालकी सड़क बननेके पहलेकी बात है, जब सुरग नहीं थी और पीर पचालकी श्रेणीको ऊपर बर्रपरसे पार करना होता था—धीनगरकी पैदल

गाना की थी—ऊपमपुरसे वीरीनाथ तक पैदल, बाकी तांगेमें। कालेजके लड़के साइकलोंपर कम्पनी बाग्न जाया करते थे—पढ़ाई करने। बाग्नमें पढ़ाई कैसे होती है यह मैं अब तक नहीं जानता, पर कभी-कभी साइकलपर किमीके पीछे बैठकर चला जाया करता था। एक दिन एक सहााठीके साथ था जो डील-डोलमें मूझने बहुत छोटा था; किमीने आवाज कमी कि 'इनने बड़े आदमोंका शर्म नहीं आती, एक लड़का साइकलपर बिनाकर पसीटे लिये जा रहा है!' बाग्नमें पहुँचकर मैंने साथीको तो पढ़ने छोड़ा और साइकल लेकर चलाना सीखने लगा। दो-चार बार गिरा, पर टान लिया था कि बाग्नसे लौटूँगा तो साइकल स्वयं चलाता हुआ। शामको वही किया भी, राहमें दो-एक जगह लड़तड़ाया या इपर-उपर टकराते बचा, एक आष पटवार भी सुनी कि 'क्या साइकल चलाना नहीं आता?' पर बाग्नसे होस्टल साइकल चलाता हुआ ही गया।

इसके बाद अभ्यास बढ़ानेके लिए कई बार कम्पनी बाग्न गया। मेरा तो बी० एस०-सी० का पहला वर्ष था, और कालेजकी वार्षिक परीक्षाका कोई डर मुझे नहीं था, पर दूसरे वर्षके लोगोंके साथ-साथ चला जाता था और अधिकतर साइकल चलाता था, कभी-कभी पाठ्यक्रमकी कविताएँ आदि पढ़ने बैठ जाता था।

दूसरे कालेजोंके लड़के भी आते थे। सब पढ़ने नहीं आते थे, कुछ तो केवल पढ़नेवालोंको सताने आते थे। इनमें मुख्य था लॉ कालेजका एक लड़का जो विद्यार्थीसे अधिक गुण्डा प्रसिद्ध था। चार-पाँच वर्ष बी० ए० में लगाकर वह कुछ वर्षोंसे एल०-एल० बी० में था; हर वर्ष परीक्षा देकर 'पुनस्तत्रैव वंतालः'। उससे सभी डरते थे बगोकि उसका मुख्य काम दूसरोंको तंग करना और जब-तब मार-पीट कर बैठना था। यों भी वह हट्टा-कट्टा था, और कालेजमें नियमित रूपसे पहलवानी भी करता रहा था।

मैं लाहौरमें नया था, उसे नहीं जानता था। नाम सुन रहा था,

बस । कम्पनी बागमें एक दिन एक आदमी हम दो-तीन लडकोंसे कुछ दूर बैठकर शोर मचाने लगा; हम लोग चुप-चाप उठकर दूसरी जगह चले गये तो थोड़ी देर बाद वहाँ भी आ गया । साथी तो चुप रहे, मैंने उसे डाँट दिया कि 'खुद नहीं पढ़ना है तो दूसरोंको तो पढ़ने दो !'

वह अपने आपसे बोला—'अच्छा भई, पढ़नेवालोंको पढ़ने दो—अच्छा हम भी बैठकर पढ़ ही लें ।' फिर उसने एक किताब निकाली । थोड़ी देरमें सुना, वह बड़े जोरसे क्रानूनकी धाराएँ रट रहा है । लेकिन धुन-धुन कर वे धाराएँ जो बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन, आदि अपराधोंसे सम्बन्ध रखती हैं । अक्की बार मैंने श्रुद्ध होकर कहा—'पढ़ना हो तो चुप-चाप पढ़ो नहीं तो अच्छा नहीं होगा ।'

वह बोला—'ओ-हो । क्या कर लेंगे, बादशाहो ?' और कुछ और जोरसे पढ़ने लगा ।

मैंने कहा—'तुम मार खाओगे ।'

वह बोला—'इसीलिए तो तरस रहा हूँ ।' और उठकर तैयार हो गया ।

क्षण ही भर बाद हम गुत्थम-गुत्था हो गये । मेरे साथी आस-पास आकर खड़े हो गये । उनके चेहरेपर आतंक ही अधिक था, यद्यपि उनकी सहानुभूति निस्सन्देह मेरे साथ थी । यों भी कालेजके लडके इन्द्र-धर्मका जो अलिखित नियम मानते हैं—'जो मूयके धर्मके समान्तर चलता है !—उसके अनुसार उनके हस्तक्षेपकी गुंजाइश कम-से-कम अभी तक न थी—'

मैं ऐसा दुर्बल नहीं था, पर अल्पममें सीखे हुए दाव-पेंचमें आगे कुछ जानता ही नहीं था । उसने मुझे पटक दिया । पर यह कोई दपली कुस्ती तो थी नहीं कि पीठ छू जानेमें हार हो । मैंने उनके लम्बे-लम्बे बाल दोनों पत्रोंमें ... माथेपर टक्कर मारी । मेरी सोपड़ी कोई विशेष जानना, पर धारकवत् उगना उपयोग ...

जानता था। उधर उसे शायद ऐसा अनुभव पहली बार हुआ। क्षण-भरके लिए सिर मेरा भी मन्ना गया, पर उसे जो तारे दीखे तो घूमते ही चले गये; वह लुढ़ककर एक ओर गिरा और मैं उसकी छातीपर चढ़ बैठा। होशमें आनेसे पहले ही मैंने उसे अच्छी तरह थपड़िया दिया, और फिर आँघाकर उसकी नाक अच्छी तरह जमीनपर रगड़ दी। गुस्सा मुझमें नहीं था यह तो नहीं कहूँगा, पर कोई विशेष बदसलूकी करनेकी भावना भी नहीं थी, जो कुछ किया वह प्रतिहिंसासे उतना नहीं जितना कुछ इस भावसे कि वह करणीय है। बास-पास खड़े लड़के भी अब तक संभल कर जो बढ़ावे और मुझाव देने लगे थे, वे भी इसके अनुकूल ही थे।

शौड़ी देर रुकनेपर जब वह उठा, तब उसे दो तमाचे और लगाकर और यह कहकर कि 'अब और जरा जोर-जोरसे कानून पढ़ना!' हम लोग दल बाँधकर लौट गये। लेकिन हमसे पहले हमारे कालेजमें ही नहीं, दूसरे कालेजोंमें भी यह समाचार पहुँच चुका था कि अमुक गुण्डेकी फ़ार्मन कालेजके एक लड़केने पीट दिया...दूसरे दिनसे दो-चार दिन तक अन्य कालेजोंके लड़के देखने भी आते रहे—दूरसे देखते, इसारेसे बजाया जाता, फिर चले जाते...मेरे लिए यह बहुत ही क्लेशकर हो जाता, पर शीघ्र ही परीक्षाकी छुट्टियाँ हो गयीं, और फिर प्रीम्पावकाश, और फिर बात आयी गयी हो गयी। इसलिए और भी कि मेरे प्रतिद्वन्द्वीकी गुण्डा-गिरी समाप्त हो गयी और उसी वर्ष उसने ककालतकी परीक्षा भी पास कर ली। वकील वह नहीं हुआ, सिनेमा एक्टर हो गया, खल-नायककी भूमिका में प्रसिद्ध भी हुआ, लेकिन दस-ब्यारह वर्ष बाद जब कलकत्तेके एक स्टूडियोमें उससे फिर साक्षात्कार हुआ तब उसकी हल्की मुगकराहटमें शब्दई बिल्कुल न थी, एक अनुभव-दग्ध विवादका ही भाव था।"

७ घुष्या प्रसिद्ध हैं—या धीरे बोझना आभिजात्यके अहंकारका लक्षण बनाया जाता है। बाव-धीन कम करना तो जीवनकी परिस्थितियोंमें स्वाभाविक था—बोलनेका अभ्यास इतना कम था कि लगातार शौड़ी

देर बोलता रहूँ तो मुँह दुखने लगता था। पर बचपनमें कभी-कभी गा-गुनगुना लेता था। शायद तीन या चार वर्षका था जबकी बात है : मैं शौचालयमें था और वहीं आत्म-विस्मृत भावसे गा रहा था :

‘कोई किसीमें मगन, कोई किसीमें मगन,
जिसमें लगी हो लगन, सच्चा उसीमें मगन’

यह गाना घरमें सुन रखा था—शायद बड़ी बहनकी सगीत-शिक्षाका अंग रहा था। अचानक मेरा मोह टूटा : मेरा गाना बाहर मुना गया था और बाहर एक हँसता हुआ स्वर मेरी नकल उड़ा रहा था—‘कोई किसीमें मगन, कोई किसीमें मगन, सच्चा टट्टीमें मगन’ ...मैं जल्दीसे निवृत्त होकर चुप-चाप चला आया, पर यह बात और इसके साथकी हँसी कई दिनों तक मेरा पीछा करती रही। वर्षों बाद भी, जब किसी भी काममें मेरी असाधारण तन्मयताकी ओर किसीका ध्यान जाता था तब (चाहे उसकी प्रशंसाके निमित्त ही) पूछा जाता था—‘सच्चा उसीमें मगन ?’ क्योंकि बातका सन्दर्भ मुझे ज्ञात था, अतः ‘उसी’के स्पष्टीकरण को कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे चिढ़ानेके लिए इतना ही काफी था।

अनन्तर एक वाद्य सीखनेका यत्न किया था—जब पहले-पहल उसकी सुविधा मिली थी। बेलाका स्वर मुझे विशेष प्रिय है, अतः वही सीखना प्रारम्भ किया था। गुरु महाराष्ट्रीय थे—गुणी परन्तु रुखे स्वभावके। एक दिन बेला लिये उनके घरकी सीढियाँ चढ़ रहा था कि उन्हें मुझसे पहले आनेवाले विद्यार्थीको डाँटते हुए सुनकर ठिठक गया। ‘तुम्हें कभी कुछ नहीं आनेका !’ वह कह रहे थे, ‘एक तुम्हें, और एक उस वात्स्यायनको।’

मैं थोड़ी देर चुप-चाप वही सड़ा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं कहूँगा कि गुरुकी वाणी ही फलवती हुई : पर सगीतमें अभी तक विलकुल कोरा हूँ। उस दिन लौटकर बेला रख दिया सो रखा

ही रहा, उमके तार कीड़े ग्या गये और अनन्तर लकड़ी भी मूखकर चट गयी। गुननेका शौक बहुत है, पर कोई पूछता है कि 'संगीतमें रुचि है : नहीं ?' तो हाँ कहने शिफक जाता हूँ ...

और भी घटनाएँ जानना चाहेंगे ? पर अब तक आप अपने प्रश्न पछता उठे होंगे। घटनाएँ तो बहुत हैं जो याद आती हैं, और एकांत रहनेसे उनका विश्लेषण करनेका अवसर भी काफ़ी मिलता रहा है—पर आत्म-कथा तो नहीं कहने बैठा हूँ। मानवेन्द्रनाथ रायसे किर्गिने आज़किया था कि आत्म-कथा लिखें, तो उन्होंने हँसकर टाल दिया था : 'नहीं मेरा अहं इतना प्रबल नहीं है !' इस मामलेमें उनका अनुमायी हूँ।

प्रश्न ७ : आपने बहुधा ऐसे लोगोंके साथ मिलकर काम किया है जो रुचि, विचारों या प्रवृत्तियोंकी दृष्टिसे आपसे बिल्कुल भिन्न या विपरीत भी रहे। फिर कामके समाप्त होनेके बाद स्वभावतया उनका-आपका कहीं किसी प्रकारका साथ भी नहीं रहा। ऐसा करना अवसरवादी होनेसे किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर : निस्सन्देह मैंने बहुतसे काम ऐसे लोगोंके साथ, या ऐसे लोगोको साथ लेकर किये हैं जो मुझसे भिन्न रहे। क्यों नहीं कहें ? मैं मानता हूँ कि सभी परस्पर भिन्न होते हैं, और यह भी मानता हूँ कि सबको एक-सा बनाना चाहना ग़लत है—चाहे अत्याचार होकर ग़लत, चाहे मूर्खता होकर ग़लत। अगर अपनेसे भिन्न लोगोंके साथ सहयोग करना अवसरवादिता है, तो फिर लोकतन्त्र क्या है ? और अगर केवल अपने मतके लोगोंके साथ ही सहयोग होना सिद्धान्तवाद है, तो यह मत-स्वा-तन्त्रके साथ कैसे मेल खाता है ?

अवसरवादिता तब होती है जब अवसरसे लाभ उठानेके लिए सिद्धान्तोंको ताकपर रख दिया जाय। मैंने वैसा नहीं किया, दूसरोंवा

सहयोग लिया है तो ऐसे ही कामोंमें जिन्हें मैं सहो मानता था। और काम भी विशेष नहीं उठाया—बल्कि दण्ड ही अधिक पाता रहा हूँ, जिनमें गलत समझा जाना, स्वयं सहयोगियोंका निराधार विरोध पाना और बृष्टे प्रचारका शिकार होना भी गिनाये जा सकते हैं। फिर भी मुझे सन्तोष है कि मैंने कुछ काम अच्छे और उपयोगी किये—और उनमें ऐतोंका भी सहयोग पा सका जो मुझे सहयोग न देते पर मेरे कामको देनेको बाध्य हुए क्योंकि काम अच्छा था। कुछने अगर इसलिए सहयोग किया कि वे काम उठा लें और फिर विरोध भी करें, तो इस अवसरवादितोंका जवाब आप उनमें तलब कीजिए, मुझे उससे क्या ?

प्रश्न ८ : आप जो क्रुद्ध करते रहे हैं उसमें परस्पर विरोध दिखाई देता रहा है, जैसे क्रान्तिकारी होना और फिर स्वाधीनता आन्दोलनके समय सेनामें भरती होना। इसे आप कैसे संगत मानते हैं ? देशके स्वाधीन होनेके बाद देश-प्रेमके नामपर आपने क्या किया है ?

उत्तर : जो करता हूँ, उनमें अन्तर्विरोध हो नहीं, यह मैं चाह सकता हूँ। देखते नहीं, यह अपने आपमें कोई दृष्ट तो नहीं है। स्वयं सामंजस्य पाऊँ, यह अपनी शान्तिके लिए आवश्यक है; दूसरोंको भी सामंजस्य दीख जाय यह अतिरिक्त उपलब्धि है, जिसे जीवनके अप्रत्याशित विस्मयोंमें गिनना चाहिए।

लेकिन क्रान्तिकारी होनेमें, और सन् १९४३ में सेनामें भरती होनेमें ऐसा दीखनेवाला विरोध भी क्या है ? आरने अगस्त १९४२ को हलचल को ही स्वाधीनता-आन्दोलन मान लिया, क्या यही मूल नहीं है ? उस समय स्वाधीनताके लिए कई प्रकारकी कार्रवाइयाँ हो रही थी जिनमें 'भारत-छोड़ो' आन्दोलन भी एक था। और मैं बहूँ कि ऐनिक आक्रमणसे भारतकी रक्षा भी स्वाधीनता-आन्दोलनका एक और पक्ष था। 'हमने दुरूप आरम्भ नहीं किया, हम उसमें भागी नहीं हैं, भारतको उसमें भारत

की इच्छाके विरुद्ध, या उसकी राय लिये बिना झोंक दिया गया—इन सब बातोंको मानकर भी प्रश्न रह जाता था कि भारतके सीमान्तपर आक्रमण होनेपर क्या किया जाय ? एक मत यह था कि कुछ न किया जाय, अविरोधकी नैतिक शक्तिसे ही विजय मिलेगी। एक मत यह था कि जापानियोंके सहयोगसे भारतको मुक्त किया जा सकेगा—और इसके लिए एक सेना छोड़कर दूसरीमें जा मिलना भी बुरा नहीं है बल्कि अनुमोदनीय है। तीसरा मत यह था कि अपेक्षसे अपना संपर्क इन्हीं दो प्रतिपक्षियों तक रहना ठीक है, और कोई भी नया आक्रान्ता भारतवाहित्वी नहीं होगा इसलिए जैसे भी हो भारतकी रक्षा करनी चाहिए। मैं इस मतका था। उससे पहले जो करता था, उसमें और हममें कोई विरोध नहीं देखता था, और यह भी देखता था कि कोई काम अगर करणीय है तो मुझे केवल इसलिए उसे दूसरेके जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए कि वह 'घटिया' काम है या जोखमका है, या कि मुझे प्रीतिकर नहीं है। सैनिक कर्मको मैं उच्च कोटिका मानव-कर्म न समझता था, न अब समझता हूँ, (न क्रान्तिकारी आन्दोलनकी सदस्यताके समय समझता था,) न मैं यह मानता था कि वह मेरे लिए या मैं उसके लिए उपयुक्त हूँ। पर आपत्कालमें उसे करना शक्य भी नहीं मानता था—उम दशामें और भी नहीं जब कि इतने कम लोग उसे करनेको तैयार थे। (और उन्हें न करने मानसे यश भी मिलता था, आराम भी, और जोखमसे बचाव भी !) *

मैं यह नहीं मानता था कि जापानियोंका सहयोग हमें स्वाधीनता दिलायेगा। अब भी नहीं मानता कि वे अगर भारत तक बढ़ आये हों तो अच्छा हुआ होगा। स्वाधीन हम उसके बाद भी हुए होने—और सेनामें

* हम सन्दर्भमें देखिए धर्मसे शीर्षक—'संसार' के अन्तर्गत पहला खण्ड।

मैं जो कुछ कर रहा था उसका एक अंग यह भी था कि यदि जापानी पूर्वी भारतमें आ ही गये तो उसके विरुद्ध सैनिक सम्पर्कके साथ जनाश्रित विरोधका बुनियादी संगठन कर रखा जाय, जैसा कि यूरोपके विभिन्न रेजिस्टेंस आन्दोलनोंमें हुआ था—पर ऐसा मैं अब भी नहीं मान सकता कि उस अवस्थामें हमारी स्वाधीन स्थिति आजकी स्थितिसे अच्छी होती। बल्कि मैं समझता हूँ कि तब हमारी एकताको अधिक आघात पहुँचा होता—विघटनशील शक्तियाँ आजकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती और केन्द्रापसारो प्रवृत्तियाँ अधिक प्रबल। मैं कोरी सम्भावनाकी बहसमें नहीं पड़ना चाहता, और राजनीतिक विवादोंसे इस प्रश्नोत्तरको दूर ही रखना चाहता था, पर मेरी पक्की धारणा है कि उस दशामें हमारी दशा अबसे बदतर, दुर्बलतर और अधिक चिन्ताजनक होती। हमसे और पूर्वके हमारे पड़ोसी देशोंमें जैसी स्थितियाँ आयी हैं, वैसी ही यहाँ भी आयी होतीं या आ रही होतीं—और जहाँ आज हम उन्नतिको योजनाएँ बना रहे हैं, वहाँ अस्तित्व-रक्षाका प्रश्न ही हमारे लिए सर्वोपरि हो गया होता।

प्रश्नका दूसरा भाग और भी भ्रान्ति-मूलक है। आपहीसे पूछूँ कि आपने विश्वविद्यालयकी परीक्षा पास करनेके बाद आत्म-शाखाणके नामपर क्या किया है, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या इसलिए माग लेना होगा कि आपके विद्यार्थी जीवन और बादके जीवनमें विरोध है? तुलना एकांगी है—सभी तुलनाएँ अनुपयुक्त होती हैं, पर प्रश्नका अनौचित्य इससे शायद दृष्ट हो सके—

या यदि किसी प्रौढ़ विवाहित व्यक्तिसे पूछें कि उसने विवाहके बाद पत्नी-प्रेमके नामपर क्या किया है तो वह क्या उत्तर देगा? कि सन्तान उत्पन्न की है? (जैसे मन्त्रित्व या संसद्की सदस्यता पायी है, या टेके, या अनुदान, या राजकीय सम्मान!) या कि पत्नीके लिए चुड़ियाँ बनवा दी हैं, या उसे सिनेमा दिखा लाया हूँ (जैसे डेलिग्रेगोनीमें विदेश-यात्राएँ!)।

प्रश्न ६ : कम्युनिस्टोंके विरोधी घाप कबसे हुए ? क्या घाप अमेरिकी विचारधाराको मानते हैं ? यदि मानते हैं तो सैद्धान्तिक रूपसे या कम्युनिस्टोंकी विरोधी विचार-धारा होनेके कारण ?

उत्तर : कम्युनिस्टोंका विरोधी मैं नहीं हुआ । मेरे विरोधी अधिकतर कम्युनिस्ट हुए तो वे जानें । कम्युनिज्म मुझे पसन्द नहीं है, यह ठीक है । राजनीतिमें वह आततायी हुआ है, दर्शन वह अपूरा और पगु बनानेवाला है । और भारतीय कम्युनिज्म ज़दम-ज़दमपर देश-विरोधी और परदेश-निर्देशित सिद्ध हुआ है । मैं व्यावहारिक राजनीतिक नहीं हूँ, न होना चाहता हूँ, पर राजनीतिके सम्बन्धमें मेरे कोई विचार न हो ऐसी लाचारी नहीं मानता । जो हैं उन्हें नागरिकके नाते यथा-समय व्यक्त भी करता हूँ । पर मैं एक विचार रखता हुआ दूसरेको दूसरा विचार रखनेकी स्वतन्त्रता देनेका कायल हूँ, इसलिए किसी मतवादको न मानकर मैं मतवादोंका विरोधी होना जरूरी नहीं समझता, और उसे कलंकित करना तो बिल्कुल नहीं । कम्युनिस्ट क्योंकि ऐसी स्वतन्त्रताको दिमागी ऐय्याशी समझते हैं, और साधनकी शुद्धताको महत्त्व नहीं देते या कि व्यावहारिक परिणामवादी होकर सभी फलप्रद साधनोंको शुद्ध मानते हैं, इसलिए वे मतवादोंका भी विरोध करते हैं, और उसे जैसे-तैसे लाञ्छित करने या करवानेको न्याय-शुद्ध मानते हैं ।

अमेरिकी विचार-धारा भी क्या कोई है ? यदि अमेरिकाकी विदेश नीतिमें प्रयोजन है, तो उसमें मेरी दृष्टिमें ठीक और बे-ठीक बहुत कुछ है, और मैं उसको वैसा ही मानता हूँ । और अगर अमेरिकी जीवन-पद्धतिसे मतलब है, तो वहाँ भी यही बात लागू होती है : मैं स्वयं बैसे रहना पसन्द न करूँगा । अमेरिकी अगर पसन्द करते हैं तो वे जानें । जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यदि राज-सत्ता, या राजनीतिक दल-सत्तापर आधारित समाजको दोषपूर्ण मानता हूँ, तो यह नहीं कि पूँजीवी सत्तापर

आधारित समाजको दोषपूर्ण नहीं मानता। दोनों रदी हैं, दोनोंको बदलना चाहिए। पर एकमें अगर बदले जानेके प्रति विरोध कम है, या बदलना चाहनेवालोका दमन नहीं होता है या कम होता है, या बदलनेकी इच्छा है और अपने दोष देखनेकी क्षमता अधिक है, तो इस तथ्यको न पहचानना ही कोई गुण नहीं है। तो जिन देशोंमें एक या दूसरी प्रकारके समाज है, उन सभीमें यथोचित परिवर्तन हो ऐसा मैं चाहूँगा—जहाँ तक चाहनेकी बात है। और परिवर्तनके अनुकूल मानसिक स्वातन्त्र्यका वातावरण बर्हा हो, यह भी चाहूँगा। जिन देशोंमें वह अधिक हो, उनको अच्छा समझूँगा, क्योंकि उस स्वातन्त्र्यके बिना उन्नति और सुधारकी गुंजाइश उतनी कम हो जाती है। और अगर देखूँगा कि यह अधिक या कम स्वातन्त्र्य केवल तात्कालिक स्थिति नहीं है, बल्कि कुछ सामाजिक-राजनीतिक संगठन ऐसे होते हैं कि अनिवार्यतया स्वातन्त्र्यको सीमित करते चलते हैं, और कुछ ऐसे कि उसे बढ़ानेकी ओर दृष्टि करते हैं, तो न केवल स्वातन्त्र्यके होने या न होनेको लक्ष्य करूँगा वरन् इस बुनियादकी ओर भी ध्यान दिलाऊँगा। और मेरा विश्वास है कि यह बात इतिहास द्वारा प्रमाणित है कि कम्युनिज्म इस स्वातन्त्र्यको अनिवार्यतया कम करता है, लोकतन्त्र उसे प्रसारित करता है। इसलिए दोनोंमें मैं लोकतन्त्रका वरण करता हूँ। सम्पूर्ण निर्दोष लोकतन्त्र अभी दुनियामें कहीं नहीं है, यह ठीक है; उसकी कमियोंकी आलोचना होनी चाहिए यह मान लेता हूँ। सम्पूर्ण कम्युनिज्म भी अभी कहीं नहीं आया है अतः उसके वर्तमान दोषोंसे ही उसकी अन्तिम परिणतिका मूल्यांकन न किया जाय—तर्कके लिए यह भी मान लेनेको तैयार हूँ। पर क्योंकि उसकी अन्तिम परिणतिमें भी व्यक्ति-स्वातन्त्र्यके लिए जगह न होगी, जब कि लोकतन्त्रके परिवर्तन उसे बढ़ाने—या और संकुचित न करनेके प्रति सजग है, इसलिए दोनोंमें लोकतन्त्रकी वर्पता प्रमाणित है। कौन अपने घरमें क्या करता है इससे मुझे आवश्यकतासे अधिक प्रयोजन नहीं है। सैद्धान्तिक रूपसे मैं लोकतन्त्रको कम्युनिज्मसे

अच्छा समझता हूँ। और स्तोत्रतन्त्रको धुनियादी (रीडिबल) अथवा प्राथमिक (प्राइमरी) रूप दिया जा सके ऐसी श्रेष्ठताका अनुमोदन करता हूँ। एम० एन० रायके विचारोंकी यही दिशा थी, विनोबाके विचारोंकी भी यही है, अपप्रकारा मारायणकी भी। तीनों अलग-अलग रास्तोंसे उपर आये हैं या आ रहे हैं, उससे क्या। इससे भी क्या कि एक दृष्टि बुद्धि-वादी, भौतिकतावादी, मानववादी है और दूसरी ईश्वरपरक और अध्यात्मवादी।

प्रश्न १० : मार्क्सवादको आप आजके युगका सबसे बड़ा जीवन-दर्शन मानते हैं या नहीं ?

उत्तर : जीवन-दर्शन ? जीवन-दर्शन क्या उसे कहा जा सकता है ? सबसे पहले इतिहासको समझनेकी वह एक पद्धति है—और अत्यन्त उपयोगी पद्धति है—उससे हमें इतिहासकी गतिविधिपर एक नयी दृष्टि मिली है। दूसरे वह एक उपयोगी अर्थ-दर्शन है। समाजकी अर्थ-व्यवस्थाको समझनेमें वह सहायक हुआ है, उसके परिवर्तन और सुधारकी दिशाओका सकेन वह देता है। किन्तु जीवन-दर्शन ? मैं समझता हूँ कि मार्क्सवादके नामपर जो जुल्म हुआ है उसकी जड़में यह भूल है कि उसे व्यापक जीवन-दर्शन मान लिया गया—इतना ही नहीं, उसे अन्तिम मान लिया गया स्वयं उसीकी दिशाके विरुद्ध। जहाँ तक जीवन-दर्शनको बात है, मैं समझता हूँ कि एक नये जीवन-दर्शनके निर्माणमें डार्विनकी देन कहीं बड़ी थी—और आइन्स्टाइनकी भी—और क्लायडकी भी।

प्रायः मान लिया जाता है कि भौतिकतावाद सम्पूर्णतया मार्क्सकी देन है। वास्तवमें मार्क्सको केवल इतिहासकी भौतिकतावादी व्याख्याका श्रेय देना उचित है। नहीं तो जहाँ तक ज... .. बाव है, डार्विनका विकास-सिद्धान्त हमें तक ले जाता था, उससे चेतनको जड़ज फिर

निश्चय ही मैं तीनोंमें-से कोई भी पद प्रदान नहीं कर सकता—किसी पद प्रदान कर सकता हूँ !

उत्तर : पहला विकल्प ही नहीं सकता, क्योंकि सन्त तो कोई भी पद पसन्द करनेसे ऊपर उठ चुका होगा—नहीं तो सन्त कैसा ? और सन्तको सर्वपूज्य होनेमें तकलीफ ही अधिक होगी ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी दोमें-से दूसरा—राजनीतिक नेता होना—तो मैं बिल्कुल पसन्द न करूँगा, सर्वसत्ता प्राप्त होना तो और भी नहीं क्योंकि वह पतनका अङ्क नुस्खा है। रहा तीसरा, सो लेखक तो मैं हूँ ही; प्रिय होना बिना न बल्ला लगेगा, पर मैं थोड़ेसे लोगोंकी प्रियतामें भी सन्तुष्ट हूँ। क्योंकि प्रीतिवा आधार निरे 'अच्छे लगने'से अधिक कुछ होना चाहिए, और बेनी शीतल-व्यसन-समानता सभीसे हो सकेगी ऐसा भ्रम मैं नहीं पालता। सर्वप्रिय जान पड़नेमें भ्रान्ति ही अधिक होगी—और जहाँ प्रीतिवा व्यापार न हो वहाँकी लोक-प्राप्तता—पापुलेरिटी—जीका ज्वाल-भर होगी, इमजिस्ट्र उमके चक्करमें नहीं पड़ूँगा। प्रीति करनेवाले थोड़े ही हों, पर शब्द मेरे निबट मुख्यवान् हो—इतना बहुत काफी समझता हूँ। *श्री*—*श्री* हृदय—पाठक सोनेका मुझे उतना दुःख न होगा जितना *श्री* प्रीति खो देनेका।

प्रश्न १२ : -
 आपसि है ? असाधारण

बनना है, उगने इतर कुछ बनना मस्कू बनना है। उगी सत्वका उमेर होने देना ही गद्व स्वामात्रिक जीना है। कद लीजिए कि मुझमें साधारण होकर जीनेका कोई आण्ड नहीं है, केवल गद्व होना चाहता हूँ। भगापारण होनेकी कोई सालगा मूझमें नहीं है। जिशोराम्पामें मानता था कि श्रान्तिकारी भगापारण होने है; यह अब भी मानता हूँ कि एक भीनरी भगन्तुलन ही बीमे श्रान्तिकारी बनाना है जैसे हम तब थे, पर अब भरनेको बीमे श्रान्तिकारीके रूपमें नहीं देना इसलिए अमाधारणताका वह कौशोर्य-मुलम बहाना भी अब नहीं रहा है। सामात्रिक वस्तु-स्थितिको स्वीकार कर लिया हो ऐसा सन्तुलन अब भी नहीं है; पर सन्तुलन समात्रके साथ समझौतेसे बिलकुल अलग कुछ चीज है।

प्रश्न १३ : जीवनका चरम सुख प्राप्तके लिए क्या है ? जीवनकी चरम उपलब्धि प्राप्त किसे मानते हैं ? क्या प्राप्त ईश्वरको मानते हैं ? नहीं, तो शान्ति प्राप्तकी कहां मिलती है या प्राप्त उसे कहां खोजते हैं ?

उत्तर : ये प्रश्न बड़े-बड़े हैं। इनके बड़े कि उत्तर बहुत छोटा ही हो सकता है—अगर मौन ही एक मात्र सही उत्तर न हो। चरम सुख ? वह जीवन रहते कैसे जाना जाय, जब कि सुख और दुःख और दोनोंके अनुभवकी अपनी क्षमताका नित्य नया उन्मेष होता ही रहता है ? या कि वैदिक आयोंकी प्रार्थनाको आधुनिक रूप देकर कहें कि चरम सुख, चरम उपलब्धि यही है कि जीवनके अन्त तक उसके सम्पूर्ण और एकान्त अनुभवकी क्षमता बनी रहे—इसका अर्थ गुलत समझा जा सकता है, इसलिए और कहें कि चरम उपलब्धि है डरसे मुक्ति। डर है तो 'जीवनका सम्पूर्ण और एकान्त अनुभव' हो नहीं सकता। कौसा भी डर—मृत्युका डर, जीवनका डर, प्यारका डर, घृणाका डर, ईश्वरका भी डर—'अभीता गो स्याम' अथवा 'एपा मे प्राण मा विभेः' इससे बड़ी कोई प्रार्थना वैदिक

आर्याने नहीं की, इससे बड़ा कोई आदर्श नहीं पाया, ऐसी भरी धारणा है।

शान्ति ? वहाँ नहीं खोजता। जब जितनी पाता हूँ भीतरसे पाता हूँ। वह शिक्षा अथवा अनुशासन अथवा समयका ही दूसरा नाम अथवा धन-पक्ष है, जब उसकी पात्रता आती है तब पात्रमें वह भरी मिलती है। 'प्रकृति शून्य नहीं सहती'—यह नियम जितना अशान्तिपर लागू होता है उतना ही शान्तिपर, और दोनों ही ऐसे द्रव हैं कि पात्रका ही रूप ले लेते हैं—पात्रसे अलग उनका कोई आत्यन्तिक रूप नहीं होता।

ईश्वर ? उसे मानने न माननेकी बात जिस स्तरकी होती है, उसे सामने कैसे लाया जा सकता है ? कमसे-कम पूछाकी दृष्टिके सामने ? जिनसे उसकी चर्चा हो सकती है, वे पूछते ही नहीं। वे जानते हैं।

प्रश्न १४ : सामाजिक व्यक्तित्व और साहित्यिक व्यक्तित्व अलग-अलग होना चाहिए, या हो सकता है, ऐसा आप मानते हैं ? इन दोनोंका संघर्ष आपके जीवनमें कभी आया है ? यदि हाँ, तो उसका क्या हल आपने निकाला है ?

उत्तर : यह प्रश्न निरा पारिभाषिक भी हो सकता है; उस दशामें उत्तर होगा कि दो व्यक्तित्व अलग भी हो सकते हैं, एक भी। यदि प्रश्न वैसा नहीं है, तो कहूँगा कि व्यक्तित्व एक ही हो सकता है, और उसमें अन्तर्विभक्तिका न होना ही उसकी स्वरूपता है, और उसके सामाजिक और साहित्यिक पक्षकी सफलता है। यों कर्मके क्षेत्रमें दायित्व अलग-अलग हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि एकमें अपनी प्रतिभाकी पूरी अभिव्यक्ति अथवा अपनी शक्तिके सम्पूर्ण दानके लिए दूसरे क्षेत्रसे अपनेको कुछ हटा लेना पड़े। अपनी शक्ति या सम्भावना जानकर उसका उपयुक्त क्षेत्रमें सही उपयोग करना चाहना शलत नहीं है। पर ऐसा भी हो

सकता है कि एक संगठन विभाग दूसरेकी पंगुताका कारण या परिणाम हो, यह कहना सही नहीं है—आगे यह बुझाना पान है या करना, यह देखना होगा ।

मेरे जीवनमें भी ऐसी दिशा न आयी हो, ऐसा कैसे सम्भव था ? पर क्या हमें मने निकालना, यह समझाना कठिन है जब तक कि क्या सम्भवों की इगका पूरा विवरण न दे सकूँ—और वह उतना आसान नहीं होता है जिना जान पड़ सकता है । इसीलिए तो उल्लेख किने जाने हैं : ऐसी दिशाका निरूपण पूरे परिप्रेक्ष्यमें ही हो सकता है ।

गंधोने यह कहे कि मैं व्यक्तिका अपने प्रति भी उत्तरदायित्व मानता हूँ, समाजके प्रति भी । यह कोई नयी बात नहीं । पर मैं अपने प्रति उत्तरदायित्वको प्राथमिक मानता हूँ, और समाजके प्रति दायित्वको उनीचे उपपन्न । यहाँसे मनभेदका क्षेत्र आरम्भ हो जाता है । और आगे मैं लेखकका बहुमिमत लेखकके एक अतिरिक्त निजी उत्तरदायित्व भी मानता हूँ, और एक अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व भी—वह भी गौण अथवा उपपन्न ही । इसीलिए कलाकारको एकान्त साधनाको अत्यधिक महत्त्व देता हुआ भी मैं समझता रहा हूँ कि समय-समयपर उसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओपर अपना अभिमत प्रकट करना चाहिए : उन्हें उचित समाधानकी ओर प्रेरित करनेके लिए अपने मन्तव्यका जितना प्रभाव हो सकता हो होने देना चाहिए । यह नागरिक कर्तव्य मात्र नहीं है, क्योंकि इसमें केवल नागरिकके मतका उपयोग नहीं है, कलाकारकी तत्त्व प्रतिपत्तसे उस मतको जो अतिरिक्त गरिमा मिल जाती है उसका उपयोग है । किन्तु अपने साहित्यिक व्यक्तित्वका ऐसा सामाजिक उपयोग करने या होने देनेमें उसे दल-यन्त्रीसे बचना चाहिए, क्योंकि बिना इसके वह अपने निजी स्थलित हो जाता है ।

समझमें दिशाका, संघर्षका, क्षेत्र यही होता है—यानी उन कलाकारके भीतर होता है और जिसका उसे अपनी अलंङ्कता,

निपटा, हटेपिटी अथवा ईमानदारीकी रक्षाके लिए सामना करना पड़ता है। नही तो बाहरो सघर्ष तो अनेक हो सकते हैं—भौतिक, आधिक, सामाजिक, राजनीतिक लाभालाभके प्रश्न... मैं कहूँ कि इस स्तरका सघर्ष मेरा अपरिचित नहीं रहा है, यह भी कहूँ कि ऐसा इसलिए कि मैं अपने साहित्यिक व्यक्तित्वसे हिन्दीके औसत लेखककी अपेक्षा अधिक माँगता रहा हूँ—अपनेको अधिक उत्तरदायी समझता रहा हूँ। वह मेरी भूल हो सकती है, और उसपर आधारित होकर जब जिस द्विधाका जो हल मैंने निकाला उसमें भी मुझसे भूल हुई हो सकती है। जो मैं मानता हूँ वह मैंने बता दिया, उसपर वहाँ तक कायम रहा हूँ यह कहना केवल मेरा काम तो नहीं है, उसपर व्यक्तिनिरपेक्ष दृष्टिसे भी विचार किया जा सकता है।

एक-दो उदाहरण दे हूँ—जो अन्यत्र भी दिये जा सकते थे—आपके सहयोगवाले प्रश्नके उत्तरमें। सन् १९४२ में मैंने 'क्रासिस्ट-विरोधी लेखक सम्मेलन'का संयोजन किया था—तीन संयोजकोंमेंसे मैं एक था, दूसरे दो थे कृष्णचन्द्र और शाहिद अहमद। यह सम्मेलन प्रगतिशील लेखक सघ-की ओरसे नहीं था। संयोजन समिति बननेसे पूर्व यह प्रश्न उठाया भी गया था; मैंने कहा था कि यद्यपि मैं क्रासिस्ट-विरोधी लेखकोंकी ओरसे वैसी घोषणाको आवश्यक और उपयोगी मानता हूँ, तथापि किसी दलकी ओरसे वैसी घोषणा की जायगी तो मैं उसमें सम्मिलित न हूँगा। सम्मेलन-को दल-गत संगठनसे मुक्त माना और रखा गया, प्रगतिशील सघके जो सदस्य उसमें आये थे उन्होंने सम्मेलनके अन्तर्गत अपनी एक अलग बैठक भी की पर जो सदस्य नहीं थे उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। मुख्य प्रस्ताव (घोषणा) का और कुछ अन्य प्रस्तावोंका मतविदा मैंने तैयार किया था, अनन्तर विषय-निर्धारणोंमें परामर्श द्वारा यह निश्चय कर लिया गया था कि किस प्रस्तावको कौन प्रस्तुत करे और कौन उसका अनुमोदन करे।

दस वर्ष बाद बम्बईमें सांस्कृतिक स्वातन्त्र्यके विषयकी लेकर जे सम्मेलन हुआ था, उसके भी प्रथम संयोजकोंमेंसे एक मैं था। राजनीतिक स्थिति-बदल वह सम्मेलन दिल्लीमें न हो सका, जहाँ मेरा विश्वास है कि उसका रूप कुछ दूसरा, और मेरी समझमें अधिक सन्तोषप्रद, होता। मेरी निजी राय यह भी थी कि उसे दिल्लीसे अन्यत्र न ले जाया जावे, भले ही उसपर रोक लगा दी जावे और सम्मेलन होने ही न पावे। किन्तु बम्बईका आमन्त्रण भी था और समितिका बहुमत वहाँ जानेके पक्षमें, अन्ततोगत्वा सम्मेलन वहाँ हुआ। उसने जो रूप लिया वह साहित्यिक कम था, राजनीतिक अधिक; उसके बाद जो समिति बनी उसमें यद्यपि मुझे भी एक मन्त्री निर्वाचित किया गया था तथापि वहीसे मेरा सम्बन्ध उस संस्थासे छूट गया। यह नहीं कि उसके बाद संस्थाने अच्छा कुछ नहीं किया, पर चलत भी कुछ किया, और यह तो हुआ ही कि दलगत राजनीतिसे कलाकार या सांस्कृतिक कर्मियोंको अलग रखनेकी बात वहाँ अप्रधान हो गयी—बल्कि कलाकार ही अप्रधान हो गया। अनन्तर उसकी गति-विधिमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है, और कई लोगोंने अनुभव किया है कि साहित्यिक उद्देश्योंको प्राथमिकता न देनेमें भूल हुई; उसकी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र-संस्थामें भी इस प्रश्नपर वाद-विवाद हुए हैं और होते रहते हैं। पर उस सम्मेलनके बादसे उस सगठनका अथवा उसकी किसी समितिका सदस्य मैं नहीं हूँ। और चलते-चलते यह भी बह दूँ कि यह बात—अपनेको साहित्यिक बहनेवाली कुछ हिन्दी पत्रिकाओंने जैसा प्रवाद फैलाया है—सरासर गूठ है कि मेरी अंग्रेजी पत्रिका 'वार्क'को इस संस्थासे, अथवा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय, विदेशी या देशी भी संस्थामे, अथवा किसी भी सरकारसे किसी प्रकारका अनुदान या सहायता मिली है या मिलनेका आश्वासन मिला है। इतना ही नहीं, कोई अप्रत्यक्ष सहायता—यथा बड़ी संख्यामें प्रतियोगी खरीद किया जाना—भी उसे नहीं मिली है।

जो कुछ मैं करता रहा हूँ उसपर लक्ष्मण नहीं हूँ, बडे चलन भी नहीं

मानता । इधर कुछ मित्रोंने सुझाया है कि इस प्रकार शक्तिका अपव्यय होता है, और जितनी शक्ति मैंने इन या ऐसे दूसरे कामोंमें लगायी उसका इससे अच्छा उपयोग भी हो सकता था । मैं यह मान लेता हूँ । सोच भी रहा हूँ कि भविष्यमें ऐसी शक्तमें न पडूँ । पर इसे आप चाहे सामाजिक बोध वह लीजिए चाहे खुदाई फौजदारी, कि जब मुझे स्पष्ट कुछ दीखता है जिसे दूसरे नहीं देख रहे हैं—या देखते हैं तो जोखमके डरसे वह नहीं रहे हैं—तो उसे कहे बिना नहीं रहा जाता । 'भई, मुझे क्या !' वाली बुद्धि, उस दायरोंमें जो स्पष्ट ही मेरा दायरा है, मुझे ग्राह्य नहीं होती । जानता हूँ कि दूसरे बहुतसे लेखकोंको हो जाती है, और उनमें मेरे गुरुजन भी हैं और समबर्ती भी और नये लेखक भी, पर इस ज्ञानसे मुझे और प्लानि ही होती है । फिर अमुक काम करणीय तो है, पर मुझे अप्रोत्तिकर गा शक्तिकर है, इसलिए कोई दूसरा इसे कर दे और तब तक मैं कोई खरा लामप्रद या मशप्रद काम कर लूँ ।'—यह बुद्धि भी मुझे ग्राह्य ही होती : यदि यह ठीक है तो फिर अवसरवादिता क्या है, स्वार्थ-ओलुपता क्या है ?

प्रश्न १५ : साहित्यिक कृतिकारके माते आप क्या अपने-आपसे सन्तुष्ट हैं, अपनी रचनाके सम्बन्धमें अन्तर्दृष्टसे मुक्त हो सके हैं ? नहीं, तो रचनाके बारेमें आपकी गहनतम चिन्ता क्या है ?

उत्तर : सन्तुष्ट बिलकुल नहीं हूँ, नहीं तो और लिखना क्यों ? अन्तर्दृष्टसे मुक्त भी नहीं हूँ । पर वह अधिकतर लिखनेसे पहले होता है । और अगर बादमें भी रहे तो जब तक वह रहना है, प्रकाशन नहीं करता । प्रकाशनके बाद फिर अगर शंका हो जावे तो फिर दुबारा नहीं छपने देता । जो लिखा है, उसमें कुछ काफ़ी अच्छा भी लिखा है ऐसा मानना हूँ, पर जो भी जब भी छपने भेजा है, द्विषा रहते नहीं भेजा, अच्छा समझकर ही भेजा है । बादमें स्वयं मत बदल जावे, या दोष दिखानेपर दीख जावे,

वह दूगरी बात है। इसलिए वृत्तिकारके नाने आने-आगर लज्जित भी नहीं है।

रचनाके शेषमें गहनतम बिना और क्या हो सकती है मिया इनके कि जो रचूँ वह रागदीप्त सत्य हो—वह सम्पूर्ण सच हो, और जो सच है उसका अधिकसे अधिक उसकी एकड़में आ जाय और उसमें रागदीप्त हो उठे ? इनपर संका हो सकती है कि सत्य तो दर्शनका क्षेत्र है, कलाका क्षेत्र सुन्दरका ही है, और मैं उस बातका स्पष्टन नहीं करूँगा। कला भी ज्ञानका एक प्रकार या क्रिया है, अर्थात् सत्यकी उपलब्धिकी एक साधना है, सुन्दर उसकी रागदीप्ति का उपकरण या साधन है।

बड़ी-बड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता, सत्यकी बात कह रहा हूँ तो इसलिए कि इस समय मैं जहाँ हूँ वहाँ, जो कुछ लिखता रहा हूँ उस सबके बारेमें, और भविष्यमें जो लिखूँ उसके बारेमें एक मौलिक जिज्ञासा मेरे मनमें है। कह लीजिए कि एक नये, नये प्रकारके, अन्तर्द्वन्द्वके सामने हूँ। जब अभी नहीं जानता कि उसका हल क्या पाऊँगा, तब उसका कुछ भी निरूपण करके आपको भ्रममें डालना या अपना मार्ग और दुस्तर बताना नहीं चाहता। जो भी उत्तर मिलेगा—अगर मिलेगा—तो वह उसमें प्रतिक्रिया विभिन होगा जो लिखूँगा—अगर लिखूँगा। सच मानिए, उसके बारेमें मेरा कौतूहल आपसे कम नहीं है।

अंश-दान*

प्रिय—,

तुम्हारे तीव्र विरोधने मुझे कुछ उद्विग्न भी किया है और कुछ उत्तेजित भी। पत्रका उत्तर में सत्काल ही देना चाहता था, किन्तु अपनी पहली प्रतिक्रियाको मैंने दबा लिया—और यह बुद्धिमानी ही थी, क्योंकि यद्यपि उस समयके भावनात्मक विस्फोटसे मुझे शान्ति ही मिलती, पर तुम्हारे लिए वह उचित न होता।

तुमने विरोधकी सूचना मुझे दी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और यह भी स्वीकार करनेमें मुझे संकोच नहीं है कि एक दृष्टिसे तुम्हारी बात

* ये दो पत्र क्रमशः मार्च १९४३ और अक्टूबर १९४५ में दो अलग-अलग व्यक्तियोंको लिखे गये थे। पहले पत्रका उत्तर पानेके बाद लेखकको यह कौतूहल हुआ था कि क्या युद्धके बाद भी उसके तत्सम्बन्धी विचार बँसे ही रहेंगे, अतः उसने पत्र भी वापस मँगवाकर रखा लिया था। दूसरे पत्रकी प्रतिलिपि उसने रखी थी।

आज युद्धके, अथवा उससे सम्बद्ध हिंसाके, अथवा चरित्रपर सैनिक जीवनके प्रभावके, विषयमें लेखक और भी कुछ सोचता है। किन्तु युद्धारम्भ और युद्धान्तके समयके ये पत्र तत्कालीन मनोदशाके अधिक सच्चे चित्र हैं, और आजके तार्किक अनुधावनकी तुलनामें अधिक रोचक अथवा उपयोगी हो सकते हैं। जो निश्चय जिस समय किया गया, उस समय उसके पीछेकी विचार-परम्परा या प्रेरणा बधा थी, आलोचक यही जानना चाहेंगा। यही इन पत्रोंकी प्रकाशित करनेकी संगति है। पहले पत्रके कुछ नितान्त निजी अंश छोड़ दिये गये हैं।

टीक भी है—वहिक इनी बातको मे प्रान्तापूर्वक कहीना कि मेरे विचारके पीछे एक आन्तरिक मेहनत मीनकर मुमने उम मख्त-बोचका फिर लिखन दिया है ओ गटने भी गुने बखित करगा रहा है—किन्तु फिर भी मुसलम दृष्टिकोण मरंथा भाजिमूलक है ।

इस विरोधाभासातर अधीर मन होना । मुमने जो परामर्श मुते दिया है, उगका मेने बुरा मदी माना—मेने अनुभव किया कि मेरे और मेरे भविष्यके प्रति शूभेच्छाने ही मुम्हें जिननेको प्रेरित किया होगा, और इनीशियु मे आना या आने एक अगका साष्टीकरण करतेदा यह प्रयत्न भी कर रहा हूँ—

हम लोगोंने अभी तक कमी राजनीतिपर बहस नहीं की—और मुते इस बातकी गूनी है कि नहीं की । अब राजनीतिमे मेरा कोई हितानक सम्बन्ध नहीं है; बेचन मेरे मनामन है किन्हे कमी-कमी ब्यक्त भी कर देता हूँ—जब बैगा करनेगे अगंठीमें विवेचन और बौद्धिक उत्तेजनकी आगा हो । ऐमे अखगर अब पहुँचे भी कम भाते हैं, क्योंकि भारतकी परिस्थितियाँ ज्यों-ज्यों विचलित होती जाती है स्थों-स्थों हमारी राजनीति अधिक तीव्र रूपसे ध्रुवाभिमुख (पोलराइज) होती जा रही है । साधारणतया उमके दो ध्रुव स्पष्ट होते हैं—एक ओर वे लोग हैं जो इस विद्व-युद्धमें भाग लेना और उसे निगति तक पहुँचाना (जहाँ तक कि यह उनके सामर्थ्यके भीतर है) अपना कर्त्तव्य समझते हैं, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो इसमें भाग लेना कर्त्तव्य नहीं समझते—बल्कि यह कहना चाहिए कि भाग न लेना ही कर्त्तव्य समझते हैं, ताकि उनके मतका आप्रह स्पष्ट हो जाय । निस्सन्देह दोनों दलोंके भीतर अनेक उप-दल हैं जिनके अलग-अलग दृष्टिकोण और स्वार्थ हैं, किन्तु इन दो मुख्य दलोंके विरोधकी इतनी चर्चा होती रही है कि आखकलके राजनीतिक वाद-विवादोंमें एक भीषण एक-रसता (अथवा द्विरसता अथवा निरी विरसता !) स्पष्ट लक्षित होती है । मैं यह कहकर अपने उच्चतर

विवेकी रीग हाँसना नहीं चाहता, अपने उस तीसे ओर कट्टु अनुभवकी वाद कहना है जो रेलगाड़ियों और बसोंकी अनुदिन यात्राओंमें, यात्रियोंमें होने वाले विवादोंको सुनकर मुझे मिला है। (विवादमें अपने मतके लिए लड़ जानेकी कला मुझे नहीं आती, इसलिए प्रायः छोटा मुझे बनना पड़ता है, मेरे श्रवण-धर्मके लिए मुझे अनेक प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं, जिनकी दीवारकी आड़में मेरी नैसर्गिक भीष्टता आसानीसे छिप जाती है !)

और मैं उनमें हूँ, जिनका विश्वास है कि यह युद्ध 'योद्धव्य' है— कि उसमें भागी होना हमारा कर्तव्य है। मेरा विश्वास है कि इस युद्धके परिणामपर समूचे सत्तारके सर्वदेशीय हितोंका निर्णय आधारित है। इसलिए यह भी मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय—एकदेशीय—हित इस युद्धमें भोग हैं। यह नहीं कि उनका महत्त्व नहीं है, केवल यह कि उनका महत्त्व अत्यन्तिक नहीं, अपेक्षिक है, उपपन्न है। फलतः मैं भारतकी स्वाधीनताको एक स्वायत्त, अत्यन्तिक तत्त्वके रूपमें नहीं देखता। प्रगिस्त पक्षकी विजयसे भारत स्वतन्त्रता पा सकेगा, यह तर्क तो इतना अतर्क और बेहूदा है कि इसका उत्तर देना अनावश्यक है; जो तटस्थता अपना 'निष्पक्षता'को ठीक मार्ग समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हो सकता कि निरी अवर्षण्यता फलप्रद हो सकती है—कम-से-कम कोई वांछनीय मूल्यवान् फल वह कदापि नहीं दे सकती।

और यह अनुभव करके, कि युद्धमें भारतका कुछ कर्तव्य है, यह कैसे उचित हो सकता है कि वह कर्तव्य मैं दूसरों द्वारा किये जानेके लिए छोड़ दूँ, और स्वयं हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहूँ ? युद्ध बर्बरता है, और जो युद्ध करते हैं वे या तो पहले ही न्यूनाधिक बर्बर और असंस्कृत होते हैं, या युद्ध-कर्मकी योग्यता और दक्षता प्राप्त करनेके लिए अस्थायी रूपसे अपनेको उस निम्नतर तलपर लाते हैं—यह सब सच है, मुझे स्वीकार है। किन्तु अगर यह अतीतिकर घोर कर्म करणीय है, और मैं अनिवाप्य

समझता हूँ कि वह किया जाय, चाहता हूँ कि वह किया जाय, तो तटस्थता अथवा उपेक्षा कैसे उचित है, यह कैसे शक्य है कि उसे मैं दूसरोपर छोड़ दूँ ? इससे तुम चाहो तो यह परिणाम निकाल लो कि मैं इतना संस्कृत-सम्य नहीं हुआ हूँ कि निरुद्धेग रह सकूँ; चाहे यह समझ लो कि चरित्रके छिछलेपनके कारण मैं पराधिकार-चांचिक हो गया हूँ, बड़े बड़े दायित्व अपने ऊपर लेकर व्यर्थ अहंकारका पोषण करना चाहता हूँ, चाहे—कई-एक और भी सम्भावनाएँ हैं, पर यह स्पष्ट है कि उनके तथ्या-तथ्यका निर्णय मैं नहीं कर सकता ।

मुझसे अच्छे लड़ते हैं । तोड़ने-फोड़ने, नष्ट-भ्रष्ट करने, मारने-बाटनेके कामकी मुझसे कहीं अधिक योग्यता रखनेवाले अनेक लोग हैं । निस्सन्देह मुझमें प्रागैतिहासिक पशु-मानव या मानव-पशुकी सहज वृत्तियाँ हैं, और उन वृत्तियोंपर आश्रित एक जीवन मेरा भी है, किन्तु साथ ही मुझमें अपनी जाति, अपने वर्ग, अपनी परिवृत्तिके संस्कार भी हैं, और फलतः अनेक वर्जनाएँ, संकोच, ऊहापोह और नैतिक भावनाएँ जो कि नर-मुष्क-सग्रह करनेकी मेरी योग्यताको परिमित करती हैं । उस प्रकारकी विशेष महत्त्वाकांक्षा भी मुझमें नहीं है, अपने भीतर प्रासिस्टोंके प्रति द्वेष घृणा जगाना मैं उतना ही असम्भव पाता हूँ जितना कि किसी पावल अथवा उन्मादग्रस्त रोगीके प्रति । किन्तु यह सब होते हुए भी मैं अनुभव करता हूँ कि अपनी परिमित योग्यताके अनुरूप मुझे मुद्घमें कुछ-न-कुछ भाग अवश्य लेना चाहिए । अतएव....

शायद तुम मुझे मूर्ख समझो । यदि ऐसा समझो तो मैं सीझूँगा नहीं, न तुम्हारी धारणाका सण्डन आवश्यक समझूँगा । क्योंकि बिलकुल सम्भव है, वह धारणा ठीक हो—स्वयं मुझे कभी-कभी वैसा सन्देह होता है । या शायद तुम मुझे पय-भ्रान्त समझो और उदारतापूर्वक दयाका पात्र टूट-राजो । दयाका पात्र समझा जाना मुझे चुभेगा, परन्तु उस उदारताका सम्मान करके मैं अपने शोमको अपने तक ही रूँगा । या ठीकरी

सम्भावना—पर मैं आशा करता हूँ कि यह सम्भावना नहीं है, और तुम मुझे अर्थलोभी नहीं ठहराओगी। क्योंकि इस निर्णयके बाद अनदेखी या क्षमा न तुम्हारी ओरसे हो सकती है, न मेरी ओरसे। (....)

नया काम मैं करना चाहता हूँ—सेनाके किस अगमें भागी होना चाहता हूँ, यह तो मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि सब कुछ अभी हवामें है, कुछ निश्चय नहीं हुआ है, मैं केवल आशा कर रहा हूँ—इच्छा कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि काम रुचिकर होगा बल्कि ऐसा कि उसमें अपनेको निगमन किया जा सके—और मेरा विश्वास है कि मैं उसके योग्य भी हूँ। (....) तुम्हारी यह धारणा शायद ठीक ही होगी कि मुझे ऐसे लोगोंमें रहना पड़ेगा जिनमें बुद्धि बहुत कम है और जितनी है वह भी क्रवायदकी बेड़ियोंमें जकड़ी हुई—अधिकसे अधिक इने-पिने अपवाद मिल जायेंगे। किन्तु फिर भी मुझे बहुत घूमनेका और अनेक श्रेणियों और स्तरोंके असैनिक लोगोंके सम्पर्कमें आनेका अवसर मिलेगा, इसलिए शायद मेरी मृत्यु उतनी जल्दी नहीं होगी जितना तुम डर रही हो—बौद्धिक मृत्यु....

प्रतिभा ? हाँ, कुछ थोड़ी-सी मुझमें शायद हो भी सकती है। और मैं उस अभागी श्रेणीका 'कलाकार' हूँ जो अपने कर्मको बड़ा उत्तरदायित्व समझता है—जो मानव-जातिमें और उसकी सेवामें आस्था रखता है—जो इसलिए अन्तमें एक बौद्धिक भूंगेपनकी अवस्थाको पहुँच जाता है—उसकी आत्माको चिन्धी बँध जाती है.... किन्तु ऐसे व्यक्तिके लिए निस्तार कहीं है तो इसीमें कि सब कुछको—विशेषकर हमी अपनी सन्दिग्ध प्रतिभाको !—छतरेमें डाल दे, और हम मूर्ख दुस्साहसिक आगासे बिपटा रहे कि कभी-न-कभी किगी-न-किमी तरह सब टोक ही हो जायगा। क्योंकि अगर वह सब-कुछको हम प्रकार छतरेमें नहीं डालना, तो बीघे ही गँवा देता है—निरा आत्म-तिरस्कार और म्लानिके कारण।

यह सब बुद्धि-संगत जान पड़ता है न ? इतना बुद्धि-संगत कि शीघ्र पैदा हो—मुझे स्वयं इस युक्तिवादपर खोज आती है । क्योंकि मैं बुद्धि-वादी हूँ तो केवल सकल्प-शक्तिके कारण । मैं अस्पष्ट अनुभव करता हूँ कि इससे बड़ा एक जीवन है—जिमके प्रति मैं अपनेको सम्पूर्णतया उत्सर्ग नहीं करता—यागलपनकी सीमापर खड़ा रहता हूँ, पर सम्पूर्ण पायत होते-होते रह या रुक जाता हूँ—किन्तु वह विशालतर इतना निजी है—आस्थाकी तरह निजी, जो व्यक्तिके पास रहती है, किन्तु फिर भी जैसे जीवनसे अलग, वह जीवनमें हस्तक्षेप नहीं करती—मैं नहीं कह सकता कि मेरी बात तुम समझ रही हो या नहीं—कि मैं समझा जानेवाला भी हूँ या नहीं । और इस मामलेमें फिर तुम्हारा ख्याल ठीक है, और ठीक होकर भी एलत है । क्योंकि निस्सन्देह इसमें एक प्रकारका आत्म-हनन मैं कर रहा हूँ—किन्तु अपने बाहरकी किसी वस्तु या घटनाके लिए या उसके कारण नहीं । और अपने जीवनके उस अल्पकालिक अङ्गके लिए तो कदापि नहीं जिसको ओर तुम्हारा संकेत है । उस अङ्गका आने-आपमें कोई महत्त्व नहीं है—यद्यपि यह ठीक है कि जीवनका प्रत्येक अङ्ग प्रत्येक दूसरे अङ्गपर प्रभाव डालता है । मैं आत्म-हनन कर रहा हूँ अपने लिए, अपने अस्तित्वके एक 'प्रमाण'के लिए जो कि मुझे उस अस्तित्वके कहीं बड़ा मालूम होता है, किन्तु जिसकी परिभाषा मैं नहीं कर सकता । यह आशा मुझे नहीं है कि जिन लोगोंके, या जीवनकी जिस प्रवृत्तिके आगे मैं अपनेको प्रमाणित करना चाहता हूँ वह जानेगा भी, बल्कि भी करेगा, कि यह उद्योष भी मैंने किया, इसलिए स्पष्ट है कि उद्योष करना मूर्खता है, तथापि स्थिति यही है—यह सती होनेकी तरह ही है—एक आत्म-बलिदान जो कि परम निष्कल है किन्तु फिर भी इतना महत्त्वपूर्ण कि कई स्त्रियोंने अपनेको शोक—या प्रेमके भी—रहने बिना भी आंगमें शोक दिया होगा ।

प्रतिभा और बुद्धिकी ती यों पत्ती काट दी ! तुम अनुमान कर सकते

हैं कि मेरी बुद्धि कितनी उलझी और भ्रान्त हो गयी है—मानो किसीने अपने आपमें गाँठ बाँध ली हो और फिर सिरे खींचकर खोलना चाह रहा हो—हाथोंसे पैर पकड़कर खींच रहा हो। प्रतिभा है भी क्या बला ? मैंने कई एक प्रकारके कामोंमें हाथ लगाया है, सभीमें न्यूनाधिक दक्षता दिखायी है—रेखांकन, चित्रकारी, मूर्ति-शिल्प, कविता और गद्य-लेखन, वार्डपिरी, चर्म-शिल्प, सिलाई, वागवानी, पत्रकारिता, भौतिक विज्ञान, रसायन, धर्म-तत्त्व-विवेचन, कोश-निर्माण, घुडसवारी, पर्वतारोहण, प्रोटोग्राफी, गृह-सज्जा, बुनाई—और रेलवे स्टेशनपर बैठकर लम्बे और उबानेवाले पत्रोंका लेखन ! सभी काम मैंने किये हैं—और कुछ नहीं किया। अभिव्यञ्जना कौन-सा माध्यम चुनती है, इसका महत्त्व कम है। अगर मैं गन्दी गालियाँ बकनेका भी अभ्यास करने लगता, तो शायद 'हमारी भाषाके सर्वश्रेष्ठ दस या बीस गालीकारोंमें-से अन्यतम' होनेका श्रेय किसी-न-किसीसे पा ही लेता—जैसा कि लेखक होनेके नाते पा सका है—किन्तु इससे सिद्ध क्या होता ? किसीके लिए इसका कोई आत्यन्तिक महत्त्व न होना—मेरे लिए भी नहीं। एक दिन ऐसा अवसर आता जब मैं अपने आपसे कह उठता, 'कमीने, दम्भी, तू केवल सफलतासे व्यभिचार करता रहा है, जीवनका सामना तूने नहीं किया, अगर तुझमें प्रतिभा है तो उसे आँच देकर परख होने दे !' और वह दिन कयामतका दिन होता—क्योंकि अगर इस पुनौतीके बाद मैं परीक्षा न देता तो अपनी आँसुओंमें गिर जाता; और देता तो शायद पाता कि मेरी प्रतिभा परीक्षामें उत्तीर्ण होने लायक नहीं थी। किन्तु जैसा कि शायद ऊपर कह भी आया है, (मुझे आगे लिखनेकी उतावली है, थोड़े देखनेका समय कहाँ ?)—मैं उनमें-से हूँ जो समझते हैं कि अगर प्रतिभा घोट साकर बच सकनेवाली नहीं है तो शायद उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है—समारको कोई हानि नहीं पहुँचेगी। भैसेके पंख निकल आवें तो वह उनका गर्व कर सकती है—किन्तु सभी तक जब तक कि वह उड़नेका उद्योग नहीं करती। उसके

पंग बट जायें तो पशियोंकी गिनतीमें कमी नहीं हो जायगी ! मैं जानता हूँ कि यदि मुझमें बहुत बड़ी प्रतिभा होनी—वास्तविक महान् प्रतिभा, मनीषा, जीनियस—तो मुझे अपनी परम करनेकी इतनी चिन्ता मौ न होती । ईगाने जीवनका एक स्पष्ट क्षण वह था जब उसने कहा था— 'अपने स्रष्टा ईश्वरकी तू परस नहीं करेगा ।' यह अडिग आस्था महान् प्रतिभाकी आस्था है—मुझमें वह अडिग आस्था नहीं है, क्योंकि वह महान् प्रतिभा नहीं है ।

मुझे क्षमा करो, यह पत्र लगभग स्वगत भाषण हुआ जा रहा है । क्षमा मुझे करना होगा—क्योंकि बहुत दिनों पीछे मैंने ऐसी बेनिर-पैरकी ईमानदार बातें की हैं । दोष मेरा है तो मही कि मैं और भी बहुत कुछ कह सकता था—पर तुम जानती हो कि जो कहा जा सकता है वह सब लिखा नहीं जा सकता—विशेषकर रेलके प्लेटफार्मपर, जहाँ बैठकर मैंने यह सब लिखा है । आजबल यह गाड़ी प्रायः लेट हुआ करती है—आज चार घण्टे लेट थी और अभी उसके जानेमें बीस मिनट बाकी है ।

बादमें ।

मैं अपने कमरेमें वापस पहुँच गया हूँ—काश कि मैं 'घर' कह सकता; पर घर नहीं है, केवल एक कमरा है, यद्यपि परिचितिके कारण वह मुझे केवल झेल लेनेकी बजाय रुखा-सा स्वागत करता जान पड़ता है । मैं भतिश्रमसे और बहुत देर तक लगागार बहुत तीखा, बहुत गहरा, बहुत-सा चिन्तन करनेसे बिलकुल क्लान्त हूँ; किन्तु मैंने पहुँचते ही तुम्हारा पत्र खोज निकाला है, यह देखनेके लिए कि मैंने उसका उत्तर दिया है या भूसीमें तीर मारता रहा हूँ । और मैं देखता हूँ कि मैं विषयसे बहुत भटका नहीं, यद्यपि अब देखता हूँ कि तुम्हारा एक प्रश्न है—'क्या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए आरमहस्या श्रेय हो ?' इस प्रश्नके दो अर्थ हो सकते हैं । यदि तुम्हारा प्रश्न यह है कि 'क्या किसी भी चीजके लिए आत्मोत्सर्ग

करना उचित है ?' तो मेरा उत्तर स्पष्ट है—'हाँ, ऐसी अनेक चीजें हैं— और बड़ी छोटी-छोटी चीजें भी ।' एक बार मैं एक तैराकके हाथोंकी गति देखकर इतना मुग्ध हुआ था कि बिना तैरना जाने झीलमें कूद पडा था । मुझे बेहोश बाहर निकाला गया और होशमें लानेके बाद मेरा मजाक बनाया गया, किन्तु मैं अपनी करनीपर कभी लज्जित नहीं हुआ—उस निराश्रय लय-युक्त गतिकी अनुमूर्ति निश्चय ही उन वस्तुओंमेंसे थी जिनके लिए प्राण निछावर किये जा सकते हैं । और अनेक अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएँ भी हैं । बल्कि मुझे तो लगता है कि जीवन जीने लायक ही तब तक नहीं होता जब तक कि वह मरने लायक बहुत-सी चीजें प्राप्त न कर ले । किन्तु अगर तुम्हारे प्रश्नका यह अभिप्राय नहीं था, दूसरा ही अभिप्राय था—कि क्या आत्म-हृत्न धाम्य है, तो उसका उत्तर मैं ऊपर दे था—

मैंने शायद बहुत अनर्गल प्रलाप किया है, किन्तु इसे दुबारा पढ़कर देखूँगा नहीं—क्योंकि जो दुबारा पढा जाता है वह फिर भेजा नहीं जाता—प्रलाप करनेकी भी एक अवधि होती है ।

मेरे मानस-पटपर कविताके उड़ते हुए बादल आ रहे हैं—न जाने क्यों । निस्सन्देह जिसे लारेंस और टेनीसन एक साथ याद आवे उसका दिमाग खराब समझना चाहिए ।

“मेरे चरणोंके नीचेकी श्यामल धास
मानो मेरे भीतर भूमती है—
जैसे भरनेमें काही;
और कितना अचढ़ा है अपना-प्राप न होकर
ये इतर वस्तुएँ होना—
क्योंकि मैं अपने-प्रापसे ऊँचा हुआ हूँ”

“सन्ध्या बेला और धण्टा-ध्वनि
और उसके बाद शब्दकार ।

उस समय विशासोंका विश्वास न हो
जब मैं धानी नीका सोनु ।...”

(दो दिन बाद)

यह मोक्षकर कि यह पत्र न भेजना ही ठीक है—मैंने इसे दुवारा पड़
डाला है—और अब उगमें कुछ और बातें जोड़ना आवश्यक जान पड़ता
है—तहाँ तो तुम्हारे पत्रका उत्तर पूरा नहीं होता ।

पिछले साल जब मैंने पूछा था कि मैं सेनामें लिया जाऊँगा कि नहीं,
तब मुझे किंगी ऐसे संकटपूर्ण कामकी जरूरत थी जिससे मैं अपने आपसे
बाहर निकल सकूँ । संकटपूर्ण काम और भी हो सकते हैं, निस्सन्देह;
किन्तु यह एक था जिसमें राजनीतिक ईमानदारी भी मिलती थी—क्योंकि
मैं फ्रांसिस्ट-विरोधी युद्धका समर्थक था । किन्तु उस समय काम नहीं बना ।
केवल अभी जनवरीमें यह सम्भावना मेरे सामने आयी जिसकी अभी बात
हो रही है । यह काम युद्ध-मुखका नहीं है, इसलिए संकटपूर्ण भी नहीं
है—इस हद तक तो मुझे निराशा हुई है । किन्तु भीतरी माँगके अनुकूल
न होकर भी शायद यह बाह्य परिस्थितियोंकी—मेरी योग्यताकी—दृष्टिसे
अधिक उपयुक्त है । किन्तु कम-से-कम यह मेरी परिचित परिवृत्तिसे तो
अलग है—एक नयी परिवृत्ति और वह भी निरन्तर परिवर्तनशील । जब
सुजली सुजलानेसे नहीं मिटती तो हम उस स्थलको धम्पड़ मारते हैं,
धम्पड़की पीड़ा सुजलीको दबा देती है । यह बात तर्क-संगत नहीं तो
मनोविज्ञान-संगत अवश्य है ।

दूसरे तुम पूछती हो, 'तुम भी वही क्यों करो जो कि संकटों मूखोंने
किया है ? किन्तु क्या सचमुच उन्होंने यह किया है ? मुझे तो जान
पड़ता है कि हमारे देशके दुःखोंका एक कारण यह है कि हमारे पास मूखों-
की कमी है, और समझदार हिसाबी बुद्धिके लोगोंका बाहुल्य, जो कि
पदका बतन देखते हैं, काम नहीं । अगर तुम सहमत नहीं हो, तो क्या

एक भी भारतीय लेखक-मूर्खका नाम बता सकती हो जिसने युद्ध-सम्बन्धी या दूसरा ऐसा संकटपूर्ण काम लिया हो जो उसे परिचित क्षेत्रोंसे बाहर ले जाय ? यह तर्क मैं नहीं सुनूँगा कि उनकी उदार सूक्ष्मानुभूति उन्हें युद्धकी बर्बरताकी अनुमति नहीं देती—क्योंकि मैं ऐसे भी लेखक जानता हूँ, जिनकी बर्बरता ही उन्हें किसी आदर्शके लिए मरनेकी उदार सूक्ष्म भावनाके योग्य नहीं छोड़ती । (यद्यपि तुम्हारा इसपर आप्रह हो तो यही सही कि आदर्श भ्रांत है ।) भारतीय लेखक और विशेषकर हिन्दी लेखकसे मुझे सख्त शिकायत है । भ्रमणसे उसे धुंसा है; भारतसे बाहर तो कोई गया ही नहीं (साधन भी नहीं है, माना) और भारतको भी अच्छी तरह जानना वह आवश्यक नहीं समझता । अपने अनुभूति-सामर्थ्यको उत्तेजित करनेके दूसरे भी साधन हैं—मसलन् सकटपूर्ण परिस्थितियोंमें-से गुजरना—किन्तु ये उसकी उदार, भावुक, सौन्दर्योपासक सूक्ष्मबोधी आत्माको अप्राप्त है—मुझे अवमान्य लगता है वह—यद्यपि अपने भाईकी अवमानना करना महापातक है—

ये सब बिडबिड़ी बातें मेरा जीवन-दशन नहीं हो सकती—सब-की-सब दर्शन है भी नहीं । किन्तु उसके लिए बट्टा काटकर भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारे साहित्यका एक खतरा यह है कि उसे कोई खतरा नहीं है—वह अत्यन्त मुरझित है—बन्द कमरेमें कृत्रिम रूपसे पनपाये गये पीपेकी तरह । न महाकाय देवदाह, न सहनशील धीर सँहड़ ही—और न कोई मनचले हठीले बनफूल—केवल लज्जवन्तीसे भरा कादोंका प्रसार—मम, लचकीली घनी हरियावल जो निरन्तर मुरझाती रहती है, मुरझाती जाती है अपनी ही विभिन्न घासावोंके स्पर्शसे !

यह नहीं कि मैं दलदल पार कर आया हूँ । किन्तु मैं यह याद रखना चाहता हूँ कि अभी पार करना बाकी है, और इसे याद रखकर वह उद्योग करना चाहता हूँ । और उसके लिए इस छुई-मुई साहित्यकारत्वको खतरोंमें डालनेको बिलगुल तैयार हूँ—एक छुई-मुईके

घटने-बढ़नेगे कोई बड़ा अन्दर नहीं पड़ता, यह देखनेकी ईमानदारी मुगमें है। (....)

[२]

त्रिय....,

आगत पत्र मिला। उसे पढ़कर पहली प्रतिक्रिया हुई थी कि तत्काल उत्तर दे दूँ, किन्तु लिखने बंटा तो सोचने लगा कि उत्तर क्या हो सकता है? मुझे याद है कि सेनामें भरती होनेके बाद जब-तब आखे जो बहस हुई, उसमें आपकी बातोंका उत्तर कई बार दिया गया। तब आपका कहना था कि व्यर्थ सफ्टमें क्यों पड़ते हो, अब आपकी दलील है कि युद्ध तो अब समाप्त हो गया, अब सेनामें रहनेमें क्या बुराई है? अच्छा बेतन मिलता है, शान है, सब सुविधाएँ हैं, और क्या चाहिए? लिखना-पढ़ना चाहो तो भी कोई बाधा नहीं है।

दलीलें दोनों ठीक हैं। प्रश्न यह है, कि क्या मैं सेनाको उपजीविका मान सकता हूँ, या मानूँ? और इसके उत्तरमें मुझे कभी सन्देह नहीं हुआ। वह स्पष्ट है : कि नहीं, कदापि नहीं। एक 'प्रोजेक्शन' होके रूपमें उसे लेता, तो अवश्य सोचता कि यह प्रोजेक्शन जोखमका है या आरामका, उसमें स्थायित्व कितना है, तरक्की कितनी, आदि। युद्धको मैं बुरा मानता हूँ, तो युद्धोपजीवी होना बुरा हुआ ही, सेनामें भरती होनेका कारण एक-मात्र यही हो सकता है कि अगल मैं उचित और अनिवार्य समझता हूँ कि एक काम हो—और मैं चाहता था कि प्रासिस्ट संकटसे भारतका बचाव हो—तो उस कामको करनेके लिए इसलिए तैयार न होता कि वह घटिया काम है, एक धोखा है और बड़ा पाप है। युद्धकालमें भारतकी रक्षाके लिए सारे उद्योग करना अनिवार्य था, युद्ध समाप्त होनेपर वहीं पहने रहना अनिवार्य नहीं है। 'शान्ति-कालीन सैनिक' कहलाना मैं कलक मानता हूँ।

यह एक पक्ष है। इतना मैं भरती होनेसे पहले भी सोच सकता था। सेनाके अनुभवसे इससे आगे भी कुछ सीखा है। आरवी मालूम है कि मैं आठववाशियोंके साथ रहा हूँ, इसलिए स्पष्ट है कि मेरे विचार 'अहिंसावादी' तो नहीं रहे होने—यही मैं अहिंसावादी प्रचलित अर्थ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनेको बहुत अहिंसावादी मानता रहा हूँ। कौरी संघान्तिक बहसमें नहीं पड़ना चाहता। पर सेनाके अनुभवने युद्धके बारेमें मेरा दृष्टिकोण बदल दिया है। वह नहीं सकता कि यह केवल अस्थायी मानसिक प्रभाव है या कि अनुभव-जात बौद्धिक निष्कर्ष, किन्तु आज तो मानता हूँ कि युद्ध प्रत्येक देश, काल और परिस्थितिमें स्वाभाविक है। मानता हूँ कि आगामी युद्धमें—प्रत्येक युद्धान्त आगामी युद्धके बीज बो देता है, उसे दान्ति समझना प्रवृत्तता है!—मैं दान्तिवादी हूँगा। फिर चाहे किसी देशका प्रश्न क्यों न हो, और चाहे भारतमें गृह-युद्ध ही क्यों न होता हो। मेरा यह मत गांधीजीकी अहिंसासे भिन्न है, यह अवश्य कहूँगा। अब भी मैं लड़ सकता हूँ, और मार सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक धर्मकी साधनामें व्यक्तिगत रूपसे किया गया बंध धारण सम्भव हो सकता है। किन्तु युद्ध एक तो सामाजिक धर्म नहीं होता, दूसरे उसे वैसा मान भी लिया जाय तो उसका आनुवंशिक बंध-काण्ड व्यक्तिगत नहीं होता—उसके साथ एक व्यक्तिका घोर अकेलापन और उस अकेलापनमें घोर मानसिक यन्त्रणाके उपरान्त किया हुआ अधीतिकर अनासक्त निर्णय गुंथा हुआ नहीं होता—वह अकेली यन्त्रणा जो एक अलगाव देती है जिसमें व्यक्ति मन-पूत होता है—युद्ध सामूहिक बंध है—समूहों द्वारा समूहोंकी हत्या।

और वह और कुछ ही भी नहीं सकता। युद्धमें हम अपने अस्त्र नहीं चुनते—किन अस्त्रों, साधनों, परिपाटियोंका उपयोग होगा, इसका निर्णय शत्रुके द्वारा होता है, क्योंकि उसके अस्त्रों, साधनों परिपाटियोंका सामना करना होता है और उनकी काट करनी होती है। और इस प्रकार युद्धका

स्वभाव निरन्तर बदलता गया है, प्राचीन शास्त्र-सम्मत एक युद्धका स्थान आजके अन्धाधुन्ध जीव-संहारने ले लिया है। आज किन्हीं दो प्रतिपक्षी दलोंके बीच कोई ऐसी मान्यताएँ नहीं बचीं जिनका वे निष्ठापूर्वक निर्वाह करें। जो दो-एक अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाएँ बची हैं वे भी कानूनी हैं, नैतिक नहीं, और उनका आधार तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं, मानव-कल्याण नहीं। आज युद्ध पतित करता है, सर्वतोमुखी युद्ध (टोटल वार) सर्वतोमुखी पतन करता है।

युद्धके समर्थकोंने सदा डारविनके 'समर्थके अतिजीवन' (सर्वाइवल आफ द फ़िट्टेस्ट) के सिद्धान्तको अपना संश्रय बनाया है। वह सिद्धान्त मिथ्या नहीं है। किन्तु उसका प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता विवेकपूर्ण है। सम्भव है कि सामष्टिकी दृष्टिसे युद्ध समर्थोंके अतिजीवनका ही साधन बनता हो, और जो राष्ट्र या जाति बचे वही सबसे समर्थ और विकासकी दृष्टिसे स्थायी हो। किन्तु व्यक्ति? क्या व्यक्तियोंके बारेमें यह प्रमाण है? क्या यह प्रसम्भावनीय भी है? युद्धके द्वारा व्यक्तिके गुण भी और दोष भी उभर आते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बलवती हो उठती हैं; युद्ध जीवनके तनावको बढ़ाकर उसमें गति लाता है। इतनी ही बात होती, सी युद्धसे शिक्षायत्त न होनी, क्योंकि जो हमारे जीवनमें गति लावे उसका महत्त्व है। किन्तु हमसे आगे भी विचार होना चाहिए। अच्छाई उभरकर आत्मत्यागकी प्रेरणा देती है, जिमका पुरस्कार है मृत्यु; बुराई उभरकर आत्म-रक्षायी कृतिको भङ्ग करती है जो भायरला और स्वार्थपरताकी माँ है। फलतः युद्ध-क्षेत्रों जानेवालोंकी अपेक्षा युद्धसे सौटने वाले व्यक्ति कुछ मिलाकर थोड़ा नहीं होते; यद्यपि बटु धरार्थताओंका नया दर्शन कुछको कारिबिक मह-राई अवश्य प्रदान करता होगा। निष्कर्ष यह निबला कि युद्धोपर बच रहनेवाले लोग व्यक्तिगत रूपसे अधिक योग्य या समर्थ नहीं होते। यहाँ यह दर्शनीय सी जा सकती है कि सामष्टिक या सामाजिक रूपसे वे अधिक

समर्थ होते हैं, और व्यक्ति-इकाइयोंका महत्त्व नहीं है; कि खण्डोंका पूर्ण योग सर्वदा सम्पूर्णके बराबर नहीं होता, सम्पूर्ण उससे कहीं अधिक भी हो सकता है। मैं कहूँ कि समष्टि या समाजमें ऐसी रहस्यवादी आस्था मेरी नहीं है। वैसे रहस्यवादी आस्था होती हो तो व्यक्तिमें ही होनी उचित जान पड़ती; मेरी बुद्धि कहती है कि सम्पूर्णके शिव होनेके लिए खण्डोंकी शिव होना ही चाहिए और उसके बिना सम्पूर्ण कल्याणकर हो ही नहीं सकता।

युद्धकी बुराई अन्ततः सेनाकी बुराई है, क्योंकि एक दूसरेका आलम्ब है। किन्तु इतना ही कहकर रुक जाना अन्याय होगा। मुझे दैनिक जीवनसे जो अनुभव मिला, उसका अपना ही महत्त्व है, किन्तु और भी अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित अनेक लाभ हुए हैं। मानसिक सन्तुलन बढ़ा है, अत्यधिक अन्तर्मुखतासे मुक्त होकर मैं लोगोंमें रहना सीख सका हूँ, अपनी मर्यादाओंके अधिक स्पष्ट ज्ञानके साथ अपनी शक्तियों पर विश्वास बढ़ा है और मैं अधिक आत्मावलम्बी हुआ हूँ; आचारिक सजीर्णताओंसे ऊपर उठ सका हूँ; अन्य देशोंके लोगोंके गुणोंको खुले मनसे पहचान सका हूँ, विशेषकर अंग्रेजोंके अनेक गुणोंको जिन्हें न देखना राष्ट्र-प्रेमका अंग माना जाता रहा है; कार्यमें व्यवस्था और समय-निर्वाहका महत्त्व समझा हूँ। और—शायद इन सबसे बढ़कर यही लाभ मुझे हुआ है!—जान सका हूँ कि मानव दुर्बल है, पर घृण्य नहीं; और उसके प्रति दृष्टिकोणकी उदारता ही साहित्यकारकी मनीषिताकी कसौटी है, उदार दृष्टि ही द्रष्टाकी दृष्टि है।

न जाने ये सब बातें आपको अपने पत्रका उत्तर जान पड़ेगी या नहीं। मैंने तो निश्चय कर लिया कि युद्ध समाप्त होनेके बाद मेरा स्थान सेना में नहीं है, और जैसे भी हो, उसे छोड़ूँगा ही। सचय और व्यय, यह अनुक्रम ठीक है, चाहे पैसेका प्रसंग हो, चाहे अनुभवका। और मैं सोचता हूँ कि इन तीन वर्षोंमें जितना 'कच्चा माल' आया है, उससे सम्पूर्ण

संस्कृत, 'क्रिनिशूट' कुछ निमित्त करनेका समय आ गया है, नहीं तो एक ओर माल बिगड़ने लगेगा और दूसरी ओर मशीनें मोर्चा खा जावेंगी। इसलिए—लेखनकी जय ! अनिश्चित उपजीविकाकी जय ! बेभरोस जीवनकी जय !

आपसे विनय इतनी है कि इसे मेरी घृष्टता न मानें—यह मेरे जीवनका तर्क है—जिस ढाँचेमें ढला हूँ उसका न्याय है। और मैंसे मतलब निरा मैं नहीं, मानव है। वह अब भी अनिश्चितको बर सकता है, यह उसके भविष्यके प्रति आस्थाका कारण है।



सन्दर्भ : मन

मनसे परे

राजा त्रिशकु और विश्वामित्रकी कहानी बचपनमें ही सुनी थी। बचपनमें सगति-असगति और तारतम्यका जो कठोर निर्मम शास्त्र होता है, वह तनिक-सा भी व्यक्तिक्रम नहीं सहता, और उसपर कमी जानेपर दुःस्वर्द्ध मुनिकी सृष्टि कुछ ऐसी अटपटी, बेमेल और अपरूप जान पड़ी थी कि उसका वेदंगापन ही कहानीके मुख्य प्रभावके रूपमें अवशिष्ट रह गया था—किन्तु ज्यों-ज्यों भाषाके साथ परिचय बढ़ता गया है, शब्द और ससृष्टिके परस्पर योगकी गम्भीरता क्रमशः अधिक प्रकट होती गयी है, त्यों-त्यों पुरानी कहानियोंमें भी गम्भीरतर नया अर्थ मिलता या दीखता गया है और एक दिन हठात् मुझे ऐसा लगा है कि त्रिशकुकी कहानी भी वास्तवमें वह नहीं कहती जो वह कहती है। उसका न तो मुनिकी स्पृहासि विशेष सम्बन्ध है, न राजाके शरीर-मोहसे, न ही वह अपरूप और बेडग्ये जीव-जन्तु या वनस्पतियोंके अस्तित्वकी सच्चाई देनेकी युक्ति है—परम प्रमाण-विद् विश्वकर्माने ऊँट और टाड नहीं बनाये होंगे, इसलिए इनके होनेका श्रेय एक मुनिके अहकारपर लाद दिया जाय, यह प्रकारान्तरसे मानवीय अहवा ही विस्तार है : विश्वकर्मा भी जन्हीं मृति-प्रमाणोंको मानते हैं जिन्हें हमने आविष्कार किया है, इस बातका दावा है ! वास्तवमें कहानी जो कहती है, वह समूची बात ही एक दूसरे स्तरकी है।

पेड़-पौधे और जीव-जन्तु देखनेका अवकाश बचपनसे मिलता रहा है, जंगलों, वीरानों और खंडहरोंमें रहकर मानवेतर सृष्टिको कुछ अधिक निकटसे देखनेका सुयोग पा गया हूँ—उसे स्वीकार कर लिया इसलिए सुयोग कहता हूँ, नहीं तो दूसरे बहुतसे लोग उसे केवल लाचारी कहते यह जानता हूँ। जो हो, एक प्रकारका बबूल देखा या त्रिशका काँटा तीन काँटों का

शूलोंका समूह होता है। बहुत बचपनमें तो इन काँटिका एक ही उपयोग यह जानना था कि उससे 'घड़ी' बनायी जाय—एक पत्तीमें एक शूल भेदकर उसे नीचेमें घुमाया जाय तो बाकी दोनों शूल घड़ीकी सुइयोंकी तरह पत्तीके ऊपर घूमने पड़े। तीनों शूलोंके परस्पर सम-कोण बनानेके कारण घड़ीकी 'मुइया' बराबर तीन या नौ बजाये रहती थी [या कह लीविए पीने छः, मवा छः, या पीने बारह, सवा बारह], इसमें बाल-सुलभ कन्या-शौलताकी कोई बाधा न होती थी।

किन्तु अनन्तर, जब यह घड़ीकी सुइयोंवाली बात अपनी नवीनता खोकर बचकानी हो गयी, तब तीनों शूलोंकी सम-कोण स्थिति अपने आपमें कौतूहलना विषय बन गयी। घनके तीन आयाम—लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई—उससे सूचित होते हैं, गणितकी शिक्षाका यह आरोप प्राकृतिक रचनासे बुद्धि या पर्यवेक्षणका एक नया सम्बन्ध जोड़ता था।

किन्तु जिस दिन कोशमें पाया कि शंकुका अर्थ काँटा होता है, उस दिन पहली बात यह हुई कि त्रिशंकुका चित्र मनमें बदल गया। बचपनकी कहानीका अघरमें टंगा हुआ राजवेशी मानव, ताड़, ऊँट, छिपकली, लकड़बाघा आदिसे घिरा हुआ तनकर खड़ा मुनि—ये सब आँसोंके भापने हट गये और उनका स्थान तीन शूलोंवाले एक बड़े काँटेने ले लिया। तीन आयामोंकी ओर इंगित करनेवाला वह बबूलका काँटा ही वास्तविक त्रिशंकु है जिसपर एक रूपाश्रयी कहानीका आरोप कर दिया गया है; कहानीमें जो कुछ अर्थ है—और पौराणिक कहानियोंमें क्या रूप-बैद्युत अर्थ ही प्रधान नहीं होता?—वह राज-रूपसे नहीं, कंटक-रूपसे ही उपलब्ध होगा, ऐसी एक सम्भावना मनमें कहीं बस गयी। सोख मिलेगी तो 'शलाका पुरुष'से नहीं, स्वयं शलाकासे ही। [शलाका, सलाल, शंकु, सीक, सीख, सीख !]

इस तरहके सहसा उदित होनेवाले 'सत्य' वास्तवमें सहसा मूर्त्त नहीं होते; मूर्त्तिका उद्घाटन ही सहसा होता है और हम उद्घाटनके क्षणको

निर्माणका क्षण मान लेते हैं यद्यपि वह न जाने कितने लम्बे संशय-अपचय, धारण-निरूपणका परिणाम होता है। इसलिए त्रिशंकुकी नयी रूप-बल्पना-के 'जब'को काल-बिन्दु न माना जाय, धारामें किसी समय पहचान लिया जानेवाला एक स्रोत या आवर्त ही माना जाय—तत्त्वकी बात यह कि त्रिशंकुका रूपक एक नये धोलेमें सामने आ गया—या कि उस रूपकके भीतर एक दूसरे स्तरकी सचाईका सकेत मुझे मिला। अर्थ और कथा, रूप्य और रूपक, वास्तवमें दोनों ही आमने-सामने रखे हुए दो मुकुर हैं, जो एक-दूसरेके अनन्त प्रतिबिम्ब देते चले जाने हैं, क्षीणसे क्षीणतर पर सभी पुष्टिप्रद—इसीलिए तो एक ही अर्थ जब दो अलग-अलग रूपकोंमें बाँधा जाता है—अर्थात् दो मुकुरोंमेंसे एक जब बदल दिया जाता है—तब ये असंख्य परस्पर प्रतिबिम्ब भी बदल जाते हैं—वही मत्प अर्गंख्य नयी अनुगुंजें दे जाता है—

'देना'—स्नेह—में किसी भी वस्तुकी 'स्थिति' निरूपित करनेके लिए तीन आयामोंमें उसकी अवस्थिति बतानी पड़ती है, नहीं तो उसे स्थूल या मूल रूप ही नहीं मिटता। कौन शीज शीज है, और कहाँ है, यह बतानेके लिए तीन आयामोंकी माप अपेक्षित है। त्रिशंकुको त्रि-शंकुके नये रूपमें पहचानें तो आकाशमें उमका निरूपण वास्तवमें भौतिक अस्तित्वका निरूपण है। बिना उसके भौतिकता ही नहीं होती। 'सारासीर आरोहण' भी महमा बंगी नयी अर्थवत्ता पा लेता है इस प्रकार! जो त्रि-शंकु नहीं है वह स-सारीर हो ही नहीं सकता—क्योंकि तीन आयामोंमें अस्तित्व ही तो सारीर है!

और 'अधर'में स्थिति? नैरन्तर्यका यह सचेत बोधे आयामका सचेत है—बातके आयामका। वास्तविकता केवल देनामें स्थिति नहीं, बातमें स्थिति भी है—मूर्त होनेके लिए केवल होना पर्याप्त नहीं है बल्कि होने रहना भी अपेक्षित है।

तो त्रिशंकुकी कहानीका यह नया अर्थ मुझे

है

या नहीं, क्याकारने उसमें रखा था या नहीं, इसका उत्तर कौन क्या दे सकता है ? काव्यकी दक्षिण इस उत्तरके सहसा न दिये जा सकनेमें ही है। यही है जो कलाकृतिको कलाकारसे बड़ा बनाती है—इसमें उसकी अन्तःसत्त्वता है जिसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि कलाकारने उसे देखा-पहचाना हो, पूरी तरह उससे अवगत हो या उसे आयत्त कर चुका हो।

मुकुरोंके परस्पर प्रतिबिम्ब : क्या उनकी अन्तहीन परम्पराकी मुकुरोंमें वहाँ सजाया है ?

यह सत्य बड़ा है या नहीं, नया है या नहीं, इससे भी मुझे क्या मतलब है जब इसीसे मुझे प्रयोजन नहीं रहा कि वह सत्य भी है या नहीं ? वास्तवमें वह प्रश्न दूसरे धेनुका हो जाता है। किसी रूपक या बिम्ब या 'इमेज'के पीछे सत्यका आत्मन्तिक मूल्य एक बात है, उगकी सम्बन्ध-कारकता, उमकी तदर्थ-प्रेषकता दूसरी बात। घर है कि नहीं, यह प्रश्न कदाही नहीं, तत्व-दर्शनका है, द्वार है कि नहीं, यही प्रश्न कलाकी कर्माधी है। यह जोड़ना आवश्यक नहीं है कि द्वारका होना किसी तरह भी घरके होनेका विरोधो नहीं है, यह नहीं मानना कि घर न हों। विन्दु द्वारके आगे घर ही हो, यह शर्त भी वह नहीं करना। उगके आगे मुला प्रदेश भी हो सकता है। एक अवस्थितिमें दूसरी तजका परिप्रेक्ष्य उगके द्वारा मुले, अगल माँग यही है।

[२]

देश-नालकी परम्परा । और एक द्वार ।

मेरा मन ही तो एक द्वार है जो एक अवरज-भरी दुनियाकी ओर मुक्तता है। [यह दुनिया घर है, कि मुला प्रदेश !] एक तनाव और दर्श और मननान-भरी अवरज-दुनियाकी ओर—विगमे बँते-बँगे अद्भुत प्राणी उठने है। भोजन में, और भोज्य समंजर—मेरा परिदृश्य, मेरी परिस्थिति, मेरा परिचय, यथायं—ये दोनों मुकुट भी आसने-गासने है और

एक दूमरेको प्रतिबिम्बित करते है असख्य रहस्यमय आवृत्तियोंमें, छाया-रूपोंमें—और ये छाया-रूप ही मेरे मनोजगत्के वासी असंख्य अद्भुत प्राणी हैं—जो सभी मैं भी है, मनेतर भी है, और दोगोकी परस्पर प्रतिच्छायित अमंख्य रहस्यमय सम्भावनाएँ भी—उसी जगत्मेंसे कोई सम्भावनाएँ ऊपर आती है और कोई विलीन होती है, कोई खुलकर जैसे फुटन और तनावको बिसेर देती है, मुक्त करती है; कोई मुँदकर, रेंघकर तनावमें और बल दे देती है; कोई प्रतीकोके मुसौटे ओढकर बाहर विचरण करने चली जाती है, तो कोई एकान्त माध्यात्की साधनामें सब आवरण-बेष्टन झराकर शृङ्खल तपस्याके लिए गुफा-वास अपना लेती है—

कुछको मैं पहचानता हूँ। कुछसे दुआ-सलाम है, कुछसे पान-खइनी के विनिमयका सम्बन्ध, कुछ ऐसे अति-परिचित है कि अवज्ञाको ही सहजता पाते हैं—

एक है जो सागरकी ओर चले है—उन्को धुन है कि सागरके किनारे बैठकर लहरोंका पछाड खाकर गिरना देखा करेंगे—हो सकता है कि कभी-कबवाह मौजमें आकर दो मुट्ठी बालू उठाकर सागरमें फेंक दिया करें। यह नहीं कि उससे सागर भर जायगा, या कि बाढ आ जायगी या पानी छलक जायगा—यही कि—कि कुछ नहीं, यही कि सागरमें इतनी अनवरत हलचल होती ही रहेगी और बालू तनिक-सा हिलकर भी नहीं देगी? पर सागर तक पहुँचनेकी युग-युगान्तकी धुनके बावजूद सागर तक वह कभी पहुँचे नहीं है, चलते ही आ रहे है—यहाँ तक कि अब उनसे अधिक उत्कण्ठा मुझे है। कब वह सागरके किनारे पहुँचें, कब उसमें दो मुट्ठी बालू डालें, और कब—

एक दूमरे है त्रिनके कन्धेपर झेलकी लादीवाला घोबीवा शोला है। उसे वह कन्धेपर लादे त्रिस गतिसे चलते है, वह रीढ झुके घोबीकी नहीं, बिसी मनचले फिक्रतवी गति है। उन्होने देल रखा है कि कैसे बाँसके बागे बंधी हुई जालीकी धैलीसे तिनकी एकठी जाती है; और उनवा

निराश है कि जब भी जहाँ भी तितली उन्हें दीखेगी, बन्धना झोल उसपर डालकर उसे पकड़ लेंगे....

एक यह देवी है कि देवी है • उन्हें कुछ काम नहीं है, पर चेहरे पर उन्होंने गहरे वात्सल्य-भावका ओप दे रखा है जिसमें चिन्ता भी मिली हुई है। मुझसे यह जाने रहनेकी अपेक्षा को मयी है कि उनका मेरे प्रति मातृभाव है, जिसका होना ही काफी है, बसमें प्रतिफलित होना मौण बात है; और वह बैठे-बैठे ही मेरे हितकी रसा और साधना करती है। मैं उनके आगे विनयावत हूँ।

छोरपर—ओ बगीचेका छोर है, यह एक बड़ा अभिमानी परिवार बैठा है। जिस दृष्ट अवस्थासे ये सबको देखते हैं, उससे तो अनुमान होता है कि अभिजात होंगे। पिता हर किसीसे इन्द्र युद्धके लिए तैयार है और आते-जातेको सलकार देते हैं—'युद्ध देहि।' या बिना शर्तोंके ही अस्त्र आगे बढ़ाकर अवमाननासे घूरते हैं—कि आ, हिम्मत है तो लड़ ले ! कन्या आने-जाने वालोंकी ओर देखती तो है, पर मानो उगरी नजर किमीपर टिकती ही नहीं—या यो कह लीजिए कि कोई उनके आगे नहीं टहरता, वह उछटती हुई-सी सबको अनदेखा करती बनी जाती है दूर दूर, दूर—कितनी अभिजात है वह कि दूरमे कुछ कम हो ही नहीं पाती ! और माँ—वह युयुमु पिता और मानिनी कन्याकी ओर बारी-बारीमे देखती हुई अगहाय लड़ी है—क्यों इतनी अगहाय है वह ? क्या बड़ी मात्र इन परिवारमे अनभिज्ञान है और क्या उमीदी हीनता दोनोंके दृष्ट भावमे प्रतिबिम्बित है ? या कि बड़ी वास्तवमे अभिज्ञान है—और अभिज्ञानके कारण सब मूढनेवाली, अगहाय और अरक्षित....

यह एक जो छाबड़ी लिये घूमता है, यह अपने बेचने वाला है। शायद कभी जब मैं नहीं देखना तब यह 'हर माल दो भाना' वाला रिडी-का दग भगवाना है। दो आनेकी तो नहीं कहना, दो पैसा भी ही मकाना है, बहरहाल दग बही 'हर माल एक मोल' वाला है। और जब मैं देख

लूँ, तो झटसे अनेक अलग-अलग ढेरियाँ बनाकर एक तरफ रखी हुई दाम की परबियाँ उनपर लगा देता है—कुछ आनोसे लेकर सैकड़ो-हजारो रुपये तक। मैंने कभी कुछ खरोदनेकी कोशिश नहीं की—न सस्ते, न महँगे, न हर माल एक दाम वाले—और वास्तवमें क्या सभी इस तीसरी कोटिके नहीं हैं ? पर कभी जब उसे मालको एक ढेरीसे दूसरी ढेरीमें रखते हुए पकड़ पाया हूँ तब उसने बराबर यह यत्न किया है कि मुझे अपने एक स्वप्न-मंत्रपर बिठा-भर दे—उसे यह विश्वास है कि उमपर बैठते ही स्वप्न मुझे लेकर उड़ जायगा, जब कि मैं सोचता हूँ, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ही सपनेको ले उड़ूँगा....

और वह बगोचेके छोरपर कौन है ? वह शायद एक माली है, क्योंकि उसके हाथमें बाड़ काटनेका बड़ा कैंचा है। पर उमसे वह बाड़ नहीं काट रहा है—बड़े मनोयोगसे दाढ़ीको कतर-सँवार रहा है—यद्यपि उतने बड़े कैंचेकी पकड़में बाल नहीं आते, फिमलकर ज्योंके - त्यों रह जाते हैं।

वह एक साहब हरियालीपर बैठे-बैठे सेव खा रहे है, ऐसे गपागप जैसे चने चबा रहे हों। एक मुँहमें डालकर हाथ धटाते है और सामनेके तालमेंसे मानो सिपाडेको बेलसे दूसरा तोड़ लेते है। और सेव वास्तवमें चीड़की 'कुकडियाँ' है—इसीलिए वह साहब सेवोको चिलगोशेकी गिरीकी तरह गप-गप खा रहे है....

एक वह जो बेतके उस झूलने पुलपर बैठा है, वह कौन है ? वह है तो मैं ही—उसका नाम पुलिया वाला मैं है। यो तो और सब भी जितने मुझे दीखते है, दीखे है, दीखेंगे, सब मैं ही है, क्योंकि सब मेरे ही तो मनोजपत्के वामी है, पर दूसरोको मैं कभी दूसरे मानकर—या उनके मैं होनेको भूलकर—भी देख लेता हूँ; यह पुलिया वाला मदा मैं ही रहता है। और पुलके पार जो वे दो बैठे है : एक जो बहुत बेचैन है और अलखधारी साधूकी तरह अनवरत हिलता-डुलता ही रहता है,—वह

भी मैं है—पर उसका नाम ममेतर-मै है, और दूसरा जो गुम-गुम बैठा पुलके नीचे पानीकी ओर ताक रहा है और पानीको भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, वह भी मैं है—उसका नाम न-कोई-मै है ।

इन तीनोंको लेकर बड़ी मुश्किल है । ये तीनों सीमान्तपर हैं—वल्कि कहा जा सकता है कि सीमान्तसे परे है क्योंकि एक तो पुलिया-पर बैठा है और बाकी दोनों उस पार हैं, और इसलिए समझमें नहीं आता कि इन्हें संभाला कैसे जाये । द्वार बन्द करूँ तो, और न करूँ तो, ये अशासित ही रह जाते हैं । मेरे वशवद वे कदापि नहीं हैं; कभी-कभी मुझे यह भी सन्देह हुआ है कि जब मैं द्वार बन्द कर देता हूँ या उससे हट जाता हूँ तो इन तीनोंमें खूब घुटती है, और तीनों मेरी ही छोछ-लेदर करते हैं । पुलियावाला मैं तो घुन्ने सरपच-सा आसन जमाये बैठा रहता है, और इतर-मै तथा न-कोई-मै कनखियोंसे इशारे करते हुए मुझपर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं ।

लेकिन इस मुश्किलका हल क्या है ? आखिर तो सब दो मुकुरोंमें दोखने वाली एक-दूसरेकी प्रतिच्छायाएँ हैं । इसलिए एक हल तो सोचा है : मुकुरोंके मुँह अलग-अलग फेर दूँ तो सब छायाओंसे एक साथ छुटकारा मिल जायगा । पर जो मुझको मुझसे ही काट देगा, वह क्या छुटकारा है ? क्योंकि मम और ममेतरका साक्षात्कार ही मैं है, अगर ये गारे छाया-रूप उग मन्धि-स्थलकी मायामयी उपज हैं, तो मैं भी तो दोनोंके परस्पर गघातका जीवन्मूर्त्त पुज हूँ***

[३]

और यह पुज, इगके भीतरका सन्तुलित और गघा हुआ तत्त्व ही मेरा अग्निवद् है । अग्निवद् वह वस्तुमें परे है, मनमें भी परे है, पर वस्तुमें उगकी स्थितियों अवधारणा उगके धरौंरगे ही होती है, त्रिगे वे ही

वीन शंकु नाचते और निरूपित करते हैं और जिसका होनेके अलावा होते रहना उसे चौया आदाम देना है । त्रिशकु ही नहीं, विश्वामित्र भी अपनी पूरी मृष्टिके साथ उसी दून्य आकाशमें अवस्थित हैं जो कि देस-काल-परम्परित शकई है ।

भी मैं है—पर उसका नाम ममेतर-मैं है, और दूसरा जो गुन-मुम के पुलके नीचे पानीकी ओर तक रहा है और पानीको भी नहीं देख कुछ भी नहीं देखता, वह भी मैं है—उसका नाम न-कोई-मैं है ।

इन तीनोंको लेकर बड़ी मुश्किल है । ये तीनों सीमान्तपर है-बल्कि कहा जा सकता है कि सीमान्तसे परे है क्योंकि एक तो पुलके पर बैठा है और बाकी दोनों उस पार है, और इसलिए समझमें न आता कि इन्हें संभाला कैसे जाये । द्वार बन्द करूँ तो, और न करूँ तो ये अशासित ही रह जाते हैं । भरे वशवद वे कदापि नहीं हैं; नभी-कभी मुझे यह भी सन्देह हुआ है कि जब मैं द्वार बन्द कर देता हूँ या उम्मा हट जाता हूँ तो इन तीनोंमें खूब घुटतो है, और तीनों मेरी ही छोटी छेदर करते हैं । पुलियावाला मैं तो घुन्ने सरपच-सा आसन जमाये बैठा रहता हूँ, और इतर-मैं तथा न-कोई-मैं कनखियोंसे इशारे करते हुए मुझपर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं ।

लेकिन इस मुश्किलका हल क्या है ? आखिर तो सब दो मुकुरोंमें दीखने वाली एक-दूसरेकी प्रतिच्छायाएँ हैं । इसलिए एक हल तो होया है : मुकुरोंके मुँह अलग-अलग फेर दूँ तो सब छायाओंसे एक साथ छुटकारा मिल जायगा । पर जो मुझको मुझमें ही काट देगा, वह क्या छुटकारा है ? क्योंकि मम और ममेतरका गाथात्कार ही मैं है, अगर ये पारे छाया-रूप उन सन्धि-स्थलकी मायाभयी उपज हैं, तो मैं भी तो दोनोंके परस्पर गप्पातका जीवन्मुख पुत्र हूँ..."

[३]

और यह पुत्र, इगके भीतरका सन्तुलित
मेरा अस्तित्व है । अस्तित्व वह वस्तुमे
वस्तुमें उमरी . . .

होता है बाहरका दबाव वास्तवमें दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेषका निमित्त बन जाता है। यहाँपर कृतिकारके स्वभाव और आत्म-नुगमनका महत्त्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबावके लिख ही नहीं पाते—इसके सहारे उनके भीतरकी विवशता स्पष्ट होती है—यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद भूल जानेपर कोई बिछोनेपर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ीका अलार्म न बज जाय। इस प्रकार वास्तवमें कृतिकार बाहरके दबावके प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यन्त्रकी तरह काममें लाता है जिससे भौतिक यथार्थके साथ उसका सम्बन्ध बना रहे। मुझे इन सहारेकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठनेवाली तुलनाको बनाये रखूँ तो कहूँ कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाय तो कोई हानि नहीं मानता।

यह भीतरी विवशता क्या होती है ? इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होंती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है—वदाचित् वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविताकी कुछ पंक्तियाँ कहूँ जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जायगी।

मे विज्ञानका विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उन्नीसवीं शताब्दी में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम-धर्मोत्सवका अध्ययन करते हुए विज्ञानकी उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणुका भेदन सम्भव हुआ, रेडियम-धर्मिताके क्या प्रभाव होते हैं—इन सबका पुस्तकीय या सैद्धान्तिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब हिरोशिमामें अणु-बम गिरा, तब उसके गमाचार मैंने पढ़े, और उसके परवर्ती प्रभावोंका भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके घातक प्रभावोंका ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञानके इस दुरुपयोगके प्रति बुद्धिका विद्रोह स्वाभाविक था, मैंने सेल्व आदिने कुछ लिखा भी। पर अनुभूतिके स्तरपर जो विवशता होती है

मैं क्यों लिखता हूँ ?*

मैं क्यों लिखता हूँ ? यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। क्योंकि इगना मच्चा उत्तर लेखकके आन्तरिक जीवनके कई स्तरोंमें सम्बन्ध रखता है, और उन सबको संक्षेपमें कुछ वाक्योंमें बाँध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने सम्भव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमेंमें कुछका स्पर्श किया जाय—विशेष रूपमें ऐसोंका जिन्हें जानना दूसरोंके लिए उपयोगी हो सकता है।

एक उत्तर तो यह है ही कि मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ—लिखे बिना इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तवमें मच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आत्मन्तर विवशताको पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा—और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आन्तरिक विवशताके मुक्ति पानेके लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेनेके लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार—क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन कृति होता है—सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ स्थिति मिल जानेके बाद कुछ बाहरकी विवशताके कारण भी लिखा जाता है—सम्पादकोंके आग्रहसे, प्रकाशकके तकाजेसे, आर्थिक आवश्यकतासे। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारीसे यह भेद बनाये रखता है कि कौन-सी कृति भीतरी प्रेरणाका फल है, कौन-सा लेखन बाहरी दबावका; दूसरे यह भी

* यह वार्ता नेपाल रेडियोके लिए लिखी गयी थी और काठमाण्डूमें प्रसारित भी हुई थी।

होता है बाहरका दबाव वास्तवमें दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेषका निमित्त बन जाता है। यहाँपर कृतिकारके स्वभाव और आत्मानुशासनका महत्त्व बहुत होता है। कुछ ऐसे थालसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबावके लिख ही नहीं पाते—इसीके सहारे उनके भीतरकी विवशता स्पष्ट होती है... यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जानेपर कोई विछौनेपर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घडोका अलार्म न बज जाय। इस प्रकार वास्तवमें कृतिकार बाहरके दबावके प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यन्त्रकी तरह काममें लाता है जिससे भौतिक यथार्थके साथ उसका सम्बन्ध बना रहे। मुझे इस सहारेकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठनेवाली तुलनाको बनाये रखूँ तो कहूँ कि सबेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाय तो कोई हानि नहीं मानता।

यह भीतरी विवशता क्या होती है ? इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होंती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है—बदाचित् वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कवितावी कुछ चर्चा करूँ जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जायगी।

मैं विज्ञानका विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषयमें हुई। अणु क्या होता है, जैसे हम रेडियम-धर्मोत्सवोंका अध्ययन करते हुए विज्ञानकी उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणुका भेदन सम्भव हुआ, रेडियम-धर्मिताके क्या प्रभाव होते हैं—इन सबका पुस्तकीय या शैक्षणिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब हिरोशिमामें अणु-बम गिरा, तब उसके गमाचार मैंने पढ़े, और उसके परवर्ती प्रभावोंका भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके घातक प्रभावोंका ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञानके इस दुरुपयोगके प्रति बुद्धिका विद्रोह स्वाभाविक था, मैंने लेख आदिमें कुछ लिखा भी। पर अनुभूतिके स्तरपर जो विवशता होती है

वह बौद्धिक पकड़से आयेकी बात है, और उसकी तर्क-गति भी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इन विषयमें नहीं लिगी। मनुकालमें भारतकी पूर्वोप सीमापर देखा था कि बंगे गैरिह बहपुत्र बम फेरकर हजारों मछलियाँ मार देते थे जब कि उन्हें आवश्यक थोड़ी-सी होगी थी, और जीवको इन अभ्ययमें जो बंधा भीतर उगा थी उसमें एक सीमा तक अणु-बम द्वारा स्वयं जीव-नाशका अनुभव त कर ही गया था।*

दिष्टने वर्ष जापान जानेका अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम-पदार्थमें आत्म लोभ बर्णों बह पा रहे थे। इन प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ—पर अनुभवसे अनुभूति गहरी भीड़ है, कमसे कम वृत्तिचारके लिए। अनुभव तो घटित-का होता है, पर अनुभूति गहरेता और बर्णनाके लिये उग गया। आत्ममात्र कर लेगी है जो वास्तवमें वृत्तिचारके साथ घटित नहीं हुआ है। जो अर्थोंके सामने नहीं आया, जो घटितसे अनुभवमें नहीं आया, बड़ी आत्माके सामने उरकल प्रकाशमें आ जाता है, तब वह अनुभूति-प्रत्यक्ष हो जाता है।

जो हिरोशिमामें सब देखाकर भी पत्तान कुछ निम्ना नहीं, बर्णोंकी इगी अनुभूति-प्रत्यक्षकी कल्प थी। फिर एक दिन गरी सत्कार पूरों हुए देखा कि एक बड़े हुए कल्पकार एक लक्ष्मी उरकी लाना है—दिशोंके समस्त काई बड़ी लडा रहा होगा और दिग्भोःस दिग्भे हुए दिग्भ-धर्मों वरायकी दिग्भों उगल कउ हो गई होगी—जो आग तापय आये वह नहीं उरकल कल्परकी लुपता दिग्भ, जो उग लानिदिग्भ बर्णों कर्णों

* इनकी एक प्रकिया 'इन्द्रधनु रीते हुए मे' बर्णकी 'इन्द्रधनुकी इन्द्रा' सम्बन्ध कवितामें है। उरकी कल्पना-प्रकिया भी बर्णोंकी गरी बर्णोंकी वृत्ति ही करेगी।

उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थरपर लिखी गयी”

उम छायाको देखकर जैसे एक घण्ट-सा लगा। अवाक् इतिहास जैसे भीतर वहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य-सा उम आया और दूध गया। मैं कहूँ कि उस क्षणमें अणु-विस्फोट मेरे अनुभूति-प्रत्यक्षमें आ गया—एक अर्थमें मैं स्वयं हिरोशिमाके विस्फोटका भोक्ता बन गया।

इसमेंसे वह विवशता जागी : भीतरकी आकुलता बुद्धिके क्षेत्रसे बढ़कर संवेदनाके क्षेत्रमें आ गयी” फिर धीरे-धीरे मैं उससे अपनेको अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमापर कविता लिखी * —जापानमें नहीं, भारत लौटकर, रेल-गाड़ीमें बैठे-बैठे।

वह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति-प्रसूत है, यही मेरे निकट महस्वकी बात है। मैं कहूँ कि कृतिकार मा कवि जब सत्यसे ऐसा भीतरी साक्षात् करता है तब मानो वह एक बलि-युष्पकी तरह देवताओंका मनोनीत हो जाता है। और काव्य-कृति ही उसका आत्म-बलिदान है, जिसके द्वारा वह देवताओंसे उद्घृण हो जाता है। यही देवतासे उद्घृण होनेकी छटपटाहट वह विवशता है जो लिखाती है—फिर वह ऋण-परिशोध तत्काल ही जाय या नपों वाद—यह दूसरी बात है। इस क्रियापर भी मैंने एक कविता लिखी है : स्वातंत्रकी बूद सीपीका मर्म बेध जाती है, फिर वपोंमें मोती पकता है” *

* 'झरी ओ कल्पना प्रभामय' में 'हिरोशिमा' शीर्षक कविता।

* 'इन्द्रधनु रीदे हुए ये' में 'सर्जनाके क्षण'।

जो न लिख सका

मैं उन व्यक्तियोंमेंसे हूँ—और ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या चायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है—जो भाषाका सम्मान करते हैं और अच्छी भाषाको अपने आपमें एक सिद्धि मानते हैं। अच्छा गद्य पढ़नेमें मुझे अनिर्वचनीय आनन्द मिलता है, जो कि उस गद्यमें कही गयी बात या कहानी या सूचनाके सम्भाव्य आनन्दसे—कमसे कम मेरे लिए—किसी तरह कम महत्त्वका नहीं है। फिर भी निरी वाक्चातुरी मेरे निकट कोई बड़ी बात नहीं है, और बात-बातमें बहुत-कुछ कहते जान पड़नेपर भी कुछ न कहनेकी कलाको मैं बहुत अधिक आदरकी वस्तु नहीं मानता। वह भाषाकी मदारीगीरी है; और मशरीका तमाशा देखनेमें धन-भरम जाना एक बात है, उसे कलाके सिंहासनपर बिठाना दूगरी बात। 'योगः कर्मसु कौशलम्'—और मदारीगीरी भी कार्य-कौशल तो है ही, फिर भी ऐन्द्रजालिककी और योगीकी सिद्धि अलग-अलग होती है इन्ने अधिक सम्मानकी आवश्यकता नहीं।

और मेरे निकट किंगी लेखनके लिए 'जो मैं न लिख सका' भी बर्षा इम मदारीगीरीसे अधिक कुछ नहीं हो सकती। साधारण पाठक चाहे जो समझता हो, और कवियतःप्रार्थी अपनी प्रतिभाके बारेमें अपनेको चाहे जो विश्वास दिला लेने हों, गद्य बात यह है कि 'जो मैं न लिख सका' प्रश्न कोई अर्थ ही नहीं रखता अगर जगमें यह ध्वनि है कि 'मुझमें कुछ है जिसे मैं जानता हूँ पर कह नहीं सकता।' यदि वाग्वचमें ऐसा कुछ है जिसे मैं कह सकता नहीं हूँ, तो वाग्वचमें मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, अर्थात् ध्वनि यह नहीं है कि मैं लिखता चाहता हूँ और लिख नहीं पाता, ध्वनि यह है कि मैं जानता चाहता हूँ और जानता नहीं हूँ। जान लेने

पर सम्भव है कि मैं लिखना ही न चाहूँ; तब भी न सकनेका कोई प्रश्न नहीं उठता और अगर लिखना चाहूँगा तो अवश्य लिख सकूँगा भी। इसलिए मैं तो यह कहना भी झूठ न समझूँ कि मैंने जो लिखा है वही मैंने लिखना चाहा है, और सामर्थ्य ही इच्छाका प्रमाण हो सकता है। निस्सन्देह यह सारी बात कृति-साहित्यके बारेमें ही लागू हो सकती है—सच्ची 'रचना'के,—नहीं तो अगर मैं कुछ इम बंगकी बात चाहूँ कि मैं अंग्रेजी, संस्कृत और मैथिली मिश्रित भाषामें पुष्पिताम्रा छन्दमें एक सतगई लिख जाऊँ तो उसमें सफल नहीं भी हो सकता है।

बात असलमें रचनाकी क्रियाकी है, और उसमें दो बातें बुनियादी है—जो शास्त्रवमें एक ही बातके पहलू है। रचनाके लिए दो चीजें चाहिए. एक तो कलात्मक अनुभूति या संवेदना, दूसरे उसके प्रति वह तटस्थ भाव जो उसे सम्प्रेष्य बना सके। और यह एकके पूरा हो जानेके बाद दूसरी होती हो ऐसा भी नहीं है, संवेदनाशील कलाकार निरन्तर अपनी अनुभूति से अपनेको अलग करता चलता है, तभी तो वह देख पाता है कि वह अनुभूति देय भी है या नहीं, साधारण भी हो सकती है या नहीं। इसी प्रकार तो वह द्रष्टा है।

यदि कोई कलाकार समझता है कि उसके पास दर्द तो बहुत है पर उसे वह कह नहीं सकता, तो उसका दर्द झूठा ही हो ऐसा नहीं है। पर इतना अवश्य है कि उस दर्दको उसने 'देखा' नहीं है, यानी उससे अपनेको अलग नहीं कर सका है, अर्थात् उसे वह डालना चाहनेकी ही स्थितिमें अभी नहीं आया है—अभी तो वह उसे अपनेसे ही कहनेके, उसे पहचाननेके यत्नमें लगा है। 'यह देखो, यह मेरा दर्द'—यह दृष्टिकोण ही रचयिताका नहीं है, दर्द दिखाकर सहानुभूति चाहना तो जीवनकी सहज प्रवृत्ति है जो अपनेको पीड़ित समझने वाले हर व्यक्तिमें मिल सकती है। फिर वह चाहे ठोकर खा कर गिरने वाला बच्चा हो, चाहे लँगड़ा भिखारी,

चाहे मर्त्यमें थोड़ा-सा पैसा हारने वाला कोटिपति, चाहे अपने अत्याचारों-के कारण अरेला पड़ गया आननाथी गामक । रचनाकार सहानुभूतिका भिन्नमंगा नहीं है । 'यह देगो, कितना मुन्दर दर्द'—यह कह कर जब वह दर्दको पहचान कराने दीड़ता है, तब वह पहले ही उसमें तटस्थ हो चुका होता है—वह दर्द उसका अपना रहा हो तब भी । और इगोलिए वह दया, करुणा, सहानुभूतिका भिन्नारी न रह कर दाना हो जाता है—यह भावक अपना साहजकी दया और करुणाकी शक्तता बडाता है, समाज-को अन्तःसमुद्धि प्रदान करता है ।

लेकिन कृतिकार सब सर्वांगनिर्दोष कहाँ है ? इसलिए अपने दर्दका थोड़ा-सा मोह शायद सबमें बना भी रहता है । इसलिए दृष्टि थोड़ी-सी धुंधली भी हर किसीकी होती है, आत्मदानमें थोड़ी-सी चूक सब कर जाते हैं । पर जहाँतक सिद्धान्तका सवाल है, मैं यही मानता हूँ कि जिसने जो लिखा नहीं, उसने वह लिखना चाहा नहीं, सकनेका सवाल ही कहाँ है ।

एक ठूठरी बात भी है । आज अभी तक जो नहीं लिख डाला है, वह कल भी नहीं लिखूँगा, यह कैसे मान लूँ ? आत्म-साक्षात्कार आज तक नहीं हुआ, भले ही न हुआ हो; अगर मैं यत्नशील हूँ तो कल भी क्यों न होगा ? जो व्यक्ति घरकी सिड़कियाँ सोलनेमें लगा है वह यह कैसे कह दे कि बाहरका दृश्य मुझे दीख नहीं सकता ! वह इतना ही कह सकता है कि 'टहरो, अभी देखकर बताता हूँ' ।

इसी तरहकी अद्यावधि असफलताकी एक बात यहाँ बता दूँ—जो रचना-प्रक्रिया सम्बन्धी मेरे विश्वासोंको भी स्पष्ट कर देगी, और 'जो लिख न सका' के नामपर पाठकके सम्मुख आकर उनसे ठीक उलटी बात कह जानेकी भदारीगीरीको गम्भीरतर अर्थ भी दे देगी । यही अपनी रचनाके प्रति अनासक्त भावकी समस्या बरसोंसे मुझे उलझाती रही है । मैंने

कवितामें उसके सम्बन्धमें बार-बार लिखा है—कुछ छपा है, कुछ फेंक दिया है, कुछ छपकर आनेवाला है—पर उससे सन्तोष नहीं हुआ है वहानी भी इस बारेमें लिखी है, वह अभी भी अच्छी ही लगती है, पर पूरी बात उसमें भी नहीं कही गयी। फिर कभी-कभी नाटकीय सवाद सूझे, पर उन्हें मैंने बार-बार दुस्कार दिया क्योंकि बरसोंसे टान रखा था कि नाटक नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा—उधर मेरी पति नहीं है और बिना जीवित रगमंचके हो भी नहीं सकती। गिरा 'पद्य' दुःख-काव्य लिखना किसी न किसीको उरर छोला देना है—अपनेको या दूसरेको, जो जैसा मान ले। पर इस प्रश्नको लेकर नाटकीय सवाद और परिस्थियाँ बार-बार सामने आयी हैं, अन्तमें मानो नाटकने मूर्त होकर कहा है कि 'देखो; अगर तुम मुझे सचमुच प्रकट करना चाहते हो तो यह मेरा रूप है, इसीमें मैं आविर्भूत हो सकता हूँ, किसी दूसरेमें नहीं। तुम्हें मजूर हो तो लो, नहीं तो अपना रास्ता देखो।' और मैंने बाध्य होकर मान लिया है कि इस तकका कोई उत्तर नहीं है, नाटक मुझे लिखना ही होगा। क्योंकि वस्तु और वस्तु-रूप कलामें अलग-अलग कभी नहीं होते, और जब वस्तु ऐसी 'अनन्याश्चिन्तयन्ती' होकर आती है तब कौन उसकी अवज्ञा कर सकता है ?

तो यही मेरी असफलता है: 'जो मैं न लिख सका' का यही मेरा प्रतिकूल उत्तर है—कि मैंने टान रखा था कि नाटक कभी नहीं लिखूंगा पर लिखे बिना रह न सका। इसीलिए मैं सोचना हूँ कि 'जो न लिख सका' कोई अन्तिम दिवति नहीं है, एक अन्तरिम अवस्था ही रहती है। प्रश्नके इस विवेचनसे—बसोकि यह उत्तर तो नहीं है !—पाठकका कौतूहल कहाँ तक शांत हुआ, नहीं जानता, यद्यपि अपनी तरफसे तो शायद एक रहस्योद्घाटन कर ही गया हूँ !

शारदीय धूप

बगीचेमें बैठना तो क्या, बगीचा देखना भी रोख नसीब होता हो इतना भाग्यवान् मैं नहीं हूँ । फिर भी अपनेको अभाग्य नहीं मानना क्योंकि जब भी बगीचेमें बैठना या उसे देखना नसीब हो जाता है तो मैं उस अनुभवमें समूचा डूब सकता हूँ और उससे पुनरुज्जीवित हो सकता हूँ । उतना नहीं तो कम-से-कम बगीचेके बाहरके दिनन्दिन धूल और राग-धरे जीवनकी कँकरीली थकानको परत अपने परसे उतार दे सकता हूँ ।

इस समय मैं बगीचेके एक गिरेपर बैठा हूँ और घराकालके तीसरे पहरकी धूप मेरे सामने बिगरी हुई है । नीचे घागर बह स्थिर और अचंचल बिछी हुई है, जैसे निगु कभी-कभी सोये ही सोये आँसू लोलकर मुमकुरा देना है । ऊपर पेड़की धुली हुई परियांगर धूप-छाँहका खेल आनी अचलनामें ही मानो दर्शकको स्थिर और अचंचल कर देना है । बिगरे होठ नहीं होवी उगके सामने छटपटाना कैसा ? स्थिर बैठकर उगकी प्रीति देखना ही धेयम्कर है....

और यों निरवल बैठे-बैठे ही मानग शिनिजारमें धीरे-धीरे एक शब्दका उदय हो आना है : शान्ति ।

जैनी मेरे इस समयकी मनोरमा—यह अचंचल विज्ञानगरी मनोरमा ।

तो फिर क्यों हम शान्तिके लिए ज्ञान सोचते हैं ? मनोरमाके लिए मनके बाहरका कुछ भी क्या महत्त्व रखा है ? मन ही मैं मनोरमा उन्मत्त हूँनी चाहिए, और मन अपना नित्री है, आभ्यन्तर है—यूँ ही भी या नहीं हम नहीं जानते—आभ्यन्तर शान्तियोंकी शीलाके बोझपर आभ्यन्तर एक अनुमान है ।

पर मन जो भी हो, स्वयम्भू तो नहीं है। आम्बन्तर होकर भी बाह्य स्थितिमें प्रभावित है, उन स्थितियोंके घात-प्रतिघात और परस्पर प्रभाव से अनुशासित है। अर्थात् मनोदशा भी आम्बन्तर होकर बाहरी परिस्थितियोंके प्रभावका परिणाम है, वह प्रभाव चाहे कितना भी परोक्ष क्यों न हो।

शान्ति भी निरी मनकी दशा नहीं है, मनकी मानभेदरसे सम्बन्धकी दशा है। जब मन और मनसे इतरका आपसी सम्बन्ध तनाव-सिखावसे रहित होकर सन्तुलन पा लेता है, तब शान्तिकी अवस्था होती है।

इसमें हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि इस शान्तिके लिए स्थितिका ज्ञान भी आवश्यक है। और परिस्थितियोंसे अपने सम्बन्धोंका ज्ञान भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, ज्ञानके अलावा कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि स्थितिकी जानना ही तो उसका अनुकूलन नहीं है, स्थितियोंको बनाना भी तो होता है, उनसे सम्बन्धोंको बदलना भी तो होता है। शक्तियाँ हो, और पहलेसे ही अपने-आप सन्तुलित हों, ऐसा संयोग अगर सिद्धान्ततः असम्भव न भी हो तो भी एक दुर्लभ संयोगसे अधिक कुछ नहीं है। और इसलिए सहज सन्तुलित शक्तियाँ सर्वदा बैसी ही अनादान सन्तुलित रहती चली जायेंगी, ऐसा मान लेनेका क्या कारण हो सकता है ?

शारदीया धूप । बगीचेकी पत्तियोंपर आँसू-मिचौने खेलती हुई धूप । नहीं, उसमें जिस शान्तिका उदय होता है वह सहसा छिन जानेवाली नहीं है। फिर भी उसके मूल स्रोतके बारेमें मेरे कौतूहलने मेरे सम्मुख एक अन्तर्विरोध लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि दो समान्तर अन्तर्विरोध मेरे सम्मुख खड़े हैं।

पहला : आम्बन्तरकी जाननेके लिए बहिर्मुखताकी आवश्यकता है, भीतरकी ममसनेके लिए बाहरका अनुकूलन अनिवार्य है।

दूसरा : शान्ति सदा सन्तुलनकी अवस्था है पर उसको जाननेके लिए कर्म, हलचल, अस्थिरता आवश्यक है ।

और इस प्रकार हम फिर वहीपर लौट आते हैं जहाँमें हमने यात्रारम्भ किया था । ज्ञानकी उत्कट खोज तो हमारे अन्तस्की रस-धाराको मुता देती है और शान्तिकी मनोदशाका अनुभव करनेकी हमारी क्षमता ही जाती रहती है । वह शान्ति क्या जिसका हमें बोध ही न रहे ? वह हमारी शान्ति कैसे है जिसका अनुभव करनेकी क्षमता ही हम खो बैठे हैं ? दूसरो ओर उत्कट कर्मका अर्थ है अनवरत हलचल, संघर्षण, तनाव और अशान्ति : और अशान्तिकी साधनामें शान्ति मिल ही कैसे सकती है ।

या कि इस अन्तर्विरोधका हल यही है कि यह अन्तर्विरोध ही शूट है क्योंकि ये सारे दृष्ट ही शूट है ? शान्ति मिथ्या है, भ्रम है—ज्ञान भी मिथ्या है, संघर्ष भी मिथ्या है—अनुभव मिथ्या है क्योंकि अनुभवको हम जिस यन्त्रसे आत्मसात् करते हैं वही मिथ्या और अविश्वास्य है ? अर्थात् हमारी खोज किसी घनात्मक निधिकी खोज नहीं हो सकती, हमारा उद्देश्य मूलतः नकारात्मक ही हो सकता है ? शान्तिकी अवस्था केवल मान अदुःखकी अवस्था है, निर्वेदकी अवस्था है । न हम चाहते हैं, न हम नहीं चाहते हैं, न हम अनुभव करते हैं, न हम अनुभव नहीं करते हैं; न हम जानते हैं, न हम नहीं जानते हैं । इस प्रकार हम इस सख्दनात्मक और कुण्ठा-भरे परिणामपर पहुँचते हैं कि हमारी जिज्ञासा मिथ्या है क्योंकि वास्तवमें हम ही मिथ्या है, होना ही मिथ्या है ।”

शारदीया घूप । घूपका एक वृत्त जिसके भीतरकी आलोक-भरी शान्तिने मुझे घेर लिया है और जो मुझे घुमा-फिराकर उसी एक स्थलपर ले आती है । यात्रारम्भ करते ही हमारे सामने कई मार्ग खुल जाते हैं, विभिन्न और अनिश्चल दिशाएँ विशद हो जाती हैं । कई मार्ग हैं, लेकिन किमको चुनकर हम शान्ति पाने हैं यह भी मूलतः हमारी मनोदशापर ही

निर्भर है ! अर्थात् अन्ततोगत्वा शान्ति मनोदशा ही है और मनके बाहरसे नहीं, मनमे उत्पन्न होती है ।

पत्तियोंपर झूलती हुई तीसरे पहरकी धूप इससे भिन्न किसी परिणाम की अनुमति नहीं देती । बल्कि वह मानो बाहरसे मेरे कानमे यह भो कहनी है कि यह परिणाम भी पूरा-पूरा सही नहीं हो सकता क्योंकि वास्तवमें शान्ति मनोदशा भी नहीं है । वह होनेकी ही एक दशा है । और होना क्या है इसको हम न केवल बाहरसे बाँध सकते हैं न केवल आभ्यन्तरसे । न यह दोनोंके सम्बन्ध-भरसे बाँध सकता है । वह एक बहुत बड़ी इकाई है—नही, एक बहुत छोटी इकाई जिसमें बड़ी-बड़ी इकाइयाँ दूब जाती हैं । वैसे ही इकाई जैसी यह छोटी-सी पत्ती और इसपर झूलती हुई धारदीय तीसरे पहरकी धूप ।

यही एक परिणाम है जो जीवन और शान्तिके सम्बन्धको बयान नहीं करता क्योंकि वह जीवनको भी और शान्तिको भी मिथा नदे करता । जीवन होनेकी एक दशा है, और शान्ति होनेकी अनुभूति और अनुभावककी एक दशा—सहज, स्वस्थ, स्व-पूरक, स्व-श्रेष्ठ, स्व-भरित और स्वतःसम्पूर्ण दशा ।

बगीचेमें धारदीय तीसरे पहरकी धूप । घुली पत्तियों—
 ————— गिबौनी । मानस-विनिर्जपर एक सध्या उदयः ८

एकान्त साक्षात्कार*

भूख और संस्कृति

बार-बार सुनता हूँ कि 'भूखे आदमीसे तुम संस्कृतिकी बात नहीं कर सकते।' विदेशोंमें भारतीय विशेष रूपसे इसका आग्रह करते हैं, क्योंकि पेट भरनेकी प्राथमिकताका विदेशी भ्रम उनपर छा गया है।

मैं तो देखता हूँ कि तुम भूखे आदमीसे संस्कृतिकी बात भले ही न कर सको, पर भूखा आदमी तो तुमसे संस्कृतिकी बात कर सकता है।"

हर देश-कालमें ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्वच्छासे भूखे रहनेका धरण किया है ताकि वे संस्कृतिकी बात करनेके लिए समर्थ—और स्वतन्त्र हो सकें।

इमीलिए तो संस्कृति बात करने लायक चीज है : एक अपाया हुआ आदमी दूसरे अपाये हुए आदमीसे जिस चीजकी बात करता है, वह किस कामकी हो सकती है ?

*यूरोप प्रवासके समय अपनी शून्यदिन प्रवृत्तिके व्योरेके लिए लेटाने एक खाता रखा था। किन्तु अधिकांशमें उसमें एक मानसिक धर्याका ही विवरण लिखा जाता रहा, क्योंकि देशाटन-सम्बन्धी बातें तो सब स्वदेश भेजे गये पत्रोंमें चली जाती थीं। उस खातेसे एक ध्यान, जिसका सम्बन्ध पूर्व-पश्चिमकी समरथाओंसे है, एक धर्म्य पुस्तकमें गया है; दूसरा यह है। मान लिया गया है कि इसकी जिज्ञासाओंका स्वर नित्रो होने पर भी उनकी तत्त्व-वस्तु एक जमीन नहीं है।

कोई विशेष क्रम नहीं रखा गया है—कमने कम कातानुक्रम तो नहीं ही है।

किसके लिए लिखता हूँ ?

मैं लिखता हूँ।

मेरे पास एक सांस्कृतिक परम्परा है। और मेरे पास संवेदना है।

और बाकी तो शिल्प है।

जिन बहुसंख्य लोगोंके साथ मेरा सांस्कृतिक परम्पराका साझा है—
क्योंकि मैं मूलतः भारतीय हूँ और अनेक इतर प्रभावोंके रहते भी एक
प्रकारका हिन्दू भी हूँ—उन लोगोंसे मेरी संवेदना भिन्न है।

किन्तु दूसरी ओर जिन अल्पसंख्य लोगोंकी संवेदना मुझ-सी है, उनसे
संस्कार-परम्पराके विषयमें मेरा कहीं भी मेल नहीं है। उनके पास
पश्चिमी संस्कृतिकी एक सतही छाप है—अर्थात् पश्चिमकी रहनेकी पद्धति
तो उन्होंने आत्मसात् करली है पर उसकी वैचारिक अथवा आध्यात्मिक
प्रतिक्रियाओंकी लीकोमें वे नहीं पड़े।

तब मैं किसके लिए लिखता हूँ ? यदि उन बहुसंख्यकोंके लिए नहीं
जो मेरी संवेदनामें नहीं डूब सकते, और उन अल्पसंख्यकोंके लिए नहीं
जो मेरे संस्कारके साक्षीदार नहीं हो सकते, तब फिर किसके लिए ?

जैसा मैं हूँ वैसी स्थितिमें—किसीके लिए नहीं। किन्तु मैं बदलना
चाहूँ तो क्या यह सम्भव है ? न सांस्कृतिक परम्परा, न संवेदना ही चाहने-
भरसे पा ली जा सकती है; न मकल्प-मात्रसे दोनों में-से किसीको छोड़ा
जा सकता है—विना रचनाशील व्यक्तित्वको पंगु किये—

क्या अच्छा है : कि आँखें हों, पर वाणी लड़खड़ाये, या कि वाणी हो
पर टाँगें लड़खड़ायें ?

‘पोर्ट्रेट आफ द आर्टिस्ट—एन ए यंग डाय’

- मालिकके माथ दीटते हुए कुत्तेको देखो : मालिकके चले हुए प्रत्येक
मीलपर कुत्ता पाँच-छः मील चल लेता है—आगे, पीछे, इधर, उधर,

पढ़ाना करना हुआ, प्रदेशको पहचानना और स्मरणार्थ चिह्नित करना हुआ ।

कलाकारकी टीक यही स्थिति है; किन्तु वह एक हीमें मालिक और कुत्ता दोनों है । एक स्तरपर वह सीधे गरल प्यार अग्रसर होता हुआ दूसरे स्तरपर मोत्रता-नरमता, पढ़ाना और पहचान करना और चिह्नित करके स्मृतिपर धीकता भी जाता है ।

और मुन्नाको और आगे बढ़ता चाहें, तो वह एक साथ ही जहाँ अपने मुँहबोर कुत्तेको गिड़बता और अनुशासित करना चलता है, वहाँ दूसरी ओर जंगोरपर सटक देना हुआ मालिकको और दुम भी हिलाना जाता है ।

कुछ है जो केवल मालिक है : सीधो तरह चलते हैं और 'क' से 'ख' तक पहुँच जाते हैं । बीचका रास्ता उन्होंने देखा और पहचान लिया है, यह वे स्थिर भावसे जानते हैं; 'क' से 'ख' को दूरीको माप उनके पाम है ।

कुछ है जो केवल कुत्ते है । सीधो छोड़ सभी राहें चल लेते हैं । 'क' से 'ख' तक उनका पहुँचना हो गया है, इसीसे वे 'क' से 'ख' तक गये यह कहना कठिन होता है । रास्ता वे शायद नहीं जानते, वे प्रदेश जानते हैं जिसमें 'क' 'ख' से मिला हुआ है ।

कलाकार मालिक और कुत्तेको एक करता है । इस प्रकार वह रास्तेको प्रदेशमें बिठा देता है । वह 'क' और 'ख' को न मिलाता है न अलग करता है : वह उनके अलगावको एक सूत्रमें पिरो देता है ।

मानव एकाकी

मानव सभी एकाकी है, यद्यपि सर्वत्र, सभी कालोंमें नहीं । किन्तु काल पूर्वोपर होनेके साथ-साथ समवर्ती भी है : जो कभी भी था, या

कभी भी होगा, वह इस समय भी है। अतएव प्रत्येक मानवका एक अंश सर्वदा एकाकी होता है।

यह एकाकी अंश ही प्रेमका अनुभव कर सकता है; शेष मानव तो केवल कामना करना जानता है। और इसी लिए त्याग भी यह एकाकी ही कर सकता है, शेष मानव नहीं।

जिससे यह निश्चय होता है कि मानवका जो अंश सर्वाधिक अमम्पुक्त, अनामकत है, वही सबसे अधिक सहता है, वही सबसे अधिक तीव्रतासे अपने अस्तित्वका अनुभव करता है—वह अंश ही सबसे अधिक वह मानव है।

अमरत्वका क्षण

अमरत्वका अर्थ अनन्त काल तक जीवित रहना नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अनन्त काल तक मरते रहनेका ही दूसरा नाम है। अमरत्व तभी सार्थक है जब वह काल-निरपेक्ष हो—अर्थात् जब वह एक अनुमृति हो, एक मनोदशा हो, एक दृष्टि हो।

या तो मैं इस क्षणमें अमर हूँ, या कभी नहीं हूँ।

'जीवित क्षण'

कालमें 'जीवित क्षण'को पकड़नेके बारेमें आजके कालाचारकी जो ध्येयता है, उसकी अड़में क्या केवल यह बात नहीं है कि इस प्रकार उस क्षणके परिणामोंमें बचनेकी इच्छाको एक तर्क-मंथन दी जा सकेगी ?

अनुमृतिकी आर्यन्तिकताके आग्रहके पीछे, वहाँ तक अनुमृतिका मूल्य चुकानेकी अनिच्छा छिपी है ?

परणकी स्वतन्त्रता

मेरी बेचना ही मेरी स्वतन्त्रताका प्रमाण है। यदि मुझे स्वतन्त्र

निर्वाचनका अधिकार न होता तो मुझे वेदना भी न होती : क्योंकि या तो मैं निर्विकल्प भावसे वही कर्म करता जो मही है, या निर्विकल्प भावसे उसे स्वीकार करता जो सही नहीं है ।

मेरी विकल्प और वरणकी स्वतन्त्रताका और क्या प्रमाण है सिवा मेरी वेदनाके—सिवा उस कष्टके जो मुझे अपने अधिकारका उपयोग करनेमें होता है ?

स्वतन्त्र या नगण्य

क्या मैं इस लिए स्वतन्त्र हूँ कि मैं नगण्य हूँ, कि मेरा कोई मूल्य नहीं है ?

स्वातन्त्र्य और नरक

नरक क्या है ?

व्यक्तिका निजी विवेक—आत्मा ।

स्वातन्त्र्य क्या है ?

व्यक्तिका निजी विवेकका अधिकार ।

होनेके आयाम

प्रेमके आयाममें मैं जानता हूँ कि जो प्रेम करता है वह अकेला है ।

दुःखके आयाममें मैं जानता हूँ कि जो दुःख भोगता है वह अकेला है ।

संवेदनाके दूसरे आयामोंमें भी क्या मैं नहीं जानता कि उस आयामका अनुभावक भी अकेला है ?

अर्थात् : क्या होना मात्र अकेला होना नहीं है ?

नाटक और संघर्ष

नाटक...संघर्ष...है, किन्तु विगके और विगके बीच ? विगके विरुद्ध विगका प्रयाग ?

दुःख और करुणा

दुःख यदि मिथ्या है, तो क्या करुणा भी मिथ्या है, समवेदना भी मिथ्या है ?

हमारे समाजमें दूसरेके दुःखके प्रति जो दोहरी प्रवृत्ति देखनेमें आती है, उसकी जड़में क्या यही भाव नहीं है ?

सामाजिक रूपसे हम दुःख-क्लेशके प्रति निष्करण भावसे उदासीन हैं—क्योंकि दुःख तो असत्य है, माया है—पर व्यक्तिगत रूपसे हम दान-पुण्य करते हैं, दया धरमका मूल मानते हैं—क्योंकि दुःख ही नहीं, यह जीवन, यह लोक ही मिथ्या है और हमें अगले जीवनके, परलोकके लिए अपनी व्यवस्था करनी है !

रचना-शीलता

वैषम्य या संपर्पका बोध अपने-आगमें रचनाशील नहीं होता; वह तभी रचनाशील हो सकता है जब मूलभूत नियमको पहचाना जाय ।

दुःख भोगना रचना करना नहीं है, यद्यपि रचना करनेके लिए दुःख भोगना आवश्यक है । दुःखसे जो उग्मेप होता है वही रचना-शील होता है ।

करुणाका स्रोत

करुणाका स्रोत केवल दुःख नहीं है, दर्द नहीं है; उसकी सपर्यन्ताया सैद्धान्तिक प्रत्यय भी नहीं है ।

मैं और ममेतरका जीवन्त, तात्कालिक, रागाविष्ट अनुभव ही करुणाका स्रोत है । वह अनुभव ही दुःख है और उसकी उत्कटा ही दर्द ।

उग अनुभवके प्रति खुले रहना करुणाके लिए खुले रहना है; भिन्नता ही वह व्यापक है या गहरा है, उसी ही करुणा भी व्यापक या गहरी है ।

चरम उपलब्धि

ईश्वरने अन्धकारमें न-कुछसे सृष्टि की ।

अतः सृष्टिका मूल रहस्य क्या है ?

—न कुछ ।

ईश्वरने चित्से सृष्टिकी कल्पना की ।

अतः सृजनका मूल रहस्य क्या है ?

—चित् ।

ईश्वरने अपने तपनकी पीडासे सब कुछ रचा ।

अतः मूल रहस्य क्या है ?

—पीडा ।

सृष्टिको रचकर उसे अपनेसे अलग करके

ईश्वरके पास क्या बचा ?

—आनन्द ।

अतः मूल रहस्य क्या है ?

—आनन्द ।

किन्तु

ईश्वरसे अलग होकर

आनन्द ईश्वरको सौंपकर

मानवके पास क्या बचा ?

—स्वातन्त्र्य ।

अतः चरम उपलब्धि क्या है ?

—स्वातन्त्र्य ।

स्वर्ग और नरक

स्वर्ग

इतनी संवेदना ही जिनमें है कि वे स्वर्ग या नरक की पावत्रा पा सकें ?

बलिका अधिकार

क्यों, जब-जब मैंने पूछा है कि मैं किसकी बलि दूँ, तब-तब तैरा उत्तर एक प्रश्न हुआ है : 'तू जिसे अधिक चाहता है ?'

एक विकृत उपपत्ति : अगर मैंने किसीकी बलि देनेका निश्चय कर ही लिया है; तो मुझे केवल अपनेको यह विश्वास दिलाना शेष रह जाता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ ।

सर्वसत्तावादी स्वतन्त्रतासे कितना प्रेम करते हैं !

मूल्य

उपलब्धिके बिना मूल्य नहीं है । किन्तु मूल्य केवल उपलब्धिमें नहीं है, वह उस गहराईमें भी है जिनपर उपलब्धि हुई हो ।

प्रत्येक वस्तु जो अपनी माप है उस गहराईकी भी माप है जिनमें उसकी रचना हुई ।

प्रतीकका महत्त्व

महत्त्व या मूल्य प्रतीकका या प्रतीकमें नहीं होता; वह उससे मिलने वाली अनुभूतिकी गुणात्मकतामें होता है ।

सत्यकी सत्यता

सत्य इससे कम सच्चा नहीं हो जाता कि उसे थोड़े लोग जानते हैं । पर सत्य इससे झूठा हो जा सकता है कि उसे हर कोई जानता है ।

संस्कृति और कला

संस्कृति क्या है ?

सारे समाजका पुजित अनुभव रचनामें लगनेपर उससे जो आनन्दमयी सृष्टि होती है वही संस्कृति है। अगर वह सृष्टि नहीं है तो संस्कृति नहीं है; अगर आनन्दमयी नहीं है तो भी वह संस्कृति नहीं है। और अगर उसका आचार पूरे समाजका अनुभव—समाज-व्यापी सत्य—नहीं है तो भी वह संस्कृति नहीं है।

समाजके अनुभवका बहन करनेके लिए व्यक्तिका सस्कारी होना आवश्यक है। संस्कृति दीक्षा और अनुशासन मांगती है। बिना अनुशासन के संस्कृति टिक नहीं सकती : आनन्दोपभोगकी क्रियाका भी वह अनुशासन मांगती है। इन्द्रियोके और मनके प्रशिक्षणमें, उपभोगके साथ-साथ विवेचनमें, पहचानने, परखने, विविकत करने, मूल्य आँकने और निर्देश देनेमें अधिकाधिक अनुशासन ही हमें बन्धतासे सस्कृतिकी ओर ले जाता है, और संस्कृतिमें कलाकी ओर बढ़ सकनेका सामर्थ्य देता है।

पर कला ...

एक बिन्दु ऐसा है जहाँ कलाका मार्ग संस्कृतिके मार्गसे अलग हो जाता है। संस्कृतिका आधार समाज है, उमका सत्य व्यापक सत्य है और उमकी दृष्टि भी तदनुकूल है। पर कलाका सत्य विशिष्ट, अद्वितीय और मौलिक सत्य है, जो समाजके सत्य से अलग ही एक और अद्वितीय।

यह

प्रति

— — —
— — —
— — —
— — —

२५७

विद्याभ्यासे श्राव

विद्याभ्यासे नीच शेष या श्राव

काम्य और काम्यके मध्यस्थ, विद्यका अनुमानात्त विद्याय है,

काम्य और श्रावके मध्यस्थ, विद्यका शेष मोरि श्राव है,

इसीके शेष क्यके मध्यस्थ, विद्यको श्राव श्राविकाय अनुमान है ।

श्री १०० कथा १

काम्य विद्यकी श्राव है विद्याया, विद्याया श्राव मय को । शि उपाय
काम्य कोक काम्य की मध्यस्थ कथ मय है

विद्याया काम्यय है विद्यायाके मध्यस्थान्त — शि मय कमी श्राविकाय,
शि उपाय मय मयय ही मयिकाय ही काम्य है ।

काम्य श्राव श्राविकाय श्राव

काम्य श्राव श्राविकाय श्राव है । काम्य श्राविकाय श्राव श्राव श्राविकाय
काम्य श्राव है ।

काम्य श्राव श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय
काम्य श्राव श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय

श्राविकाय श्राविकाय

श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय
श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय
श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय

श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय
श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय श्राविकाय

यनाता है, ममान होनेके कारण प्रतिमाएँ एक दूसरेसे केवल घुणा कर सकती हैं ।

व्यक्तित्वका शोध

अपनेमे भिन्न एक व्यक्तिके व्यक्तित्वका क्रमिक शोध और अनु-मन्धान—इसमे अधिक सुन्दर, प्रीतिकर और तृप्तिदायक अनुभूति क्या हो सकती है ? यह शोध अत्यन्त कठिन है, इसीलिए वह इतनी तृप्ति भी देना है । किन्तु यह शोध अहेर नहीं है, 'पाने'से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अहेरीकी भावना लेकर पुण्य अथवा रती व्यक्तिका 'पीछा' करना उन अनुमन्धान और शोधकी आरम्भमे ही दूषित कर देना है, क्योंकि यह वास्तवमें स्रोत्र नहीं है, वह तो केवल पूर्वग्रह है क्योंकि वह उपलब्धि का रूप पहलेमे निर्धारित करके चलना है ।

क्या मानव जातिकी शोध भी उनना ही तृप्तिकर और प्रिय हो सकता है ? क्या कोई यह नहीं कह सकता कि व्यक्तिकी छोटी और सम्पूर्ण मानवकी ही अपना लक्ष्य बनाओ ? किन्तु इस अर्थमे सम्पूर्ण मानवका अर्थ या अस्तित्व क्या है ? मानव जाति क्या है इसादिके योगमे अधिक क्या है ? संकल्पपूर्वक व्यक्तिके शोधका परिणाम, अपनी आत्माका पंगु-करण है, आत्मिक आत्म-हानन है । क्योंकि व्यक्तिके शोधके परिणामके बाद मानवका शोध सम्भव नहीं रहता—मानव व्यक्ति एक मनु है, मानवता केवल एक उद्भावना ।

प्यार : दर्शन

ॐ

७४

It is a very important part of the work of the Commission and it is one of the main reasons why the Commission has been set up. The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

2. The Commission

The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

3. The Commission

The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

4. The Commission

The Commission is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject. It is to be a body of experts who will be able to give an independent and impartial view on the subject.

संकल्प अर्थात् इच्छाशक्तिकी क्रिया होनेके कारण आत्म-बलिदान आत्म-हाननका एक रूप है : वह आत्माको हीन, नीरस, वन्ध्य करता है ।

नि स्वार्थता संकल्पकी क्रिया नहीं है, वह विकास और शिक्षाका फल है । उसमें कोई नकार या बलिदान नहीं होना, अतः वह आत्मदानको आनन्दमय बनाती है ।

प्रेम और बलिदान

अगर प्रेमके लिए बलिदान करना सम्भव है, तो क्या वही बलिदानके लिए प्रेम करना भी सम्भव है ?

बल्कि प्रायः तो हम यही करते हैं”

काश कि मैं अपने-आपसे कुछ अधिक प्रेम करता, क्योंकि तब मैं अपनेको बलिदानके लिए उपयुक्त महत्त्व और गौरव दे सकता ।

अथवा मैं अपनेको कुछ कम प्रेम करता—ताकि दूसरोंका बलिदान करनेमें मुझे द्विधा न होती !

यान्त्रिक उन्नति

यान्त्रिक उन्नति इमे क्रमशः सुगमतर बनाती जाती है कि मानव अधिकाधिक काम बिना आत्मदानके कर सके ।

अर्थात् वह क्रमशः अधिकाधिक मानवोंका अकेला होना अधिकाधिक सम्भव बनाती जा रही है, यदि वे यान्त्रिक उन्नतिपर ही निर्भर करते हैं ।

यान्त्रिक उन्नति अपने आपमें दूषित नहीं है । वह मृत्युको सुगमतर बनाती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जीवनको असम्भव बनाती है ।

बिन्तु यान्त्रिक उन्नति आत्माको प्रेरणा नहीं देती, और वह प्रेरणा आवश्यक है । उस प्रेरणाके स्रोतकी खोज आधुनिक मानवकी खोज है ।

शिक्षा और प्रतिमानीकरण

लोक-अभ्यासका अर्थ जब परिस्थितियोंका प्रतिमानीकरण समझ लिया जाता है, तब शिक्षाका अर्थ भी मानसिक प्रतिक्रियाओंका प्रतिमानीकरण हो जाता है। तब हम परिस्थितिकी विशिष्टताको अरक्षित होना समझने लगते हैं, और भाव-प्रतिक्रियाकी विशिष्टताको अशिथिल होना-या असामाजिक होना।

शिक्षा विवेचनकी परिपाटी देती है। जो शिक्षा विचार-शक्तिकी वजाय भावनाका नियमन करना चाहती है, वह सर्वसत्तावादकी चेरी है।

संस्कृति और प्रतिमानीकरण

हम जीवनके प्रतिमानकी बात करने चलते हैं, और जीवनका प्रतिमानीकरण करने चलते हैं।

हम सांस्कृतिक स्वातन्त्र्यको राजनैतिक मनवाद बनाना चाहते हैं, पर यह भूलते जाते हैं कि स्वतन्त्र रखनेके लिए संस्कृति तो प्रतिदिन कम होती जाती है। व्यक्ति-संस्कृति भी व्यक्ति-स्वातन्त्र्यकी भाँति दिन-प्रति-दिन आक्रान्त होती जा रही है.....

सख्य

सख्य अथवा सम्पुक्ति मानसकी स्थिति है।

अकेलोककी भीड़से अकेलापन नहीं मिटता, किन्तु अकेलेके आत्मदानसे मिट सकता है।

सम्बन्ध कारक

'तैरा', केवल 'तू'में सम्बन्ध कारक जोड़ देनेसे नहीं बनता, वह

'तू'के अस्तित्वका एक नया स्तर अथवा आयाम है, सम्बन्धकी एक अलग विभक्ति, एक स्वतन्त्र सत्य है।

अपनेको तुझे सौंपनेमें, ऐमा नहीं है कि मैं केवल अपनेको बदलता हूँ !

जीवन मरण

मैंने इन जीवनमें जो भी प्रगति की, वह क्या इससे निरर्थक हो जावेगी कि इस जीवनके अतिरिक्त और कोई जीवन मेरा नहीं है—कि मेरा न पहले जन्म हुआ न फिर होगा ?

क्या उस प्रगतिकी अर्थवत्ता इससे और भी कम न हो जायगी कि यह जीवन एक ऐसी कार्य-कारण-परम्पराकी केवल एक कडी है, जिसमें मैं ओ इस जन्ममें करता हूँ वह उसमें नियमित होता है जो मैंने पिछले जन्ममें किया, और उसे नियमित करता है जो मैं अगले जन्ममें करूँगा ?

प्रगति क्या मेरी प्रगति है ?

अमरत्व क्या मेरा अमरत्व है ?

'मेरे' अमरत्वकी शर्तसे क्या मेरी बुद्धि, या मेरा सौन्दर्य-बोध परितुष्ट होता है ?

प्रगति क्या हममें, हमारे द्वारा, आद्यकी, आद्या शक्तिकी, ईश्वरकी ही प्रगति नहीं है ? क्या हमारा मर्त्य होना, मरणधर्मा होना, इसीलिए नहीं है कि हमारे द्वारा ईश्वर जीता रह सके ?

उपनिषत्

'तेन त्यक्तेन भुञ्जीया'—अगर हम मर्त्य हैं तभी यह सत्य है कि जो कुछ है सब 'ईशावास्य' है, और तब कितना सत्य ! उसके उच्छिष्टमें ही हम जीते हैं, उसीपर आधारित हैं : उसका स्वयं उत्सर्ग करना ही वह मुद्रा है जिसके द्वारा हम उसके समवदासीन होते हैं !

दावाग्नि

जगलमें आग लगी तो हम उसे बुझाने नहीं गये, हमने कुछ आगे बढ़कर पेड़ काट कर गिराने आरम्भ कर दिये कि शेष जगल बच जाय ।

इस प्रकार जो पेड़ बच गये सो तो बच गये । जो जल गये सो भी, हाँ, जल गये । कदाचित् उनका जलना ही एक अविस्मरणीय क्षिति छोड़ गया । किन्तु जो जले भी नहीं, पर बचे भी नहीं—जो जलने वालोंमें बचनेवालोंको अलग करनेके लिए काटकर गिरा दिये गये—उनका क्या ?

क्या ये हम धीचकी पीढ़ीके लोग भी ऐसे ही पेड़ हैं—जिन्हें काटकर फेंका जा रहा है कि भविष्यको दावाग्निसे बचाया जा सके ?



